VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

राजव्यवस्था

Classroom Study Material 2021

(September 2020 to September 2021)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

राजव्यवस्था और संविधान
(Polity and Constitution)

विषय सूची

1. भारतीय संविधान, उसके प्रावधान और मूल ढांचा (Indian Constitution, Provisions and Basic Structure) 5

1.1. भारत में सेंसरशिप (Censorship in India) 5

1.1.1. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रारूप {Draft Cinematograph (Amendment) Bill, 2021} 6

1.2. मूल ढांचा (Basic Structure) 7

1.2.1. केशवानंद भारती वाद (Kesavananda Bharati Case) 8

1.3. विधि का शासन (Rule of Law) 9

1.4. विचाराधीन कैदी: त्वरित सुनवाई का अधिकार (Undertrials: Right to Speedy Trials) 10

1.5. विरोध-प्रदर्शन का अधिकार (Right to Protest) 13

1.6. भारत में राजद्रोह कानून (Sedition Law in India) 15

1.7. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC) 17

1.8. आधार (Aadhaar) 18

1.9. गैंबलिंग या जुआ (Gambling) 20

1.10. राज्य और मंदिरों का विनियमन (State And Regulation of Temples) 22

1.11. आरक्षण से संबंधित मुद्दे (Issues related to Reservation) 24

1.11.1. जातिगत जनगणना (Caste Census) 25

1.11.2. अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण {Sub-Categorisation of Other Backward Classes (OBCs)} 27

1.11.3. निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण (Local Reservation in Private Sector) 28

1.11.4. महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) 29

2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure) 32

2.1. संघवाद (Federalism) 32

2.2. अनुच्छेद 370 (Article 370) 33

2.3. अंतर्राज्यिक जल विवाद (Interstate River Dispute) 35

2.4. आंध्र प्रदेश के लिए राजधानियां (Capitals for Andhra Pradesh) 38

2.5. छठी अनुसूची के तहत दर्जे की मांग (Demand for Sixth Schedule Status) 39

2.6. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act (GNCTD), 2021} 41

VISION IAS

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना और कामकाज (Parliament and State Legislatures: Structure and Functioning) ... 44

3.1. संसदीय संवीक्षा (Parliamentary Scrutiny)...44

3.2. . दल बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) ...46

3.3. प्रश्नकाल (Question Hour)...47

4. विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप (Government Policies and Interventions for Development in various Sectors) ... 49

4.1. सहकारिता (Cooperatives) ...49

4.2. भारत में गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन (Regulation of NGO's in India) ...52

4.2.1. विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 {Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020}...54

5. विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान (Separation of Powers Between Various Organs Dispute Redressal Mechanisms and Institutions) ... 57

5.1. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Power) ...57

5.2. न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Activism and Judicial Overreach) ...57

6. न्यायपालिका और अन्य अर्ध-न्यायिक निकायों की संरचना और कामकाज (Structure and Functioning of Judiciary and Other Quasi-Judicial Bodies) ... 60

6.1. न्यायिक सुधार (Judicial reforms) ...60

6.2. न्यायालय का अवमान (Contempt of Court) ...61

6.3. अधिकरण (Tribunals) ...63

6.4. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2021}65

7. भारत में चुनाव (Elections in India)... 68

7.1. चुनावी सुधार (Electoral Reforms) ...68

7.2. चुनावी बॉण्ड्स (Electoral Bonds)...68

7.3. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) ...71

7.4. वापस बुलाने या प्रत्यावर्तन का अधिकार (Right to Recall) ...72

7.5. निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण से निपटना (Election Commission Tackling Criminalisation of Politics) ...73

8. गवर्नेंस (Governance)... 76

8.1. ई -गवर्नेंस (E-governance) ...76

VISION IAS

8.1.1. डेटा गवर्नेंस (Data Governance) ... 76
8.1.1.1. डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (Data Governance Quality Index: DGQI) ... 77
8.1.2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 {Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021} ... 79
8.1.3. बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का विनियमन (Regulation of Big Tech Companies) ... 81
8.2. सिटीजन चार्टर (Citizen's Charter) ... 83
8.3. सामाजिक जवाबदेही (Social Accountability) ... 86

9. स्थानीय शासन (Local Governance) ... 89
9.1. शहरी स्थानीय शासन (Urban Local Governance) ... 89
9.2. शहरी स्थानीय निकायों में सुधार {Urban Local Bodies (ULBs) Reforms} ... 90
9.3. जन योजना अभियान (People's Plan Campaign) ... 91
9.4. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme: ADP) ... 92

10. पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency and Accountability) ... 95
10.1. व्हिसलब्लोइंग (Whistle-Blowing) ... 95
10.2. सूचना का अधिकार (Right to Information: RTI) ... 96
10.2.1. सूचना आयोगों की समीक्षा (Review of the Information Commissions) ... 98
10.3. सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) ... 100
10.4. भारत में टेलीविजन रेटिंग (Television Rating in India) ... 102

11. सिविल सेवा की भूमिका (Role of Civil Service) ... 104
11.1. सिविल सेवाओं में सुधार (Civil Service Reforms) ... 104
11.1.1. 'मिशन कर्मयोगी' (Mission Karmayogi) ... 105

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013-2020 तक पूछे गए प्रश्नों (राजव्यवस्था एवं शासन खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने में मदद करेगा।	

VISION IAS

छात्रों के लिए संदेश

प्रिय छात्रों,

प्रति वर्ष मेंस–365 डॉक्युमेंट्स के साथ, हमारा उद्देश्य परीक्षा की मांग और छात्रों की संबंधित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत कंटेंट प्रदान करना है। यह परीक्षा के बदलते पैटर्न के साथ तैयारी की गति को बनाए रखने में सहायक है।

पिछले 3–4 वर्षों के दौरान, मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति में काफी बदलाव आया है। प्रश्न प्रकृति में अधिक वैचारिक और अधिक समग्र होते जा रहे हैं। इनमें अब स्टेटिक और करेंट दोनों का संयोजन देखने को मिला है। उदाहरण के लिए– मुख्य परीक्षा, 2020 में सूचना के अधिकार (RTI) पर पूछा गया प्रश्न।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

- **टॉपिक एक नज़र में:** मेंस–365 के इस डॉक्युमेंट में कुछ टॉपिक्स को **"टॉपिक – एक नज़र में"** के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। छात्रों के लिए **टॉपिक – एक नज़र में:**

स्टेटिक जानकारी और **समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण** को जोड़ने वाले सेतु के रूप में कार्य करेगा।

संघवाद, सिविल सेवाओं में सुधार जैसे **व्यापक मुद्दों पर चहुँमुखी दृष्टिकोण** प्रदान करेगा।

त्वरित रिवीजन और परीक्षा में याद किया गया **हूबहू लिखने के लिए विषय से संबंधित आवश्यक डेटा** या संबंधित पहलों के लिए सहायक होगा।

- **इन्फोग्राफिक्स:** इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें फ़्लोचार्ट, पाई चार्ट, मैप्स आदि के माध्यम से परीक्षा में आसानी से याद करके लिखा/दर्शाया जा सकता है, जिससे उत्तर में कंटेंट की प्रस्तुति में सुधार होता है।

- **विगत वर्षों के प्रश्न:** छात्रों के संदर्भ के लिए सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है। ये बेहतर उत्तर लिखने के लिए आवश्यक विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।

यह डॉक्यूमेंट न केवल राजव्यवस्था से संबंधित करेंट अफेयर्स के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करता है बल्कि यह प्रभावी और अच्छी तरह से उत्तर लिखने के लिए आवश्यक एक सुसंगत थॉट प्रॉसेस विकसित करने का भी प्रयास करता है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट में शामिल आर्टिकल्स को न केवल कंटेंट के लिए बल्कि उत्तर लेखन की बेहतर शैली को समझने और उसे अपनाने के लिए भी पढ़ें।

हम आशा करते हैं कि इसमें ऑर्गनाईज्ड तरीके से शामिल कंटेंट सिविल सेसेवा मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी सहायता करेगा।

"ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, हमें वास्तविक प्रयास करना चाहिए।"

- जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे

शुभकामनाएं!

टीम VisionIAS

1. भारतीय संविधान, उसके प्रावधान और मूल ढांचा (Indian Constitution, Provisions and Basic Structure)

1.1. भारत में सेंसरशिप (Censorship in India)

सेंसरशिप – एक नज़र में

वाक् और सेंसरशिप की स्वतंत्रता के संदर्भ में दार्शनिकों एवं विचारकों के मत

प्लेटो: सेंसरशिप के पक्षधर थे तथा इसे शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया था।

सुकरात: स्वतंत्र चर्चा/वार्ता को सर्वोच्च सार्वजनिक मूल्य के रूप में संदर्भित करते हुए उन्होंने बौद्धिक स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया था।

जॉन स्टुअर्ट मिल: वे सभी विषयों, रुचियों और अनुसरणों के संदर्भ में विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे।

सेंसरशिप के बारे में

- सेंसरशिप से तात्पर्य ऐसी **किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति** जैसे कि फिल्म, पुस्तकें, टेलीविजन शो आदि **के आधिकारिक निषेध या प्रतिबंध** से है जिन्हें राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक व्यवस्था के समक्ष खतरा माना जाता है।
- इसे **स्थानीय या राष्ट्रीय सरकारी प्राधिकरण, धार्मिक निकाय** या कभी-कभी एक शक्तिशाली निजी समूह द्वारा भी आरोपित किया जा सकता है।
- यह **वाक्, अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता** के आधिकारिक निषेध को प्रतिबिंबित करता है। कई बार इसे **राजनीतिक** (राजद्रोह, देशद्रोह व राष्ट्रीय सुरक्षा), **धार्मिक** (ईशनिंदा एवं मतान्तर) तथा **नैतिक** (अश्लीलता और अपवित्रता) से लेकर **सामाजिक** (असभ्यता, अपमान व अव्यवस्था) तक के कारकों के आधार पर तर्कसंगत भी माना जाता है।

भारत में सेंसरशिप प्रणाली का विकास

- **औपनिवेशिक शासन के दौरान सेंसरशिप:** वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट,**1878;** समाचार पत्र (अपराधों के लिए उकसाना) अधिनियम, **1908;** वर्ष **1910** के प्रेस अधिनियम आदि जैसे विधानों के माध्यम से विद्रोह की किसी भी भावना के दमन और राष्ट्रीय आंदोलन को बाधित करने के लिए सेंसरशिप का उपयोग किया जाता था।
- **वर्ष 1918 के सिनेमैटोग्राफ अधिनियम** (बाद में इसे वर्ष **1952** के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था) द्वारा भारत में फिल्म/चलचित्र सेंसरशिप की नींव रखी गई थी।

मीडिया सामग्री को नियंत्रित करने वाला वर्तमान ढांचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम:** ये नियम डिजिटल मीडिया जैसे सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स आदि पर सामग्री को विनियमित करने में मदद करते हैं।
- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन **(NBA)** और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन **(IBF)** जैसे निकायों के सहयोग से **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995** टेलीविजन पर कार्यक्रमों के प्रसारण को नियंत्रित करता है।
- **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CFBC):** फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।
- **भारतीय प्रेस परिषद (PCI):** समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों के अनुपालन एवं उनमें सुधारों को लागू करता है।
- **मीडिया सामग्री को विनियमित करने वाले अन्य प्रावधान:** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 आदि।

समाज और संपूर्ण देश के लिए सेंसरशिप की आवश्यकता

- अपराधियों या राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करते हुए **राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा को बनाए** रखने हेतु।
- साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग, आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री, ऑनलाइन लैंगिक उत्पीड़न आदि जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर **व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु।**
- **फेक न्यूज के प्रसार को सीमित करने हेतु।**
- हेट स्पीच (राजनीतिक रूप से संवेदनशील एवं सामाजिक सौहार्द को विकृत करने वाले भाषण व अभिव्यक्ति) को नियंत्रित करके **धार्मिक और जातीय हिंसा को रोकने** हेतु।
- अश्लील या हिंसक सामग्री या असामाजिक या अस्वस्थ व्यवहार के महिमामंडित चित्रण जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक चलचित्रों/प्रसारणों/प्रदर्शनों के संपर्क में आने से **बच्चों की रक्षा** हेतु।
- साझा मूल्यों के अनादर को प्रतिबंधित करते हुए सामाजिक एकजुटता में वृद्धि करने हेतु, जैसे राष्ट्रीय ध्वज के जलाने पर निषेध।

सेंसरशिप से संबंधित प्रचलित मुद्दे

- लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि यह असंतोष को हतोत्साहित कर सकता है।
- नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता से वंचित करता है।
- स्व-सेंसरशिप को बढ़ावा दे सकता है।
- रचनात्मक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता को सीमित करता है।
- प्रगतिशील और नए विचारों के प्रति असहिष्णुता के माहौल का बढ़ावा दे सकता है।
- सुभेद्य वर्गों के मुद्दों का दमन कर सकता है।
- भारतीय सिनेमा/टेलीविजन उद्योग के विकास को बाधित कर सकता है और नागरिकों के चयन के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** उद्देश्यपरक सीमाओं का अभाव, अनुचित उपयोग की संभावना, अति विनियमन और दुरुपयोग, सेंसर की गई सामग्री को अन्य तरीकों से प्रदर्शित किया जा सकता है।

आगे की राह

- नागरिक समाज के प्रतिनिधियों जैसे व्यवसाय नेतृत्वकर्ताओं, कलाकारों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और पेशेवरों आदि को शामिल कर स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- सामग्री से जुड़ी चेतावनियों को जारी करने जैसे क़दमों के माध्यम से नागरिकों को सामग्री चुनने और उपभोग करने का अधिकार प्रदान करना चाहिए।
- मीडिया में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और सभी मीडिया कानूनों को संहिताबद्ध करना चाहिए।
- उद्देश्यपरक मानकों के आधार पर वास्तविक हानि को रोकने के लिए केवल फ्री स्पीच (वाक्/अभिव्यक्ति) की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना चाहिए।
- हेट स्पीच के समाधान के लिए अग्र-सक्रिय या गैर-दंडात्मक उपाए किए जाने चाहिए जैसे सार्वजनिक शिक्षा व विविधता को प्रोत्साहित करना आदि।

1.1.1. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रारूप {Draft Cinematograph (Amendment) Bill, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम (Cinematograph Act), 1952 में संशोधन करने हेतु जनता का मत प्राप्त करने के लिए **चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रारूप** जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत में, चलचित्र अधिनियम, 1952 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा फिल्मों के **प्रमाणन** और उनके **प्रदर्शन को विनियमित** करने के लिए **पूर्व परीक्षण (prior examination) का प्रावधान** किया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को लोकप्रिय तौर पर **सेंसर बोर्ड** के नाम से जाना जाता है।
- **प्रभावी फिल्म प्रमाणन के लिए बदलते समय के साथ समन्वय स्थापित करने और पायरेसी पर** अंकुश लगाने के लिए, प्रारूप विधेयक ने वर्ष 1952 के अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं:

प्रावधान	प्रस्तावित परिवर्तन
फिल्म प्रमाणन की श्रेणियां	• **'U/A 7+', 'U/A 13+'** और **'U/A 16+'** के रूप में आयु-आधारित वर्गीकरण आरंभ करना। • **धारा 4 (1)(i)** के तहत मौजूदा श्रेणियां हैं- ○ **'अ/U'-** बिना प्रतिबंध के सार्वजनिक प्रदर्शन (Unrestricted public exhibition); तथा ○ **'अ/व' (U/A)-** 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन (दूसरे शब्दों में उपस्थिति) की आवश्यकता।
प्रमाण-पत्र की वैधता	• **धारा 5A(3)** के तहत प्रमाण-पत्र की **10 वर्ष की मौजूदा वैधता को स्थायी रूप से** बढ़ाना।
केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियां	• इस अधिनियम की **धारा 5B(1)** का उल्लंघन होने पर सरकार को **पुनरीक्षण शक्तियां** प्रदान करने हेतु एक प्रावधान किया गया है। • **धारा 5B(1)** के उल्लंघन होने पर फिल्म की पुनर्समीक्षा के लिए बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश देने हेतु केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है। **नोट**: नवंबर 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने उन फिल्मों के लिए केंद्र की पुनरीक्षण शक्ति को ख़त्म करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिन्हें पहले से ही बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है।
फिल्म पायरेसी	• इंटरनेट पर फिल्मों के पायरेटेड संस्करण के रिलीज होने के कारण फिल्म उद्योग और सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान से बचाने के लिए- ○ अनधिकृत रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित करने हेतु **धारा 6AA** ○ धारा 6AA के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करने हेतु **धारा 7(1A)**

प्रस्तावित संशोधन में मुद्दे

प्रारूप में प्रस्तावित परिवर्तनों में, **केंद्र सरकार को पुनरीक्षण शक्ति प्रदान करने के प्रावधान की** फिल्म जगत और अन्य लोगों द्वारा **आलोचना की गई है:**

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष बाधा।**
- **रचनात्मकता में बाधक (Stifle Creativity):** ये नए प्रावधान मुक्त अभिव्यक्ति और विचार-विमर्श को बढ़ावा देने की बजाय सेंसरशिप में वृद्धि करेंगे।
- **आर्थिक नुकसान:** इससे फिल्म निर्माताओं को व्यापक आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा संपूर्ण फिल्म उद्योग तंत्र जैसे फिल्म वितरकों, थिएटरों आदि को क्षति पहुंचा सकता है।
- **फिल्म प्रमाणन पर प्रस्तावित निर्देश के विरुद्ध:** प्रस्तावित परिवर्तन फिल्म प्रमाणन पर **मुद्गल समिति (वर्ष 2013) और श्याम बेनेगल समिति (वर्ष 2016)** की अनुशंसाओं की भावना के विरुद्ध हैं।

- **पहले से विद्यमान प्रावधान:** अधिनियम की **धारा 5E** और **5F** के तहत पहले से ही केंद्र सरकार के पास संबंधित व्यक्ति को अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रमाणन को निलंबित करने और रद्द करने की शक्ति है।

प्रभावी विनियमन से समझौता किए बिना इन मुद्दों का निवारण करने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करना:** इसे कार्य के आधार पर संस्थानिक (इन-हाउस) और उद्योगव्यापी दोनों स्तरों पर स्थापित किया जा सकता है।
- **राज्य की सेंसर करने की शक्ति के विस्तार को सीमित करना:** शक्ति के दुरुपयोग और अति प्रयोग को रोकने के लिए, किसी भी विनियामक संस्था को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि सरकार अपने सुझावों/अनुशंसाओं को अग्रेषित करके एक समन्वयक के रूप में कार्य कर सकती है।
- **कंटेंट के चयन और उसे देखने का अधिकार:** पूर्णतया सेंसरशिप की बजाय, आपत्तिजनक कंटेंट के लिए प्रदर्शन-पूर्व चेतावनियों के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **मीडिया में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना:** नागरिकों की निजता, गरिमा और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाले नैतिक मानदंडों को विकसित किया जा सकता है तथा विभिन्न मीडिया, विशेष रूप से टेलीविजन, सिनेमा, प्रेस और इंटरनेट में पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, ताकि बाह्य तौर पर सेंसरशिप मानकों को लागू करने की आवश्यकता को कम किया जा सके।
- **हेट स्पीच के कंटेंट से संबद्ध मामलों का समाधान करने के लिए सक्रिय या गैर-दंडात्मक कदम अपनाना:** इस प्रकार के कदमों में सार्वजनिक शिक्षा, विविधता को प्रोत्साहित करना, खुले तौर पर अपमानजनक या उत्तेजक गलत सूचनाओं से निपटना तथा जोखिम वाले समुदाय के संरक्षण के लिए सुरक्षा में सुधार करना शामिल हो सकता है।

1.2. मूल ढांचा (Basic Structure)

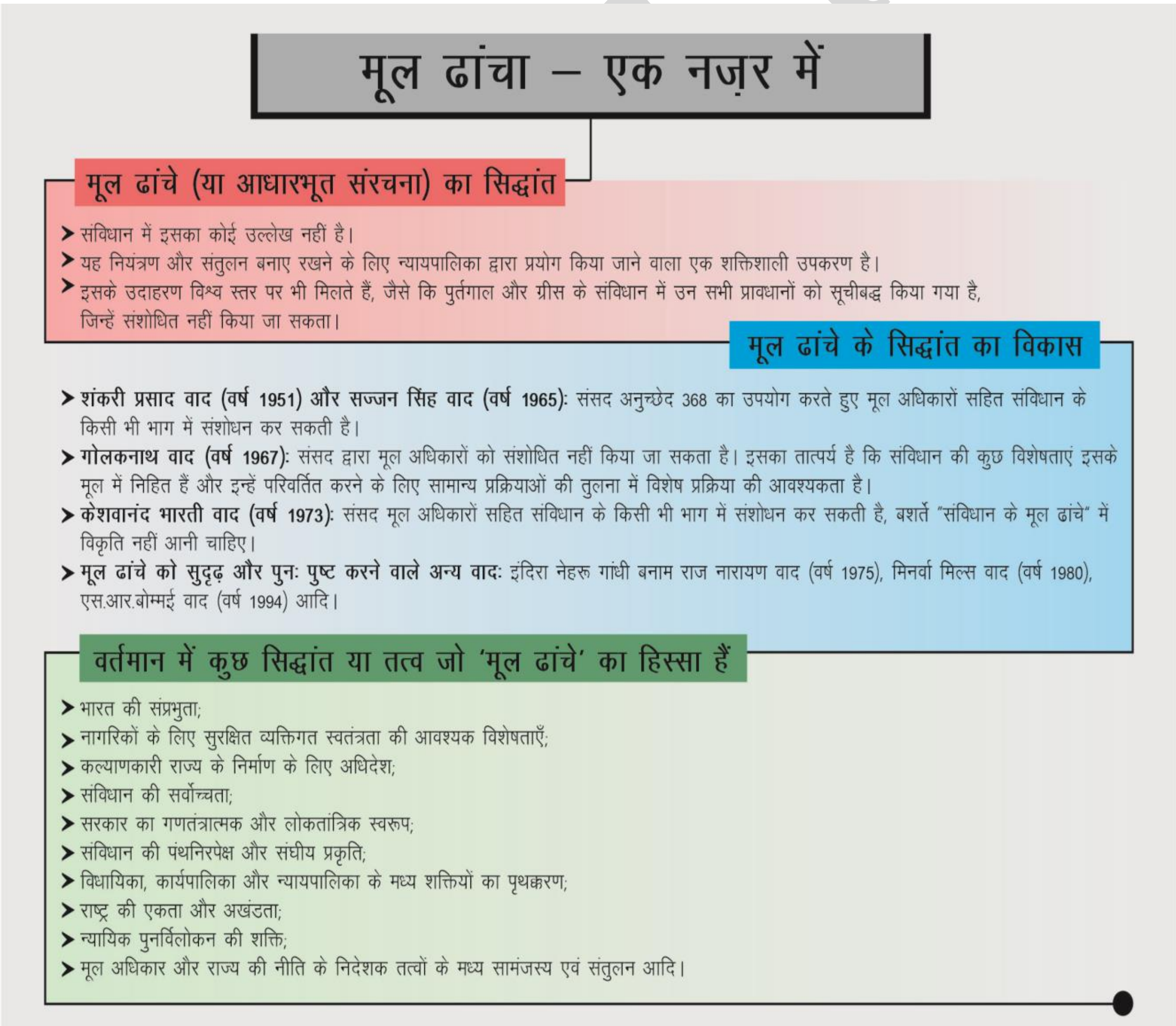

1.2.1. केशवानंद भारती वाद (Kesavananda Bharati Case)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केशवानंद भारती श्रीपदूलवरु और अन्य बनाम केरल राज्य वाद** के मुख्य याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का निधन हो गया।

केशवानंद भारती वाद के बारे में

- यह वाद **केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963** के तहत सरकार द्वारा केशवानंद की भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण को चुनौती देने वाली केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25, 26 और 31** में प्रत्याभूत मूल अधिकारों (FRs) के अतिक्रमण का आरोप लगाया था।
- इस मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी। यह उच्चतम न्यायालय की उस समय गठित सबसे बड़ी पीठ थी।
- सुनवाई की प्रक्रिया के आरंभ होने पर, **वाद के दायरे का निम्नलिखित को संबोधित करने के लिए विस्तार किया गया था:**
    - **गोलकनाथ मामले** की व्याख्या- उच्चतम न्यायालय ने माना था कि- **अनुच्छेद 368** केवल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है, लेकिन संसद को **इसे संशोधित करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।**
    - **अनुच्छेद 368** की व्याख्या- कुछ शर्तों के साथ संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
    - **24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 और 3 तथा 29वें संविधान संशोधन अधिनियम** की वैधता।

केशवानंद भारती वाद के निष्कर्ष

- **24वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया:** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की अनिवार्य विशेषताओं या मूलभूत सिद्धांतों या मूल ढांचे में परिवर्तन, उनकी क्षति या लोप नहीं होना चाहिए। इसे **"मूल ढांचे के सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine)** के रूप में जाना जाता है।
- **गोलकनाथ मामले के निर्णय को सही किया गया:** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल हैं तथा **संसद की संविधान संशोधन करने की शक्तियां एवं विधायी शक्तियां भिन्न-भिन्न हैं।**
- **अन्य निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन (समीक्षा) की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें एवं 29वें संशोधन को वैध स्वीकार किया और यह भी कहा कि **उद्देशिका संविधान का एक भाग है तथा इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।**

केशवानंद भारती वाद का महत्व

- **इसने न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे का विस्तार किया,** जहां शीर्ष न्यायालय भारतीय लोकतंत्र की व्यापक भावना को आहत करने वाले किसी भी संविधान संशोधन को अवैध घोषित करने के लिए 'मूल ढांचे के सिद्धांत' को लागू करने हेतु स्वतंत्र है।
- भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में किए गए संशोधनों के बावजूद, 'मूल ढांचे के सिद्धांत' ने **संविधान निर्माताओं के अभिन्न दर्शन को संरक्षित करने में सहायता प्रदान की है।**
- इसने न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने और संविधान में संशोधन करने की संसद की अप्रतिबंधित शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित किया {संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से} है।
- इसके अतिरिक्त, इसने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और विधायी शक्तियों में अंतर को स्पष्ट किया है तथा उद्देशिका को भारत के संविधान में इसका न्यायोचित व अभिन्न स्थान प्रदान किया है।

VISION IAS

1.3. विधि का शासन (Rule of Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विधि के शासन पर एक व्याख्यान दिया तथा उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि, **"विधि का शासन और कुछ नहीं बल्कि मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास है।"**

विधि का शासन – एक नज़र में

विधि का शासन

- विधि के शासन से तात्पर्य शासन के एक सर्वमान्य सिद्धांत से है। इसमें सभी व्यक्ति, संस्थान और इकाइयां, सार्वजनिक एवं निजी साथ ही राज्य भी कानूनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये कानून **सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित, समान रूप से लागू और स्वतंत्र रूप से न्यायनिर्णयित तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों एवं मानकों के अनुरूप होते हैं।**

इतिहास और उत्पत्ति

- **'विधि के शासन' सिद्धांत** की उत्पत्ति प्राचीन रोम में प्रथम गणतंत्र के गठन के दौरान हुई थी। तब से इसे यूरोप में कई मध्ययुगीन विचारकों, जैसे– **हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो** द्वारा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के माध्यम से प्रचारित किया गया था।
- भारतीय दार्शनिकों जैसे कि **चाणक्य** ने भी विधि के शासन का समर्थन किया है। उनके अनुसार शासक को भी विधि के नियंत्रण में ही शासन करना चाहिए।

विधि के शासन का महत्व

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।
- लोकतंत्र की रक्षा करना।
- शक्ति के मनमाने प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना।
- मूल अधिकारों और मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करना।
- संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना।

विधि का शासन और भारतीय संविधान

- विधि का शासन भारतीय संविधान का एक मूलभूत स्तंभ है और भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में अंतर्निहित है।
  - विधि का शासन भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का एक हिस्सा है।
  - संविधान की सर्वोच्चता।
  - अनुच्छेद 13ए किसी विधि की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है।
  - अनुच्छेद 14ए विधि के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है।
  - अनुच्छेद 21ए कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है।
  - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण।
  - स्वतंत्र न्यायपालिका।

कानून या विधि के शासन पर बल देने वाले प्रमुख सिद्धांत

विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन (Rule of Law Vs Rule by Law)	
संक्षेप में, **'विधि के शासन'** का तात्पर्य **राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करने से है।**	जबकि **'विधि द्वारा शासन' राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है।** साधारणत: **विधि का शासन** तभी बनाए रखा जा सकता है जब विधि न्याय और समानता जैसे आदर्शों द्वारा निर्देशित होती है।
भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार,** राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।	दूसरी ओर, **विधि द्वारा शासन** नैतिक के साथ-साथ अनैतिक विधियों को भी शामिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को अधिनियमित विधियों के आधार पर उचित ठहराया गया था।

- **विधि स्पष्ट और सुलभ होनी चाहिए:** लोगों द्वारा विधि का अनुपालन करने और विधि की स्पष्ट जानकारी होने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, विधियों को **सरल और स्पष्ट भाषा** में उपबंधित किए जाने की आवश्यकता है।
- **विधि के समक्ष समानता:** विधि के समक्ष समानता के महत्वपूर्ण पहलुओं में **न्याय तक समान पहुंच और लैंगिक समानता** सुनिश्चित करना शामिल हैं।
  - न्याय तक समान पहुंच विधि के शासन का आधार है।
- **विधियों के निर्माण और संशोधन में भाग लेने का अधिकार:** लोकतंत्र का सार यह है कि उसके नागरिकों की उन्हें शासित करने वाली विधियों के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- **सुदृढ़ स्वतंत्र न्यायपालिका:** न्यायपालिका प्राथमिक अंग है। इसे यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि निर्मित विधियां संविधान के अनुरूप हों।
  - इसलिए, विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review of laws) न्यायपालिका के मुख्य कार्यों में से एक है।

विधि के शासन को लागू करने में विद्यमान चुनौतियां

- **पुरातन कानून और कानूनों की बहुलता एवं जटिलता:** ऐसी विधियां वर्तमान समय के लिए अप्रचलित, निरर्थक, दोहराई गई और अप्रासंगिक हैं, जो विधायी प्रक्रिया को लंबी, महंगी व समयसाध्य बना देती हैं।
- **कानून का कार्यान्वयन:** राजनीति के अपराधीकरण और एक अति-केंद्रीकृत पदानुक्रम के कारण कानून के शासन का कार्यान्वयन एक चुनौती बन जाता है। इसके अलावा, कभी-कभी राज्य **कानून को उत्पीड़न के एक साधन के रूप में** उपयोग करते हैं (उदाहरण के लिए, राजद्रोह पर कानून)।
- **न्याय को बनाए रखना:** अत्यधिक बोझिल न्यायिक प्रणाली, सोशल मीडिया का प्रभाव, न्याय तक पहुंच का अभाव अन्य प्रमुख चुनौतियाँ हैं। निर्धनता और निरक्षरता के कारण कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच का अभाव, प्राकृतिक न्याय के मौलिक पहलू का उल्लंघन करता है।

इन चुनौतियों के निवारण हेतु उपाय

- **पुरानी विधियों को निरस्त करना:** पुरानी विधियों में संशोधन, उनका निरसन एवं उन्हें अद्यतित (अपडेट) करने और प्रतिस्थापन भाषा (replacement language) के प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) में अधिक सटीकता आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिए, विधायी सुदृढ़ीकरण और सरलीकरण **वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग** द्वारा स्थापित मॉडल है।
- **विधियों के दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपाय:** कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित विधिक कार्रवाई और ठोस साक्ष्य होने चाहिए। साथ ही, प्रत्येक स्तर पर इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए।
  - राज्य की विभिन्न एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967** आदि जैसी विधियों के तहत विभिन्न मामलों से निपटने के दौरान विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन हो।
- **राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाना:** चुनावी निरर्हता (Electoral Disqualifications) के संदर्भ में **भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार** पर्याप्त रक्षोपायों के साथ राजनीति के अपराधीकरण के प्रसार को रोका जा सकता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समाधानों का उपयोग:** मामलों की जांच और निगरानी करने तथा न्याय को वादी के अनुकूल बनाने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।
  - **मामलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करना:** ई-कोर्ट इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।
- **भारतीय न्यायालय और अधिकरण सेवा: आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19** में भारतीय न्यायालय और अधिकरण सेवाओं के गठन का सुझाव दिया गया था। ये सेवाएं न्यायपालिका द्वारा आवश्यक प्रशासनिक सहायता से संबंधित उपाय प्रदान करने, प्रक्रियागत अक्षमताओं की पहचान करने तथा न्यायपालिका को **विधिक सुधारों** पर सलाह देने का कार्य करेंगी।

1.4. विचाराधीन कैदी: त्वरित सुनवाई का अधिकार (Undertrials: Right to Speedy Trials)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारी स्टेन स्वामी की मृत्यु के संदर्भ में विचाराधीन कैदियों के मामलों में **त्वरित सुनवाई के अधिकार को एक मूल अधिकार** माना है।

विचाराधीन कैदी और भारत में उनकी स्थिति

- विचाराधीन कैदी ऐसे लोग होते हैं, जिनके मामले की सुनवाई किसी न्यायालय में चल रही होती है। साथ ही, सुनवाई के दौरान ऐसे लोगों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रखा जाता है। सरल शब्दों में, किसी अपराध के कारण गिरफ़्तार किया गया व्यक्ति जो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है, उसे विचाराधीन कैदी कहते हैं।

- **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की जेल डेटा रिपोर्ट** के अनुसार, जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या वर्ष 2015 के 67% से बढ़कर वर्ष 2019 में 69% हो गई। साथ ही, इस अवधि के दौरान जेलों की क्षमता में 1.9% की वृद्धि हुई।

विचाराधीन कैदियों की वर्तमान स्थिति के कारण

- **जाँच में देरी:** अक्सर पुलिस बल में पर्याप्त पेशेवर व प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण जांच की खराब गुणवत्ता से जाँच में देरी होती और विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है।

- **अनावश्यक गिरफ़्तारी:** विधि आयोग ने अपनी 268वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 60% से अधिक गिरफ्तारियाँ अनावश्यक की गई थीं। साथ ही, इन अनावश्यक गिरफ्तारियों और ओवर-पुलिसिंग के कारण जेल लागत का 42.4% खर्च हुआ।
- **ज़मानत व्यवस्था में अनियमितता:** जिन मामलों में भी जमानत प्रदान की जा सकती है उन मामलों में भी जमानत के अधिकार से इनकार कर दिया जाता है। कई मामलों में ज़मानतीय अपराध के आरोपी को ज़मानत की अत्यधिक राशि के कारण भी जेलों में ही रहना पड़ता है।
- **कानून का खराब कार्यान्वयन:** पुलिस प्राधिकारियों, निचली न्यायापालिकाओं और जेल प्रशासन द्वारा न्यायिक निर्णयों और कानून के खराब क्रियान्वयन के चलते विचाराधीन कैदियों की कानूनी स्थिति और वास्तविक स्थिति के मध्य अंतर दिखने लगता है।

- **निर्धनता और निरक्षरता:** विचाराधीन कैदियों में अधिकतर उपेक्षित समुदायों और निर्धन तथा निरक्षर (28.6%) या 10 वीं से पहले ही स्कूल से छोड़ने वाले (41%) लोग शामिल होते हैं। इसलिए, इनमें से अधिकतर लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं।
- **खराब कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व:** भारत की करीब 80% जनसंख्या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत कानूनी सेवाएं और सलाह पाने के लिए पात्र है। लेकिन केवल 1.5 करोड़ लोगों को ही यह सेवाएं प्राप्त कर पाते हैं।

विचाराधीन कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- **फास्ट ट्रैक अदालतें:** उच्च न्यायालयों और ज़िला न्यायालयों से मामलों के भार को कम करने के साथ-साथ शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की गई है।
- न्यायिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने, लंबित मामलों को कम करने और वादियों की सहायता के लिए, **ई- अदालतों** की स्थापना की गई है।
- **फास्टर (फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ़ इलेक्ट्रानिक रिकाड्र्स: FASTER) योजना** के तहत उच्चतम न्यायालय तुरंत, सीधे, सुरक्षित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालय को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगी।

- कारागारों/जेलों, कैदियों और कारागार के कर्मियों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से **कारागारों की आधुनिकीकरण योजना** को आरंभ किया गया था।
- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)** द्वारा विचाराधीन कैदियों को निशुल्क विधिक सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने हेतु एक वेब एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है।
- डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन में दक्षता लाने के उद्देश्य से **ई-प्रिज़न (E- Prison) परियोजना** की शुरुआत की गई।
- **आदर्श कारागार नियमावली (Model Prison Manual)**, जेल में कैदियों को उपलब्ध विधिक सेवाओं और मुफ़्त विधिक सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

भारत में त्वरित सुनवाई का विचार और उत्पत्ति

- त्वरित **सुनवाई** के अधिकार का सर्वप्रथम उल्लेख अंग्रेजी कानून के ऐतिहासिक दस्तावेज़, **मैग्ना कार्टा** में देखने को मिलता है।
- वर्ष 1979 में, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले ने त्वरित सुनवाई की अवधारणा को आधार प्रदान किया था। इस मामले में कहा गया कि यदि किसी विचाराधीन कैदी को दोषी ठहराया जाता है और उसने उस दोष के लिए निर्धारित अवधि से अधिक समय जेल में कैद के रूप में बिताया है, तो इस प्रकार की कैद पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण है और यह अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
- वर्ष 1944 में करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले ने यह घोषित किया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का अनिवार्य भाग है।

हिरासत में मौतें (Custodial Death)

- हिरासत में मौत को व्यापक रूप से विचाराधीन कैदी या किसी अपराध के लिए पहले से ही दोषी ठहराए गए व्यक्ति की जेल में हुई मौत के रूप संदर्भित किया जाता है। ये मौतें प्राकृतिक कारणों जैसे बीमारी, आत्महत्या, कैदियों में आपसी झगडे से भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस की निर्दयता और उनके द्वारा की गई यातनाएं मुख्य वजह होती है।
- **नेशनल कैम्पेन अगेंस्ट टार्चर** (विभिन्न गैर-सरकारी संस्थानों की संयुक्त पहल) के अनुसार, वर्ष 2019 में पुलिस की हिरासत में मरने वाले कुल लोगों में से तीन-चौथाई मौतें यातना के कारण हुई थीं।
- **ऐसी घटनाओं को रोकने के समक्ष वाली चुनौतियाँ:**
    - **यातना के विरुद्ध सख्त कानून का अभाव:** भारत में यातना के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं है और हिरासत में हिंसा को अभी आपराधिक श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि, भारत ने वर्ष 1997 में यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (U.N. Convention against Torture) हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी अनुसमर्थित नहीं किया गया है। किसी देश द्वारा अनुसमर्थन प्रदान करने के बाद इस अभिसमय के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कानून और सम्बंधित तंत्र को स्थापित करना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर भारत उन 9 देशों शामिल है जिन्होंने अभी तक इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है।
    - **स्वतंत्र कार्य-पद्धति का अभाव:** वर्ष 1861 के पुलिस अधिनियम में 'अधीक्षण (superintendence)' और 'सामान्य नियंत्रण और निर्देशों के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार के प्रावधानों की अनुपस्थिति में पुलिस बल कार्यपालिका के माध्यम से राजनेताओं के निहित स्वार्थों की पूर्ति करने वाला साधन मात्र बनकर रह जाता है।
    - **पुलिस बल में जवाबदेही का अभाव और उनको प्राप्त उन्मुक्ति:**
        - **कानून, आम नागरिक को पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलने की अनुमति** नहीं देता है। यह केवल सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।
        - दुराचारपूर्ण कृत्यों की जाँच के लिए **आंतरिक विभागीय जाँच-पड़ताल** में शायद ही कभी पुलिस कर्मियों को दोषी माना जाता है।
        - **कम दोष-सिद्धि दर: राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो** के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2001 और वर्ष 2018 के बीच केवल 26 पुलिस कर्मियों को हिरासत में हिंसा करने के लिए दोषी ठहराया गया था, जबकि इस दौरान भारत में 1727 ऐसी मौतें दर्ज की गई थीं। इसका कारण यह है कि अधिकांश ऐसी मौतों के लिए हिरासत में हिंसा/यातना के अतिरिक्त आत्महत्या जैसे अन्य कारकों को उत्तरदायी ठहराया गया था।
    - **मानव अधिकार आयोग की अक्षम कार्यप्रणाली।**
    - **आम जन के समर्थन से ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलता है।**

आगे की राह

- **भारतीय विधि आयोग के सुझाव:**
  - **दोषपूर्ण अभियोजन से पीड़ितों को राहत** के रूप में मौद्रिक या गैर-मौद्रिक मुआवज़े जैसे सलाह, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, व्यावसायिक/रोजगार कौशल विकास आदि **प्रदान करना चाहिए।**
  - पुलिस विभाग की **कानून और व्यवस्था तथा जाँच-पड़ताल शाखा को अलग-अलग करने की आवश्यकता है।**
  - ज़मानत की शर्तों को उदार बनाते हुए जेल की भीड़ को कम करना, मुख्यरूप से विचाराधीनों कैदियों के निश्चित वर्ग को ज़मानत पर रिहा करना और
  - किसी कैदी को अपनी दंडावधि के निश्चित भाग को पूरा करने के पश्चात उसे पेरोल पर रिहा करना।
- **मलिमथ समिति के सुझाव:**
  - **जनसंख्या के आधार पर न्यायाधीशों के अनुपात में वृद्धि करने से** मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता मिलेगी।
  - **न्याय पंचायतों** को छोटे-मोटे मामलों का निपटान करने का अधिकार देना चाहिए।
- **डिजिटल अवसंरचना का उपयोग:**
  - जेलों और न्यायलयों के मध्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इसकी शुरुआत सभी राज्यों की बड़ी केन्द्रीय जेलों से करते हुए जिला और उप-जिला स्तरों की जेलों तक इसका विस्तार करना चाहिए।
- **विधिक प्रक्रियाएं:**
  - विचाराधीन कैदियों के मामले में केस का स्थगन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो।
  - पुलिस के कार्यों को कानून-व्यवस्था और जाँच-पड़ताल के कर्तव्यों में विभाजित करके अलग कर देना चाहिए। साथ ही, जाँच-पड़ताल को समय से पूरा करने के लिए और देरी से बचने के लिए पुलिस बल में पर्याप्त कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

1.5. विरोध-प्रदर्शन का अधिकार (Right to Protest)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विभिन्न देशों में कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद असमानता से लेकर भुखमरी और बेरोजगारी जैसे कई व्यापक मुद्दों पर सरकार की नीतियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

विरोध-प्रदर्शन का अधिकार के बारे में

- सरकार की निष्क्रियता या अधिकारों के हनन के खिलाफ एक असंतोष या प्रतिरोध व्यक्त करने की व्यैक्तिक या सामूहिक अभिव्यक्ति को विरोध-प्रदर्शन कहते हैं। यह कला, भाषण और संस्कृति के माध्यम से स्वतंत्रता या इसकी अनुपस्थिति को व्यक्त करने का एक कार्य है।

वैश्विक स्तर पर हुए विरोध प्रदर्शन के हालिया उदाहरण

- **संयुक्त राज्य अमेरिका में,** पूरे देश में 2,000 से अधिक क्षेत्रों में लाखों लोगों ने अश्वेत अमेरिकी नागरिकों जैसे जॉर्ज फ्लॉयड और ब्रेयोना टेलर की पुलिस अधिकारियों द्वारा हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
- **पाकिस्तान में,** बढ़ते हुए दामों, बिजली कटौती, व्यापार में मंदी और आर्थिक विपत्ति के कारण फैली लोगों में असंतोष की भावना को प्रदर्शित करने के लिए सभी विपक्षी दल एकत्रित हुए।

- अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में देखें तो संघ बनाने, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (International Covenant on Civil and Political Rights)** सहित विभिन्न संधियों में मान्यता प्रदान की गई है।
  - प्रत्येक व्यक्ति के पास शांति पूर्ण विरोध में भाग लेने का एक अहस्तांतरणीय अधिकार (अर्थात् जिसे कोई छीन नहीं सकता है) होता है।
- भारतीय संविधान में नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 19 (1)(a)** वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। इसमें प्रदर्शन करने और धरना देने का अधिकार शामिल हैं, किन्तु हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। **अनुच्छेद 19(1)(b)** नागरिकों के लिए शांतिपूर्ण और शस्त्र-रहित सम्मेलन करने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
  - **रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ और अन्य वाद** में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि "नागरिकों के पास सम्मेलन करने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का मूल अधिकार है। इसे कार्यपालिका या विधायिका द्वारा मनमाने ढंग से छीना या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

VISION IAS

वैश्विक विरोध प्रदर्शन में वृद्धि के कारण

* **सामाजिक-आर्थिक मुद्दे:** इनमें यूनान (Greece) में कर में बढ़ोतरी, यूनाइटेड किंगडम में मितव्ययिता नीतियां, चिली में स्वदेशी अधिकार, नाइजीरिया में सब्सिडी में कटौती, दक्षिण अफ्रीका में वेतन के मुद्दे, इज़रायल में जीविका और आवास की कीमत तथा भारत में लिंग आधारित हिंसा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

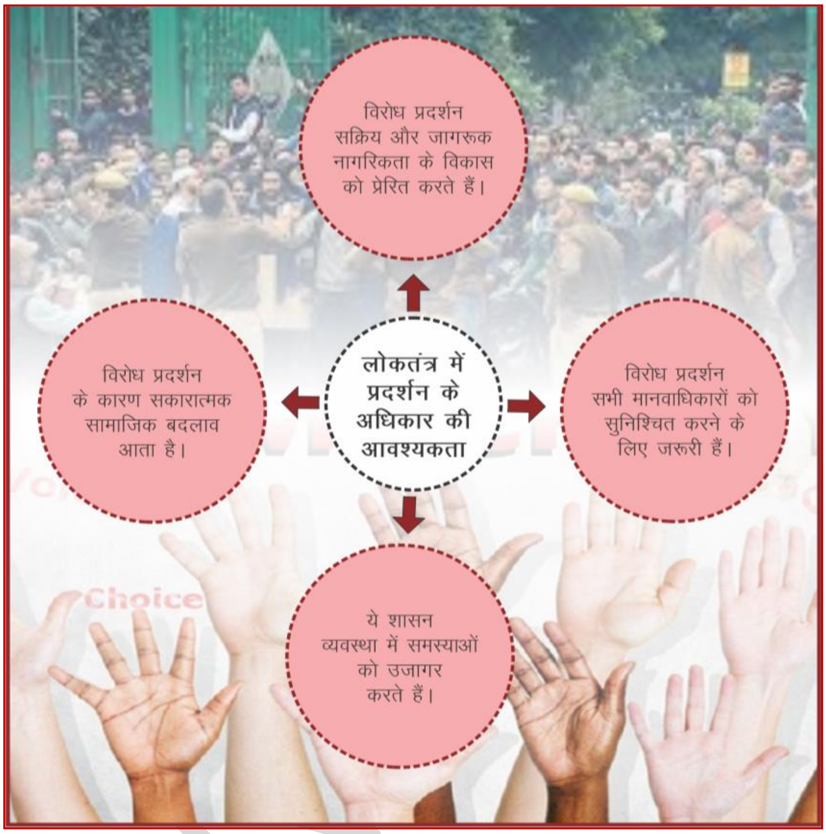

* **भ्रष्टाचार:** भ्रष्टाचार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन सामान्यतः विशिष्ट राजनेताओं के कृत्यों के विशेष प्रकटीकरण द्वारा निर्धारित होते हैं, परन्तु तुरंत ही यह संपूर्ण शासन प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह की एक व्यापक लहर में परिवर्तित हो जाते हैं।
* **राजनीतिक कारक:** कई मामलों में, विशिष्ट राजनीतिक मुद्दों ने दमन और भ्रष्टाचार के व्यापक परिवेश के संबंध में प्रदर्शनकारियों को आक्रोशित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। उदाहरण के लिए, हांगकांग में विरोध प्रदर्शन।
* **नई संचार प्रौद्योगिकियां और मीडिया प्लेटफॉर्म:** ये विभिन्न देशों में किए जा रहे आंदोलनों को एक-दूसरे से संबद्ध होने व परस्पर कार्यप्रणालियों को समझने में सहायता करते हैं।
    * थाईलैंड में **नेतृत्वविहीन लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन** हांगकांग में इसी प्रकार के प्रयासों का मार्गदर्शन करने वाले समूहों से जुड़े हुए हैं।
* विगत दो से तीन दशकों में विश्व भर में **नागरिक समाज संगठनों का विकास हुआ है,** विशेष रूप से विकासशील और पूर्व साम्यवादी विश्व के उन हिस्सों में जहां नागरिक समाज पहले कमजोर था।

वर्तमान विरोध प्रदर्शनों की विशेषताएँ

* **स्थानों की विविधता:** 1980 और 1990 के दशक में लोकतंत्र के प्रसार से संबंधित विरोध प्रदर्शन की अंतिम प्रमुख वैश्विक लहर के विपरीत, वर्तमान में विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक प्रकार के राजनीतिक संदर्भ में विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि हो रही है।
* **स्थानीय उत्प्रेरक:** विरोधों की वर्तमान लहर मुख्य रूप से **आर्थिक चिंताओं या राजनीतिक निर्णयों** से प्रेरित है, न कि वैश्वीकरण जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जो कुछ ही विरोध प्रदर्शनों को अनुप्राणित करते हैं।
* **सुसंगत नीतिगत संदेशों की अनुपस्थिति:** सुसंगत नीतियों के अभाव में व्यापक व्यवधान उत्पन्न करने वाले जन आंदोलन सृजित होते हैं। ये जन समूह नीतिगत अनुशंसाओं की एक मानक श्रृंखला को प्रस्तुत करने की बजाय राजनीति करने के एक पृथक उपाय की खोज करते हैं।
* **संगठनात्मक अभाव:** आधुनिक विरोध प्रदर्शन पर्याप्त रूप से संगठित नहीं हैं। साथ ही, 'नेतृत्वहीन', सोशल मीडिया पर बहुत अधिक निर्भर तथा नागरिक और राजनीतिक संगठन के 'पुराने' रूपों के साथ किसी भी गठबंधन से विरत रहते हैं।
* **विदेशियों पर दोष:** हाल ही के विरोध प्रदर्शनों में नेता प्राय: विरोध के लिए विदेशियों को उत्तरदायी ठहराते हैं। विरोध प्रदर्शन में एक विदेशी भूमिका पर जोर देने से यह समस्या परिलक्षित होती है कि कई नेताओं को यह स्वीकार करना पड़ता है कि उनके अपने नागरिक उनके विरुद्ध हो रहे हैं।
* **कई विरोध लंबे समय के अभियान की बजाय** अल्पकालिक विद्रोह होते हैं।

* उच्चतम न्यायालय ने **नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरुद्ध** हुए विरोध-प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई पर **"विरोध प्रदर्शन के अधिकार बनाम आवाजाही के अधिकार (Right to protest vs. Right to mobility)"** के संबंध में निर्णय दिया है।
* **इस निर्णय की प्रमुख विशेषताएं:**

- इस निर्णय में किसी कानून के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बनाए रखा गया है, परन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि **सार्वजनिक मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता है और अनिश्चित काल के लिए तो कदापि नहीं।**
- लोकतंत्र में वाक्-स्वातंत्र्य और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार वास्तव में "मूल्यवान" रहे हैं, परंतु ये युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन भी हैं।
- **मूल अधिकारों का पृथक अस्तित्व नहीं है।** विरोध-प्रदर्शनकर्त्ताओं के अधिकार को यात्रियों (आवागमन करने वालों) के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा।
- यह भी उल्लेख किया गया कि सोशल मीडिया चैनल प्रायः खतरनाक सूचनाओं से भर जाते हैं तथा अत्यधिक असामंजस्यपूर्ण परिवेश का निर्माण कर सकते हैं।

निष्कर्ष

विश्व ने 21वीं सदी की शुरुआत इस अपेक्षा के साथ की थी कि इस सदी का राजनीतिक चरित्र काफी हद तक लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि विकासशील और साम्यवाद के उपरांत विश्व भर के देशों ने **व्यापक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लगातार कार्य** किया है। परन्तु, वैश्विक विरोध प्रदर्शन में हालिया वृद्धि ने जबरदस्त **वैश्विक राजनीतिक अनिश्चितता को प्रकट** किया है। वर्तमान में विरोध प्रदर्शन की लहर जटिल है। इसलिए, विरोध प्रदर्शन के उद्देश्यों, रूपों और प्रभावों के अध्ययन हेतु अधिक सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है।

1.6. भारत में राजद्रोह कानून (Sedition Law in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code: IPC) की धारा 124A की संवैधानिक वैधता के पुनर्परीक्षण की याचिका को अस्वीकार कर दिया है।

भारत में राजद्रोह कानून के बारे में

- **भारतीय दंड संहिता, 1860** की **धारा 124A** में राजद्रोह (सेडिशन) की परिभाषा दी गयी है। इस परिभाषा के अनुसार, जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित के माध्यम से (भारत में) **विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति** घृणा या अवमान उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, असंतोष (अप्रीति) उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है तो उसके कृत्य को राजद्रोह माना जाएगा:
  - **बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, या**
  - **संकेतों द्वारा, या**
  - **प्रत्यक्ष दिखने वाले कार्यों (visible representation) द्वारा, या अन्यथा किसी प्रकार से**
- **असंतोष/अप्रीति* (Disaffection) में अभक्ति (disloyalty) और शत्रुता की सभी भावनाएँ सम्मिलित होती हैं।** हालांकि, घृणा, अवमान या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना की गई टिप्पणियों को इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- **यह एक गैर–जमानती अपराध है।** इसके अंतर्गत, व्यक्ति को तीन वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास या जुर्माने के साथ का दंड दिया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, इस कानून के अंतर्गत (सुनवाई के दौरान) **आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं** होगा और उसे अपना पासपोर्ट, यदि है तो, जमा (surrender) कराना होगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय न्यायालय के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पृष्ठभूमि

- इस कानून का मसौदा मूल रूप से **वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस बैबिंगटन मैकाले (लॉर्ड मैकाले के नाम से विख्यात)** द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि, वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (IPC) के क्रियान्वयन के दौरान इसे IPC में शामिल नहीं किया गया था।
- **वर्ष 1870** में भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर **धारा 124A** को समाविष्ट किया गया था। यह संशोधन सर **जेम्स स्टीफन** द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता के विचारों का दमन करने के लिए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता पर बल दिया था। ध्यातव्य है कि यह कानून उस समय उत्पन्न किसी भी प्रकार के असंतोष को दबाने के लिए अधिनियमित किए गए विभिन्न निष्ठुर कानूनों में से एक था।

राजद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- वर्ष 1962 में **केदार नाथ बनाम बिहार राज्य वाद** में **राजद्रोह की संवैधानिकता** को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- न्यायालय ने राजद्रोह कानून को **इस आधार पर बनाए रखा** कि यह शक्ति राज्य द्वारा स्वयं के संरक्षण के लिए आवश्यक थी।
  - हालांकि, **इसने एक महत्वपूर्ण तथ्य को शामिल किया था** कि "किसी व्यक्ति पर केवल उन्हीं मामलों में राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि उसने अपने कृत्यों से लोक अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए हिंसा या हिंसक अभिप्राय या प्रवृत्ति को प्रेरित किया या सार्वजनिक शांति में व्यवधान उत्पन्न किया हो।"
- **बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद (1995)** में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि केवल नारे लगाने से राजद्रोह की पुष्टि नहीं होती है।

भारत के विधि आयोग का राजद्रोह पर दृष्टिकोण

- **विधि आयोग ने अपनी 39वीं रिपोर्ट (वर्ष 1968)** में इस धारा को निरस्त करने के विचार को खारिज कर दिया था।
- **अपनी 42वीं रिपोर्ट (1971)** में, पैनल का उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार के अतिरिक्त संविधान, विधायिका और न्यायपालिका को शामिल करने हेतु इस धारा का विस्तार करना था।
- **अगस्त 2018 में,** भारत के विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया जिसमें सिफारिश की गई थी कि राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पर पुनर्विचार या इसे निरस्त करना वर्तमान समय की आवश्यकता है।
- राजद्रोह पर हाल के परामर्श पत्र में, विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि **धारा 124A को केवल उन्हीं मामलों में आरोपित किया जाना चाहिए** जिनमें किसी कृत्य का उद्देश्य लोक व्यवस्था को बाधित करना है या जहाँ हिंसा और अवैध साधनों के माध्यम से विधि द्वारा स्थापित सरकार को सत्ताच्युत करने के अभिप्राय से किया गया आपराधिक कार्य सम्मिलित हो।

राजद्रोह के पक्ष में तर्क

- यह कानून राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में महत्वपूर्ण है।
    - **विभिन्न राज्यों में कई जिलों को माओवादी उग्रवाद और विद्रोही समूहों** का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन समूहों द्वारा अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लगभग समानांतर प्रशासन का संचालन किया जाता है। इन समूहों द्वारा खुले तौर पर राज्य सरकार को सत्ताच्युत करने का समर्थन किया जाता है।
- यह कानून विधि द्वारा स्थापित या निर्वाचित सरकार को **हिंसा और अवैध तरीकों से सत्ताच्युत करने के प्रयासों से संरक्षण प्रदान करता है।** विदित है कि विधि द्वारा स्थापित सरकार का स्थायी अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त है।
- **यदि न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है,** तो इस तर्क के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार को भी अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होना चाहिए।

राजद्रोह के विपक्ष में तर्क

- **औपनिवेशिक युग से संबंधित कानून:** यह एक औपनिवेशिक युग से संबंधित और निवारक प्रावधान है जिसे केवल आपातकालीन समाधान के रूप में ही लागू किया जाना चाहिए।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार:** सरकार द्वारा धारा 124A का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की बात कही गयी है, लेकिन इसके दायरे को लेकर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- **लोकतांत्रिक आधार:** ध्यातव्य है कि एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार से असहमति और इसकी आलोचना, परिपक्व सार्वजनिक विचार-विमर्श के आवश्यक तत्व होते हैं और इसलिए इन तत्वों को राजद्रोह के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, राजद्रोह कानून का दुरुपयोग राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
- **दोषसिद्धि की निम्न दर:** एक ओर जहाँ पुलिस ने अब तक अधिकाधिक लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर इन मामलों में दोष सिद्ध ठहराए जाने की दर अत्यंत निम्न है।
    - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** के अनुसार, वर्ष 2014 से 2018 के बीच दर्ज किए गए राजद्रोह के मामले 47 से बढ़कर 70 हो गए थे, लेकिन एक से दो मामलों में ही आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया सका है। यह आंकड़ा राजद्रोह कानून की अप्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है।
    - IPC के तहत दर्ज अन्य अपराधों की तुलना में, **राजद्रोह यदा-कदा घटित होने वाला अपराध** रहा है (क्योंकि यह IPC के तहत दर्ज सभी अपराधों के 0.01% से भी कम के लिए उत्तरदायी है)।
- **राजद्रोह के कानूनों की अस्पष्ट व्याख्या:** धारा 124A के तहत प्रयुक्त असंतोष/अप्रीति जैसे शब्दों की व्याख्या अस्पष्ट बनी हुई है। अत: जांच करने वाले अधिकारी इसकी अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न व्याख्या कर सकते हैं।
- **देश के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए अन्य कानूनी उपाय:** राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता और विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (1967), में "लोक व्यवस्था को बाधित करने" या "विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसक और अवैध तरीकों से सत्ताच्युत करने" के संदर्भ में दंडित करने हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
    - इसी प्रकार, देश के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 भी पारित किया गया है।
- **कानून के प्रति दृष्टिकोण:** विश्व स्तर पर, राजद्रोह को अब अधिकांशतः निष्ठुर कानून के रूप में संदर्भित किया जाता है। वर्ष 2010 में यूनाइटेड किंगडम में इस कानून रद्द कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियाई कानून सुधार आयोग की सिफारिशों के उपरांत, राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया था।
    - अगस्त 2018 में, भारत में भी विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था जिसमें सिफारिश की गई थी कि धारा 124A पर पुनर्विचार करना या इसे निरस्त करना वर्तमान समय की आवश्यकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के साथ विसंगति:** ज्ञातव्य है कि भारत ने वर्ष 1979 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) की अभिपुष्टि की थी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए मान्यता प्राप्त मानकों को निर्धारित करता है। ऐसे में, राजद्रोह संबंधी आरोपों को मनमाने तरीके से लागू करने और राजद्रोह का दुर्भावनापूर्वक उपयोग भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ विसंगति को दर्शाता है।

निष्कर्ष

- यह सर्वविदित है कि भारतीय कानूनी परंपरा के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में सभी प्रकार की आलोचना, असहमति और विरोध शामिल हैं। असहमति वस्तुतः जीवंत लोकतंत्र में एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रत्येक प्रतिबंध को तर्कसंगत कारणों के साथ सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि **भारत के विधि**

VISION IAS

आयोग द्वारा सुझाया गया है कि धारा 124A को केवल लोक व्यवस्था को बाधित करने या विधि द्वारा स्थापित सरकार को स्पष्ट रूप से हिंसक और अवैध साधनों के माध्यम से सत्ताच्युत करने के उद्देश्य से किए गए आपराधिक कार्यों को प्रतिबंधित करने हेतु लागू किया जाना चाहिए।

1.7. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने देश में नागरिकों के लिए उत्तराधिकार और विरासत के लैंगिक एवं धार्मिक दृष्टि से तटस्थ आधार की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र से उत्तर की मांग की है।

समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में

- **समान नागरिक संहिता ऐसे एकल कानून** को संदर्भित करती है, जो **भारत के सभी नागरिकों पर उनके व्यक्तिगत मामलों,** जैसे- विवाह, विवाह-विच्छेद, अभिरक्षा, दत्तक-ग्रहण और विरासत के संदर्भ में लागू होता है।
- UCC का उद्देश्य वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर पारस्परिक संबंधों और संबंधित मामलों को शासित करने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के **व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) के तंत्र को प्रतिस्थापित करना है।**
- **संविधान का अनुच्छेद 44** यह प्रावधान करता है कि 'राज्य संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।'

विशिष्टता	समान नागरिक संहिता के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क	समान नागरिक संहिता के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क
यह भारतीय कानूनी प्रणाली को सरल करती है	• यह वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर निर्मित किए गए **भिन्न-भिन्न कानूनों,** जैसे कि हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य कानूनों को सरल करती है। • **इसके चलते समान सिविल कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा,** भले ही उनका धर्म-संप्रदाय कुछ भी हो।	• **भारतीय कानून अधिकतर सिविल मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं,** जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, माल-विक्रय अधिनियम, संपत्ति-अंतरण अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि। • राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए हैं और इसलिए, कुछ मामलों में **इन धर्मनिरपेक्ष सिविल कानूनों के अंतर्गत भी विविधता** विद्यमान है।
संसद की विधायी शक्ति	• **उच्चतर न्यायपालिका** की कई न्यायिक घोषणाओं (मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम वाद, 1985, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ वाद, 1995) ने किसी न किसी रूप में **समान नागरिक संहिता का पक्ष लिया** है। • **संसद** इन न्यायिक घोषणाओं को लागू करने के लिए **कानून बना सकती है।**	• **"वैयक्तिक कानूनों" का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है।** • **संसद को वैयक्तिक कानूनों पर अनन्य अधिकारिता प्राप्त नहीं है:** यदि संविधान निर्माताओं का आशय समान नागरिक संहिता का रहा होता, तो उन्होंने इस विषय को संघ सूची में शामिल करके वैयक्तिक कानूनों के संबंध में संसद को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान किया होता।
समान नागरिक संहिता और मूल अधिकार	• **लैंगिक आधार पर न्याय:** अधिकतर धार्मिक या प्रचलित वैयक्तिक कानून पुरुषों के पक्ष में झुकाव रखते हैं। • **धर्म और वैयक्तिक कानून पृथक-पृथक मार्ग हैं:** **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद** में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास का मामला है और इसे धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। **धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को केवल राज्य द्वारा कानून बनाकर ही विनियमित किया जा सकता है।**	• **धर्मनिरपेक्ष राज्य को वैयक्तिक कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए:** समान नागरिक संहिता को कई लोगों द्वारा **अनुच्छेद 25** के अंतर्गत प्रदान किए गए गारंटीकृत मूल अधिकारों (व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार), **अनुच्छेद 26(b)** (धर्म के मामलों में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार) और **अनुच्छेद 29** (विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण का अधिकार) के विपरीत माना जाता है।
समान नागरिक संहिता और देश की विविधता	• **राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है:** विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए पृथक-पृथक कानून साम्प्रदायिकता को जन्म देते हैं। • व्यक्तिगत मामलों के विभिन्न पहलुओं को शासित	• **देश की विविधता के विरुद्ध:** इसमें संशय रहा है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश में कभी वैयक्तिक कानूनों की एकरूपता हो सकती है। • **राष्ट्रीय सहमति का अभाव:** समान नागरिक संहिता अभी भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। अभी भी ऐसे कई

	करने वाला एकल धर्मनिरपेक्ष कानून **एकता और राष्ट्रीय चेतना की भावना** सृजित करेगा।	संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पक्ष समर्थन करते हैं और साथ ही कई धार्मिक नेता समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं।

आगे की राह

- **अनुच्छेद 44** के महत्व के बारे में प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार की कार्यप्रणाली इस विषय में राष्ट्रीय सहमति विकसित करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती है।
- **वैयक्तिक कानूनों में सुधार:** समान नागरिक संहिता पर आम सहमति के अभाव में, भारत के लिए सर्वोत्तम आगे की राह यह हो सकती है कि वैयक्तिक कानूनों की विविधता को तो संरक्षित किया जाए, परन्तु साथ ही यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि ये विविधताएं मूल अधिकारों के समक्ष बाधा उत्पन्न न करें।
    - **वर्ष 2018 में भारत के विधि आयोग** ने एक परामर्श-पत्र में उल्लेख किया था कि **"देश में अभी इस अवस्था में समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है"।** हालांकि, आयोग विवाह और विवाह-विच्छेद के विषय में कुछ ऐसे उपायों का सुझाव देता है, जिन्हें सभी धर्मों के वैयक्तिक कानूनों में समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।
- **आदर्श UCC:** एक ऐसी **आदर्श** समान नागरिक संहिता को अधिनियमित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें **सभी वैयक्तिक कानूनों के सर्वोत्तम तत्वों का समावेश किया गया हो।** यह विविध प्रकार के वैयक्तिक कानूनों के उत्तम भागों को मिलाकर निर्मित किया गया होना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत एक एक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्म की स्वतंत्रता हमारी संस्कृति का मूल है। परंतु ऐसी धार्मिक प्रथाएं, जो मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा को क्षति पहुँचाती हों तथा नागरिक एवं भौतिक स्वतंत्रता को संकटग्रस्त करती हों, वे स्वायत्तता का नहीं बल्कि उत्पीड़न का प्रतीक हैं। इसलिए, एक ऐसी एकीकृत संहिता अत्यावश्यक है, जो लोगों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करे और राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा दे।

1.8. आधार (Aadhaar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसके तहत आधार से नहीं जोड़े जाने के कारण 3 करोड़ राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है।

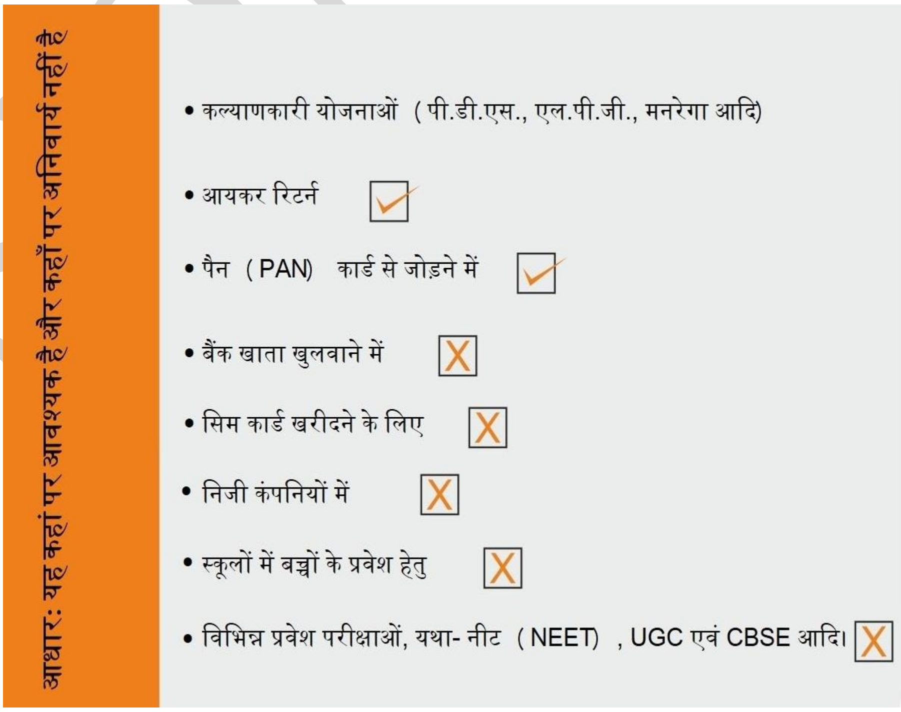

अन्य संबंधित तथ्य

- उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में यह जानकारी दी गई है कि **आधार और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर अत्यधिक बल देने से व्यापक पैमाने पर राशन कार्ड अप्रभावी हो गए हैं।** ऐसा मुख्य रूप से आईरिस की पहचान व अंगूठे की छाप जैसी तकनीकी प्रणाली के प्रचलन तथा आधार पास में नहीं होना, ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट का सुचारु उपयोग नहीं होना आदि के कारण हुआ माना जा रहा है। साथ ही, संबंधित परिवारों को भी इस संबद्ध में सूचित नहीं किया गया है।

आधार के विषय में

- आधार को बायोमेट्रिक प्रमाणिकता के शिल्पकार के रूप में **वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था।**

* आधार संख्या **12-अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जो सभी भारतीयों को दी जाती है।** इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India: UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है।
* ऐसा माना जाता है कि **बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट व आंखों की पुतली) के उपयोग** के कारण यह विशिष्ट होता है। इसके अतिरिक्त, **UIDAI कुछ जनांकिकीय सूचनाओं** का भी संग्रह करता है।
* वर्ष 2016 में, **आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016** {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016}, जिसे आधार अधिनियम, 2016 के नाम से भी जाना जाता है, पारित करके आधार को **विधिक मान्यता** प्रदान की गयी है।
    * इस अधिनियम में **कल्याणकारी कार्यक्रमों के वितरण में आधार के उपयोग को अनिवार्य किया गया है।**

* वर्ष 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने **कुछ चेतावनियों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। वर्ष 2018 का निर्णय:**
    * **आयकर रिटर्न (ITR) जमा करवाने और स्थायी खाता संख्या (PAN) के आवंटन के लिए आधार अनिवार्य** है। प्रमाणीकरण डेटा के भंडारण की अवधि को पांच वर्ष से घटाकर छह माह करना चाहिए।
    * इसने आधार अधिनियम की **धारा 57** को भी निरस्त कर दिया है, जिसमें निगमों एवं व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाओं के लिए आधार की मांग करने की अनुमति दी थी।
    * न्यायालय ने यह भी मांग की थी कि केंद्र सरकार **यथाशीघ्र डाटा सुरक्षा के लिए मजबूत कानून पारित करे।**

आधार से संबद्ध चुनौतियां

* **फोटो-पहचान प्रमाण के विकल्प के रूप में सुभेद्यता:** आधार को बायोमेट्रिक प्रमाणिकता के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए, एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट या आयरिश (आंखों की पुतली) स्कैन को केंद्रीय डेटाबेस में मौजूद उनकी आधार संख्या से मिलान किया जाता है। जब इसका साधारण रूप से फोटो-पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग होता है, तो इसकी नकल किए जाने या जालसाजी की संभावना बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि इसमें अन्य फोटो-पहचान प्रमाण की भांति पारंपरिक सुरक्षा विशेषताएं जैसे कि माइक्रोचिप, होलोग्राम या कोई आधिकारिक मुहर नहीं होती है।
* **निजता की समस्या:** वर्ष 2017 में, लगभग 15 लाख पेंशनभोगियों का निजी विवरण झारखंड सरकार की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हो गया था। यह भी पाया गया है कि केंद्र सरकार के प्रमुख अभियान स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट से इसके लाभार्थियों का आधार से संबद्ध विवरण लीक हुआ है।
* **राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा:** ऐसे कई उदाहरण प्रकट हुए हैं, जिनमें बांग्लादेशी नागरिकों के पास **आधार** के माध्यम से बनवाए गए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त हुए हैं। चूंकि, आधार को टैक्स रिटर्न आदि के लिए अनिवार्य बनाया गया है, इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) आदि के सभी अधिकारियों को आधार के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत कराना पड़ता है। इससे विभिन्न गैर-राज्य अभिकर्ताओं के लिए आधार डाटा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेषकर एक ऐसे समय में जब कोई भी डाटा, हैकिंग या अवैध रूप से एक्सेस से सुरक्षित नहीं है।
* **अत्यधिक वंचित वर्ग को सेवाओं का नहीं मिलना:** अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने (आधार सीडिंग) के कार्य से मूल लाभार्थी सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग और अत्यधिक वंचित वर्ग। उदाहरण के लिए, वर्ष 2017 में झारखंड में किए गए एक अध्ययन में यह शंका प्रकट की गई थी कि यहां लाभ और सब्सिडी नहीं मिलने के कारण भुखमरी से लोगों की मृत्यु हुई है।

VISION

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019)

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को **पहली बार वर्ष 2019 में संसद में लाया गया था** और उस समय जांच के लिए **संसद की संयुक्त समिति (JCP) को सौंप दिया गया था।**
- यह विधेयक **सरकार और निजी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने का प्रयास करता है** और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
- यह विधेयक **डेटा प्रिंसिपल को व्यक्तिगत डेटा के संबंध में कुछ अधिकार** प्रदान करता है।
- यह विधेयक **व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के संबंध में डेटा न्यासियों के कुछ दायित्वों** का भी प्रावधान करता है। इस तरह का प्रसंस्करण कुछ उद्देश्य, संग्रह और भंडारण सीमाओं के अधीन होना चाहिए।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर विश्लेषण करने के लिए JCP के सामने समस्या

- **सरकारी नियंत्रण** और सार्वजनिक डेटा तक पहुंच में बाधा।
- **बड़ी फर्मों पर** प्रभावी **सीमाएं**
- नागरिकों की **निजता का अधिकार**
- **साइबर हमलों और निगरानी** को रोकना
- **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों** के बीच संतुलन
- कानून के **कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियां।**

आगे की राह

- **विधायी सुधार:** भारत के उच्चतम न्यायालय ने **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी एवं अन्य और भारत संघ व अन्य वाद** में निर्णय दिया था कि **निजता का अधिकार एक मूल अधिकार** है। इसलिए, **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019** को पारित करने की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही, **आधार अधिनियम, 2016 में संशोधन किया जा सकता है** ताकि यू.आई.डी.ए.आई. के लिए आधार उपयोगकर्ताओं को उनके व्यक्तिगत डेटा से संबंधित अपराध होने पर सूचित करना अनिवार्य हो सके।
- **आभासी या घोस्ट आधार कार्ड से निपटना:** UIDAI द्वारा अनुरक्षित "केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी" (Central Identities Data Repository: CIDR) में समाविष्ट की गई सूचनाओं की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **वैकल्पिक पहचान की व्यवस्था:** धोखाधड़ी की समस्या का अन्य प्रमाण-पत्रों के उपयोग द्वारा एवं सेवाओं के पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत वितरण के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है।
- **आधार के उपयोग को सरल बनाना:** आधार सभी के लिए उपयोगी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अपूर्ण एजेंडा के समयबद्ध निपटान की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वंचित वर्ग का नामांकन हो, रिकॉर्ड्स अद्यतित करने की प्रक्रिया सरल हो, शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए और आधार के कारण सेवाओं के लाभ से वंचित होने की समस्या समाप्त की जाए।

1.9. गैंबलिंग या जुआ (Gambling)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में ऑनलाइन जुआ खिलाने वाली वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने हेतु उचित कदम उठाने की मांग की गई थी।

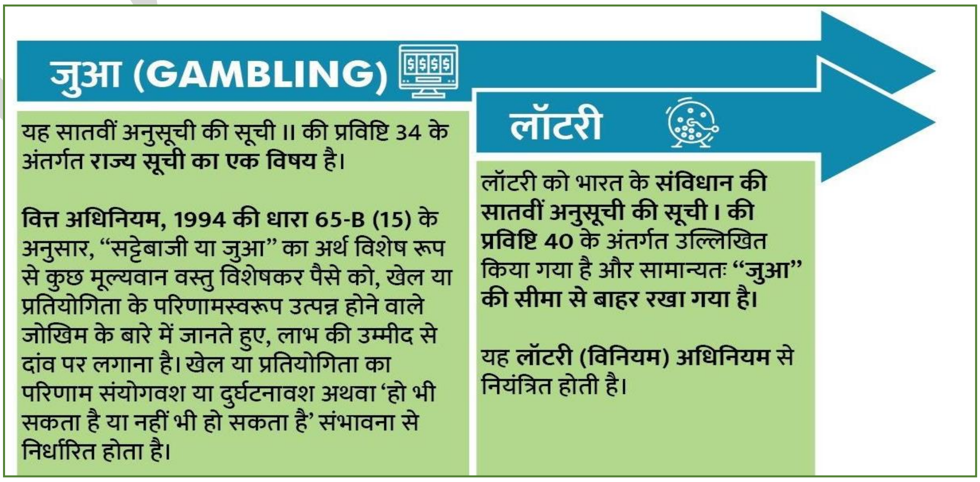

अन्य संबंधित तथ्य

- इस याचिका में यह दावा किया गया है कि भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा जुआ आदि गतिविधियों को प्रतिबंधित करने संबंधी कानून लागू होने के बावजूद, **जुआ, सट्टेबाजी/दांव (बेटिंग) और बाजी (wagering) लगवाने वाली वेबसाइट्स बड़ी संख्या में अभी भी उपलब्ध हैं।**
- केंद्र द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को इस संबंध में सूचित किया गया कि **ऑनलाइन जुआ राज्य सूची का एक विषय है** और राज्य सरकारों को ऐसी गतिविधियों को विनियमित करने हेतु कानून निर्मित करने होंगे।

- केंद्र ने यह भी दावा किया है कि कोई खेल कौशल का खेल है या संयोग का खेल है अथवा **खेल जुए (दांव लगा कर खेला जा रहा है या नहीं) में शामिल है, यह निर्धारित करने की विधायी क्षमता केवल राज्यों या न्यायालयों (जिन्हें न्यायिक प्रज्ञता प्राप्त है) को प्राप्त** है।

दांव एवं जुए को वैध बनाने के विपक्ष में तर्क

- **नैतिकता के विरुद्ध:** प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में विद्यमान होने के बावजूद भारत सांस्कृतिक रूप से जुए का विरोध करता रहा है। भारतीय ग्रंथ भी यह उल्लेख करते हैं कि **समाज द्वारा इन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गई है।**
- **सामाजिक क्षति को रोकना:** जुआ खेलने की लत इस जाल में फंसने वाले लोगों को अपराध और मानसिक बीमारियों की ओर धकेलती है।
- **समाज के सर्वाधिक निर्धन वर्ग को संरक्षित करना:** जुआ खेलने से वित्तीय हानि होती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत जीवन एवं सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **जुए को वैध बनाने से जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलेगा:** चूंकि जुए को विशुद्ध रूप से एवं शीघ्र धन कमाने के तरीके के रूप में चित्रित किया जाता है, इसलिए यह युवाओं को आकर्षित करता है, जो अंततः जुए के व्यसनी हो जाते हैं। जुए का व्यसन अपराध और मानसिक रोगों की ओर ले जाता है।

दांव एवं जुए को वैध बनाने के पक्ष में तर्क

- **अन्यथा अवैध माध्यमों के द्वारा अंतरित किए जाने वाले धन के प्रति जवाबदेही:** मुद्गल समिति के अनुसार "खेल दांव को वैध बनाने से काले धन के अवयव और अंडरवर्ल्ड के प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही, उनकी जांच पर ध्यान केंद्रित करने और पता लगाने में सहायता भी प्राप्त हो सकती है।
- **खेलों में भ्रष्टाचार को रोकना:** खेलों, विशेष रूप से क्रिकेट जैसे सर्वाधिक लोकप्रिय खेल में स्पॉट एवं मैच फिक्सिंग जैसी भ्रष्ट गतिविधियां संपन्न की जा रही हैं। इन पर नियंत्रण न होने के कारण यह समस्या और भयावह हो सकती है और अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती है।
- **संयोजक अपराध पर नियंत्रण:** चूंकि, जुआ अभी तक एक विनियामक संरचना के अंतर्गत नहीं है, इसलिए प्रायः इसकी चेन स्नैचिंग (गले की चेन तोड़ना), लूटपाट, चोरी आदि जैसे संयोजक अपराधों से संबद्धता होती है। जुआ खेलने को वैध बनाने से विनियामक निरीक्षण में वृद्धि होगी। इससे हानि को न्यूनतम किया जा सकेगा और 'संयोजक अपराध' की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
- **राजस्व सृजन:** ऐसी गतिविधियों को लाइसेंस/वैधता प्रदान करने से सरकार को पर्याप्त राजस्व अर्जित करने एवं रोज़गार उत्पन्न करने तथा पर्यटन के विकास में सहायता मिलेगी, क्योंकि यह एक सहयोगी उद्योग के रूप में कार्य कर सकता है।
- **सामाजिक हित:** युवाओं एवं कमज़ोर वर्गों को अविवेकपूर्ण दांव आचरण के खतरों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

आगे की राह: जुए को वैधता प्रदान करने के पक्ष में दिए गए तर्क इसके विपक्ष में दिए गए तर्कों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, भारतीय विधि आयोग ने कुछ सुरक्षा उपायों के साथ जुए को वैधता प्रदान करने का सुझाव दिया है।

दांव का विनियमन करने संबंधी कानून में निम्नलिखित सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं:

- **जुए का वर्गीकरण (Categories gambling):** जुए को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए:
    - **यथोचित जुआ (Proper gambling):** इसकी विशेषता उच्च दांव या जोखिम होगी। तदनुसार, केवल उच्च आय वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को ही जुए के इस प्रारूप में खेलने की अनुमति होगी।
    - **लघु जुआ (Small gambling):** निम्न आय वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को स्वयं को 'लघु जुए' तक ही सीमित रखना होगा। उन्हें अधिक धन के जोखिम वाले जुए (यथोचित जुए के दायरे में आने वाले) के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- **पारदर्शिता:** जुआ एवं दांव, यदि कोई हो तो **केवल भारतीय लाइसेंस ऑपरेटरों** द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिन्हें भारत के खेल लाइसेंसिंग प्राधिकरण से वैध लाइसेंस प्रदान किए गए हों।
- **लगातार हारते जाने को नियंत्रित करना:** सहभागियों को एक निश्चित अवधि के लिए इन गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही, इसमें किये जाने वाले लेनदेनों की संख्या पर नियंत्रण होना चाहिए या इनकी सीमा तय की जानी चाहिए।
- **आदर्श कानून पारित करना:** संसद जुए को विनियमित करने हेतु एक आदर्श विधि (model law) लागू कर सकती है। इसे राज्यों द्वारा अंगीकृत किया जा सकता है।
- **जुए के विरुद्ध सूचना:** जुए/दांव में सम्मिलित जोखिमों और ज़िम्मेदारी से खलने के तरीकों के संबंध में सूचना दांव व जुए से संबंधित पोर्टल/प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- यदि दांव और जुए को विनियमित करना है तो **"भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011"** (जिसका उद्देश्य खेलों में दांव और जुए को रोकना है) में या समय-समय पर लागू होने वाली किसी अन्य संहिता में भी संशोधन की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

न्यायमूर्ति डी. पी. मैडन ने एक बार टिप्पणी की थी कि "जैसे-जैसे समाज में परिवर्तन होता है, वैसे-वैसे कानून भी अपरिवर्तनीय नहीं रह सकता" तथा यह भी कि "कानून समाज की आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु अधिनियमित किए जाते हैं, क्योंकि समाज कानून द्वारा शासित होते हैं"। चूंकि ऑनलाइन जुए ने जुए से संबंधित चुनौतियों में कई गुना वृद्धि की है, इसलिए इसे वैधता प्रदान करने पर विचार करने का समय आ गया है, जो इस क्षेत्र के प्रभावी विनियमन को समर्थ बनाएगा

1.10. राज्य और मंदिरों का विनियमन (State And Regulation of Temples)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तमिलनाडु में हालिया चुनाव-प्रचार के दौरान, हिंदू धार्मिक और पूर्त विन्यास (Hindu Religious and Charitable Endowments: HR&CE) कानूनों के तहत आने वाले हिंदू मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने संबंधी आंदोलन को कुछ बल प्राप्त हुआ है।

पृष्ठभूमि

- **मद्रास हिंदू धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1925** पहला ऐसा कानून था, जो विशुद्ध रूप से हिंदू धार्मिक विन्यासों से संबंधित था।
- इसके पश्चात् **तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान** जैसे कई राज्यों ने हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए विभिन्न विधियों का निर्माण किया।
- इन विधियों में अधिकांशतः प्रशासनिक निकायों, जैसे- HR&CE विभागों की स्थापना करना, मंदिरों के कामकाज एवं प्रशासन की निगरानी करना, गैर-वंशानुगत न्यासियों (Trustees) की नियुक्ति, बजट की स्वीकृति आदि शामिल हैं।
- हालांकि, हाल के दिनों में धार्मिक संस्थानों, विशेष रूप से मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण की प्रभावकारिता, आवश्यकता और संवैधानिक वैधता को प्रश्नगत किया गया है।

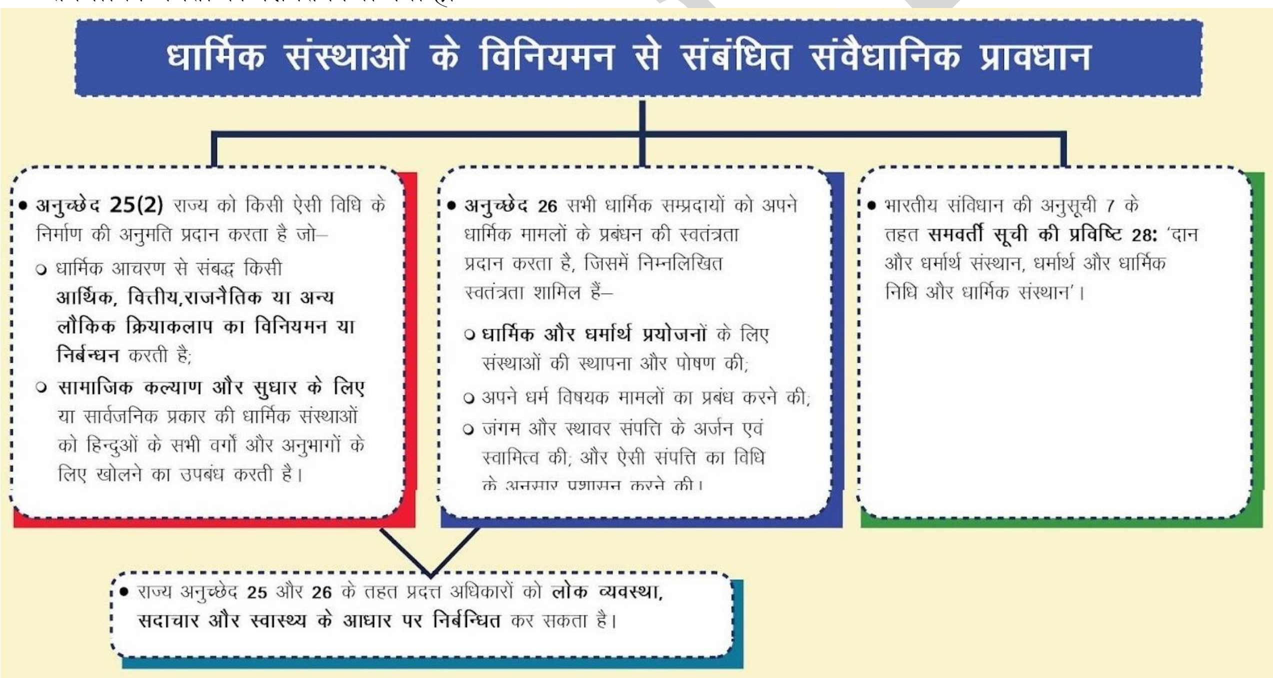

मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क

- **सामाजिक सुधार:** हिंदू धार्मिक और पूर्त विन्यास (HR&CE) कानूनों के माध्यम से विभिन्न सुधार लागू किए गए हैं। उदाहरणार्थ- वंशानुगत पुजारी व्यवस्था को चुनौती देना, सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश हेतु गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना आदि।
- **भारत की पंथनिरपेक्षता राज्य और धर्म के कठोर पृथक्करण को प्रोत्साहित नहीं करती है:** भारत में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा उसके पश्चिमी पूर्ववृत्तों से भिन्न है। भारतीय पंथनिरपेक्षता राज्य एवं धर्म के मध्य विभाजन को सीमित करती है।
- **मंदिरों का कुशल प्रबंधन:** मंदिरों और दान की गई संपत्तियों के बेहतर प्रशासन एवं संरक्षण तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदू सार्वजनिक विन्यास का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, पूर्त विन्यास अधिनियम (Charitable Endowment Act) लागू किया गया है।
- **निधियों की वृहद मात्रा:** भारत में कई मंदिर विपुल मात्रा में चल और अचल संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। इस धन का उचित रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने हेतु एक निश्चित स्तर की सरकारी निगरानी की आवश्यकता है।

- **स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए मंदिरों का महत्व:** जटिल और नेटवर्क के रूप में संचालित मंदिर अर्थव्यवस्था ने पुजारियों, कलाकारों, अभिनेताओं, पुष्प एवं पूजा सामग्री विक्रेताओं, रसोइयों आदि जैसे लोगों को रोजगार के अवसर तथा आजीविका प्रदान करना जारी रखा है।

मंदिर प्रबंधन के मामलों में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित प्रचलित मुद्दे

- **अन्य धर्मों के संदर्भ में भेदभाव:** उपर्युक्त वर्णित कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (धर्म के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध) का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि अन्य धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संस्थानों को नियंत्रित करने वाले ऐसे अधिनियमों का अभाव है।
- **लैंगिक अंतराल को कम करने में अप्रभावी:** मंदिर बोर्डों पर महिलाओं या ट्रांसजेंडरों के प्रतिनिधित्व का अभाव है।
- **आध्यात्मिक संबद्धता का अभाव और मंदिर निकायों का राजनीतिकरण:** मंदिर बोर्डों एवं न्यासों की सदस्यता और कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती है। यहाँ एक व्यापक विवाद है कि सरकार द्वारा नियुक्त न्यासी और समिति के सदस्यों में दूरदर्शिता का अभाव होता है। साथ ही, उन्हें धार्मिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मंदिरों की विरासत को बनाए रखने एवं प्रबंधन करने की क्षमता पर विचार किए बिना नियुक्त किया जाता है।
- **मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन में भ्रष्टाचार:** ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां सरकारी अधिकारी मंदिर की भूमि या मंदिर के स्वामित्वाधीन दुकानों के फर्जी आवंटन, मंदिर के धन के गबन और दुरुपयोग, मूर्तियों की चोरी आदि अनुचित कृत्यों में शामिल थे। सरकारी कर्मचारियों में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान और कौशल के उचित अनुप्रयोग की कमी के कारण सक्रिय रूप से संचालित मंदिरों में जारी कार्य के पुरातात्विक नियंत्रण की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण अंतराल हैं।

आगे की राह

बेहतर नैतिक मानकों, मंदिरों की जवाबदेही और प्रबंधन, उनकी संपत्ति का रखरखाव व सांस्कृतिक पूंजी के सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करने वाले प्रशासन एवं प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना समय की मांग है। यह निम्नलिखित उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:

- **सार्वजनिक (आम जन की) भागीदारी:** शीर्ष स्तर पर बोर्ड और मंदिर स्तर पर समितियों की एक संतुलित संरचना स्थापित करना, जो यह सुनिश्चित करेगी कि कोई विशेष खंड,अन्य पर हावी न हो, स्वतंत्र मतों को सुना जाए और स्वतंत्रता बनी रहे।
- **आंतरिक रूप से संस्थानों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाना:** मंदिर बोर्ड को मंदिरों के विभिन्न उपांगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को शामिल करके स्थापित किया जाना चाहिए; जैसे मठ, न्यासियों, आगम विशेषज्ञों, शोधकर्ता और शिक्षाविद व चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं वकील आदि जैसे पेशेवरों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करना चाहिए।
- **हब और स्पोक मॉडल के आधार पर मंदिरों को संयोजित करना:** इसमें बड़े और प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ मंदिर, उस क्षेत्र में स्थित अन्य छोटे मंदिरों का समर्थन करते हैं। अधिशेष दान प्राप्त करने वाले अधिक संपन्न मंदिर कम संपन्न और अक्षम मंदिरों का समर्थन करेंगे।
- **सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना:** कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रशासनिक मानकों को लागू करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा।
- **हिंदू धार्मिक और पूर्त विन्यास (HR&CE) विभाग की सीमित भूमिका:** हिंदू धार्मिक और पूर्त विन्यास (HR&CE) विभाग की भूमिका विनियामकीय होनी चाहिए। साथ ही, सभी श्रेणियों के मंदिरों की संपूर्ण संपत्तियों की सूची बनाना, उनका अभिलेखन और संरक्षण करना; सचिवालयीन कार्य; नियुक्तियों के नियम निर्धारित करना; सतर्कता, लोक शिकायतों और आम जनता, कर्मचारियों, उत्पीड़न संबंधी एवं तीर्थयात्रियों आदि की शिकायतों का निराकरण करने जैसे सहायक कार्यों तक सीमित किया जाना चाहिए।

मंदिर प्रबंधन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय	
वाद	**निर्णय**
एन. आदित्यन बनाम त्रावणकोर देवास्वाम बोर्ड, (2002)	उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक मंदिरों (ब्राह्मणवादी सहित) में पुरोहित के पद के लिए सभी जातियों को अर्ह माना।
रतिलाल बनाम बॉम्बे राज्य	उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कुप्रशासन व वित्तीय कुप्रबंधन की स्थिति में प्रशासन को अपने अधिकार में लेने की शक्ति को निश्चित रूप से भारत के संविधान के **अनुच्छेद 26(b)** का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।
शिरूर मठ मामला	इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने प्रथम बार घोषित किया कि धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है। साथ ही, यह विचार भी व्यक्त किया कि उस अनिवार्य हिस्से की जानकारी उस धर्म के मतों और सिद्धांतों के बारे में पता करके ही प्राप्त की जा सकती है।
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, वाद 2014	उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मंदिर को विनियमित करने की राज्य की शक्ति से तात्पर्य अनिश्चित काल के लिए मंदिर के प्रशासन का अधिक्रमण करने की शक्ति नहीं है।
केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर का मामला	उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन त्रावणकोर राजपरिवार को केरल में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से संबंधित संपत्तियों के लिए शेबैतशिप अधिकार (मंदिर प्रबंधन का अधिकार) प्रदान किया है। न्यायालय ने इसके प्रबंधन हेतु प्रशासनिक समितियों के गठन का भी निर्देश दिया।

1.11. आरक्षण से संबंधित मुद्दे (Issues related to Reservation)

आरक्षण – एक नज़र में

आरक्षण क्या है

- आरक्षण एक ऐसा उपकरण है, जो वंचितों को समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है, भले ही वह शासन में हो या शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही, आरक्षण के लाभार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने समुदाय के उत्थान की दिशा में प्रयास करे।
- अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के मामले में खुली प्रतियोगिता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण प्रदान किया गया है।
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के तहत 10% आरक्षण उन लोगों को प्रदान किया गया है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 15 (4)** के अंतर्गत प्रदान की गई है, जबकि **पदों और सेवाओं में आरक्षण की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 16 (4) , 16 (4) और 16 (4b)** में प्रदत्त है।
- संविधान के अनुच्छेद **46** में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।
- **अनुच्छेद 243D** के तहत प्रत्येक **पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। **अनुच्छेद 330** लोक सभा में **अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 332,** राज्य विधानसभाओं में **अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

मंडल आयोग

- वर्ष 1990 में, तत्कालीन केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि OBCs को केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबद्ध नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा {संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत}।
- उच्चतम न्यायालय ने 'इंदिरा साहनी निर्णय' (वर्ष 1992) द्वारा क्रीमी लेयर मानदंड को लागू किया था।
- यह निर्णय मंडल आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1980) पर आधारित था।
- शिक्षा में आरक्षण वर्ष 2006 में {संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत} लागू हुआ था।

मुख्य निर्णय

इंदिरा साहनी वाद (वर्ष 1992)

- अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) के लिए 27% कोटे को बरकरार रखा गया।
- आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
- पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर के लाभ से बाहर किया जाना चाहिए।
- पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

नागराज वाद (वर्ष 2006)

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया, जिनमें निम्नलिखित तीन शर्तों को शामिल किया गया है।
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा।
  - उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित तथ्य।
  - समग्र प्रशासनिक दक्षता।

1.11.1. जातिगत जनगणना (Caste Census)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2021 की जनगणना में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित गणना कराए जाने की मांग ने एक गंभीर विवाद की शुरुआत कर दी है।

जातिगत जनगणना क्या है?

- जातिगत जनगणना, जनगणना के कार्य में **जनसंख्या के आंकड़ों का जातिवार सारणीकरण** करना संदर्भित करती है।
- **वर्ष 1931 की जनगणना,** जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों के साथ भारत की अंतिम प्रकाशित जातिगत जनगणना है। वर्ष 1941 में इस प्रथा को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था तथा वर्ष 1947 के उपरांत, भारत सरकार ने इसे पुनः प्रवर्तित नहीं किया था।
- जहाँ वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना अभ्यास के उपरांत से भारत सरकार जनगणना में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) पर पृथक आंकड़ें प्रकाशित करती है, वहीं **जनगणना में अन्य जातियों के आंकड़ें शामिल नहीं किए जाते हैं।**

ब्यौरा	जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क	जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क
जाति पर आंकड़ों की उपलब्धता	**जाति के अनुमान पहले से ही उपलब्ध हैं:** भारत की जनसंख्या के व्यापक सामाजिक विभाजन का युक्तियुक्त अनुमान पहले से ही उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) द्वारा किए गए विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों में जनसंख्या में SCs, STs और OBCs पर आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है।	**सर्वेक्षण जनगणना नहीं होते हैं:** NFHS और NSSO द्वारा एकत्र किए गए जातिगत आंकड़े **जनगणना के विपरीत सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान हैं।** जनगणना वास्तविक रूप में देश के प्रत्येक व्यक्ति की गणना होती है। मान्यता प्राप्त प्रत्येक वर्ग जिसकी प्रत्येक स्तर पर गणना की जाती है, उसके शैक्षिक स्तर, व्यवसाय, पारिवारिक संपत्ति और जीवन प्रत्याशा पर भी आंकड़ें सृजित किये जाते हैं।
परिचालन से संबंधित चुनौतियां	एक पूर्ण जातिगत जनगणना, जिसमें सभी "सवर्णों" का जाति-वार विभाजन शामिल हो, कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि देश में सभी जातियों की आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ होगा व्यापक **जनगणना के बाद का वर्गीकरण कार्य तथा परिणामस्वरूप सामान्य जातिगत तालिका के जारी होने में कुछ विलंब।**	यह एक **सामान्य प्रथा** है कि **कुछ जनगणना संबंधी तालिकाएँ जनगणना संपन्न होने के पांच या सात वर्ष उपरांत जारी की जाती हैं।** 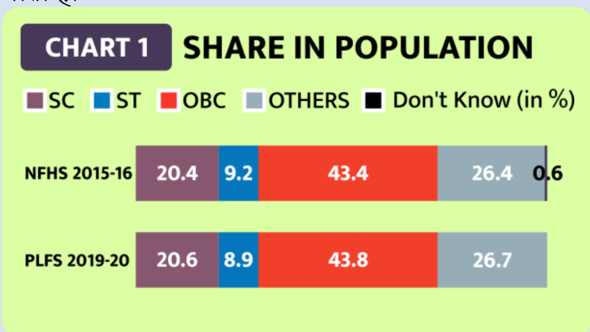
पहचान की राजनीति	सामान्यत: ऐसा कहा जाता है कि भारत में मतदाता केवल अपनी जाति के लिए मतदान करते हैं। **विभिन्न जातियों में जनसंख्या का विभाजन भारत में जाति-आधारित राजनीति को और भी मजबूत करेगा।** इस प्रकार की राजनीति स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विकासात्मक मुद्दों को प्रभावहीन कर सकती है।	विशुद्ध अकादमिक और नीतिगत दृष्टिकोण से, इस प्रकार के आंकड़ों का संग्रहण औचित्यपूर्ण है। **जातिगत एवं उप-जातिगत आधार पर लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझना** न केवल आवश्यक है, बल्कि **सकारात्मक कार्रवाई एवं पुनर्वितरणात्मक न्याय के लिए नीतियां तैयार करने** में भी मूल्यवान है। • उच्चतम न्यायालय के **इंद्रा साहनी वाद** के निर्णय में न्यायालय ने मांग की थी कि **आरक्षण के लाभों से विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को बाहर करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इस तरह के साक्ष्य/आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए।**

आरक्षण हेतु मांग में वृद्धि	जातिगत जनगणना के परिणामस्वरूप **उच्चतर कोटे के लिए विरोध को बढ़ावा मिल सकता है तथा आरक्षण पर निर्धारित 50% की सीमा प्रभावित हो सकती है।**	अद्यतन जातिगत आंकड़ों के अभाव ने विभिन्न सामाजिक समूहों की सार्वजनिक रोजगार तथा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की मांगों को प्रभावित नहीं किया है। विगत एक दशक में जाटों, पटेलों और मराठों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर व्यापक जन आंदोलन देखे गए हैं, जिनमें से कुछ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। ये मांगें उन वर्गों के आकार तथा OBC, SC या ST वर्गों की तुलना में उनके वंचन के स्तर के वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित नहीं थीं।

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष

- महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC), 2011 के तहत जाति आधारित गणना के खुलासे की मांग की थी। राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह केंद्र को इस बारे में आदेश दे। लेकिन कोर्ट में केंद्र ने बताया कि **"जनगणना में जाति-आधारित गणना का कार्य वर्ष 1951 से नीतिगत कारणों से बंद है।"** इसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की गणना की जाती है। इस प्रकार, अन्य जातियों की गणना वर्ष 1951 से आज तक किसी भी जनगणना में नहीं की गयी है।
- **जातिगत जनगणना नहीं कराने के अन्य कारण:**
  - **SECC 2011 द्वारा एकत्र किए गए OBCs के आंकड़ों** के विश्लेषण से पता चला है कि **जाति गणना गलतियों और अशुद्धियों से भरी हुई थी और विश्वसनीय नहीं है।**
  - SC और ST सूची के विपरीत, जो विशेष रूप से केंद्रीय विषय हैं, **अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में OBCs की अनेक अलग-अलग सूचियां हैं।**
  - केंद्र के अनुसार, **जाति पर विवरण एकत्र करने के लिए आबादी की गणना आदर्श साधन नहीं है।** इसमें संचालन संबंधी कठिनाइयाँ इतनी अधिक हैं कि **जनगणना के आंकड़ों की बुनियादी अखंडता से भी समझौता किया जा सकता है।**
  - गणना करने वालों की **प्रशासनिक अक्षमता** (ज्यादातर स्कूली शिक्षक) के चलते उनके पास सूचना की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं होता है।
  - **उप जातियों के बारे अपर्याप्त जानकारी।**

आगे की राह

- **जातिगत आंकड़ों की उपयोगिता को समझना:** पहले से मौजूद जातिगत आंकड़ों पर तथा सरकार और उसके विभिन्न विभागों द्वारा लाभ देने या वापस लेने हेतु इनको कैसे समझा तथा उपयोग किया गया है, इस तथ्य पर चर्चा की जानी चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त, सामाजिक असमानताओं और सामाजिक परिवर्तन के मानचित्रण के महत्वपूर्ण शैक्षणिक अभ्यास के लिए भी इसकी उपयोगिता है।
- **सभी उपलब्ध आंकड़ों का समग्र रूप से अध्यन करना:** जनगणना से संबंधित समेकित आंकड़ों को NSSO अथवा NFHS जैसे अन्य बड़े डेटासेट्स से संबद्ध करना चाहिए तथा उनका संकलन करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि ये डेटासेट्स उन मुद्दों को समाविष्ट करते हैं, जिन्हें जनगणना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जैसे- मातृ स्वास्थ्य आदि।
  - उल्लेखनीय है कि विद्वानों ने पूर्व में ही जनगणना को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों से जोड़ने का सुझाव दिया था।
- **समय की मांग की पूर्ति हेतु जनगणना में परिवर्तन:** विशेषज्ञ मत प्रस्तुत करते हैं कि विश्व भर में जनगणना के संचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन सटीक, त्वरित और लागत प्रभावी हैं। साथ ही, इनमें विभिन्न डेटा स्रोतों के मध्य समन्वय भी शामिल है।
  - यद्यपि, विशेष रूप से एकत्रित किए जा रहे डेटा की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि डिजिटल विकल्प सुनिश्चित करना और जनगणना संचालन सहित डेटा स्रोतों को जोड़ना समावेशी व गैर-भेदभावपूर्ण हो।

निष्कर्ष

एक और SECC के आयोजन से पूर्व, राज्य द्वारा प्रदत्त सहायता के लाभार्थियों के लिए बहिष्करण मानदंड में परिवर्तन करने से परे, विगत अभ्यास से क्या सीखा गया है तथा क्या परिवर्तन आवश्यक है इन तथ्यों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। यह जनगणना को प्रभावी नीतिगत कार्य और अकादमिक चिंतन की सुविधा के लिए सक्षम करेगा। इस अभ्यास को प्रभावी बनाने के लिए कार्यप्रणाली, प्रासंगिकता, दृढ़ता, प्रसार, पारदर्शिता और गोपनीयता से संबंधित चिंताओं को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

1.11.2. अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण {Sub-Categorisation of Other Backward Classes (OBCs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के भीतर उप-वर्गीकरण की संभावना की जांच हेतु गठित **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग** के कार्यकाल में छह माह के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने **वर्ष 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत न्यायमूर्ति जी. रोहिणी** (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में **चार सदस्यीय आयोग** का गठन किया था। इसका उद्देश्य **OBCs के मध्य आरक्षण के लाभों का न्यायसंगत बंटवारा करना है।** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 **पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति के लिए शर्तें निर्धारित करता है।**

अन्य पिछड़े वर्गों का उप–वर्गीकरण

OBCs के उप–वर्गीकरण के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां

- **इस मुद्दे की राजनीतिक संवेदनशीलता:** OBCs को उप–वर्गीकृत करने की यह पहल OBCs के कुछ वर्गों में अशांति उत्पन्न कर सकती है क्योंकि इससे लाभ पुनर्वितरित हो जाएगा।
- **पुराने और अविश्वसनीय प्राक्कलनों का उपयोग:** आयोग ने **1931 की जनगणना से प्राप्त जनसंख्या संबंधी आंकड़ों** के आधार पर कोटा के भीतर कोटे की संस्तुति की है, न कि हाल ही की सामाजिक–आर्थिक जातिगत जनगणना, 2011 को आधार बनाया है।
- **सूचना की अनुपलब्धता:** विभिन्न जातियों के सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के संबंध में सूचना की उपलब्धता का अभाव है।
- **कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां:** अधिक संख्या में जातियों के अतिरिक्त, एक राज्य से दूसरे राज्य में जातियों के भीतर महत्वपूर्ण भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसका तात्पर्य है कि डेटा संग्रह को वृहद एवं अत्यधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

- वर्ष 1990 में, तत्कालीन केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि OBCs को **केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबद्ध नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा {संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत}।**
- यह निर्णय **मंडल आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1980)** पर आधारित था। मंडल आयोग का गठन **बी. पी. मंडल** की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में किया गया था। मंडल आयोग का अधिदेश जातिगत भेदभाव के निवारणार्थ **सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों** की पहचान करना था।।

OBCs के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों?

- **आरक्षण का लाभ केवल सीमित वर्गों तक ही पहुंच पाया है:** रोहिणी आयोग ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि **OBC आरक्षण का 25% लाभ** केवल **10 उप-जातियों** को ही प्राप्त हुआ है।
- **लाभ आर्थिक रूप से सशक्त उप-वर्गों की ओर प्रवृत्त हैं:** शोधों से ज्ञात होता है कि मंडल आयोग की अनुशंसाओं ने अत्यंत पिछड़ी जातियों की अपेक्षा आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति वाली अन्य पिछड़ी जातियों (OBCs) को सहायता प्रदान की है।

आगे की राह

- **OBCs के मध्य** उप-वर्गीकरण **तुलनात्मक लाभ के आधार पर होना चाहिए न कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर।** इससे वंचित वर्गों को आरक्षण के अपने उचित भाग का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है।
- **क्रीमी लेयर की अधिकतम सीमा को संशोधित करना:** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने मांग की है कि आय सीमा को और संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सीमा संबंधित क्रय शक्ति के साथ अद्यतित नहीं है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes: NCBC)

- NCBC को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया था। बाद में इसे अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह केवल **OBC सूची में जातियों को शामिल करने और बाहर करने की सिफारिश कर सकता है।** इसे OBCs में "क्रीमी लेयर" की पहचान करने के लिए के आय का स्तर निर्धारित करने हेतु सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है।
- इससे पहले, **अनुच्छेद 338** के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCSC) ही OBCs की शिकायतों को सुनता था।
- **123वें संविधान संशोधन विधेयक** (102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम) का उद्देश्य **NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है** जो इसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग (SCBCs) के समान अधिकार देगा। OBCs एक संबंध में NCSC द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अब नए आयोग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- इस संशोधन ने दो नए अनुच्छेद भी समाविष्ट किए थे। वे दो नए अनुच्छेद हैं-
  - **अनुच्छेद 342A:** यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची से संबंधित है।
  - **अनुच्छेद 366 (26C):** यह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है।
- इस अधिनियम के तहत, NCBC में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पांच सदस्य शामिल होंगे। उनका कार्यकाल और सेवा की शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएंगी।
- **आयोग के कार्य:**
  - आरक्षण के लागू न होने, आर्थिक शिकायतों, हिंसा आदि से संबंधित शिकायतों के मामले में लोग आयोग के पास जा सकेंगे।
  - यह अधिनियम प्रस्तावित आयोग को **अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने की शिकायतों की जांच करने** की शक्ति देता है।
  - यह अधिनयम आयोग को **दीवानी अदालत** के समान शक्तियां देता है। आयोग को यह भी शक्ति दी गयी है कि वह शिकायत के मामले में किसी को भी समन जारी कर सके, दस्तावेजों को पेश करने के बोल सके, और एफिडेविट के रूप में सबूत मांग सके।

1.11.3. निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण (Local Reservation in Private Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020)** पारित किया गया है। यह अधिनियम, निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हरियाणा **आंध्र प्रदेश** (आंध्र प्रदेश उद्योगों/कारखानों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत) के पश्चात् **दूसरा राज्य** बन गया है, जहां **अधिवास (Domicile) के आधार पर स्थानीय नागरिकों** हेतु 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- कर्नाटक (100%), महाराष्ट्र (80%) और मध्य प्रदेश (70%) जैसे कई और राज्यों ने भी विगत कुछ वर्षों में इसी प्रकार के आरक्षण का **प्रस्ताव** किया है।

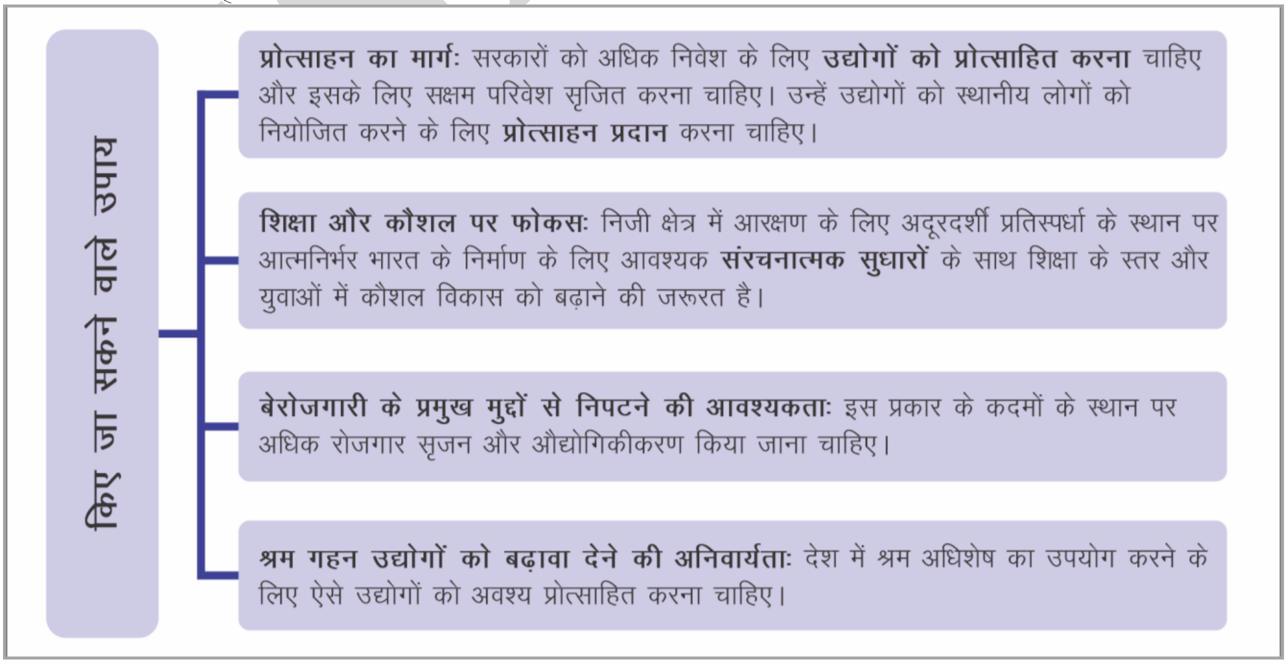

ऐसे कानून के लाभ

- **बढ़ती बेरोजगारी का समाधान: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE)** के अनुसार, फरवरी 2021 में हरियाणा में **26.4 प्रतिशत** बेरोजगारी दर थी। यह राष्ट्रीय आंकड़े से **तीन गुना** अधिक है।
- **कृषि संकट:** संपूर्ण देश में, कृषि क्षेत्रक पर दबाव को देखते हुए स्थानीय लोग इस व्यवसाय का त्याग कर रहे हैं और स्थानीय नौकरियां प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
- **निगमों की बुरी प्रथाओं पर नियंत्रण:** यह कंपनियों द्वारा सुदृढ़ श्रमिक संघों से बचने के लिए वर्तमान स्थानीय कार्यबल में भर्ती या छंटनी में किए जाने वाले **चयनात्मक भेदभाव** पर नियंत्रण स्थापित करता है।
- **विकास प्रेरित विस्थापन:** औद्योगिकीकरण द्वारा निजी भूमि से स्थानीय भू-स्वामियों के विस्थापित होने से स्थानीय आरक्षण की मांग को बल मिला है।
- **वृहद संख्या में प्रवासियों के अंतर्वाह पर नियंत्रण:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2002-2011 के दौरान हरियाणा में 8 लाख लोगों का शुद्ध प्रवासन हुआ था, जो राज्यों के मध्य चौथा सबसे बड़ा प्रवासन था (महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के उपरांत)।
- **मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान:** अल्प वेतन वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या स्थानीय अवसंरचना और आवास पर महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करती है, जो प्राय: मलिन बस्तियों के प्रसार का कारण बनता है।

इस प्रकार के कानूनों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याएं

- **संवैधानिक एवं कानूनी बाधाएं:** यह **इंदिरा साहनी (1992) और एम. नागराज (2006) के वादों में उच्चतम न्यायालय** द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों (**अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19(1)**) का उल्लंघन हो सकता है। ये दिशा-निर्देश रेखांकित करते हैं कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, जब तक कि इस सीमा के अतिक्रमण को न्यायसंगत ठहराने के लिए "असाधारण कारण" उपस्थित न हो।
- **व्यवसाय करने में असुगमता:** यह कंपनियों को कर्मचारियों के अधिवास डेटा जुटाने, अधिकारियों को नियमित सूचना देने और स्थानीय श्रमिक उपलब्ध नहीं होने पर या 25% की बाहरी सीमा से आगे जाने पर हर बार अधिकारियों से छूट का दावा करने में लगाए रखता है।
- **कंपनी के कार्य संचालन पर प्रभाव:** यह कानून निजी क्षेत्रक की दक्षता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। श्रम-प्रधान उद्योगों जिसमें भारत (जो पहले ही इस संदर्भ में दक्षिण-पूर्वी देशों से पिछड़ रहा है) को अधिक क्षति वहन करनी पड़ सकती है।
- **कोविड-19 रिकवरी:** यह कई मोर्चों पर कारोबार की लागत में वृद्धि करके कंपनियों के लिए कोविड-19 महामारी से उबरना दीर्घकालिक बना सकता है। इन मोर्चों में स्थानीय उम्मीदवारों का प्रशिक्षण और वर्तमान गैर-स्थानीय कार्यबल का विस्थापन भी सम्मिलित हैं।
- **एक राष्ट्र एक बाजार या एकता की भावना के विरुद्ध:** यह 'भूमि-पुत्र' के आधार पर भारतीय राज्यों को विभाजित करता है और अन्य राज्यों द्वारा भी समान कानून पारित करने हेतु प्रेरित करता है। इस प्रकार भारत की एकता को क्षति पहुंचाता है। उल्लेखनीय है कि इससे विदेशी निवेश भी हतोत्साहित हो सकता है।

1.11.4. महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिला आरक्षण विधेयक को 25 वर्ष पहले संसद में पहली बार पेश किया गया था, हालांकि अनेक प्रयासों के बावजूद इसे अब तक पारित नहीं किया जा सका है।

भारत में महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास

- महिला आरक्षण विधेयक {संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2010} को संसद में अत्यधिक गतिरोध का सामना करना पड़ा है। साथ ही, कई आधारों पर इसका विरोध भी किया जाता रहा है।

इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन (चक्रानुक्रम) के आधार पर आवंटित किया जा सकता है।

- इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा।

इस संबंध में आंकड़े

- संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुपात के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों की तुलना में **भारत का स्थान 148वां है।**
- कुल मंत्रियों में महिला मंत्रियों का अनुपात वर्ष 2019 के 23.1% से कम होकर **वर्ष 2021 में 9.1% हो गया है।**

महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास

महिला आरक्षण की अवधारणा **संविधान के 73वें और 74वें संशोधन** से प्रेरित है। इनमें यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत में सरपंच अथवा मुखिया (या अन्य सदस्यों) के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए।

महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार वर्ष 1996 में 81वें **संविधान संशोधन विधेयक** के रूप में पेश किया गया था। इस विधेयक को फिर से वर्ष 1998, 1999 और 2008 में पेश किया गया।

- विधेयक को वर्ष 2008 में संसद की एक स्थायी समिति को भेजा गया और वर्ष 2010 में इसे राज्य सभा ने पारित कर लोक सभा को भेज दिया।
- 15वीं लोक सभा के साथ ही यह विधेयक निरस्त (अर्थात् व्यपगत) हो गया।

- तब से यह विधेयक पेश नहीं हुआ है।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 15 (3):** इसके तहत महिलाओं की सामाजिक-राजनीतिक उन्नति को सुरक्षित करने के लिए राज्य को विधायी या अन्य "विशेष प्रावधान" करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **अनुच्छेद 325:** मतदाता सूची में शामिल करने के संबंध में बिना किसी भेदभाव के पुरुषों एवं महिलाओं, दोनों लिंगों के व्यक्तियों लिए समान अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 243 D:** इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर एक-तिहाई सीटों और पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो महिलाओं के राजनीतिक विकास की दिशा में सक्रिय सरकारी उपायों का समर्थन करते हैं:**
    - **महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW):** इसे वर्ष 1993 में भारत द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। यह देश में महिलाओं की पूर्ण उन्नति सुनिश्चित करने तथा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनों के निर्माण सहित उचित उपायों को उपलब्ध कराने में मदद करता है।
    - **बीजिंग कार्रवाई मंच (Beijing Platform for Action: BPfA) 1995:** लोकतांत्रिक रूपांतरण, महिला सशक्तीकरण और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सकारात्मक उपायों का समर्थन करता है।

इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में तर्क

विधेयक के पक्ष में तर्क	विधेयक के विपक्ष में तर्क
• यह **महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी** के लिए आवश्यक है जो उन्हें उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार, भेदभाव और असमानता से लड़ने में मदद करेगी। • यह मानव विकास संकेतकों में आगे बढ़ने के लिए **सतत प्रगति** के लिए महत्वपूर्ण है । • एक प्रगतिशील और **प्रतिनिधि लोकतंत्र के निर्माण** के लिए समाज के सभी वर्गों की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। • महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को एक बेहतर और अधिक समानता आधारित समाज की परिकल्पना हेतु और **समावेशी राष्ट्रीय विकास** की दिशा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकती है। • भारत के संविधान और उसकी प्रस्तावना में निहित समता और स्वतंत्रता के अधिकारों के आधार पर **लैंगिक भेदभाव को खत्म करना और महिला सशक्तीकरण को मजबूत करना** स्वाभाविक है। • **पंचायतों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण के लाभ से सीखना-**	• यह **महिलाओं की असमान स्थिति को कायम** रखेगा क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं माना जाएगा। • आरक्षण केवल **अभिजात्य समूहों की महिलाओं को राजनीतिक सत्ता** हासिल करने में मदद करेगा तथा गरीब और वंचित वर्गों की व्यथा/चिंता को और बढ़ाएगा। • प्रत्येक चुनाव में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन से पुरुष सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में **काम करने हेतु अनिच्छुक** हो सकता है क्योंकि ऐसे में वह (रोटेशन के कारण) उस निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो सकता है। • यह एक **"प्रॉक्सी कल्चर" या "सरपंच पति"** जैसी अवधारणा को कायम रख सकता है, जहां निर्वाचित महिलाओं के पास वास्तविक शक्ति उपलब्ध नहीं होगी और वे निर्णय लेने वाले पुरुष की ओर से कार्य करेंगी। • **राजनीति के अपराधीकरण** और **आंतरिक दलीय लोकतंत्र** जैसे चुनावी सुधार के बड़े मुद्दों उपेक्षा के शिकार हो सकते हैं।

○ निर्वाचित महिलाओं ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं की चिंताओं से जुड़े सार्वजनिक विषयों पर अधिक निवेश किया है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों में महिलाओं के चुनाव लड़ने और जीतने की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है।	• कुछ **योग्य पुरुषों के कीमत पर** विधायी पद महिलाओं को प्राप्त हो सकते हैं।

क्या महिला आरक्षण विधेयक का कोई विकल्प है?

- **राजनीतिक दलों के भीतर आरक्षण** सुनिश्चित करने के विचार को महिला आरक्षण के एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे आदि जैसे देशों में राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित किए गए हैं, लेकिन संसद में महिलाओं के लिए कोटा का प्रावधान नहीं किया गया है।
  - भारत के चुनाव आयोग ने **राजनीतिक दल के स्तर पर महिलाओं के लिए अनिवार्य उम्मीदवार कोटा** का सुझाव दिया है जिसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सामान्य संशोधन की आवश्यकता होगी।
- इसी तरह, एक अन्य विकल्प **दोहरे सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों को शुरू करना हो सकता** है, जिसका अर्थ यह है कि निर्वाचन क्षेत्र में, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के बजाय, दो सदस्यों को नामित किया जाएगा, जिनमें से एक महिला होगी।
- हालांकि, इन विकल्पों की प्रभावशीलता पर **मजबूत साक्ष्य के अभाव** ने दुनिया भर में इन प्रथाओं को अपनाने की गुंजाइश सीमित कर दी है।

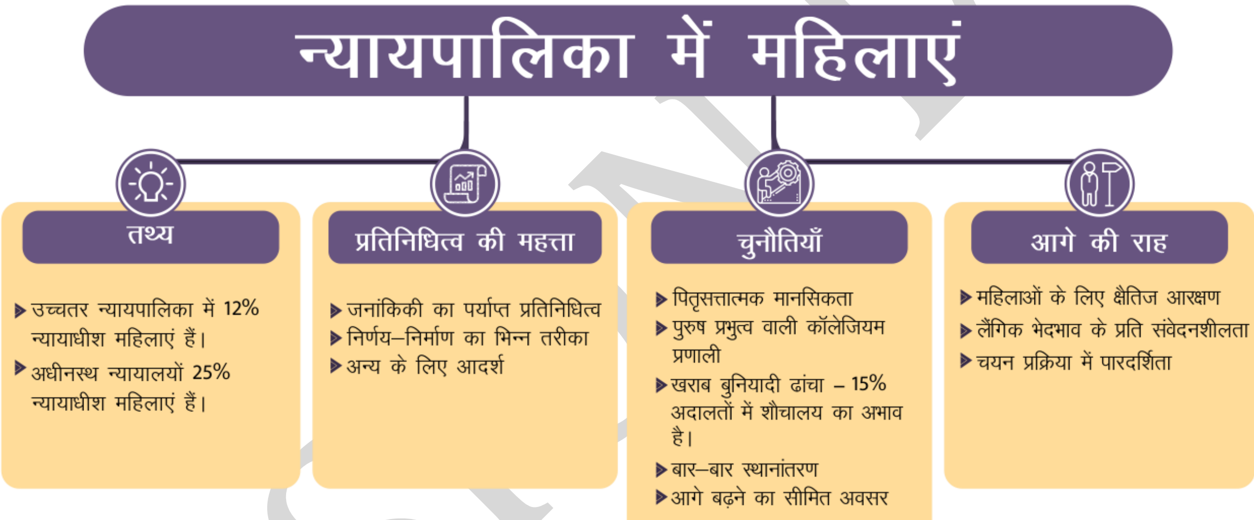

आगे की राह

- इस कानून पर विचार-विमर्श और परिचर्चा करने और संसद में इसके अधिनियमन को सुनिश्चित करने के लिए **राजनीतिक प्रतिबद्धता** और **एक सुदृढ़ साक्ष्य** दोनों आवश्यक हैं, जिससे राजनीतिक और विधायी निर्णय लेने की दिशा में **महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर को कम** किया जा सकेगा।
- इसके अतिरिक्त, राजनीति में प्रचलित **पुरुष प्रधान मूल्य प्रणाली में परिवर्तन** लाने और महिलाओं के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए **जागरूकता और नेतृत्व विकास कार्यक्रम** आयोजित करने जैसी रणनीतियों को राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लागू किया जाना चाहिए।

2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure)

2.1. संघवाद (Federalism)

संघवाद – एक नज़र में

संघवादः विचार और इसकी विशेषताएं

संघवाद का आशय सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों के बीच (एक, राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा, प्रांतीय या राज्य या स्थानीय स्तर पर) शक्तियों के संवैधानिक पुनर्वितरण से है।

- एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर सहमति आवश्यक है।
- राजस्व के निर्दिष्ट स्रोतों के साथ प्रत्येक की वित्तीय स्वायत्तता।
- एकता और क्षेत्रीय विविधता को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य।
- सरकार के दो या अधिक स्तर।
- प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
- प्रत्येक स्तर का संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अस्तित्व और अधिकार।

भारत में संघवाद का विकास

- **भारत सरकार अधिनियम, 1935** ने संघीय योजना की परिकल्पना की और पहली बार भारत में संघीय अवधारणा की शुरुआत की।
- भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एकता के अभाव और अलगाववादी प्रवृत्तियों के आगे बढ़ने के डर के कारण देश की आजादी के समय भारत में पूरी तरह से संघीय राजनीतिक व्यवस्था बनाने से परहेज किया।
- भारत के संघवाद की एक प्रमुख विशेषता इसकी विषम प्रकृति है। भारत में मुख्य राजनीतिक इकाइयाँ केंद्र और राज्य हैं। लेकिन विशिष्ट स्थानीय, ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भों को संबोधित करने के लिए अन्य संरचनाओं का भी गठन किया गया है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में संघवाद कई चरणों में विकसित हुआ है:

- **पहला चरण– एक दलीय संघवाद (1952-1967)**: अपने–अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व के सह–अस्तित्व के साथ संघवाद का सहमतिपूर्ण मॉडल।
- **दूसरा चरण– दमनकारी संघवाद (1967-1989):** कांग्रेस के नेतृत्व वाले केंद्र और विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के बीच संघर्षपूर्ण संघीय भावना।
- **तीसरा चरण– बहुदलीय संघवाद (1989-2014):** कई क्षेत्रीय दलों के उदय से राजनीति में गठबंधन के युग की शुरुआत हुई।
- **चौथा चरण– एक दल के नेतृत्व वाले संघवाद की वापसी:** वर्ष 2014 से मौजूदा समय तक।

भारत के लिए संघीय राजनीतिक व्यवस्था का महत्व

- शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपाय।
- सामान्य कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- सामाजिक–राजनीतिक सहयोग को सुगम बनाना।
- नीतियों को चुनने के लिए लोगों को सार्थक अधिकार देना।
- सत्ता, धन और संसाधनों तक पहुंच का विस्तार करना।
- मान्यता, स्वायत्तता और संसाधनों की मांगों को पूरा करना।
- नीतिगत प्रयोग की अनुमति मिलती है।
- उप–राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता।

क्या संघवाद का ताना–बाना कमजोर हो रहा है?

रुझान जो कमजोर संघवाद को प्रदर्शित करते हैं

- केंद्रीकरण की बढ़ी हुई प्रवृत्तियां:
  - संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के विभाजन में तकरार।
  - दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर से जुड़ी घटनाएँ।
  - कृषि कानून पारित करने के संबंध में आपत्तियां।
- बढ़ती क्षेत्रवादी मांगें:
  - बढ़ती क्षेत्रीय पहचानों की अलगाववादी प्रवृत्तियों में परिणति।
  - बढ़ती क्षेत्रवादी शक्तियां विदेश नीति को प्रभावित कर सकती हैं।
- राज्यपाल के पद का दुरुपयोग बहस का विषय रहा है।
- आर्थिक और वित्तीय क्षमताओं के संबंध में राज्यों की असंगति।
- 'एक राष्ट्र, एक बाजार', 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड', 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड' जैसे विकासात्मक आख्यान संघीय सिद्धांत को कमजोर कर सकते हैं।
- नीति आयोग के निर्माण तथा वस्तु एवं सेवा कर की शुरूआत के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजकोषीय संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

रुझान जो प्रतिसंतुलन प्रदर्शित करते हैं

- प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद जैसे विचारों के आगमन के साथ क्षैतिज संघवाद का मजबूत होना।
- **वित्तीय हस्तांतरण से जुड़े सुधारः** राज्यों के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। संसाधनों के वितरण को निष्पक्ष और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।
- कोविड–19 संकट के प्रबंधन में जमीनी स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका तथा संघ द्वारा राज्यों को इस संबंध में पर्याप्त स्वायत्तता देना।
- नीति आयोग और जी.एस.टी. परिषद के निर्माण के कारण संघीय चरित्र में वृद्धि।

संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार

- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत शक्तियों के वितरण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
- राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच आपसी विश्वास को प्रभावित करने के लिए नीति आयोग तथा अंतर–राज्य परिषद जैसे संघीय सेतुकारी संस्थानों का प्रभावी उपयोग।
- प्रसिद्ध सरकारिया और पुंछी आयोग सहित अन्य आयोगों द्वारा सुझाई गई सिफारिशों को लागू करके राज्यपाल के कार्यालय को मजबूत करना।
- राजकोषीय घाटे के राज्य–विशिष्ट लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु उनके लिए अधिक धन अंतरण का प्रावधान करना।
- धीरे–धीरे **अलग परिस्थितियों के लिए एक ही प्रकार के समाधान के मॉडल** से दूर संघवाद के एक लचीले मॉडल की ओर बढ़ना, जो प्रत्येक राज्य को शासन, नौकरशाही और स्थानीय सरकार का अपना मॉडल बनाने की अनुमति देता है।

2.2. अनुच्छेद 370 (Article 370)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले वर्ष अगस्त माह में **अनुच्छेद 370** और **35A** के उत्सादन तथा **जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक पुनर्गठन** का एक वर्ष पूर्ण हुआ।

पृष्ठभूमि

- **वर्ष 1948** में भारत सरकार ने पाकिस्तान के आक्रमण के विरूद्ध कश्मीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कश्मीर के शासक के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के उपरांत संविधान के **भाग XXI** में **अनुच्छेद 370** अंतर्विष्ट किया गया था। इस अनुच्छेद को **"अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान"** घोषित किया गया था, जो जम्मू-कश्मीर **(J&K)** को विशेष दर्जा देने का प्रावधान करता था।
- इस अनुच्छेद के अनुसार, केंद्र को **रक्षा, विदेश मामलों, वित्त और संचार** को छोड़कर अन्य कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती थी।
- साथ ही, राज्य के निवासी अन्य भारतीय नागरिकों की तुलना में **नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व, पृथक दंड संहिता और मूल अधिकारों से संबंधित क़ानूनों** के एक पृथक समूह के अधीन शासित होते थे।
    - भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 35A** जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों, उनके विशेषाधिकारों और अन्य अधिकारों को परिभाषित करने हेतु अधिकृत करता था।
- अगस्त 2019 में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा **संविधान (जम्मू-कश्मीर में लागू) आदेश, 2019** प्रख्यापित किया गया, जिसमें यह उपबंध किया गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे।
- इसका प्रभावी अर्थ यह था कि जम्मू-कश्मीर के लिए पृथक संविधान का आधार निर्मित करने वाले सभी प्रावधान समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही, अनुच्छेद 35A स्वत: ही समाप्त हो गया।
- साथ ही, संसद द्वारा **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** पारित किया गया, जिसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर को दो संघ राज्यक्षेत्रों (UTs) में पुनर्गठित किया गया, यथा-
    - विधान सभा के साथ **जम्मू-कश्मीर** संघ राज्यक्षेत्र; तथा
    - विधान सभा रहित **लद्दाख** संघ राज्यक्षेत्र।

अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद से हुए विकासक्रम का विश्लेषण

विकासक्रम	विश्लेषण
जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम: • जनवरी 2020 में, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों के लिए **80,000 करोड़ रुपये** का पैकेज प्रदान किया था। • वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कश्मीर क्षेत्र में परियोजनाओं की एक श्रृंखला को पूर्ण करने में संलग्न है, जिनमें श्रीनगर-जम्मू-लखनपुर राजमार्ग; काजीगुंड-बनिहाल सुरंग और श्रीनगर रिंग रोड सम्मिलित है।	• इस क्षेत्र के विकास से निवेश संवर्धन, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोज़गार के अवसर सृजित करने, आतंकवाद कम करने और इसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने संभावना में बढ़ोत्तरी होगी। ○ गृह मंत्रालय (MHA) के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए 13,600 करोड़ रुपये मूल्य के 168 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ○ गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुच्छेद 370 के निरसन के उपरांत घाटी में आतंकवाद **से संबंधित गतिविधियों में लगभग 36% की कमी आई है।** ○ साथ ही, **आतंकवादी संगठनों में स्थानीय युवाओं की संलिप्तता में 40% कमी** आई है।
विधायी परिवर्तन- पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के 354 राज्य क़ानूनों में से 164 क़ानूनों को निरस्त कर दिया गया है, 138 क़ानूनों में संशोधित किया गया है जबकि 170 केंद्रीय कानून लागू किए गए हैं।	भारत सरकार द्वारा पारित किए गए कई महत्वपूर्ण विधेयक अब जम्मू-कश्मीर में लागू हैं: • **शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित कानून:** जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014। • **वंचित वर्गों के संरक्षण हेतु कानून:** जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1954, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993, और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2007। • **शैक्षिक अधिकार प्रदान करने वाले कानून:** जैसे बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009।

सरकार ने इस क्षेत्र में अनेक केंद्रीय योजनाएं आरंभ की हैं।	• **राष्ट्रीय केसर मिशन** के अंतर्गत J&K में केसर की खेती के लिए 3,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि का कायाकल्प किया जा रहा है। • पर्यटन और कनेक्टिविटी को आगे और बढ़ावा देने के लिए, जम्मू-कश्मीर में 11 और लद्दाख में दो विमानपत्तनों पर **उड़ान (UDAN) योजना** के अंतर्गत विचार किया जा रहा है। • **दो AIIMS अस्पताल और पांच नए चिकित्सा महाविद्यालय** स्थापित करने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्रक में परिवर्तन किया गया है। • **अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 262% की वृद्धि हुई है।**
संघ शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रशासनिक परिवर्तन	• विभिन्न विभागों में **संरचनात्मक सुधार** किए गए हैं। साथ ही, परस्पर अतिव्यापन करने वाले कार्यों का विलय कर दिया गया है या आकार घटा दिया गया है। • वित्त और योजना विभाग में, वित्तपोषण स्रोतों की द्वैधता का उन्मूलन हुआ है। इसका परिणाम वित्तीय अनुशासन और व्यय पर नियंत्रण के रूप में सामने आया है। • जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को अब **7वें केंद्रीय वेतन आयोग** के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा। • विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए सभी स्तरों पर जम्मू-कश्मीर में 10,000 से अधिक रिक्तियों की पहचान की गई है। • हालांकि, संघ शासित प्रदेश लद्दाख को अभी भी श्रमबल की गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी विभागों, विशेषकर उच्च स्तर पर रिक्तियां सार्वजनिक सेवा प्रदायगी पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं।

अनुच्छेद 35A निरस्त किए जाने के पश्चात अधिवास क़ानून में बदलाव
• संसद ने जम्मू-कश्मीर के अधिवासियों को उन लोगों के रूप में पुनर्परिभाषित किया है, जो इस संघ शासित प्रदेश में 15 वर्ष की अवधि तक निवासी रहे हैं या जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में पंजीकृत शैक्षिक संस्थान में सात वर्ष की अवधि तक अध्ययन किया है और दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं।
• अधिवासियों में अब केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के सहायता प्राप्त संगठनों, एवं PSU के उन कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो 10 वर्ष की अवधि तक जम्मू-कश्मीर में सेवारत रहे हैं।
• जम्मू-कश्मीर में **4 लाख** से अधिक लोगों को नए अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।
	• अधिवास कानून में संशोधन के **अभिप्रेत लाभ:**
	  ○ **अब यह क़ानून उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है:** भूमि की खरीद में सुगमता से राज्य में और अधिक निवेशक आकर्षित होंगे, जिससे जम्मू-कश्मीर की आर्थिक संरचना को बढ़ावा मिलेगा।
	  ○ **जम्मू-कश्मीर में नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी अब शेष देश की भांति ही लाभ उठा सकते हैं, जैसे-** व्यवसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए स्थानीय अधिवास की वरीयता और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जैसे लाभ होंगे। यह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दीर्घ कार्यकाल के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे जम्मू-कश्मीर की प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ होगी।
	• **नए अधिवास कानून के अंतर्गत सामाजिक संरचना का एकीकरण:** पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थियों, J&K के विभिन्न भागों में बसे वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों, अन्य प्रवासियों आदि जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों को अधिवासियों का दर्जा प्रदान किया गया है, इससे वे राज्य प्रशासन में रोज़गार के विविध अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
	• कुछ वर्गों द्वारा अधिवास क़ानूनों में परिवर्तन को क्षेत्र की **जनसांख्यिकीय संरचना में परिवर्तन के साधन** के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में हिंसक विरोध प्रदर्शन रोकने और शांति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं:
• कुछ क्षेत्रों में लगे कर्फ्यू में विस्तार किया गया है
• राजनीतिक बंदियों की निरंतर नजरबंदी जारी है।
• टेलीफ़ोन लाइनों, मोबाइल संचार और इंटरनेट सेवाओं को आरंभ में बंद कर दिया गया था तथा मीडिया और परिवहन पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था
• जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी
	• लॉकडाउन तथा संचार एवं इंटरनेट प्रतिबंध जैसे **कठोर सुरक्षा उपायों का प्रभाव:**
	  ○ **रोज़गार हानि**: कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक अनुमान के अनुसार, अगस्त, 2019 से कश्मीर के पर्यटन और हस्तशिल्प क्षेत्रक में 144,500 रोज़गार की हानि हुई है – जो अधिकतर पर्यटकों से होने वाली आय पर निर्भर थे।
	  ○ **छात्रों पर:** स्कूलों और कॉलेजों के बंद होने तथा हाई स्पीड इंटरनेट की अनुपलब्धता से छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है।
	  ○ **स्वास्थ्य क्षेत्रक पर:** चिकित्सक, विशेष रूप से **कोविड-19** महामारी के

पुनर्स्थापित नहीं हुई है।	दौरान स्वास्थ्य सेवा में हो रहे नवीनतम विकासक्रम से अनभिज्ञ रहे हैं। • राजनेताओं की **लंबे समय तक नजरबंदी न केवल उनके मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी खतरा है।** ○ हालांकि, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पहले ही **सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम** (PSA) के अंतर्गत हिरासत में लिए गए **444** व्यक्तियों में से लगभग **300** को रिहा कर दिया है।
राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम: • पाकिस्तान ने कश्मीर में हुए इन परिवर्तनों को ऐसे "मानवीय संकट" के रूप में चित्रित किया है, जिससे इस क्षेत्र की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया है। • **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** के स्थायी सदस्य और पाकिस्तान के सहयोगी के रूप में चीन ने कश्मीर पर **'अल्प सदस्यीय वार्ता'** का अनुरोध किया। • **तुर्की और मलेशिया** जैसे देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू-कश्मीर घाटी में लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की थी। • अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में भी कुछ वर्गों द्वारा **कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन** के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई थीं।	• जहां पाकिस्तान ने UNSC परिचर्चा के माध्यम से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया, वही यह बैठक अत्यल्प सदस्यीय एवं अनौपचारिक थी और जिसका कोई विशेष परिणाम भी नहीं निकला। ○ लगभग सभी देशों ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि जम्मू-कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और इसे परिषद के विशेष ध्यान एवं समय की आवश्यकता नहीं है। • कश्मीर पर भारत की छवि वैश्विक मीडिया में कुछ सीमा तक प्रभावित हुई है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को कश्मीर में प्राथमिक आक्रमणकर्ता और इस क्षेत्र में अधिकांश समस्याओं की जड़ माना जाता रहा था। • इस विषय पर भारत सरकार की **सक्रिय राजनयिक संलग्नता** के परिणामस्वरूप, अधिकांश देश अनुच्छेद 370 का निरसन आंतरिक मामले के रूप में देखते हैं तथा भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर मुद्दे के द्विपक्षीय समाधान की अपेक्षा करते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को प्रदान किए गए विशेष दर्जे के निरसन ने **शांति और प्रगति का एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त किया** है, जिससे यह संपूर्ण क्षेत्र समावेशी विकास और पारदर्शी शासन के एक नए युग में प्रवेश करेगा।

राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजन ने भी **स्थानीय समुदायों में सार्वजनिक विमर्श में प्रतिभागिता की उत्तम भावना** का समावेश किया है। यह घाटी में **सुरक्षा बलों और सिविल सेवाओं में सम्मिलित होने वाले** तथा **शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले** युवाओं के माध्यम से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है।

विकेंद्रीकृत स्थानीय निकायों का विकास, युवाओं में विश्वास बहाली के उपाय और **चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट सेवाओं की पुनर्स्थापना** से क्षेत्र के **प्रतिभागितापूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास** में आगे और सहायता मिल सकती है।

2.3. अंतर्राज्यिक जल विवाद (Interstate River Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय ने **वर्ष 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (Andhra Pradesh Reorganization Act: APRA)** के अंतर्गत **गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (Godavari River Management Board: GRMB)** और **कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (Krishna River Management Board: KRMB)** के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद की पृष्ठभूमि

- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में, **GRMB और KRMB की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक शीर्ष परिषद के गठन का प्रावधान** किया गया है।
- गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB) और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) दोनों **स्वायत्त निकाय हैं।** इनकी स्थापना गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और परिचालन हेतु की गई थी। इसका प्रयोजन राज्य के विभाजन के पश्चात् क्रमशः **आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में विवेकपूर्ण जल उपयोग सुनिश्चित करना है।**

- वर्ष 2014 में, **कृष्णा जल विवाद अधिकरण (KWDT)-1** द्वारा तदर्थ या अस्थायी आधार पर किए गए आवंटन के अनुसार, दोनों राज्य **जल को 66:34 अनुपात में साझा करने** पर सहमत हुए थे।
- **KWDT-1** की स्थापना, वर्ष 1969 में, **अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956** के अंतर्गत की गई थी।
- **कृष्णा नदी** पर निर्मित सभी परियोजनाओं, जैसे- **जुराला (Jurala), नागार्जुन सागर (Nagarjuna Sagar), पुलीचिंतला (Pulichintala) और श्रीशैलम (Srisailam)** का निर्माण उस समय किया गया था, जब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एक ही राज्य थे।
- **श्रीशैलम जलाशय,** जो कि दोनों राज्यों के मध्य नदी जल का मुख्य भंडारण स्थल है, **का जल इन राज्यों के बीच विवाद का मुख्य कारण है।**

अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **सातवीं अनुसूची के अंतर्गत:**
  - **राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 17, जल** अर्थात् जल आपूर्ति (वाटर सप्लाई), सिंचाई, नहर, जल निकास, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति से संबंधित है।
  - **संघ सूची की प्रविष्टि 56, उस सीमा तक अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास** के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है, जहाँ तक संसद द्वारा लोकहित में उपयुक्त घोषित किया गया हो।

- **अनुच्छेद 262** में **अंतर्राज्यिक नदियों** या नदी घाटियों के **जल से संबंधित विवादों या शिकायतों के न्यायनिर्णयन** के लिए प्रावधान किया गया है।
- **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956** अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए **नदी बोर्डों की स्थापना** का प्रावधान करता है। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- **अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956** केंद्र सरकार को अंतर्राज्यिक नदी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए **अधिकरण की स्थापना** करने का अधिकार प्रदान करता है। **अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।**
  - इसके अंतर्गत संसद, विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में **न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।**

अंतर्राज्यिक नदी विवादों से संबद्ध मुद्दे

- **जटिल तथा अपारदर्शी प्रक्रिया:** प्रक्रियात्मक जटिलताओं और व्यवस्था की अपूर्ण प्रकृति (जिसमें सरकारों एवं अभिकरणों के भीतर कई हितधारक शामिल होते हैं) के कारण, संस्थागत ढांचे एवं दिशा-निर्देश प्रक्रिया के कई चरणों में, **अनेक विकल्प व विवेकाधिकार** सम्मिलित होते हैं। विकल्प **अधिकरण की कुशल कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं।**
- **राजनीतिक लामबंदी:** जल और राजनीति के बीच एक सह-संबंध विद्यमान है, जिसके कारण **अंतर्राज्यिक जल विवाद केवल जल आवंटन से ही संबंधित नहीं रह जाता है,** बल्कि उसका अत्यधिक राजनीतिकरण हो जाता है।
  - उदाहरण के लिए, हाल ही सुर्ख़ियों में रहे **कावेरी जल विवाद को तमिल लोगों और कन्नड़ लोग के मध्य एक नृजातीय पहचान के मुद्दे के रूप में** प्रस्तुत किया गया था। इसके कारण व्यापक नागरिक अशांति उत्पन्न हो गई थी।
- **जल संबंधी आधिकारिक डेटा के अभाव में** न्यायनिर्णयन के लिए आधार-रेखा स्थापित करना भी कठिन हो जाता है।
- **विवाद समाधान में विलंब: उदाहरण के लिए,** गोदावरी और कृष्णा विवाद वर्ष 1956 के आसपास आरंभ हुआ था, किन्तु इस मामले को वर्ष 1969 में संबंधित अधिकरण को प्रेषित किया गया था।

- **गैर-अनुपालन की समस्या:** भारत की राजव्यवस्था की संघीय प्रकृति और औपनिवेशिक विरासत के कारण, अनुपालन सुनिश्चित करने में समस्या होती है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकारें बहुत बार अधिकरणों के निर्णयों को अस्वीकार कर देती हैं।
- **शिकायत निवारण का अभाव:** वादों के समाधान में होने वाले विलंब, अधिकरण भंग होने के उपरांत, राज्यों को अपनी शिकायतों के निवारण के उपायों से वंचित कर देते हैं। ऐसे मामलों में जब राज्य उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करते हैं, तो उसकी अधिकारिता पर आरोपित सीमा उच्चतम न्यायालय को प्रतिबंधित करती है। उच्चतम न्यायालय को अपनी भूमिका मात्र स्पष्टीकरण देने तक ही सीमित करनी पड़ती है, जिससे राज्यों में असंतोष बना रह जाता है।

अंतर्राज्यिक नदी विवादों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **अंतर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019** अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन को सरल एवं कारगर बनाने और इससे संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान संस्थागत ढांचे को सशक्त करने का प्रयास करता है।
- **नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2019** अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए एक **नदी बेसिन प्राधिकरण (River Basin Authority)** स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है।
- **राष्ट्रीय जल सूचना-विज्ञान केंद्र** (NWIC) की स्थापना **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना** के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य एक **व्यापक जल संसाधन डेटा बनाए रखना** और जल विज्ञान संबंधी चरम स्थितियों से निपटने हेतु आपातकालीन अनुक्रिया करने वाले केंद्रीय एवं राज्य संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना है।
- एक वेब आधारित **भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली {India- Water Resources Information System (WRIS)}** की स्थापना की गई है तथा केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सभी अवर्गीकृत डेटा को इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

- **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन** के लिए जल शक्ति मंत्री द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया था।
    - यह अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है।
- **इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान:**
    - विधेयक के तहत, जब कोई राज्य किसी जल विवाद के संबंध में अनुरोध करता है, तो केंद्र सरकार **विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक विवाद निवारण समिति (DRC)** का गठन कर सकती है।

- DRC **एक वर्ष के भीतर** (इस अवधि को छह महीने तक और बढ़ाया जा सकता है) बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी।
  - यदि DRC द्वारा विवाद का निपटारा नहीं होता है, तो केंद्र सरकार इसे **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण** के पास भेज सकती है।
- जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए केंद्र सरकार एक **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण** की स्थापना कर सकती है। इस ट्रिब्यूनल की अनेक खंडपीठ हो सकती हैं।
  - अधिनियम के तहत, अधिकरण को **तीन वर्ष के भीतर (जिसे दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है) विवाद पर अपना निर्णय** देना होगा।
  - विधेयक में कहा गया है कि **अधिकरण पीठ का निर्णय अंतिम** होगा और यह विवाद में शामिल सभी **पक्षों के लिए बाध्यकारी** होगा।

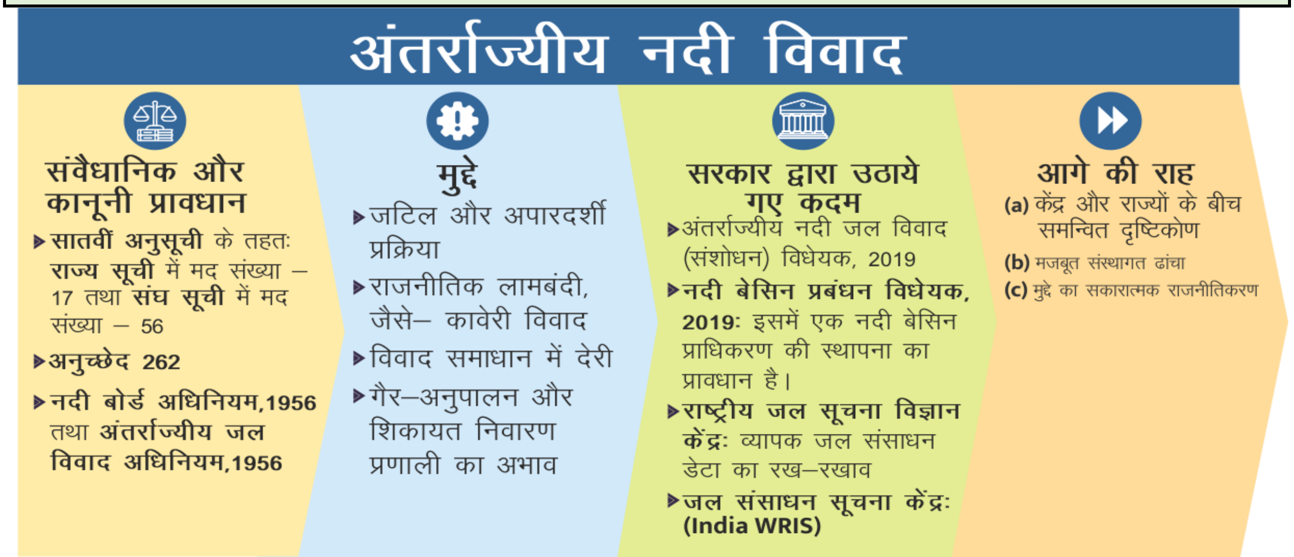

आगे की राह

- **समन्वित दृष्टिकोण:** चूंकि नदी घाटियां साझा संसाधन हैं, इसलिए नदी जल के संरक्षण, समान वितरण और सतत उपयोग के लिए राज्यों और केंद्र के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है।
- **विवाद समाधान प्रक्रिया में सामाजिक न्याय को शामिल करना:** नदी बेसिन प्राधिकरण को सामाजिक-आर्थिक कारकों के परस्पर क्रिया से उभरने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और वास्तविकताओं को समझने के लिए पर्याप्त क्षमता विकसित करनी चाहिए।
- **मुद्दे का सकारात्मक राजनीतिकरण:** विवाद के समाधान की कमी के परिणामस्वरूप विकास संबंधी बाधाओं, आर्थिक नुकसान और पर्यावरणीय गिरावट को सार्वजनिक पटल पर लाकर क्षेत्रीय पहचान और संस्कृति के राजनीतिक विमर्श को सुलझाया जा सकता है।
- **कानूनी विकल्प अपनाना:** कानूनी और संस्थागत तंत्र के पूरक के रूप में राजनीतिक समाधान प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय विकल्प होना आवश्यक है। ये विकल्प, विशेष रूप से संकट की स्थितियों में, **विवादों में मध्यस्थता करने और विवादों की संख्या को कम करने के लिए** महत्वपूर्ण हैं।
- **सशक्त संस्थागत फ्रेमवर्क स्थापित करना:** प्रस्तावित कानूनों को **लोगों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श** के लिए उनके समक्ष रखा जाना चाहिए। एकल अधिकरण का गठन करने की शीघ्रता करने से पूर्व, सरकार के पास इस संबंध में एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि कैसे "एक सशक्त संस्थागत फ्रेमवर्क प्रस्तुत करना" है। साथ ही, जल प्रवाह और भूजल एवं सतही जल के बीच संबंध पर महत्वपूर्ण परिवर्तनों को भी समझना चाहिए।

2.4. आंध्र प्रदेश के लिए राजधानियां (Capitals for Andhra Pradesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक, 2020 के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल क्रमशः **राज्य की कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक राजधानियाँ** होंगी।

तीन राजधानियों के पक्ष में तर्क

- **वितरित विकास:** विभिन्न क्षेत्रों को एक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था से लाभ होता है क्योंकि सरकारी गतिविधियाँ वह आधार हैं जिसके चारों ओर विकासात्मक गतिविधियाँ पनपती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं।
- **नियोजित शहरीकरण:** उच्च जनसंख्या घनत्व वाले किसी प्रधान नगर की बजाय उचित अर्थव्यवस्था वाले **मध्यम आकार के नगरों का विकास करना बेहतर** है।

- **वित्तीय संकट से बचाव:** ऐसा अनुमान है कि नई व्यवस्था में कुर्नूल और विशाखापत्तनम की मौजूदा अवसंरचना को खरीदने में, अमरावती में पूर्व में आई लागत की तुलना में, काफी कम खर्च होगा।
- **बड़ी कृषि भूमियों को अधिग्रहित करने की आवश्यकता नहीं:** के. सी. एस. समिति ने **एकल क्षेत्र में राजधानी के रूप में अमरावती को विकसित करने हेतु आवश्यक शहरीकरण के लिए** हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के कारण खाद्य सुरक्षा की चिंताओं को व्यक्त किया है।

इसकी आलोचना क्यों हो रही है?

- **समन्वय में बाधा की संभावना:** सरकारी अंग, विशेषकर नौकरशाही और मंत्रियों को लगातार परामर्श करने की आवश्यकता होती है। विधान सभा सत्रों के दौरान दोनों की अवस्थिति संबंधी पृथक्करण और दूरी के कारण समन्वय स्थापित करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **उचित अवसंरचना का अभाव:** विकेन्द्रित विकास की सफलता सुविकसित अवसंरचना वाले विकास केंद्रों के नेटवर्क पर निर्भर करती है। आंध्र प्रदेश में अभी इस तरह के नेटवर्क का अभाव है।
- **बढ़ते घनत्व के पर्यावरणीय प्रभाव:** के. सी. एस. समिति ने शहरों में गहनता और घनत्व के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चेतावनी दी है, विशेष रूप से विशाखापत्तनम के संदर्भ में। इसके अलावा, विशाखापत्तनम का क्षेत्र चक्रवात प्रवण क्षेत्र भी है।
- **विकेंद्रीकरण का एकमात्र तरीका नहीं है:** विकेंद्रीकृत विकास के लिए स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। इससे न केवल दूरस्थ क्षेत्रों का विकास होता है बल्कि शासन में भी सुधार होता है।

निष्कर्ष

तीन राजधानियों के विचार को सफल बनाने तथा विधायिका और कार्यपालिका के मध्य बेहतर समन्वय के लिए निर्णय लेने में देरी को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी और डिजिटल संचार का सतत उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इससे राज्य के लिए **संभार लागत (logistics cost) में भी समग्र रूप से कमी हो** सकती है।

इसके साथ ही, स्थानीय निकायों को - अधिक धन प्रदान करके, अधिक कार्यों को सौंप कर और बेहतर पदधारियों की नियुक्ति कर - समावेशी और समग्र विकेंद्रीकृत विकास को प्राप्त करने हेतु सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

2.5. छठी अनुसूची के तहत दर्जे की मांग (Demand for Sixth Schedule Status)

सुर्खियों में क्यों?

अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने संपूर्ण राज्य को संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है।

पृष्ठभूमि

- राज्य सरकार ने **जनजातीय लोगों के प्रथागत अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित करने हेतु** राज्य को छठी सूची के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने की मांग की थी। ये अधिकार राज्य की भूमि और वन उत्पादों के स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित हैं।
  - 2004 और 2007 में, राज्य विधान सभा ने दो प्रस्ताव पारित किए थे। इनका उद्देश्य संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत मोन स्वायत्तशासी क्षेत्र और पटकाई स्वशासी परिषद् का सृजन करना था।
  - इसके उपरांत इसे स्वीकृति हेतु केंद्र के पास प्रेषित कर दिया गया था जो अब तक लंबित है।
- इसके पूर्व, राज्य सरकार ने **मांग की थी कि संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 371(H) को निरस्त किया जाए तथा अरुणाचल प्रदेश को** नागालैंड और मिज़ोरम की तर्ज पर **अनुच्छेद 371(A) और अनुच्छेद371(G) के अंतर्गत शामिल किया जाए।**
  - अनुच्छेद 371(H) के अंतर्गत, राज्य के राज्यपाल को विधि एवं व्यवस्था के संबंध में उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है।
- हालांकि, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में **1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) एक्ट लागू** है। यह भारत के सभी नागरिकों को बिना वैध **इनर लाइन परमिट** के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता है।

छठी अनुसूची

- संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के प्रावधानों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने का अधिकार प्रदान करती है।

- **अनुच्छेद 244** 'अनुसूचित क्षेत्रों' और 'जनजातीय क्षेत्रों' के रूप में निर्दिष्ट **कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध करता है।**
- **अनुच्छेद 275** भारत की संचित निधि पर भारित **विधिक अनुदानों के लिए प्रावधान करता है।** ऐसे अनुदानों में विशिष्ट अनुदान भी सम्मिलित हैं जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए होते हैं।

- **स्वशासी जिला परिषद (Autonomous District Councils-ADC)**: स्वशासी जिला परिषद जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय हैं जिन्हें संविधान द्वारा **राज्य विधानमंडल के अधीन भिन्न-भिन्न मात्रा में स्वायत्तता प्रदान की जाती है।**
- **स्वशासी क्षेत्र (Autonomous region)**: यदि एक स्वशासी जिले में कई अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उनके निवास क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वशासी क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।

छठी अनुसूची में सम्मिलित होने के लाभ

छठी अनुसूची के लाभ हैं- शक्तियों का लोकतांत्रिक हस्तांतरण, क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण और प्रोत्साहन, भूमि अधिकारों सहित कृषि-संबंधी अधिकारों का संरक्षण तथा तीव्र विकास के लिए वित्तीय अंतरण में वृद्धि। ये लाभ निम्न विशेषताओं के कारण प्राप्त होते हैं:

- **विधायी शक्ति:** ADC को राज्यपाल की विधिवत मंजूरी से विधिक विधियों के निर्माण का अधिकार है।
- **स्वशासी क्षेत्रों पर संसदीय या राज्य विधान-मंडल की शक्ति की सीमा:** संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों को इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।
- **न्यायिक शक्ति:** जनजातियों से संबद्ध मामलों की सुनवाई के लिए परिषदें अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर ग्राम अदालतों का गठन कर सकती है। इनमें से प्रत्येक मामले के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल राज्यों के राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- **नियामक शक्ति (Regulatory power)**: जिला परिषद, जिले में स्कूलों, औषधालयों, बाजारों, घाटों, मत्स्य-पालन, सड़कों इत्यादि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती है। यह गैर-जनजातीयों द्वारा ऋण प्राप्त करने के साथ ही व्यापार करने पर नियंत्रण के लिए विनियम भी बना सकती है। लेकिन ऐसे विनियमनों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है।
- **कर राजस्व संग्रह:** - जिला परिषद् और प्रादेशिक परिषद् को भू-राजस्व के आकलन और संग्रह तथा कुछ विशिष्ट करों को आरोपित करने का अधिकार है।

छठी अनुसूची से संबंधित मुद्दे

- **शक्तियों और प्रशासन का असल विकेंद्रीकरण ना होना:** उदाहरणस्वरूप, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (BTAD) में केवल जिला परिषद् द्वारा ही सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है जो निरंकुश शक्तियों का उपभोग करते हैं।
- **परिषद् पर राज्य का विधायी नियंत्रण:** परिषद् द्वारा निर्मित विधियों को राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, छठी अनुसूची के पैरा 12(A) में उपबंधित है कि जब भी जिला परिषद् और राज्य विधान-मंडल के मध्य हितों का टकराव होगा तो राज्य विधान-मंडल ही अभिभावी होगा।
- **रुढ़िजन्य विधियां संहिताबद्ध नहीं हैं:** जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रुढ़िजन्य विधियों को संहिताबद्ध करने और व्यावहारिक रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता है।
- **कुशल पेशेवरों का अभावः** लगभग सभी परिषदों की कुशल नियोजित पेशेवरों तक पहुंच नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उचित तकनीकी एवं वित्तीय विमर्श के बिना विकास परियोजनाओं की अनौपचारिक कल्पना की जाती है।
- **वित्तीय निर्भरता**: स्वशासी परिषद, विशेष पैकेज के अतिरिक्त धन के लिए संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करती है। जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों को धनराशि प्रदान करने की रीति की अनुशंसा करने के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना नहीं की गई है।
- **अन्य मुद्दे:** विकास का अभाव,भ्रष्टाचार आदि।

आगे की राह

- सभी क्षेत्रों में **निर्वाचित ग्राम परिषद् का गठन** तथा ग्राम सभा के प्रति ग्राम परिषद् की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा **नियमित निर्वाचन** सुनिश्चित करना।
- विधि के अंतर्गत ग्राम सभा को मान्यता प्रदान करना तथा इसकी शक्तियों व कार्यों का उल्लेख करना।
- यह सुनिश्चित करना **कि महिलाएं एवं अन्य जातीय अल्पसंख्यक** परिषद के प्रतिनिधित्व से वंचित न रहें।
- विकासात्मक कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन तथा निगरानी में **पारदर्शिता लाना।**

2.6. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act (GNCTD), 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021** या **GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021** पारित किया गया है।

इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों?

- वर्ष 2021 के अधिनियम के माध्यम से **GNCTD अधिनियम, 1991 में संशोधन किए गए हैं।** इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली विधान सभा एवं उपराज्यपाल (LG) को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप कुछ शक्तियां एवं दायित्व प्रदान किए गए हैं।
- केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि नियमों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1991 के अधिनियम में कोई संरचनात्मक व्यवस्था नहीं थी।
  - **GNCTD अधिनियम, 1991 में इस उपबंध को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं थी कि किस प्रकार के प्रस्ताव या विषयों** को कोई आदेश जारी करने से पूर्व उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना है।
- केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि यह संशोधन **"माननीय उच्चतम न्यायालय की उस व्याख्या को प्रभावी बनाने के लिए** किया गया है, जो उसने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र बनाम भारत संघ वाद, 2018 में निर्धारित की थी।"

GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बारे में

विनिर्देश	GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2021	उच्चतम न्यायालय का निर्णय
"सरकार" (government) का अर्थ	• विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में "सरकार" शब्द का अर्थ उपराज्यपाल (L-G) होगा।	• उपराज्यपाल, उन मामलों पर मंत्रि-परिषद् की सहायता और परामर्श के लिए बाध्य है, **जो प्रत्यक्ष रूप से उपराज्यपाल के नियंत्रण में नहीं हैं।**
कार्यकारी आदेशों पर उपराज्यपाल की सहमति	• मंत्रिमंडल या किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णयों पर **किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पूर्व उपराज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा।**	• **पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी** मामलों को छोड़कर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। • परंतु, **मंत्रि-परिषद् के निर्णयों से** उपराज्यपाल **को अवगत कराना होगा।**

इस अधिनियम के अन्य प्रावधान

- **निर्वाचित सरकार और नियम बनाने की शक्ति:** विधान सभा स्वयं को या उसकी समितियों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार करने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में जांच करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कोई नियम नहीं बनाएगी। **GNCTD अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने से पहले बनाया गया कोई भी नियम जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, 'शून्य' होगा।**
- **विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर उपराज्यपाल की सहमति:** उपराज्यपाल ऐसे किसी विधेयक को स्वीकृति नहीं देगा और उसे विचार के लिए राष्ट्रपति को नहीं भेजेगा, जो "संयोग से विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर के मामले को कवर करता है।" उपराज्यपाल के पास

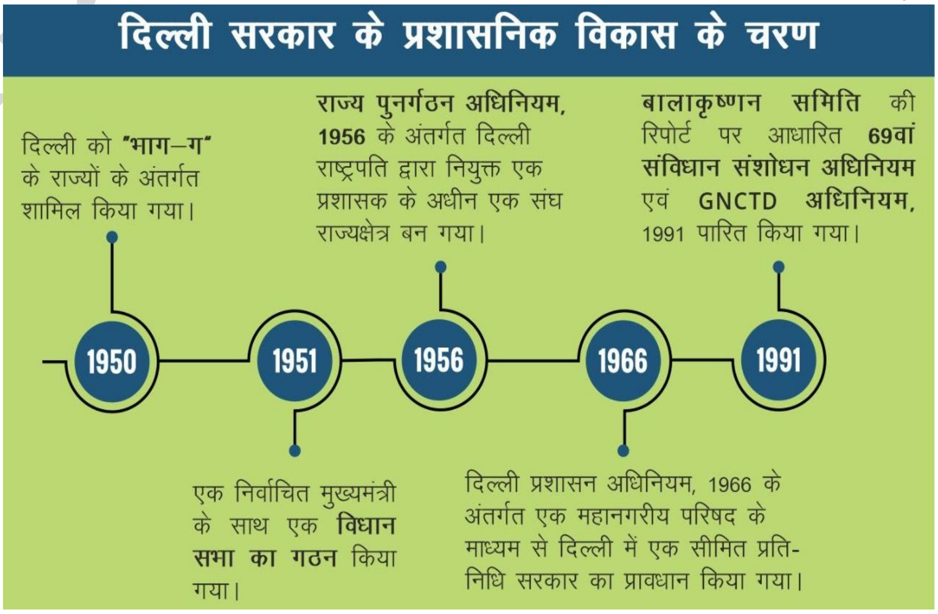

अनुच्छेद 239AA (4) के तहत राष्ट्रपति को, कोई भी मामला, जिस पर निर्वाचित सरकार के साथ असहमति है, संदर्भित करने की शक्ति है।

इस कानून से संबंधित मुद्दे

- **सत्ता का केंद्रीकरण:** यह अधिनियम वास्तविक शक्तियों को प्रतिनिधि सरकार के बजाय नामनिर्देशित L-G में निहित करने का पक्षधर है।
- **सरकार के प्रतिनिधिक रूप को कम करता है:** L-G (जो सरकार का पर्याय होगा) के लिए विधान सभा द्वारा पारित किसी अधिनियम को लागू करने या सदन के निर्देशों का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
- **सहकारी संघवाद के विरुद्ध:** यह कानून न केवल सहकारी संघवाद के विरुद्ध है, बल्कि वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है।
- **उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध: पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वाद, 2002** में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि विधायिका के पास न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करने की शक्ति नहीं है। यह केवल उस आधार में परिवर्तन कर सकती है, जिस पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था और एक सामान्य कानून बना सकती है।
- **विधायी अव्यवस्था:** दिल्ली की निर्वाचित सरकार को L-G की राय के लिए अंतहीन समय तक प्रतीक्षा करनी होगी और वह अपने निर्णयों को निष्पादित नहीं कर सकेगी। इस प्रकार से निर्वाचित सरकार निष्क्रिय हो जाएगी।
- **अधिनियम का त्वरित रूप से पारित होना:** इस अधिनियम को अति शीघ्रतापूर्वक पारित किया गया है। इसे चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अनुच्छेद 239AA
• **69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991** द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239AA का समावेश किया गया था। इसमें दिल्ली को सभी संघ राज्यक्षेत्रों में एक विशिष्ट दर्जा प्रदान किया गया है। दिल्ली में विधानसभा और मंत्री-परिषद् का सृजन किया गया है। यह मंत्री-परिषद् विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। • दिल्ली की विधान सभा को **लोक व्यवस्था, पुलिस** और **भूमि** (इस संबंध में विधि निर्माण करने की शक्ति संघ सरकार को प्राप्त है) को छोड़कर सभी विषयों पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। • **राज्य सूची व समवर्ती सूची के शेष मामलों** (जहां तक कि ऐसा कोई मामला संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होता है) के लिए विधान सभा को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र हेतु विधान निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

आगे की राह

- **सहमति आधारित दृष्टिकोण:** अधिनियम को चयन समिति को प्रेषित किया जा सकता था और कृषि कानूनों की भांति शीघ्रता से पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार के विषयों में सहमति का समावेश संघवाद के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उच्च सिद्धांतों के अनुरूप भी होगा।
- **दिल्ली के लिए मिश्रित संतुलन:** किसी लोकतंत्र में वास्तविक और अधिकांश शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है और वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
    - दिल्ली के विशेष दर्जे एवं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र होने के **मूल सरोकार** को ध्यान में रखते हुए एक **मिश्रित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।**
- **लोकतांत्रिक एवं अन्य सिद्धांतों को बरकरार रखना:** इस अधिनियम को **भागीदारी परक लोकतंत्र, सहकारी संघवाद, सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व** और सबसे बढ़कर संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखना चाहिए।

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022 & 2023
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 28 सितंबर 1 PM
DELHI: 2023 फाउंडेशन कोर्स : 15 DECEMBER
LUCKNOW : 11 January

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
प्रारंभिक
✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट
for PRELIMS 2021: 14 Nov
प्रारंभिक 2022 के लिए 14 नवंबर
PRELIMS 2022 starting from 14 Nov
मुख्य
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र
for MAINS 2021: 14 Nov
मुख्य 2022 के लिए 14 नवंबर
for MAINS 2022 starting from 14 Nov
Scan the QR CODE to download VISION IAS app

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना और कामकाज (Parliament and State Legislatures: Structure and Functioning)

3.1. संसदीय संवीक्षा (Parliamentary Scrutiny)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में पारित कृषि सुधार अधिनियमों के विरोध में किसानों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शनों ने **'कार्यपालिका पर संसदीय संवीक्षा की अप्रभाविता'** को लेकर वाद-विवाद को पुन: आरंभ किया है।

सरकार की संसदीय संवीक्षा के बारे में

संसद, लोगों की इच्छाओं का मूर्त-रूप है। इसलिए, विधायी भूमिका के अतिरिक्त, संसद सरकार के कामकाज की संवीक्षा करने के लिए भी अधिदेशित है। सरकार के कामकाज की गहन और सतत संवीक्षा के लिए संसद के पास विभिन्न उपकरण उपलब्ध हैं।

सरकार की संसदीय संवीक्षा को अप्रभावी बनाने वाले कौन-से कारक हैं?

- **संसद के सत्र की अवधि और समय निश्चित करना सरकार का विशेषाधिकार है:** संविधान के **अनुच्छेद 85 के अनुसार, दो सत्रों के बीच छः माह से अधिक का अंतर नहीं** होना चाहिए। हालाँकि, संसदीय सत्र का निश्चित समय और अवधि, **सरकार (संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति) तय करती है।** सरकार द्वारा संसद की बैठक को आहूत करने के प्रावधान को, **सरकार के संसद के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत** के विरोध में देखा जाता है।
- **प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान:** 16वीं लोक सभा में, प्रश्नकाल का संचालन लोक सभा में इसके लिए निर्धारित कुल समय के 77% के लिए ही किया गया, जबकि राज्य सभा में यह मात्र 47% समय के लिए ही संचालित किया गया। इसके अलावा, संसद की बैठक के कुल दिनों की संख्या (कार्य-दिवसों) में भी गिरावट देखी गई है।
- **विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजने में गिरावट की प्रवृत्ति:** उदाहरण के लिए, जहां संसदीय समितियों द्वारा 14वीं लोक सभा में 60% विधेयकों और 15वीं लोक सभा में 71% विधेयकों की संवीक्षा की गयी थी, वहीं 16वीं लोक सभा में यह **अनुपात घटकर मात्र 27%** रह गया है।

संसद के बैठक के घंटों में गिरावट के अन्य कारण

कारण
- अपनी शिकायतों को सभा के सामने रखने के लिए अपर्याप्त समय के कारण सांसदों में असंतोष।
- अनुत्तरदायी सरकार और विपक्ष के प्रति ट्रेजरी बेंच का असंवेदनशील व्यवहार।
- राजनीतिक दल संसदीय मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं तथा अपने सदस्यों को अनुशासित कर रहे हैं।
- विधायिका के नियमों के तहत कामकाज में बाधा डालने वाले सांसदों के खिलाफ त्वरित और ठोस कार्रवाई का अभाव।
- स्थायी समितियों ने सदन के बाहर वाद–विवाद को बढ़ावा दिया है।
- बैठक का समय संविधान या सदनों के नियमों द्वारा निर्धारित नहीं है।
- कोविड–19 महामारी ने दो सत्रों में कटौती की है।

संसदीय संवीक्षा की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

- **मिश्रित बैठक:** अप्रत्याशित बाह्य कारकों (जैसे कि वर्तमान वैश्विक महामारी) के कारण वर्चुअल और फिजिकल ढंग से संसद की बैठकों को आयोजित किया जा सकता है।
- **संसद को स्वयं बैठक को आहूत करना चाहिए:** संसद के पास अपनी प्रक्रिया, बैठकों और समय को विनियमित करने की शक्ति होनी चाहिए, न कि सरकार के पास।
- **सत्रों के लिए वार्षिक कैलेंडर का निर्धारण:** यूनाइटेड किंगडम (UK) और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश, वर्ष की शुरुआत में ही बैठक की तिथियों का पूर्व-निर्धारण कर एक वार्षिक कैलेंडर जारी करते हैं। भारत की संसद द्वारा भी इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा सकता है।

- **बैठकों की न्यूनतम संख्या निश्चित की जानी चाहिए: संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग** (National Commission to Review the Working of the Constitution) ने अनुशंसा की है कि **लोक सभा में एक वर्ष में कम से कम 120 बैठकें होनी चाहिए, जबकि राज्य सभा में कम से कम 100 बैठकें होनी चाहिए।**
- **छाया मंत्रिमंडल (Shadow cabinet):** संसद में सरकार की जवाबदेही में सुधार लाने के लिए, कुछ देशों, जैसे- **ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष एक छाया मंत्रिमंडल का गठन करता है।**
- **दल-परिवर्तन अधिनियम के कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करना:** यद्यपि, वर्ष 1992 के **किहोतो होलोहोन बनाम जाचिल्हू वाद** में उच्चतम न्यायालय ने दल-परिवर्तन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा था, तथापि इसने उन मामलों में अनर्हता को सीमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, जिनमें संसद/विधान-मंडल सदस्य ने अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान किया है। न्यायालय ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा कि **"इस तरह के प्रावधान केवल उन मतदानों तक सीमित होने चाहिए, जो सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं और दल के चुनावी कार्यक्रम से संबद्ध हैं।"** इससे सदस्यों के अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता पर 'अनुचित प्रभाव नहीं' पड़ेगा।

निष्कर्ष

सरकार की संसदीय संवीक्षा, न केवल भारत के लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु, बल्कि प्रस्तावित विधेयकों या अधिनियमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण है। संसदीय संवीक्षा के उपकरणों को सुदृढ़ करने से कार्यान्वयन संबंधी संभावित चुनौतियों को कम करने में दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है।

3.2. दल बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मध्य प्रदेश विधान सभा के 22 बागी सदस्यों ने अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप दिया, जिससे राज्य के सत्तारुढ़ दल के समक्ष बहुमत संबंधी संकट उत्पन्न हो गया और इस प्रकार, मध्य प्रदेश में सरकार के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ज्ञातव्य है कि इस संपूर्ण प्रकरण में दल बदल विरोधी क़ानून की अवहेलना की गई है।

दल बदल विरोधी कानून के बारे में

दल बदल विरोधी कानून

- **दसवीं अनुसूची** को दल बदल विरोधी या दल परिवर्तन–रोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1985 में **52वें संविधान संशोधन अधिनियम** द्वारा अंतःस्थापित किया गया था।
- इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत दल परिवर्तन करने वाले विधायकों/सांसदों को **सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा दायर याचिका के आधार पर** पीठासीन अधिकारी के विनिश्चयाधीन निरर्ह घोषित किया जा सकता है।
- इस कानून का उद्देश्य विधायकों/सांसदों के दल परिवर्तन संबंधी प्रयासों पर प्रतिबंध आरोपित कर एक **स्थिर सरकार** प्रदान करना है।
- यह कानून **संसद और राज्य विधान मंडलों दोनों पर लागू** होता है।

दल बदल विरोधी कानून के तहत निरर्हता

- **सदस्यः**
  - यदि सदस्य **स्वेच्छा** से दल की सदस्यता का त्याग कर देते हैं, तो उन्हें निरर्ह घोषित कर दिया जाएगा।
  - यदि कोई विधायक/सांसद अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है और उसकी कार्रवाई को उसके दल द्वारा क्षमा नहीं किया गया है, तो उसे निरर्ह घोषित किया जा सकता है।
- **निर्दलीय सदस्यः** वह सदन का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो जाता है, यदि वह निर्वाचन के उपरांत किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- **नाम–निर्देशित सदस्यः** ऐसा कोई सदस्य यदि सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से छह माह की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है, तो वह निरर्ह घोषित हो जाता है।

इस कानून के तहत अपवाद

- कुछ परिस्थितियों में सदस्य निरर्हता के जोखिम के बिना अपना राजनीतिक दल परिवर्तित कर सकते हैं:
  - यदि किसी दल के **दो–तिहाई विधायक/सांसद उक्त दल के किसी अन्य में विलय के लिए सहमत** हैं, तो वे निरर्ह नहीं होंगे।
  - यदि कोई व्यक्ति **लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के रूप में या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य विधान परिषद के सभापति के रूप में चयनित हो जाता** है, तो वह अपने दल से त्यागपत्र दे सकता है और उस पद के निर्वहन के उपरांत पुनः अपने दल में शामिल हो सकता है।

दल बदल विरोधी में समग्र सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **वैध असहमति के लिए कोई स्थान नहीं:** यह कानून प्राय: एक विधायक/सांसद को उसके अंतःकरण, विवेक, स्व-निर्णय और अपने मतदाताओं के हितों के अनुरूप मतदान करने से रोकता है, क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अधिकांश मुद्दों पर अपने सदस्यों की राय जाने बिना उसे मतदान करने हेतु निर्देश जारी करते हैं।
  - कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह कानून **केवल उन मतों के लिए मान्य होना चाहिए**, जो सरकार की स्थिरता (वार्षिक बजट या अविश्वास प्रस्ताव) को प्रभावित करते हैं।
- **विविध प्रकार से व्याख्या:** किसी सदस्य को दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह घोषित करने का प्रथम आधार **उसका दल की सदस्यता को "स्वेच्छा से त्यागना" है।** अत: इस शब्द की व्याख्या के संबंध में स्पष्टता का अभाव है।
- **पीठासीन अधिकारी की संदेहयुक्त स्थिति:** दसवीं अनुसूची ने लोक सभा और राज्य विधान सभा अध्यक्ष को दल परिवर्तन-रोधी कानून के तहत सदस्यों की निरर्हता की मांग करने वाली याचिकाओं पर विनिश्चय करने की निर्विवाद शक्ति प्रदान की है।
  - **किहोतो होलोहन वाद (वर्ष 1992)** में उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि दल परिवर्तन-रोधी कानून के तहत याचिकाओं के अधिनिर्णयन के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा एक अधिकरण के समान न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उनके निर्णय उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायलय की समीक्षा के अधीन होंगे।

- **संसदीय प्रणाली की स्थिरता और एक सशक्त लोकतंत्र हेतु:** हाल के वर्षों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में विधायकों पर इस कानून का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। इससे दलबदल संस्कृति और इसकी स्वीकृति को बल मिला है।

अध्यक्ष का कार्यालय और दलबदल का मुद्दा

- पिछले वर्ष,उच्चतम न्यायालय ने संसद को दल-परिवर्तन कानून के तहत किसी सदस्य की निरर्हता के मामले में, विधान सभा के अध्यक्षों को उनके निर्णयन की अनन्य शक्ति से वंचित करने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए कहा है।
- उच्चतम न्यायालय ने संसद को दसवीं अनुसूची के तहत निरर्ह ठहराए जाने से संबंधित विवादों पर लोक सभा और विधान सभाओं के अध्यक्ष की मध्यस्थता की भूमिका को **एक स्थायी अधिकरण** (जो उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश से मिलकर गठित होगा) से प्रतिस्थापित करने को कहा है।
- उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों से निरर्हता संबंधी याचिका पर **चार सप्ताह में निर्णय करने का आदेश** दिया है।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की **"शासन में नैतिकता"** नामक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में और विभिन्न अन्य विशेषज्ञ समितियों द्वारा सिफारिश की गई है कि सदस्यों को दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्ह ठहराने के मुद्दों के संबंध में निर्णय **राष्ट्रपति/राज्यपाल** द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष की भूमिका में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है?

- **अध्यक्ष के पद की प्रकृति:** चूँकि अध्यक्ष के पद को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, इसलिए अध्यक्ष पुन: निर्वाचित होने के लिए अपने राजनीतिक दल पर निर्भर रहता है। अत: यह स्थिति अध्यक्ष को स्वविवेक के बजाए सदन की कार्यवाही को राजनीतिक दल की इच्छा से संचालित करने का मार्ग प्रशस्त करती है।
- **पद से संबंधित अंतर्निहित विरोधाभास:** उल्लेखनीय है कि जब अध्यक्ष किसी विशेष राजनीतिक दल से या तो नाममात्र (डी ज्यूर) या वास्तविक (डी फैक्टो) रूप से संबंधित होता है तो उस स्थिति में एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के तौर पर उसे (अध्यक्ष) निरर्हता संबंधी याचिकाएं सौपना युक्तिसंगत और तार्किक प्रतीत नहीं होता।
- **दल-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत, निरर्हता के संबंध में, अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले निर्णय से संबंधित विलंब पर अंकुश लगाने हेतु:** अध्यक्ष के समक्ष लंबित निरर्हता संबंधी मामलों के निर्णय में विलंब के कारण, प्राय: ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां सदस्यों को अपने दलों से निरर्ह घोषित किए जाने पर भी वे सदन के सदस्य बने रहते हैं।

दल परिवर्तन-रोधी कानून को सुदृढ़ करने के उपाय

- **एक स्वतंत्र वैकल्पिक तंत्र की स्थापना:** हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि संसद को, दल परिवर्तन-रोधी कानून के संबंध में निभाई जाने वाली **अध्यक्ष की भूमिका को एक स्थायी अधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित करने हेतु, संविधान में संशोधन करना चाहिए।** उक्त अधिकरण की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए अथवा एक बाह्य स्वतंत्र तंत्र की स्थापना की जा सकती है, ताकि इस प्रकार के विवादों का तीव्र और निष्पक्ष तरीके से निर्णयन सुनिश्चित किया जा सके।
- **पीठासीन अधिकारी द्वारा निरर्हता संबंधी मामलों के विनिश्चय हेतु समय सीमा का निर्धारण:** उच्चतम न्यायालय के अनुसार "अध्यक्ष या सभापति, दसवीं अनुसूची के तहत अधिकरण के रूप में कार्य करते हुए, एक युक्तियुक्त समयावधि के भीतर निरर्हता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय करने हेतु बाध्य है।"
  - न्यायालय द्वारा आगे यह स्पष्ट किया गया कि जब तक "असाधारण परिस्थितियां" विद्यमान न हो, तब तक पीठासीन अधिकारी द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत निरर्हता संबंधी याचिकाओं का अधिनिर्णयन **तीन माह** के भीतर किया जाना चाहिए।
- **"शासन में नैतिकता" शीर्षक से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट** और विभिन्न अन्य विशेषज्ञ समितियों ने अनुशंसा की है कि दल परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की निरर्हता का मुद्दा **निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा विनिश्चित किया जाना चाहिए।**

3.3. प्रश्नकाल (Question Hour)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के कारण, संसद के विगत मानसून सत्र के दौरान लोक सभा एवं राज्य सभा में प्रश्नकाल और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों को निलंबित कर दिया गया था।

प्रश्नकाल

- यह **संसद की बैठक का प्रथम घंटा** होता है। इस दौरान **संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से सरकारी कार्यकलापों और प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं** तथा इस प्रक्रिया द्वारा उन्हें उनके **मंत्रालयों की कार्यप्रणाली हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है।**

- संसद के **दोनों सदन अपने स्वयं के नियमों का पालन** करते हैं, जो इनके द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किए गए हैं।
- **संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार:**
    - **तारांकित प्रश्न: मौखिक उत्तर**
    - **अतारांकित प्रश्न: लिखित में उत्तर**
    - **अल्प सूचना के प्रश्न:** ये प्रश्न सदन में प्रश्नकाल के उपरांत या कार्यसूची के प्रथम विषय के रूप में पूछे जाते हैं, जहां तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए निर्धारित सूचना से कमतर सूचना पर कोई प्रश्नकाल नहीं होता है।
    - **गैर-सरकारी सदस्यों (private members) हेतु प्रश्न:** यह उस स्थिति में पूछे जाते हैं, जब प्रश्न किसी ऐसे विधेयक, संकल्प या अन्य मामले से संबंधित हो, जिसके लिए कोई गैर-सरकारी सदस्य (लोक सभा में प्रक्रिया के नियमों के नियम 40 और कार्य संचालन नियमों के अनुसार) उत्तरदायी है।
- **आधे घंटे की चर्चा:** जब किसी सदस्य को यह प्रतीत होता है कि किसी **प्रश्न** का **उत्तर पूर्ण नहीं है या वांछित जानकारी प्रदान नहीं करता है या किसी तथ्य पर स्पष्टता की आवश्यकता** है, तो उसे अध्यक्ष/सभापति द्वारा उस विषय को सदन में आधे घंटे की चर्चा में उठाने की अनुमति दी जा सकती है। इसलिए, प्रक्रिया को **'आधे घंटे की चर्चा'** कहा जाता है।

प्रश्नकाल का महत्व

- **यह संसदीय लोकतंत्र के उद्देश्यों को पूर्ण करता है:** संसदीय शासन की मूल अवधारणा यह है कि सरकार या मंत्रिपरिषद संसद (भारत में लोक सभा) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रश्नकाल सरकार को उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए बाध्य करता है।
- **जन जागरूकता का सृजन:** किसी मुद्दे पर एक प्रश्न और चर्चा अधिक से अधिक लोक ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि यह जानकारी राष्ट्र के सुदूर स्थानों तक पहुंचती है।
- **सार्वजनिक नीति में सुधार:** इससे सरकार को नीति की कमियों और खामियों का पता चलता है।
- **न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करना:** प्रभावी संसदीय निरीक्षण, नीतिगत मुद्दों में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकता है। उदाहरण के लिए, **लॉकडाउन से संबंधित कार्यों और प्रवासी श्रमिकों को इससे होने वाली कठिनाइयों** के बारे में सरकार से प्रश्न किए जाने चाहिए थे। हालांकि, इन मामलों उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया, जो नीतिगत विकल्पों को संतुलित करने हेतु अधिकारिता विहीन है।

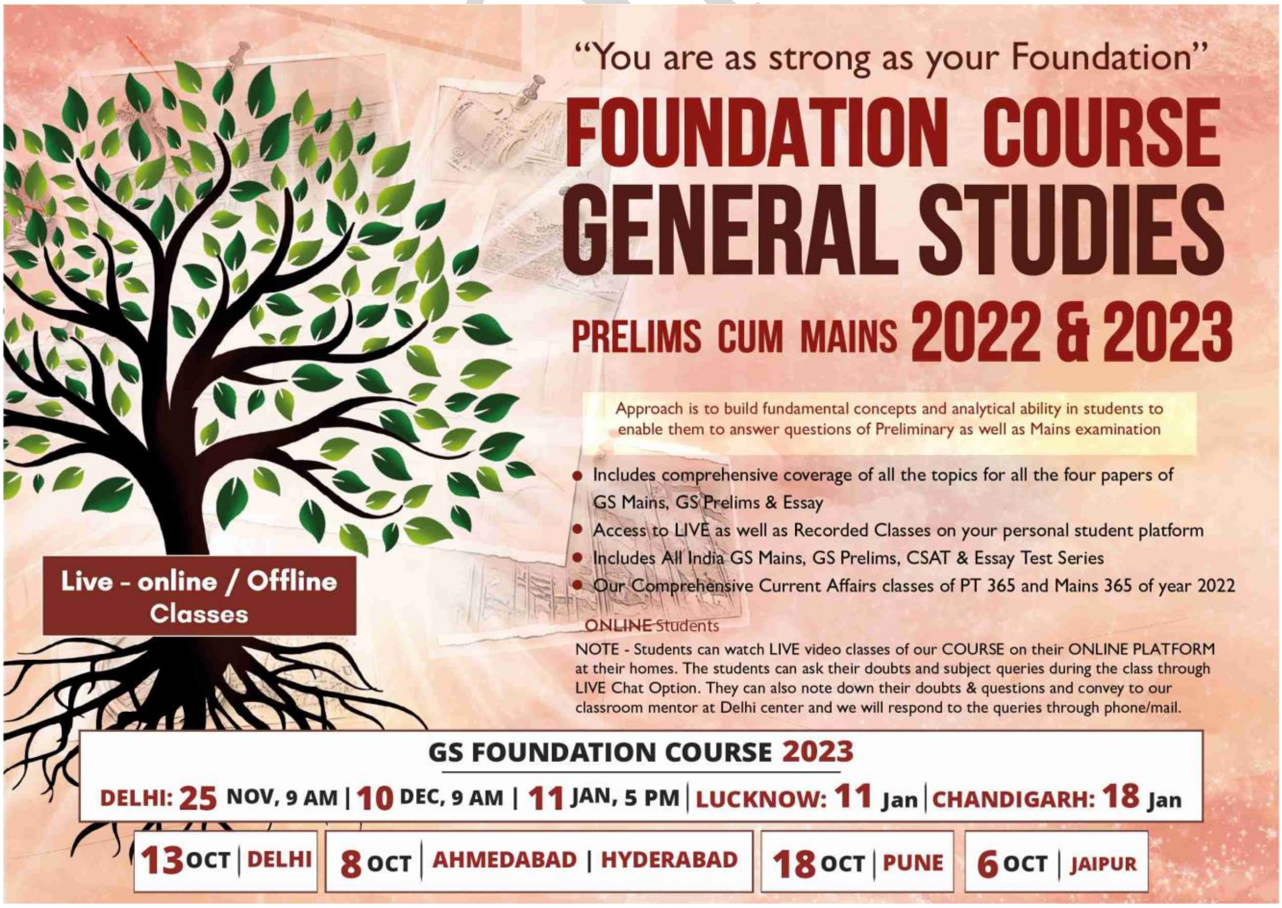

4. विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप (Government Policies and Interventions for Development in various Sectors)

4.1. सहकारिता (Cooperatives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की एक पीठ ने देश में "सहकारी सोसाइटियों" को शासित या नियंत्रित करने वाले **97वें संशोधन अधिनियम के कुछ भाग और संविधान के भाग IXB को निरस्त** कर दिया है।

- **97वां संशोधन अधिनियम:** यह संशोधन अधिनियम देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। संविधान में किए गए इस परिवर्तन के तहत **अनुच्छेद 19(1)(c)** को संशोधित (सहकारिताओं को संरक्षण देने के लिए) तथा इनसे संबंधित **अनुच्छेद 43B** और **भाग IXB** को अंतःस्थापित किया गया है।
  - **अनुच्छेद 19(1)(c):** यह कुछ निर्बंधनों के अधीन **संगम या संघ अथवा सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता** की गारंटी प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 43B:** इसमें उपबंधित किया गया है कि राज्य, सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना (voluntary formation), उनके स्वशासी कार्यकरण (autonomous functioning), लोकतांत्रिक नियंत्रण (democratic control) और पेशेवर या वृत्तिक प्रबंधन (professional management) का संवर्धन करने का प्रयास करेगा।
  - **संविधान का भाग IXB:** इसने सहकारी सोसाइटियों को संचालित करने के लिए शर्तों को निर्धारित किया है। यह एक सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की संख्या या उनके कार्यकाल की अवधि और यहां तक कि सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का निर्धारण करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **"सहकारिता" राज्य सूची का एक विषय है।** हालांकि, 97वें संशोधन अधिनियम को संसद ने **राज्य विधान-मंडलों द्वारा अभिपुष्टि किए बिना** ही पारित कर दिया था, जबकि **संविधान के अनुसार यह अभिपुष्टि अनिवार्य थी।**
- न्यायालय ने घोषित किया है कि **संविधान का भाग IXB केवल तभी तक प्रभावी है जब तक यह** विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में **बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों (Multi-State cooperative societies) से संबंधित है।**
- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि **सहकारी सोसाइटियां, राज्य विधान-मंडलों की "अनन्य विधायी शक्ति" के अंतर्गत आती हैं।**

संवैधानिक या सांविधिक स्थिति

- सहकारी समितियों को भारतीय संविधान के **सातवीं अनुसूची** में उल्लिखित राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
- सहकारी समितियों के गठन को **97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011** के तहत एक मूल अधिकार माना गया है।
- संविधान के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 43–B) के अंतर्गत उल्लिखित **'सहकारिता को बढ़ावा देने के प्रयास' को राज्यों के लिए एक संवैधानिक निर्देश** के रूप में संदर्भित किया गया है।
- **बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002** में भी **एक से अधिक राज्यों के लिए समितियों के पंजीकरण का प्रावधान** किया गया है।

सहकारिता के बारे में

- यह समान आवश्यकताओं वाले **व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ** होता है, जो **साझे आर्थिक लक्ष्यों** और हितों की **प्राप्ति के लिए** एकजुट होते हैं।
- सहकारी समितियों के गठन के माध्यम से, **लोगों को एक समूह के रूप में संगठित** किया जाता है, **उनके व्यक्तिगत संसाधनों को एकत्रित/संग्रहित** किया जाता है तथा **सर्वोत्तम संभव तरीके से उनके उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही, इससे कुछ सामान्य लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयास** किए जाते हैं।
- एक सहकारी समिति में, **लोग अपनी इच्छा के अनुसार समिति से जुड़ सकते हैं** और स्वतंत्र रूप से समिति को छोड़ या समिति का परित्याग कर सकते हैं, **लेकिन वे अपने हिस्से (शेयर) को हस्तांतरित नहीं कर** सकते हैं।
- भारत में **सफल सहकारिताओं** के कुछ उदाहरण हैं- इंडियन कॉफी हाउस, सेल्फ-एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (सेवा) आदि।

सहकारिता आंदोलन का इतिहास

- **1844 ई. में सहकारिता आंदोलन को सर्वप्रथम ब्रिटेन में 28 बुनकरों द्वारा शुरू** किया गया था।

- **1844 ई. में पहली बार रॉबर्ट ओवेन द्वारा "रोचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स" नामक एक सहकारी समिति** का गठन किया गया।
  - इस सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य **बाजार मूल्य से कम कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध कराकर गरीब लोगों को सुरक्षा प्रदान** करना था तथा साथ ही बिचौलियों का उन्मूलन और समिति के सदस्यों को बेहतर सेवाएं भी प्रदान करना था।

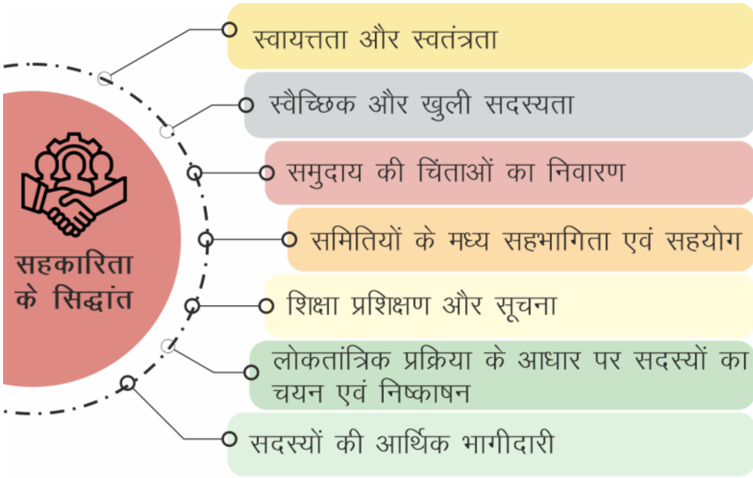

- भारत में, **सर फ्रेडरिक निकोलसन,** जिन्होंने मद्रास अकाल के उपरांत किसानों की समस्याओं के निस्तारण के संदर्भ में एक व्यापक अध्ययन किया। उन्होंने 1895 ई. में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके कारण भारत में सहकारी कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों की स्थापना हुई और **'सहकारी आंदोलन' का मार्ग प्रशस्त** हुआ।
  - इसलिए सर फ्रेडरिक निकोलसन को देश में **'सहकारिता आंदोलन के जनक'** के रूप में संदर्भित किया जाता है।

देश के सामाजिक-आर्थिक परिवेश में सहकारिता का महत्व

- **सामाजिक एकजुटता में वृद्धि:** सामान्यता सामाजिक एकजुटता की सार्वजनिक प्रक्रियाओं में तीसरा पक्ष शामिल होता है। इसके विपरीत सहकारिता एक स्वाभाविक, घनिष्ठ व निजी प्रक्रिया है जिसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होता है। यह सहकारिता में सहयोग को सामाजिक एकजुटता के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप स्थापित करता है।

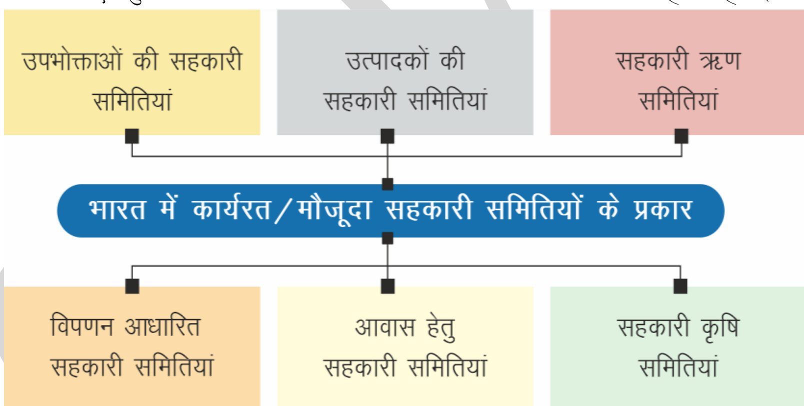

  - **उदाहरण के लिए,** आवासीय सहकारी समितियों द्वारा निवासियों और शहरी आवास नीति के मध्य एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्तर का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस प्रकार यह जमीनी स्तर से जुड़ाव वाली नागरिक भागीदारी के लिए अवसर संबंधी संरचनाएं प्रदान करती हैं।
- **सामाजिक सशक्तीकरण:**
  - **समान अधिकारों की स्थापना:** सहकारिता के तहत सभी सदस्य आपसी सहयोग के साथ कार्य करते हैं। इसमें शामिल सभी सदस्यों को एक समान माना जाता है और वे अपने अधिकारों के प्रति स्वतंत्र होते हैं। इसलिए यहां "एक व्यक्ति-एक-वोट" प्रणाली प्रचलित है।
  - **निर्धनों की सौदेबाजी करने की शक्ति में वृद्धि:** सहकारिता, लोगों को साझा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
  - **नेतृत्व को बढ़ावा:** सहकारी संस्थाएं अपने नेतृत्व का निर्वाचन लोकतांत्रिक तरीके से करती हैं। इसमें सदस्य निदेशक मंडल का निर्वाचन सदस्यों के मतदान के माध्यम से होता है।
- **नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा:** सहकारी समितियां अपने सदस्यों को नैतिक सिद्धांतों जैसे एकता, विश्वास, ईमानदारी, व्यवस्था, सहयोग आदि सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये नैतिक सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं।
- **इससे धन संबंध में असमानता की स्थिति में कमी होती है।**
- **इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।**

भारत में सहकारिता के सामने चुनौतियां

- **लोकतांत्रिक भावना का अभाव:** सहकारी समितियों से सुस्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अनुपालन करने की उम्मीद की जाती है। साथ ही, इनके द्वारा निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से समय पर करवाना चाहिए। हालाँकि, निम्नलिखित कारक सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कामकाज को प्रभावित करते हैं:
  - **सरकारी हस्तक्षेप:** सरकार, सहकारी समितियों के लिए वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है और साथ ही, सरकार के पास विभिन्न विनियमों के माध्यम से सहकारी समितियों के कामकाज को विनियमित करने की शक्ति है। इसलिए, समय के साथ सरकार

द्वारा उधार लेने पर प्रतिबंध, गैर-सदस्यों के साथ अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध, धन के निवेश पर प्रतिबंध लगाने से सहकारी समितियों के कुशल प्रदर्शन में बाधा पैदा होती है।

- **सहकारी समितियों का राजनीतिकरण:** कई सहकारी समितियों में समाज के स्थानीय रूप से शक्तिशाली सदस्यों का वर्चस्व होता है, जिनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ होती है।
- **आंतरिक झगड़ा और प्रतिद्वंद्विता:** आंतरिक झगड़ों, प्रतिद्वंद्विता और तनाव के परिणामस्वरूप, सामान्य निकाय (जनरल बॉडी) के सदस्य संगठन के कामकाज में दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं।

- **विषम भौगोलिक पहुँच:**
    - **विकास संबंधी क्षेत्रीय असंतुलन:** पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों में सहकारी समितियां उतनी विकसित नहीं हैं जितनी कि महाराष्ट्र और गुजरात में हैं।
    - **सीमित पहुँच:** सहकारी आंदोलन को इसके कामकाज के संबंध में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण सीमाओं के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा है:
        - **सहकारी समितियों का छोटा आकार:** अधिकतर समितियों में कुछ ही सदस्य होते हैं और इनका परिचालन केवल एक या दो गांवों तक ही सीमित रहता है। इसके परिणामस्वरूप उनके पास सीमित संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिससे उनके लिए अपने साधनों का विस्तार करना और अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार करना मुश्किल हो जाता है।
        - **एकल उद्देश्य वाली सहकारी समितियों का प्रभुत्व:** एकल उद्देश्य के कारण ऐसी सहकारी समितियां सहायता मांगने वाले लोगों के बारे में पूरी तरह से विचार करने में असमर्थ होती हैं। साथ ही, वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का विश्लेषण और समाधान भी नहीं कर पाती हैं।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:** निष्पक्ष लेखापरीक्षा तंत्र का अभाव, विभिन्न स्तरों पर मौजूद सहकारी समितियों के मध्य समन्वय का अभाव आदि।
- **कार्यात्मक कमजोरी:** इसमें इकोनॉमी ऑफ़ स्केल की अनुपस्थिति, कुशल कार्यबल की कमी और पेशेवर क्षमता का अभाव आदि शामिल हैं।

हाल ही में, सहकारिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:

- भारत में सहकारिता आंदोलन को कारगर बनाने के लिए नए **सहकारिता मंत्रालय का गठन:**
    - यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।
        - इस कदम से पहले, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि क्षेत्रक में सहकारी आंदोलन के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग था।
    - **इस मंत्रालय का अधिदेश:**
        - "सहयोग से समृद्धि की ओर" के सपने को साकार करना।
        - देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना।
        - सकारिता के क्षेत्र साधारण नीति और सभी क्षेत्रकों में सहकारिता क्रियाकलापों का समन्वय करना।
        - समुचित नीति, कानूनी और संस्थागत कार्य ढांचा सृजित करना जिससे सहकारिता अपनी क्षमता को हासिल कर सके।
        - सहकारी समितियों का निगमीकरण, विनियमन तथा समापन ताकि ये एक ही राज्य में सीमित न रह जाएं। यह बहु-राज्य सहकारिता सोसायटी अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन को भी देखेगा।
        - सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण।
- **बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020:** यह RBI को सहकारी बैंकों के बोर्डों को अधिक्रमित (उनकी जगह लेने की) करने की शक्ति प्रदान करता है तथा लोक हित में उनके विलय एवं अधिग्रहण को सक्षम बनाता है।

आगे की राह

- **संरचनात्मक सुधार:**
    - कमजोर और अक्षम सहकारी समितियों को समाप्त कर उन्हें **मजबूत और कुशल सहकारी समितियों में मिला देना** चाहिए।
    - **बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को बढ़ावा** देना चाहिए।
- **सहकारी बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए विधायी सुधार:** नरसिम्हम समिति ने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही सुझाव दिया था कि अनुबंधों में शामिल पक्षकारों के अधिकारों और देनदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए एक कानूनी ढांचा होना चाहिए। इससे विवादों का त्वरित समाधान हो सकेगा और यह वित्तीय मध्यस्थता और सहकारी बैंकिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं।
- **कामकाज में पूरी पारदर्शिता:**
    - सहकारी समितियों को **सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में** लाया जा सकता है।

- सहकारी समितियों के निदेशक बनने के लिए **पात्रता मानदंड में हर साल संपत्ति की घोषणा का अनिवार्य प्रावधान** शामिल किया जा सकता है।
- किसी भी वित्तीय मामले से निपटने वाले व्यक्तियों की टीका/टिप्पणियों आदि के साथ **सभी दस्तावेज सोसायटी की वेबसाइट पर अपलोड** किए जा चाहिए ।

निष्कर्ष

सहकारी समितियों की सफलता का अर्थ होगा भारत के हाशिए पर पड़े वर्ग विशेषकर ग्रामीण भारत के लिए सर्वोत्तम आशा की सफलता। इसलिए, सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करके और कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावना को ख़त्म कर, सहकारी समितियों के स्वायत्त और लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करना आवश्यक है। हमें जवाबदेही, सदस्यता लोकतंत्र और स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क के साथ साझेदारी के साथ अधिक विकेंद्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

4.2. भारत में गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन (Regulation of NGO's in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त धन पर निगरानी और सख्त कर दी है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- इस संबंध में गृह मंत्रालय (MHA) ने दिशा-निर्देशों और चार्टर की एक अनुक्रमणिका प्रस्तुत की है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि **गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organisations: NGOs) और बैंक** संशोधित **विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 {Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA)}** के नए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- बैंकों के लिए चार्टर में यह प्रावधान किया गया है कि "NGOs द्वारा किसी भी विदेशी स्रोत से भारतीय रुपये में प्राप्त दान", भले ही वह स्रोत ऐसे दान के समय भारत में स्थित हो, को "विदेशी अभिदाय" (Foreign Contribution) के रूप में माना जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान किया गया है कि विदेशी अभिदाय (अर्थात् अंशदान या फण्ड), केवल **बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही प्राप्त करना** होगा और NGOs या बैंक द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर FCRA के दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।

गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और उनका महत्व

- **परिभाषा:** NGOs को **विश्व बैंक द्वारा एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है,** जो पीड़ितों को राहत प्रदान करने, निर्धनों के हितों को प्रोत्साहित करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने या सामुदायिक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं।
- **विधिक स्थिति:** ये ट्रस्ट (न्यास), सोसाइटी या प्राइवेट लिमिटेड गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में **पंजीकृत** होते हैं।
- **संवैधानिक रूप से गैर-सरकारी संगठन निम्नलिखित प्रावधानों** द्वारा समर्थित हैं:
  - **अनुच्छेद 19(1)(c),** संघों (एसोसिएशन) के गठन का अधिकार देता है,
  - **अनुच्छेद 43 (B),** सहकारी सोसाइटियों को बढ़ावा देता है,
  - **समवर्ती सूची** में धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक विन्यास (religious endowments) एवं धार्मिक संस्थानों का उल्लेख है।

गैर-सरकारी संगठनों को विनियमित करने की क्या आवश्यकता है?

- **विदेशी धन के दुरुपयोग पर निगरानी रखने के लिए:** सरकारें **विदेशी धन** के दुरुपयोग पर निगरानी रखने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि यदि इस पर निगरानी नहीं रखी गई, तो **यह देश की संप्रभुता में बाधक हो सकती है।** साथ ही, ऐसे **विदेशी धन का उपयोग भारत में नीति और राजनीतिक संवाद को प्रभावित करने** के लिए किया जा सकता है।
  - इस कारण से, सरकार ने FCRA के तहत पंजीकृत 14,500 गैर-सरकारी संगठनों पर विदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंध लगा दिया है।
- **गैर-अनुपालन:** अनेक NGOs सरकार के नियमों एवं विनियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। 10% से कम NGOs ने ही नियमों का अनुपालन किया है और 90% से अधिक NGOs अपना तुलन-पत्र (Balance Sheet) प्रस्तुत नहीं करते हैं।
- **विकास परियोजनाओं में बाधक होने का आरोप:** आसूचना (इंटेलिजेंस) ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों से प्रति वर्ष भारत को GDP के लगभग 2-3% की हानि होती है।

VISION IAS

- **धार्मिक और सांस्कृतिक अतिक्रमण:** उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने धार्मिक रूपांतरण या धर्म-परिवर्तन के आरोप के कारण "कंपैशन इंटरनेशनल" पर बिना अनुमति के भारतीय NGOs के वित्त-पोषण पर रोक लगा दी है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे

- **निधियों तक पहुँच में बाधा:** नए नियमों के लागू होने से, कई NGOs विदेशी धन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वह योजना, जिसके माध्यम से वे दान दाता एजेंसियों और बड़े NGOs से इन निधियों को प्राप्त करते हैं, जिसे पुनरानुदान (Regranting) के रूप में जाना जाता है, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार से प्राप्त होने वाले धन पर बढ़ती निर्भरता के कारण, सरकार के विरुद्ध मत प्रकट करने के लिए NGOs की तत्परता कम हो सकती है।

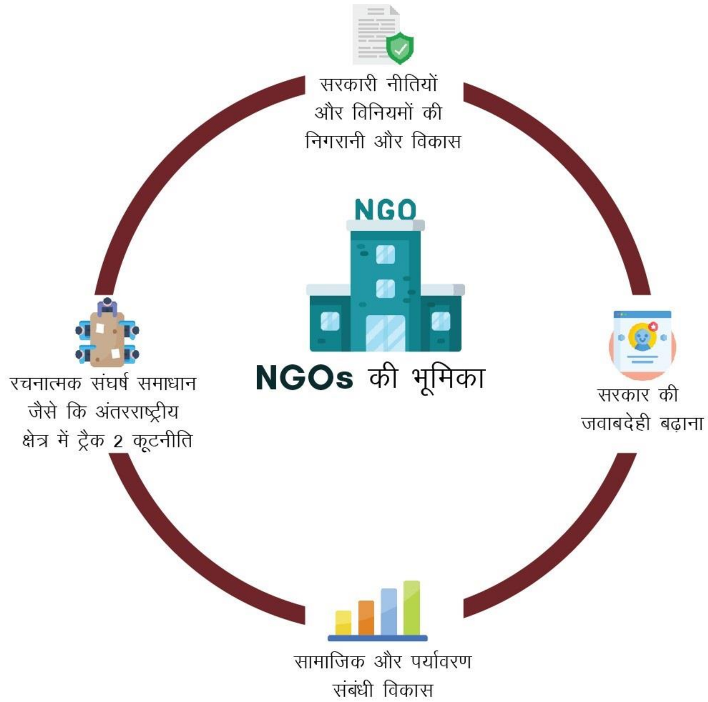

- **विस्तार पर प्रतिबंध:** गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वयं के प्रशासन पर व्यय की जा सकने वाली राशि 50% से घटाकर 20% कर दी गई है। इसका अर्थ यह है कि कई छोटे NGOs पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करने, विशेषज्ञों को नियुक्त करने और अपने विकास के लिए आवश्यक रणनीतियों को लागू करने में सक्षम नहीं होंगे।
- **लेन-देन की बढ़ी हुई लागत और दूरी:** FCRA अधिनियम के अंतर्गत नए नियमों के अनुसार, NGO को भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली स्थित निर्दिष्ट शाखा में एक खाता खुलवाना होगा। यह कई NGOs के लिए एक हजार किलोमीटर से भी अधिक दूर हो सकता है और उनके लेन-देन की लागत को बढ़ा सकता है।
- **समाज कल्याण की योजनाओं के लाभ-वितरण में बाधा:** नए FCRA नियमों के चलते गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन अधिक कठोर हो जाएगा, जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के लाभ-वितरण में समस्याएं आएंगी।
- **NGOs का प्रत्यायन: राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council)** के लिए यह अंतर करना बहुत कठिन है कि क्या कोई संगठन किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए काम करना चाहता है या केवल सरकारी अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

भारत में गैर-सरकारी संगठनों के विनियमन के बारे में प्रावधान

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 {Foreign Exchange Management Act (FEMA)}, 1999:** कुछ गैर-सरकारी संगठन FEMA के तहत पंजीकृत हैं। ये NGOs भारत में विभिन्न संगठनों को विदेशी धन वितरित करते हैं।
  - FEMA को **वित्त मंत्रालय** द्वारा विनियमित किया जाता है। इसे बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से **विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किया** गया था।
  - हालांकि, NGOs को दान की गई विदेशी निधियों की निगरानी के लिए **गृह मंत्रालय** के अंतर्गत **FCRA** नामक एक पृथक कानून मौजूद है।
- **विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 (FCRA):** भारत में **स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी वित्त-पोषण को FCRA** के तहत विनियमित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्तकर्ता ने उस धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है, जिसके लिए उसने अंशदान (अभिदाय) प्राप्त किया है।
  - यह **व्यक्तियों या संगठनों** द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून को समेकित करता है।
- **आधिकारिक मान्यता या प्रत्यायन (Accreditation):** भारत सरकार से धन प्राप्त करने के इच्छुक NGOs के पंजीकरण और प्रत्यायन के उद्देश्य से **नीति आयोग** को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
  - **बॉम्बे दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 (Bombay Shops & Establishment Act, 1948):** इस अधिनियम के अंतर्गत

पंजीकृत NGOs को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन प्रदान करना होगा, भले ही वहां कर्मचारियों की संख्या कुछ भी हो।

- **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005:** सरकार से पर्याप्त वित्त-पोषण प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन, RTI अधिनियम के अंतर्गत जनता को जानकारी या सूचना देने के लिए बाध्य हैं।

आगे की राह

- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षाविदों, सक्रियता वादियों (activist), सेवानिवृत्त नौकरशाहों से युक्त एक **राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council)** की स्थापना की जानी चाहिए।
- सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालने की बजाय कुशलतापूर्वक उन योजनाओं के लाभ वितरित करने के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।
- प्रभावी तरीके से कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के **नियामकों की भूमिका न्यायोचित, पारदर्शी, गैर-पक्षपाती (निष्पक्ष) तथा राजनीतिक प्रभाव से मुक्त** होनी चाहिए। इससे जनता में नियामक और गैर-सरकारी संगठनों दोनों के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि संभव हो सकेगी।

4.2.1. विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 {Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020** पारित किया गया।

इस संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- इससे पूर्व, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपनी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि देश भर में **पंजीकृत 29 लाख गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) में से 10 प्रतिशत से भी कम अपनी वार्षिक आय और व्यय का विवरण** दर्ज कराते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन सक्रिय रूप से विकास परियोजनाओं को बाधित करते हैं, जिसके कारण प्रतिवर्ष 2-3 प्रतिशत GDP संवृद्धि प्रभावित हो रही है।
- **इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित उद्देश्य हेतु FCRA में संशोधन किए गए हैं:**
  - **गैर-सरकारी संगठनों को विनियमित करने** और उन्हें अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाना।
  - विदेशी निधियों द्वारा समर्थित **धर्मांतरण को नियंत्रित** करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि **विदेशी धन का उपयोग राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध या देश विरोधी गतिविधियों हेतु** तो नहीं किया जाता है।
- यह विधेयक **विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 {Foreign Contribution (Regulation) Act: FCRA}** में संशोधन करता है।
  - यह अधिनियम व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा **विदेशी अंशदान (अभिदाय) की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित** करता है।

संशोधन द्वारा किए गये प्रमुख प्रावधान

- **निषेध श्रेणी का विस्तार:** इस संशोधन के तहत पहले से मौजूद श्रेणियों (जैसे चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार, समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, आदि) के अलावा सरकारी कर्मचारियों को भी किसी भी विदेशी अंशदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- **किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर प्रतिबंध:** हालांकि, मौजूदा अधिनियम के तहत विदेशी अंशदान के हस्तांतरण की अनुमति है, लेकिन केवल ऐसे व्यक्ति को जो विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए पंजीकृत हैं।
- **पूर्व अनुमति, पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए पहचान प्रमाण:** ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने सभी पदाधिकारियों, निदेशकों आदि की आधार संख्या प्रदान करनी होगी। विदेशी होने के मामले में, उन्हें पहचान के लिए पासपोर्ट या OCI कार्ड की एक प्रति प्रदान करनी होगी।

- **FCRA खाता:** संशोधन में वर्णित है कि विदेशी अंशदान **बैंक द्वारा 'FCRA खाते' के रूप में** निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया जा सकता है। यह खाता केवल भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की शाखा में ही खोला जा सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- **विदेशी अंशदान के उपयोग में प्रतिबंध:** संशोधन के अनुसार, यदि विदेशी अंशदान को स्वीकार करने वाला व्यक्ति **अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने का दोषी** पाया जाता है, तो सरकार **संक्षिप्त जांच (summary inquiry) , या ऐसी किसी लंबित जांच के आधार पर** ऐसे व्यक्तियों के लिए **अप्रयुक्त विदेशी अंशदान के उपयोग को भी प्रतिबंधित** कर सकती है।
- **लाइसेंस के नवीनीकरण से पहले जांच-पड़ताल:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति ने अधिनियम में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है।
- **प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग में कमी:** संशोधन के तहत, कोई व्यक्ति जो विदेशी अंशदान प्राप्त करता है, उसे प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अंशदान के 20% से अधिक का उपयोग नहीं करना चाहिए (मौजूदा अधिनियम में यह सीमा 50% है)।
- **पंजीकरण के निलंबन की अवधि में वृद्धि:** इसके तहत, सरकार किसी व्यक्ति के पंजीकरण को 360 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर सकती है (मौजूदा अधिनियम के तहत यह 180 दिन है)।

FCRA में संशोधन के संदर्भ में चिंता

- **वित्तीयन तक पहुंच का अभाव:** कई NGOs विदेशी निधियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस योजना के तहत वे **अनुदानकर्ता एजेंसियों और बड़े NGOs** से ये निधियां प्राप्त करते हैं, जिसे **पुनरानुदान (regranting)** के रूप में जाना जाता है, को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- **अन्वेषण पर प्रतिबंध:** प्रशासनिक खर्चों को कम करने से गैर-सरकारी संगठन पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त करने, विशेषज्ञों को नियुक्त करने और उन रणनीतियों को क्रियान्वित करने में असमर्थ होंगे, जिनकी NGOs के विकास हेतु आवश्यकता होती है।
- **आधार की बाध्यता के कारण निजता संबंधी चिंता:**आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, व्यक्तिगत आधार डेटा की अधिक से अधिक गोपनीयता सुनिश्चित करने और सरकारों की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया था, जबकि **संशोधन के तहत आधार की अनिवार्यता इस निर्णय का उल्लंघन** करती है।
- **सामाजिक कल्याण योजनाओं के वितरण में बाधा:** शिक्षा, स्वास्थ्य व लोगों की आजीविका के क्षेत्रों में इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि NGOs इन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए अंतिम व्यक्ति तक संयोजकता प्रदान करते हैं।

आगे की राह

जिस प्रकार **नागरिक समाज संगठन (civil society organisations)** दूसरों से जवाबदेही की अपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार उनका भी नैतिक दायित्व है कि वे स्वयं को जवाबदेह और पारदर्शी बने एवं उच्चतम मानकों का अनुपालन करें। हालांकि, **विनियमन को उनकी कार्यशैली की स्वतंत्रता के साथ संतुलित होना** चाहिए। कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

- **विजय कुमार समिति की अनुशंसाएं:**
  - गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में **आयकर अधिनियम** और **FCRA** के प्रयोज्य प्रावधानों के निर्बाध संचालन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जाए।
  - NGO का विवरण उपलब्ध डेटाबेस जानकारी के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की अनुशंसाएं:**
  - FCRA को विकेंद्रीकृत और राज्य सरकारों/जिला प्रशासन को प्रत्यायोजित कर दिया जाना चाहिए।

कानून की **व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या और इसके संभावित दुरुपयोग** से बचने के लिए विधायिका के उद्देश्य व स्वयंसेवी क्षेत्रक की कार्यप्रणाली के मध्य उत्तम संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

ENGLISH Medium | 12 Nov 1 PM
हिन्दी माध्यम | 16 Nov 1 PM
फैकल्टी द्वारा टेस्ट रणनीति एवं तनाव प्रबंधन पर विशेष सेशन
द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड–वार बुकलेटस (ऑनलाइन स्टूडेंटस के लिये मेटेरियल केवल सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।
लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
जनवरी
फरवरी
मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितंबर
अक्टूबर
नवंबर
दिसंबर
MAINS 365
1 वर्ष का
समसामयिक घटनाक्रम
केवल 60 घंटे में
Scan the QR CODE to download VISION IAS app

मासिक समसामयिकी रिवीजन 2022
सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)
प्रवेश प्रारम्भ
इन कक्षाओं का उद्देश्य जटिल समसामयिकी मुद्दों, जिन्हें कवर करने की अपेक्षा उम्मीदवारों से की जाती है, की एक विस्तृत विषय–वार समझ विकसित करना है।
तमाम समसामयिक मुद्दों की सर्वाधिक अद्यतित प्रासंगिक समझ, जिसमें भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, शासन (गवर्नेंस), अर्थव्यवस्था, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विविध विषयों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ सम्मिलित हैं।
इस कोर्स (लगभग 60 कक्षाएं) में विभिन्न मानक स्रोतों, जैसे– द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB, PRS, AIR, राज्य सभा/लोक सभा टीवी, योजना आदि से महत्वपूर्ण सामायिक मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
प्रत्येक टॉपिक के बाद MCQ तथा मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के माध्यम से आपकी समझ का आकलन।
"टॉक टू एक्सपर्ट" के माध्यम से और कक्षा में ऑफलाइन व्याख्यान के दौरान चर्चा और विचार–विमर्श हेतु अवसर।
प्रत्येक पखवाड़े में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। समय–समय पर मेल के माध्यम से शेड्यूल साझा किया जाएगा।
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
ENGLISH MEDIUM also Available

5. विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान (Separation of Powers Between Various Organs Dispute Redressal Mechanisms and Institutions)

5.1. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Power)

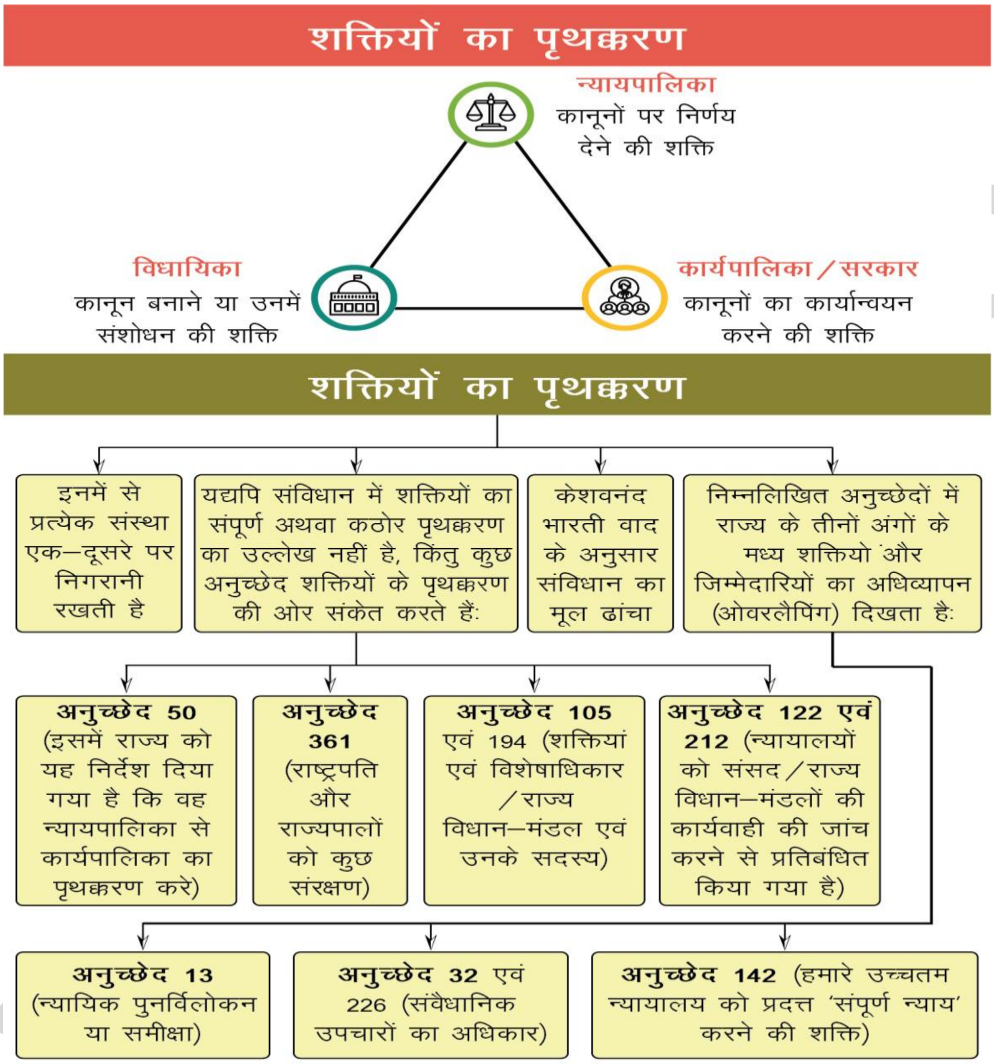

5.2. न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Activism and Judicial Overreach)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन कृषि-कानूनों को लागू किए जाने पर लगाई गई रोक को कई विशेषज्ञों द्वारा न्यायिक सक्रियता/ अतिक्रमण से प्रेरित कृत्य के रूप में देखा जा रहा है।

विवरण	न्यायिक सक्रियता	न्यायिक अतिक्रमण
के बारे में	न्यायिक सक्रियता तब प्रकट होती है, जब उच्चतम न्यायालय (या उच्च न्यायालय) एक एक्टिविस्ट (सक्रियतावादी) की तरह व्यवहार करने लगता है और किसी प्राधिकरण को कार्यवाही के लिए बाध्य करता है तथा कभी-कभी सरकार, सरकार की नीतियों और प्रशासन को भी निर्देशित करता है।	न्यायिक अतिक्रमण, न्यायिक सक्रियता के एक चरम रूप को संदर्भित करता है, जहां न्यायपालिका द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में मनमाने और अनुचित हस्तक्षेप किए जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां न्यायालय कानून बनाकर विधायिका की भूमिका का अतिक्रमण करता है।

उदाहरण	• **सूखे से निपटने के लिए नई नीति** के निर्माण हेतु केंद्र को निर्देश देना; • **बैड लोन अथवा डूबते कर्ज़ पर पैनल स्थापित** करने के लिए केंद्र को निर्देश देना; • **भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (एक निजी निकाय) में सुधार आदि।**	• **कॉलेजियम** (एक संविधानेत्तर निकाय) को संस्थागत रूप प्रदान कर उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को किसी भी भूमिका से वंचित करना। • उच्चतर न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014** को अवैध घोषित करना।

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी कारण

- **शक्ति असंतुलन:** एक प्रकार से उच्चतम न्यायालय शासन-व्यवस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा है। इसका प्रत्येक निर्णय अन्य दो शाखाओं (विधायिका और कार्यपालिका) पर बाध्यकारी होता है और यह उनकी कार्यवाहियों के साथ-साथ उनके द्वारा पारित कानूनों / विधियों को भी निरस्त कर सकता है।
- **जनहित याचिका (Public Interest Litigation: PIL):** PIL ने समाज के किसी भी सदस्य को किसी भी अन्याय के विरुद्ध उचित निर्देशों के लिए मामला दर्ज करने की अनुमति दी है। इस प्रकार, **जनहित याचिका ने लोक प्रशासन में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को एक नया आयाम** दिया है।
- **अन्य अंगों का अरुचिपूर्ण (लापरवाह) दृष्टिकोण:** विधायिका और कार्यपालिका की लचर कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप शासन-व्यवस्था में भ्रष्टाचार, विलंब, गैर-प्रतिक्रियाशीलता या अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ये प्रवृत्तियाँ शासन में एक शून्य (निष्क्रियता) पैदा करती हैं। इस तरह के रिक्त स्थान अधिकांशतः न्यायपालिका द्वारा भरे जाते हैं।
- **अन्य कारकों में शामिल हैं:** अपने अधिकारों के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता, वैश्वीकरण, सक्रिय मीडिया और नागरिक समाज संगठनों तथा पर्यावरण के प्रति चिंता को भी न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक अतिक्रमण के लिए महत्वपूर्ण कारण माना जाता है।

न्यायिक अतिक्रमण को लेकर व्यक्त चिंताएं

न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय ने कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। हालाँकि, कई मामलों में, न्यायपालिका ने अतिरिक्त शक्तियों का उपयोग किया है, जिसे **न्यायिक न्यायनिर्णयन** के रूप में और यहाँ तक कि न्यायिक सक्रियता की साधारण सीमा के भीतर भी नहीं माना जा सकता है। **इस प्रकार के न्यायिक अतिक्रमण ने निम्नलिखित चिंताओं को जन्म दिया है:**

- **शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की उपेक्षा:** संविधान के **अनुच्छेद 142** के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में निहित शक्ति असाधारण प्रकृति की है। न्यायिक आदेश जारी करने के लिए **इस शक्ति का बार-बार उपयोग करना, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है।**
- **विधायिका और कार्यपालिका के सम्मुख मौजूद चुनौतियों की उपेक्षा:** विधायिका और कार्यपालिका का कार्य चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कामकाज 4F अर्थात् निधि (Fund), कार्य (Function), ढांचा (Framework) और पदाधिकारी (Functionary) पर निर्भर करते हैं। कभी-कभी न्यायपालिका इन सभी 4F को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित करती है। इस तरह के आदेश अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जो लोगों के समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए: **कोयला ब्लॉक आवंटन और स्पेक्ट्रम आवंटन** को **रद्द करना** देश के कुछ वित्तीय संस्थानों की दयनीय स्थिति के प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता है।
- **न्यायपालिका में जवाबदेही का अभाव:** एक संस्था के रूप में **न्यायपालिका**, विधायिका और कार्यपालिका के समान **लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है।** इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका के पास 'न्यायालय की अवमानना' के लिए दंडित करने की शक्ति भी है। इस तरह न्यायपालिका अपने कई कृत्यों के लिए सार्वजनिक आलोचना से बच जाती है।
- **इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर संकट उत्पन्न हो सकता है:** न्यायपालिका द्वारा विधायन (विधि-निर्माण) के क्षेत्र में प्रवेश और न्याय प्रदायगी में विलंब या असमर्थता उसकी छवि धूमिल कर सकती है।

आगे की राह

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर **न्यायिक संयम (judicial restraint)** के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसलिए न्यायपालिका को आत्म-संयम बरतना चाहिए और सुपर-लेजिस्लेचर (स्वयं को विधायिका से श्रेष्ठ मानना) के रूप में कार्य करने से बचना चाहिए।
न्यायिक सक्रियता तब तक उचित है, जब तक यह वैध न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत है। हालांकि, यह एक मानक नहीं होना चाहिए और न ही इसे न्यायिक अतिक्रमण के रूप में परिणत होना चाहिए।

VISION IAS

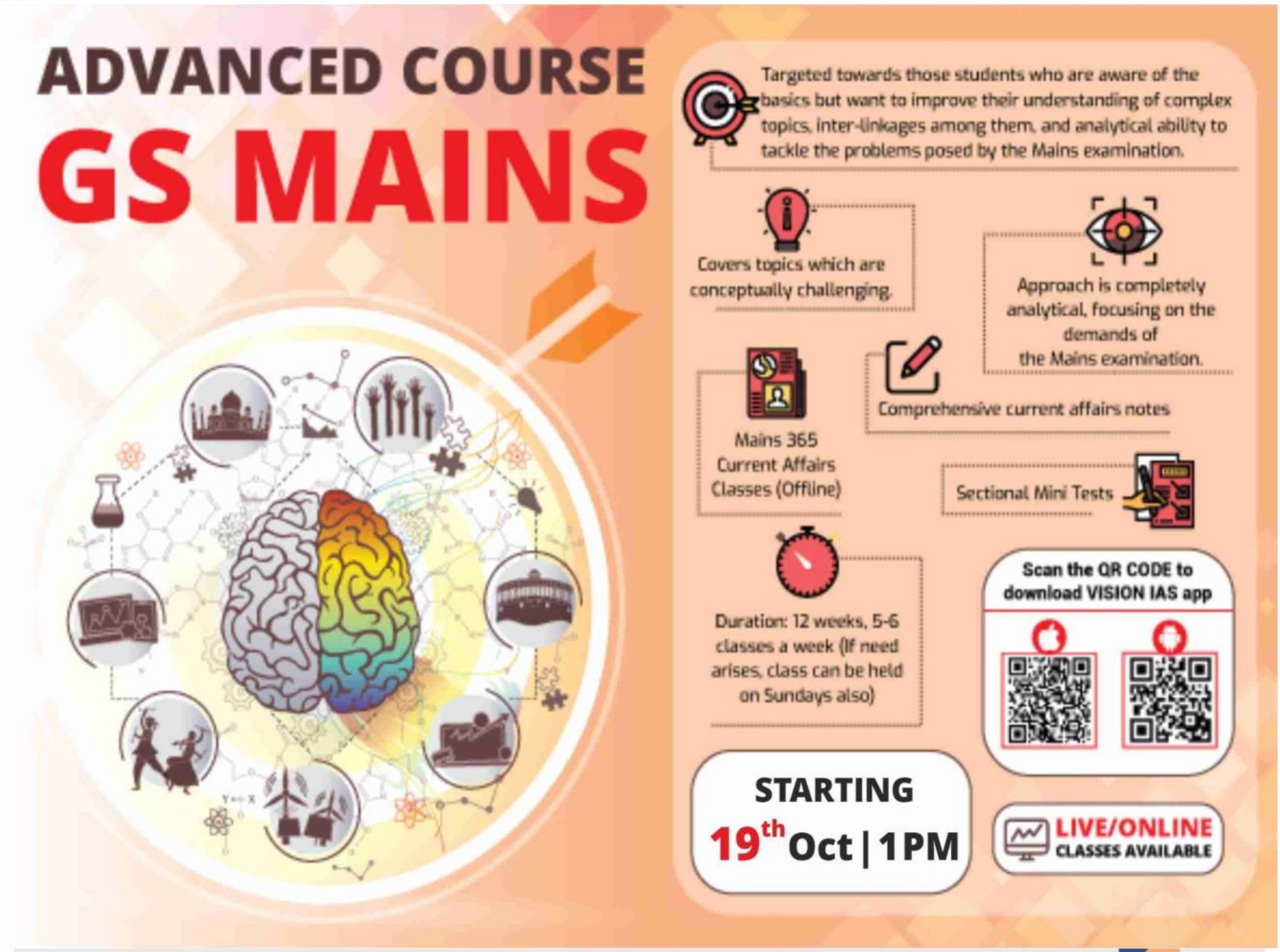
ADVANCED COURSE
GS MAINS
Targeted towards those students who are aware of the basics but want to improve their understanding of complex topics, inter-linkages among them, and analytical ability to tackle the problems posed by the Mains examination.
Covers topics which are conceptually challenging.
Approach is completely analytical, focusing on the demands of the Mains examination.
Comprehensive current affairs notes
Mains 365 Current Affairs Classes (Offline)
Sectional Mini Tests
Duration: 12 weeks, 5-6 classes a week (If need arises, class can be held on Sundays also)
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
STARTING
19th Oct | 1PM
LIVE/ONLINE CLASSES AVAILABLE

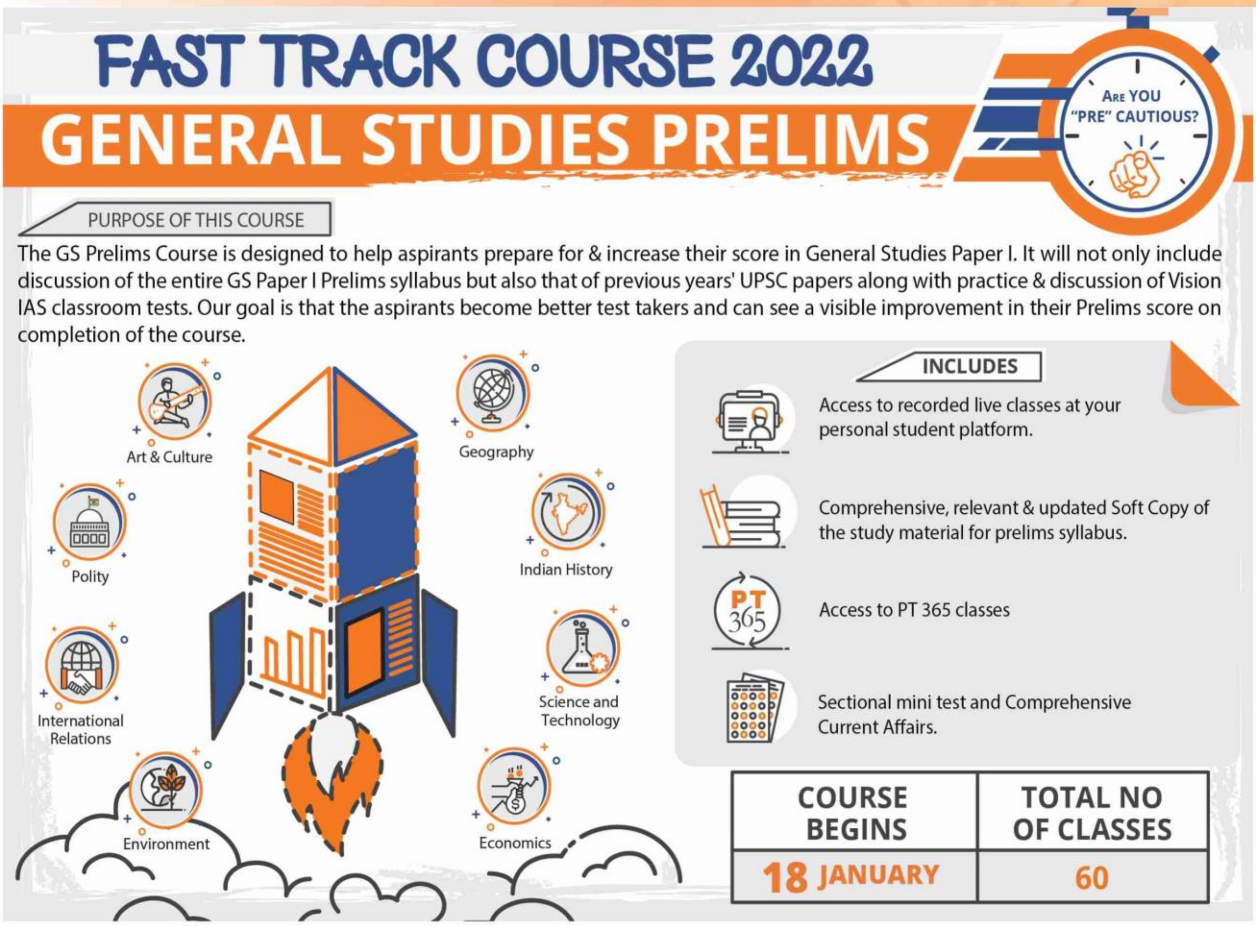
FAST TRACK COURSE 2022
GENERAL STUDIES PRELIMS
ARE YOU "PRE" CAUTIOUS?
PURPOSE OF THIS COURSE
The GS Prelims Course is designed to help aspirants prepare for & increase their score in General Studies Paper I. It will not only include discussion of the entire GS Paper I Prelims syllabus but also that of previous years' UPSC papers along with practice & discussion of Vision IAS classroom tests. Our goal is that the aspirants become better test takers and can see a visible improvement in their Prelims score on completion of the course.
Art & Culture
Geography
Polity
Indian History
International Relations
Science and Technology
Environment
Economics
INCLUDES
Access to recorded live classes at your personal student platform.
Comprehensive, relevant & updated Soft Copy of the study material for prelims syllabus.
Access to PT 365 classes
Sectional mini test and Comprehensive Current Affairs.
COURSE BEGINS
18 JANUARY
TOTAL NO OF CLASSES
60

6. न्यायपालिका और अन्य अर्ध-न्यायिक निकायों की संरचना और कामकाज (Structure and Functioning of Judiciary and Other Quasi-Judicial Bodies)

6.1. न्यायिक सुधार (Judicial reforms)

न्यायिक सुधार एक नज़र में

न्यायिक सुधार

- न्यायिक सुधारों का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत और संरक्षित करना है। साथ ही, इन सुधारों का उद्देश्य इसकी जिम्मेदारी तथा जवाबदेही को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों सहित **न्याय की गुणवत्ता और न्यायपालिका की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार करना** है।

भारतीय न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे या इससे संबंधित समस्याएं

- न्याय में देरी।
- **लंबित मामलों की अधिक संख्या:** जिला और अधीनस्थ अदालतों में 3.9 करोड़ मामले तथा उच्चतम न्यायालय में 69,000 से अधिक मामले लंबित हैं।
- भ्रष्टाचार।
- **न्यायिक रिक्तियों की बड़ी संख्या:** उच्च न्यायालयों में लगभग 40% सीटें और अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 20% सीटें रिक्त हैं।
- अंडरट्रायल आरोपियों का प्रतिशत वर्ष 2015 के 67% से बढ़कर वर्ष 2019 में 69% हो गया।
- आधारभूत संरचना।
- समाज के साथ वास्तविक जुड़ाव की कमी।

किये गए उपाय

- जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण के लिए **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना** शुरू की गई है।
- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक और पांच वर्षों के लिए न्यायपालिका हेतु बुनियादी ढांचा सुविधाएं विकसित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने को मंजूरी दी।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना।
- सरकार को एक जिम्मेदार और कुशल वादी बनाने के लिए राष्ट्रीय मुकदमा नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
- 'वाणिज्यिक विवादों' का त्वरित और निष्पक्ष निपटान सुनिश्चित करने के लिए **वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015** का अधिनियमन।
- अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को निरस्त करना।

आगे की राह

- न्यायिक हस्तक्षेप में कटौती के लिए कानून।
- लंबित मामलों से निपटने हेतु सभी अदालती मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित करना।
- सभी राज्यों के लिए न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करना।
- न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए एक विशेष एजेंसी की स्थापना करना।
- न्यायिक प्रक्रिया के प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के उपयोग में वृद्धि करना।
- **अन्य उपाय:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट, मेरिट के आधार पर नियुक्ति, बेहतर जांच के उपयोग का विकास।

6.2. न्यायालय का अवमान (Contempt of Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को लक्षित करते हुए सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के संदर्भ में, अधिवक्ता-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय के अवमान का दोषी माना है।

न्यायालय की अवमानना

यह क्या है?	यह न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार का अनादर करने के अपराध को संदर्भित करता है।	
संवैधानिक प्रावधान	**अनुच्छेद 261**	न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी।
	अनुच्छेद 19 (2)	युक्ति युक्त प्रतिबंध।
	अनुच्छेद 129 और 215	न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति।
	अनुच्छेद 142 (2)	अवमानना के लिए दंडित करने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति।
विधिक प्रावधान	**न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971**	O यह अधिनियम न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करता है क्योंकि संविधान इसे परिभाषित नहीं करता है। O न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा को सिविल अवमानन की संज्ञा दी गयी है। O दांडिक अवमानना की स्थितियां: ▷ न्यायालय को कलंकित करना। ▷ न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप की प्रवृत्ति दिखाना ▷ 6 माह का कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना। ▷ कथित अवमानना की समाप्ति के एक वर्ष बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।
अपवाद	O न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग। O न्याय की योग्यता के संबंध में निष्पक्ष आलोचना। O केवल न्यायाधीश पर गलत तरीके से अपमानजनक टिप्पणी। O कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति नहीं होना। O वर्ष 2006 में संशोधन– यदि ऐसा लोकहित में किया गया है जो सत्य के रूप में प्रस्तुत है।	

न्यायालय का अवमान: मुक्त भाषण पर सेंसर

- **लोकतांत्रिक सुधार प्रक्रिया:** लोकतंत्र के विकास के लिए विचारों और सुझावों का रचनात्मक अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता को दबा दिया जाता है तो इस बात की संभावना है कि कोई भी रचनात्मक बहस कम हो जाएगी। यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होगा।
- **मतभेद का अधिकार:** व्यक्तिगत राय का अर्थ यह नहीं है कि संस्था की आलोचना की गई है। संविधान ने स्वयं मतभेद को अभिभावी होने की अनुमति दी है। वाक् स्वतंत्रता को सेंसर करके न्यायपालिका यह संकेत देती हुई प्रतीत होती है कि उनकी संस्था अचूक है और वे श्रेष्ठ हैं।
- **आत्म-रक्षात्मक प्रकृति:** न्यायाधीश ने अपनी छवि की रक्षा करने के लिए न्यायालय के अवमान को एक साधन के रूप में उपयोग किया है। कई बार व्यक्तिगत मतभेद को न्यायपालिका की अस्वीकृति माना जाता है। चूंकि न्यायाधीश वही होते हैं जिन पर आरोप होता हैं,

इसलिए हितों के टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता है।

न्यायालयी अवमानना संबंधी मुद्दे

- **वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित/प्रतिबंधित करता है।**
- **अस्पष्ट और व्यापक क्षेत्राधिकार**: भारत में आपराधिक अवमान की परिभाषा अत्यधिक व्यापक है और इस प्रकार की कार्यवाही आरंभ करने के लिए न्यायालय की स्वतः संज्ञान की शक्तियों के कारण इसे सरलता से लागू किया जा सकता है।
- **प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध:** प्राकृतिक न्याय का एक मूल सिद्धांत है कि कोई भी स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। हालांकि, अवमानना कानून न्यायपालिका को स्वयं के मामलें में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।
- **सीमित अपीलीय अधिकार**: वर्तमान सांविधिक योजना के अनुसार, आपराधिक अवमानना हेतु दोषी ठहराए गए व्यक्ति को निर्णय के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार है और याचिका पर सामान्यत: अवमानकर्ता को सुने बिना पीठ द्वारा अदालत में निर्णय दे दिया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास:** "न्यायालय को कलंकित" करने के अपराध के तहत भारत में अभी भी दण्डित किया जाता है, भले ही इसे अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में एक अपराध के रूप में समाप्त कर दिया गया है।

क्या यह प्रावधान बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं?

वर्ष 2018 में न्याय विभाग ने भारतीय विधि आयोग से न्यायालय अवमान अधिनियम, **1971** के मूल्यांकन का आग्रह किया था। जिसके पश्चात **विधि आयोग** ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि इस अधिनियम में निम्नांकित कारणों से संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है:

- **अवमान मामलों की अत्यधिक संख्या:** विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में उच्च संख्या में लंबित सिविल और आपराधिक अवमान, इस अधिनियम की **निरंतर प्रासंगिकता** को न्यायोचित ठहराती है। आयोग ने कहा कि अवमान की परिभाषा में संशोधन इस कानून के समग्र प्रभाव को कम कर सकता है और लोगों के मन में न्यायालयों और उनके प्राधिकार और कार्यप्रणाली के प्रति सम्मान को भी कम कर सकता है।
- **अवमान की शक्ति का स्रोत:** न्यायालय संविधान से अपनी अवमान शक्तियां प्राप्त करते हैं। इस अधिनियम में केवल अवमान के लिए जाँच और दंड के संबंध में प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया है। इसलिए, अधिनियम से इस अपराध प्रावधान को हटाने से प्रवर न्यायालयों की अंतर्निहित संवैधानिक शक्तियों (किसी को भी अपने अवमान के लिए दंडित करने की) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- **अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रभाव:** आयोग ने यह तर्क दिया कि यदि अवमान की परिभाषा संकुचित/सीमित की जाती है तो अधीनस्थ न्यायालयों की गरिमा को क्षति पहुंच सकती है क्योंकि अपनी अवमानना के मामलों से निपटने का उनके पास कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय तुलना:** आयोग ने ब्रिटेन और भारत के **'न्यायालय को कलंकित करने'** के अपराध का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कहा है कि यूनाइटेड किंगडम अपने अवमानना कानूनों में इसे अपराध नहीं मानता है तथा ब्रिटेन में इसे अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है। हालांकि, आयोग ने यह निर्दिष्ट किया कि भारत में इसे अपराध के दायरे से बाहर करने से विधायी अंतराल को बढ़ावा मिलेगा। इसने भारत में इसे अपराध के रूप में बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है क्योंकि भारत में आपराधिक अवमानना के मामलों की संख्या अधिक है।
- **न्यायालयी शक्ति को सीमित करता है:** वर्ष 1971 के अधिनियम का प्रदर्शन प्रक्रियाओं के निर्धारण में बेहतर रहा है, तथा अवमान शक्तियों के उपयोग संबंधी न्यायालयों के असीम प्राधिकार को भी प्रतिबंधित करता है। अतः अवमान की परिभाषा में संशोधन से अस्पष्टता की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा।

आगे की राह

- भारतीय **न्यायालय के अवमान कानूनों** के अंतर्गत **प्रदत्त न्यायालीय शक्ति की प्रकृति विवेकाधीन** है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए **इसे और अधिक व्यवस्थित और सैद्धांतिक बनाया जाना चाहिए।**
- न्यायपालिका को **दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों**, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष और भयरहित न्याय के मध्य संतुलन को बनाए रखने पर जोर देना चाहिए।
- न्यायालय अवमान की शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए एक **स्वतंत्र पैनल का गठन किया जाना चाहिए।**
- इस अधिनियम में **'आपराधिक मनोवृत्ति' ('*mens rea*') की अवधारणा को सम्मिलित किया जाना चाहिए।**
    - 'आपराधिक मनोवृत्ति' इरादतन अपराध या दोषी मानसिक तत्व को संदर्भित करने वाली एक कानूनी अवधारणा है। आपराधिक परीक्षण में अपराध सिद्ध करने के लिए अपराधी की 'आपराधिक मनोवृत्ति' को जाहिर या उजागर करना सामान्यत: आवश्यक होता है।
- कार्यवाही **भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार** की जा सकती है।

* अवमानना के लिए दंड अपर्याप्त हैं और यह अप्रभावी है, विशेष रूप से अर्थदंड के संबंध में। साथ ही, इसे न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

रचनात्मक/औचित्यपूर्ण आलोचना और दुर्भावनापूर्ण वक्तव्य के मध्य अंतर करना आवश्यक है तथा अवमान की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या अवमानकारी टिप्पणी वास्तव में न्यायालयी कामकाज को बाधित करती है और औचित्यपूर्ण असहमति को कुचलने के एक साधन के रूप में इसका उपयोग नहीं करने देना चाहिए।

6.3. अधिकरण (Tribunals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने **"अधिकरण सुधार कानून, 2021"** अधिनियमित किया है। इस कानून के कारण अब **अनेक अपीलीय अधिकरणों और प्राधिकारणों को उत्सादित या समाप्त कर** उनकी अधिकारिता या क्षेत्राधिकार को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों में स्थानांतरित कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

* अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 द्वारा अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 को प्रतिस्थापित किया गया है।
    * इसका उद्देश्य चलचित्र अधिनियम, 1952; सीमा शुल्क अधिनियम, 1962; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994; व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999; एवं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 और कुछ अन्य कानूनों में संशोधन करना है।
* इस कानून के माध्यम से **वित्त अधिनियम, 2017** में भी **संशोधन** किया गया है। इस संशोधन द्वारा खोज-सह-चयन समितियों (search-cum-selection committees) की संरचना और उनके सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है।

    * **खोज-सह-चयन समिति:** अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी, **जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामित उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। इस समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:**
        * केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सचिव।
        * आसीन या पदावरोही (sitting or outgoing) अध्यक्ष, या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
        * संबंधित मंत्रालय, जिसके अधीन अधिकरण का गठन किया गया है, का सचिव (मताधिकार के बिना)।
    * **कार्यकाल की अवधि:** यह कानून निर्दिष्ट करता है कि किसी **अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्षों की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु** (इनमें से जो भी पहले हो) तक होगा।
    * अन्य सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।
    * इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति **जिसकी आयु पचास वर्ष से कम है, वह अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।**
* इससे पहले, **मद्रास बार एसोसिएशन वाद में, उच्चतम न्यायालय ने अधिकरण सुधार अध्यादेश, 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर** दिया था।
    * हालाँकि, इनमें से कुछ प्रावधानों को अधिकरण सुधार अधिनियम में पुनः शामिल कर लिया गया है।

इस अधिनियम के विवादास्पद प्रावधान	मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए तर्क
• **चार वर्षीय कार्यकाल** (अध्यक्ष और सदस्यों के लिए **अधिकतम आयु सीमा** क्रमशः 70 वर्ष और 67 वर्ष)। • इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति **जिसकी आयु पचास वर्ष से कम है, वह अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।**	• अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए **न्यूनतम आयु** एवं **कार्यकाल** की लघु अवधि निर्धारित करना, नियुक्ति के इच्छुक **सक्षम व्यक्तियों के लिए हतोत्साहित करने वाले कारक** के रूप में कार्य करेगा।
• अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी और समिति की सिफारिशों पर निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा।	• अधिकरणों से संबंधित **नियुक्तियों के मामलों में कार्यपालिका के प्रभाव को सिमित किया जाना चाहिए।**

भारत में अधिकरणों की आवश्यकता

- **लंबित मामले:** विगत वर्षों में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में वृद्धि हुई है। इस स्थिति का समाधान करने के लिए, विभिन्न विधानों के अंतर्गत अधिकरणों का गठन किया गया है।
- **त्वरित न्याय का वितरण:** अधिकरण अपनी स्वयं की प्रक्रिया को अपनाकर, संबंधित क्षेत्र से विशेषज्ञों को नियुक्त कर तथा त्वरित निर्णय प्रदान कर न्याय के वितरण को सुव्यवस्थित करते हैं।
- **कुछ क्षेत्रों में लागत प्रभावी और अधिक प्रभावशाली:** कुछ क्षेत्रों जैसे कि तकनीकी मामलों, पर्यावरण से संबंधित विवादों, सशस्त्र बलों, कर और प्रशासनिक मुद्दों की प्रभावी सुनवाई के संबंध में न्यायालय की तुलना में अधिकरणों से प्राप्त समाधान अधिक वहनीय और उपयुक्त होते हैं।

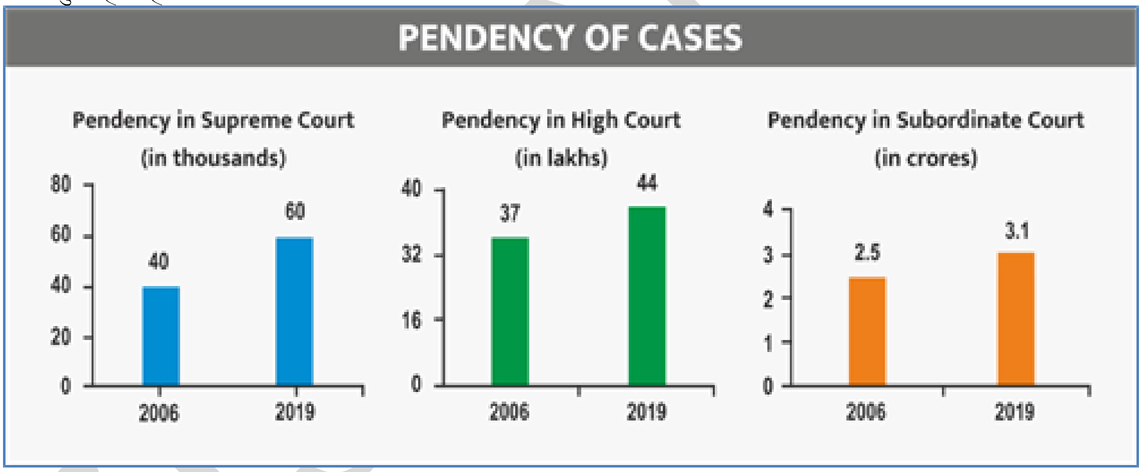

अधिकरणों के समक्ष समस्याएं

- **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की उपेक्षा:** प्रायः अधिकरणों के कार्यसंचालन, जैसे- अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति एवं उन्हें पद से हटाने, वित्त संबंधी प्रावधान, अवसंरचना आदि मामलों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप देखा जाता है। यह प्रवृत्ति शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है।
  - उदाहरण के लिए, कार्यपालिका देश में सबसे बड़ी वादी (litigant) (अधिकांश वादों में एक पक्ष के रूप में) है अर्थात् देश में अधिकांश न्यायिक वादों में कार्यपालिका स्वयं एक पक्षकार है। यह **हितों के टकराव की स्थिति** उत्पन्न करती है।
- **स्वतंत्रता का अभाव: चयन समितियों के माध्यम से अधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति** संबंधी व्यवस्था, अधिकरणों की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
- **कार्यबल की कमी और रिक्त पड़े पद:** उदाहरण के लिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal: CAT) में **64 में से 27 पद रिक्त** हैं।
- **लंबित मामलों की अधिकता:** विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा देश में 37 अधिकरणों के विश्लेषण में, यह पाया गया कि वादों के निराकरण की दर में वृद्धि होने के बावजूद भी परिहार्य स्थगन, पीठासीन अधिकारियों पर अत्यधिक कार्यभार के साथ-साथ वित्त संबंधी आवश्यकता के लिए मूल मंत्रालय पर निर्भरता जैसे कारणों से वादों के लंबित होने की दर भी उच्च है।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunal Commission: NTC) की स्थापना:** सभी अधिकरणों को एकल नोडल एजेंसी NTC, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित किया जाए, के नियंत्रणाधीन लाने की आवश्यकता है। NTC का दायित्व वस्तुतः अधिकरणों के कार्यों की निगरानी करना और नियुक्ति प्रणाली में समरूपता सुनिश्चित करना होगा।
  - ऐसे में NTC विभिन्न अधिकरणों द्वारा किए गए **प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के पृथक्करण** का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
  - NTC का विचार सर्वप्रथम **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ वाद (1997)** में **उच्चतम न्यायालय** द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
- **सदस्यों का चयन:** भारत के विधि आयोग ने अपनी 272वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि सदस्यों के चयन में **सरकारी संस्थाओं की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए,** क्योंकि सरकार स्वयं कई वादों में वादी के रूप में शामिल होती है।
- **समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र:** अधिकरणों से संबंधित सभी कानूनों/संविधियों में समयबद्ध शिकायत निवारण के लिए कठोर प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **अधिकरण की पीठ:** देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकरणों की पीठें स्थापित की जानी चाहिए।
- **योग्य कार्यबल:** अधिकरणों में विधि में अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिनके पास न्यायिक प्रशिक्षण और सिद्ध क्षमता एवं कर्तव्य-निष्ठा सहित पर्याप्त अनुभव हो। साथ ही, तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए, जब तकनीकी या विशेष पहलू पर किसी विशेषज्ञ की सेवा/सलाह की आवश्यकता हो।

6.4. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया है।

पृष्ठभूमि

- माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) को **घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता तथा विदेशी मध्यस्थता निर्णयों के प्रवर्तन और सुलह से संबंधित कानून को समेकित करने एवं संशोधित करने के उद्देश्य से** लागू किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, माध्यस्थम् प्रक्रिया को **उपयोगकर्ता के अनुकूल व लागत प्रभावी बनाने और माध्यस्थमों द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान एवं उनकी तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए** वर्ष 2015 में उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया था।
- वर्ष 2019 में देश में संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देने के लिए इसे पुनः संशोधित किया गया था।
- **माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020** यह सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यापित किया गया था कि **सभी संबंधित पक्षकारों को 'माध्यस्थम् निर्णय' के प्रवर्तन पर बिना शर्त 'रोक' (Stay) लगाए जाने का अवसर** प्रदान किया जा सके।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बारे में

- माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 को वर्ष 2020 के अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। **इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - **माध्यस्थम् के निर्णय** (अर्थात् एक मध्यस्थता कार्यवाही में दिया गया आदेश) **पर बिना शर्त रोक लगाई जा सकती है,** यदि न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो कि संबंधित मध्यस्थता समझौता या अनुबंध या निर्णयन, कपट या भ्रष्टाचार से प्रभावित था।
  - **इस कानून में मूल अधिनियम की 8वीं अनुसूची का लोप कर दिया गया है,** जिसमें मध्यस्थों (arbitrators) के प्रत्यायन (accreditation) के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और मानदंड निर्धारित किए गए थे।
  - **विनियमों द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए अर्हता, अनुभव और मानदंड तथा उक्त संशोधन** प्रकृति में परिणामी हैं।

VISION IAS

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (Alternative Dispute Resolution: ADR) के बारे में

- माध्यस्थम् और सुलह वस्तुतः **ADR के उदाहरण हैं,** जिनमें विवाद बिना मुकदमेबाजी के निपटाए जाते हैं।
- ADR तंत्र पक्षकारों को विवाद में अंतर्निहित मुद्दों को अधिक लागत प्रभावी और प्रभावकारी रीति से निपटाने की सुविधा प्रदान करता है।

- **इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:**
  - **अधिनिर्णयों पर स्वतः रोक (Automatic stay on awards):** माध्यस्थम् के निर्णय पर रोक लगाई जा सकती है (यहां तक रद्द किए जाने हेतु दायर आवेदन के विचाराधीन होने की स्थिति में भी) यदि न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो कि संबंधित मध्यस्थता समझौता या अनुबंध या निर्णयन, कपट या भ्रष्टाचार से प्रभावित था।
    - वर्तमान में, वर्ष 1996 का अधिनियम **एक पक्षकार को किसी माध्यस्थम् निर्णय (arbitral award) को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर करने की अनुमति प्रदान करता है।** हालांकि, वर्ष 2015 के अधिनियम के अनुसार, केवल निर्णय को रद्द करने की मांग करने वाला एक आवेदन दायर करने मात्र से निर्णय के प्रवर्तन पर स्वतः रोक नहीं लगाई जा सकती है।
  - **मध्यस्थों की अर्हताएं (Qualifications of arbitrators):** इस विधेयक में मूल अधिनियम की 8वीं अनुसूची का लोप कर दिया गया है, जिसमें मध्यस्थों (arbitrators) के प्रत्यायन (accreditation) के लिए आवश्यक अर्हताएं निर्धारित की गई थीं। अब मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए अर्हताएं, अनुभव और मानदंड उन नियमों द्वारा निर्दिष्ट होंगे, जो **भारतीय माध्यस्थम् परिषद (Arbitration Council of India: ACI)** द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
    - ज्ञातव्य है कि **वर्ष 1996 के अधिनियम** की 8वीं अनुसूची में पृथक रूप से **मध्यस्थों के लिए कुछ अर्हताएं, अनुभव और प्रत्यायन मानदंडों को निर्दिष्ट किया था।** इसके अतिरिक्त, मध्यस्थों के लिए लागू सामान्य मानदंडों में यह शामिल था कि उन्हें भारत के संविधान की विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए।
    - उक्त अधिनियम की 8वीं अनुसूची के अनुसार, मध्यस्थ (arbitrator) को अनिवार्यतः

✓ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एक अधिवक्ता होना चाहिए, जिसके पास 10 वर्षों का अनुभव हो, या

✓ भारतीय विधिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए।

विवाद समाधान तंत्र पर इस संशोधन विधेयक का प्रभाव

- **धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण:** वर्तमान संशोधन यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगा कि सभी हितधारक पक्षकारों को माध्यस्थम् के निर्णयों के प्रवर्तन पर बिना शर्त 'रोक' (Stay) लगाए जाने का अवसर प्रदान किया जाए, यदि माध्यस्थम् का निर्णय धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित है।
- **यह भारत को एक वाणिज्यिक माध्यस्थम् के केंद्र के रूप में बढ़ावा देगा:** चूंकि इस विधेयक में मूल अधिनियम की 8वीं अनुसूची को हटा दिया गया है, इसलिए यह देश को अधिक लोचशीलता प्रदान करने के साथ-साथ प्रख्यात माध्यस्थमों को आकर्षित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देगा।

ऑनलाइन विवाद समाधान (Online Dispute Resolution: ODR)

- हाल ही में, नीति आयोग के CEO द्वारा भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया।
- ODR वस्तुतः **वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र (Alternative Dispute Redressal: ADR)** का एक रूप है, जो विवादों के समाधान हेतु **इंटरनेट और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)** की सहायता से वार्ता, सुलह तथा मध्यस्थता प्रणालियों का उपयोग करता है।
- ODR में **प्रौद्योगिकी का उपयोग** किया जाता है और न्यायिक प्रक्रिया की पूर्वानुमेयता (predictability), स्थिरता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए **डेटा प्रबंधन उपायों** (data management tools) को अपनाया जाता है।
- **ODR के तहत मॉडल:**
    - **ऑप्ट-इन मॉडल (Opt-in model):** इस मॉडल के अंतर्गत मध्यस्थता के चयन का विकल्प स्वैच्छिक होता है।
    - **ऑप्ट-आउट मॉडल (Opt-out model):** इसके तहत **कम से कम एक बार मध्यस्थता प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य** होता है और इसके पश्चात् पक्षकारों (parties) को यह चयन करने की स्वतंत्रता होती है कि वे या तो इस प्रक्रिया में बने रह सकते हैं या इससे बाहर निकल सकते हैं।
- **ODR निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है:**
    - **विवाद समाधान:** न्यायालय तक पहुंचने वाले विवादों को खुली, कुशल एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हल करना।
    - **विवाद नियंत्रण और परिवर्जन (avoidance):** ODR के माध्यम से यह सुविधा प्रदान करना और सुनिश्चित करना कि एक समस्या विवाद के चरण तक न पहुंचे। इस प्रकार इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि कोई भी समस्या विवाद में परिवर्तित न हो।
- ODR **उन शिकायतों के लिए अधिक अनुकूल है, जिनका निम्न मूल्य और उच्च परिमाण होता है तथा जो इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रयोक्ताओं के मध्य उत्पन्न होती हैं।**
- **ODR के लाभ:** न्यायालय में लंबित मामलों में कमी, इससे अधिकाधिक विवाद न्यायालयों से बाहर ही निपटाए जा सकेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस, उपभोक्ता संतुष्टि आदि।
- **ODR की सीमाएं:**
    - हाई स्पीड इंटरनेट जैसे अवसंरचनात्मक मुद्दे
    - **ODR भी निश्चित प्रकार के विवादों के समाधान करने के लिए ही सर्वाधिक उपयुक्त है, जैसे- क्षतिपूर्ति, जो अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में देय हो सकती है;**
    - साइबर खतरों में वृद्धि के कारण गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का मुद्दा;
    - पर्याप्त मध्यस्थों का अभाव, उपभोक्ताओं के मध्य विश्वास का निर्माण आदि।

इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित मुद्दे

- **दीर्घकालिक मुकदमेबाजी की प्रक्रिया:** इससे पराजित पक्षकार को यह अवसर प्राप्त हो जाएगा कि वह भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए माध्यस्थम् के निर्णयों के प्रवर्तन पर स्वतः रोक (automatic stay) लगवा दे। इस प्रकार यह पक्षकारों को न्यायालयों की ओर आकर्षित करके और दीर्घकालिक मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में फंसाकर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के प्रमुख उद्देश्य को विफल करता है।
- **मुकदमों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि:** चूंकि अधिनियम में संशोधन भूतलक्षी आधार पर किया गया है अर्थात् वर्ष 2015 से, इसलिए स्वतः रोक के संबंध में भूतलक्षी आवेदन मुकदमों में वृद्धि कर सकते हैं।
- यह विधेयक **धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार को परिभाषित नहीं करता है।**
- यह संशोधन भारत में अनुबंधों के प्रवर्तन को प्रभावित करेगा और अंततः इससे व्यवसाय करने में सुगमता (ease of doing business) पर भी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होगा।

7. भारत में चुनाव (Elections in India)

7.1. चुनावी सुधार (Electoral Reforms)

चुनावी सुधार – एक नज़र में

बुनियादी संरचना

- **अनुच्छेद 324,** चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित कार्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
- **अनुच्छेद 325** में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा।
- **अनुच्छेद 326,** लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने वाले निर्वाचनों से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 327,** संसद को विधान–मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 328,** किसी राज्य के विधान–मंडल को ऐसे विधान–मंडल के चुनावों के संबंध में कुछ प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 329,** चुनावी मामलों पर **अदालत के अनावश्यक हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने** का प्रावधान करता है।

भारत में चुनाव से जुड़े मुद्दे

- **चुनाव का संचालन:** बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को धमकाना, मतदाता सूची से छेड़छाड़, चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और मतदान से संबंधित अन्य अनियमितताएं।
- **राजनीतिक दल:** गैर–गंभीर दलों का प्रसार; राजनीतिक दलों को मान्यता देने और मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया; पार्टियों की संपत्ति और देनदारियों का खुलासा।
- **चुनावों का वित्त पोषण:** चुनावी अभियान व्यय, उम्मीदवारों और पार्टियों की संपत्ति तथा देनदारियों का खुलासा व लेखा परीक्षा।
- **राजनीति का अपराधीकरण:** चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी।
- **गलत जानकारी वाले विकल्प:** भारत में व्याप्त विशाल डिजिटल विभाजन के कारण राजनीतिक अभियान के लिए सोशल मीडिया और संचार के अन्य आभासी साधनों का अत्यधिक उपयोग प्रकृति में एकतरफा हो सकता है।
- **अन्य मुद्दे:** पेड एंड, फेक न्यूज, ई.वी.एम. से छेड़छाड़ का मुद्दा, सांप्रदायिक और जाति आधारित राजनीति, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि।

अब तक के सुधार

- **व्यय की सीमा:** संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 54-70 लाख रुपये और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20–28 लाख रुपये के बीच।
- **चुनावी बॉण्ड:** देश में राजनीतिक चंदे की व्यवस्था में सुधार करने के लिए।
- उम्मीदवारों द्वारा अपने पहले के आपराध, संपत्ति आदि की घोषणा करना आवश्यक है।
- मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए **व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम।**
- **अन्य उपाय:** एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग आदि।

आगे की राह

- **17 वर्ष की आयु में संभावित मतदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण:** स्कूलों और कॉलेजों में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- नागरिकों के लिए निर्वाचन सेवाओं को सरल बनाने हेतु नेटवर्क और चुनावी सेवा केंद्रों / मतदाता सुविधा केंद्रों का विस्तार करना।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की धारा 125 के तहत 'मौन की अवधि' के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समान प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करना।
- राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक–पार्टी लोकतंत्र के लिए प्रावधान करना।
- **राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम खर्च:** एक उम्मीदवार के लिए निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा का आधा हिस्सा और चुनाव में उतारे गए **उम्मीदवारों की कुल संख्या से गुणा करने पर प्राप्त भाग या राशि।**

7.2. चुनावी बॉण्ड्स (Electoral Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न भारतीय राज्यों में विधान सभा चुनावों से पहले चुनावी बॉण्ड पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

पृष्ठभूमि

- वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; आयकर अधिनियम, 1961 और कंपनी अधिनियम में संशोधन कर चुनावी बॉण्ड योजना पेश की गयी थी।
- चुनावी बॉण्ड योजना (इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम) की घोषणा 2017-18 के केंद्रीय बजट में "देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ-सुथरा करने" के लिए की गई थी।
- हालांकि, इस योजना में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनके चलते राजनीतिक वित्तीयन की पारदर्शिता पर ही आपत्ति जताई गई थी।
- कुछ याचिकाकर्ताओं ने चुनावी बॉण्ड योजना पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
- चुनाव आयोग ने इस योजना के कुछ प्रावधानों पर सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा भी दायर किया, जिसका देश में राजनीतिक वित्तीयन पर गंभीर असर पड़ सकता है।

राजनीतिक दलों को दिए गए दान के बारे में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट

> वित्त वर्ष 2019–20 में क्षेत्रीय दलों को मिले कुल दान में से 55 प्रतिशत **'अज्ञात'** स्रोतों से प्राप्त हुए थे।

> **'अज्ञात'** स्रोतों से प्राप्त दान में **चुनावी बॉण्ड्स** की हिस्सेदारी 95 प्रतिशत थी।

> राष्ट्रीय दलों की कुल आय में **'अज्ञात'** स्रोतों से मिले दान की हिस्सेदारी 70.98 प्रतिशत थी।

चुनावी बॉण्ड के बारे में	
चुनावी बॉण्ड क्या है?	• राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय साधन, जो एक वचन पत्र जैसा दिखता है।
इन बॉण्डों के निर्माता कौन हैं ?	• भारत का नागरिक या देश में निगमित निकाय
बॉण्ड मूल्यवर्ग	• 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10 लाख रुपये, एक करोड़ रूपये के बॉण्ड एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से खरीदे जा सकते हैं
ऐसे बॉण्ड कब खरीदे जा सकते हैं?	• जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में प्रत्येक 10 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं।
जीवनकाल	• जारी होने के 15 दिनों के भीतर एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में भुनाया जा सकता है।
कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने के पात्र हैं?	• राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किए थे और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं
अन्य जानकारी	• राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त धन की मात्रा के लिए चुनाव आयोग को रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी। दानकर्ता कर कटौती के लिए पात्र होंगे जबकि राजनीतिक दल इससे छूट के पात्र होंगे, बशर्ते राजनीतिक दल द्वारा रिटर्न दाखिल की गई हो। • एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने के लिए भारत सरकार द्वारा एकमात्र अधिकृत बैंक है। • चुनावी बॉण्ड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होंगे • उन्हें ऋण के लिए संपार्श्विक (कोलैटरल) के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है और केवल भौतिक रूप में उपलब्ध हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना के खिलाफ याचिकाकर्ता के तर्क

- **यह राजनीतिक चंदे में अस्पष्टता लाता है-** आम नागरिक यह नहीं जान पाते कि कौन, किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दान कर रहा है, और बॉण्ड राजनीतिक चंदे की गुमनामी बढ़ाते हैं-
  - राजनीतिक दलों के लिए वित्तीयन के स्रोत घोषित करने के नियमों को **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की **धारा 29C** में उल्लिखित किया गया है। 2017 से पहले, अधिनियम में कहा गया था कि सभी पंजीकृत दलों को 20,000 रुपये से अधिक के सभी चंदों की घोषणा करनी थी। हालांकि, **वित्त अधिनियम में संशोधन** ने चुनावी बॉण्ड को इस धारा के दायरे से बाहर रखा है। इसलिए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को मिले चुनावी बॉण्ड के रिकॉर्ड जांच के लिए जमा नहीं करने होंगे।
  - इसके अलावा, राजनीतिक दल कानूनी रूप से **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए** के तहत सालाना अपनी आयकर रिटर्न जमा करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, चुनावी बॉण्ड को आईटी अधिनियम से भी छूट दी गई है। इस प्रकार, सभी दाताओं के नाम, पते के रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- **कॉर्पोरेट दुरुपयोग की संभावना** का मार्ग प्रशस्त करता है- किसी कंपनी के पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ पर 7.5% की सीमा को हटाने के साथ, कॉर्पोरेट फंडिंग कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब कंपनी, भले ही वह नुकसान उठा रही हो, कितना भी दान करे, इसकी कोई सीमा नहीं है।
- **सत्तारूढ़ दल का पक्ष** लेता है- एसबीआई एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक होने के कारण दानदाताओं की सभी जानकारी रखता है जो सत्तारूढ़ दल के लिए अनुकूल हो सकती है और कुछ संस्थाओं को दंड के डर से विपक्ष को दान करने से भी रोक सकती है।

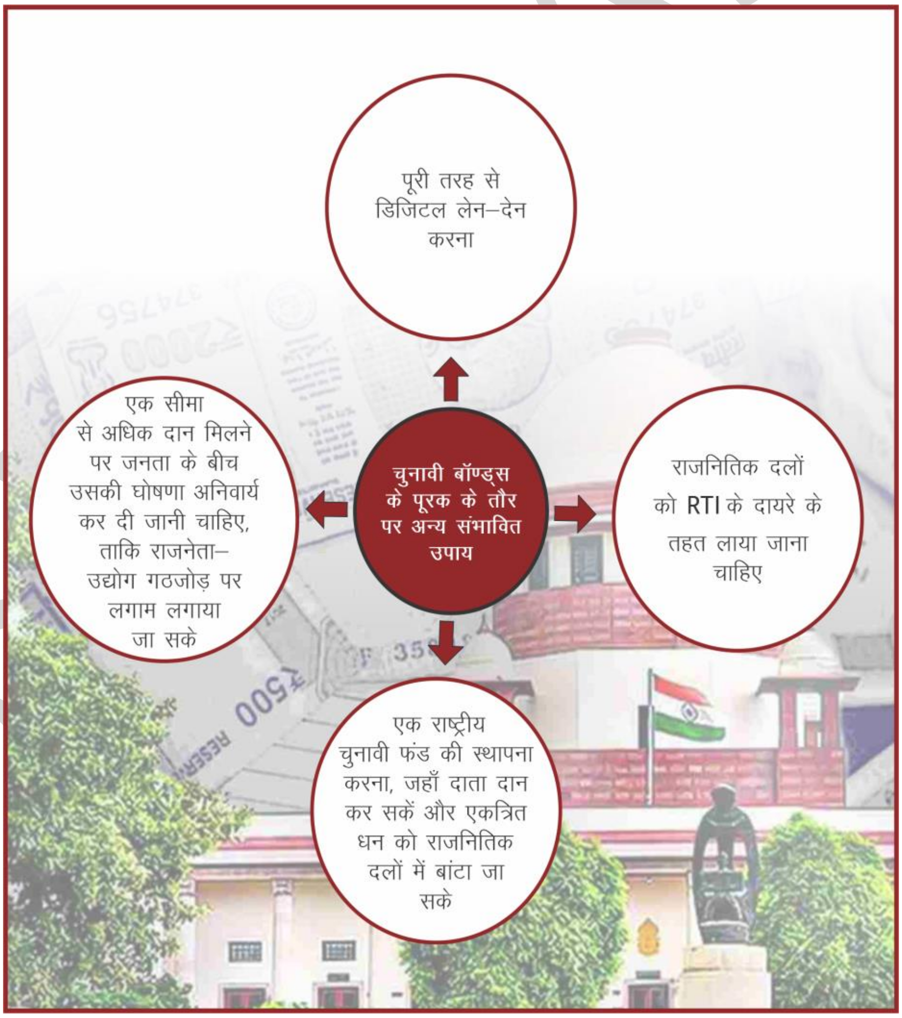

चुनावी बॉण्ड के पूरक उपाय

- पूर्णतः डिजिटल लेनदेन अपनाना
- राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार के दायरे में लाना
- एक राष्ट्रीय चुनाव कोष का गठन जिसमें दानदाता योगदान कर सके और फिर उसे राजनीतिक दलों के बीच वितरित किया जा सके
- एक निश्चित सीमा से अधिक के दान को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि कॉर्पोरेट-राजनेता सम्बन्ध को उजागर किया जा सके

चुनावी बॉण्ड योजना के खिलाफ चुनाव आयोग के तर्क

- यह योजना चुनाव आयोग को **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन** की **जांच करने की अनुमति नहीं** देता है- क्योंकि चुनावी बॉण्ड के माध्यम से किसी राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किसी भी दान को योगदान रिपोर्ट के तहत **रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर** कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राजनीतिक दलों को सरकारी कंपनियों से चंदा लेने से रोकता है।
- **अनियंत्रित विदेशी फंडिंग की अनुमति** देता है- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) में संशोधन राजनीतिक दलों को भारतीय कंपनियों में अधिक हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों से धन प्राप्त करने की अनुमति देता है। इससे भारतीय नीतियां विदेशी कंपनियों से प्रभावित हो सकती हैं।

चुनावी बॉण्ड के लिए सरकार के तर्क

- **राजनीतिक चंदे में नकदी के उपयोग को सीमित** करता है- पहले व्यक्तियों/कॉर्पोरेटों द्वारा बड़ी मात्रा में धन के अवैध साधनों का उपयोग करके राजनीतिक चंदा नकद में दिया जा रहा था, और दानदाताओं की पहचान ज्ञात नहीं थी।
- निम्न वजहों से **काले धन पर अंकुश** लगाता है-
  - चुनावी बॉण्ड जारी करने के लिए किए गए **भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट, चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम** के माध्यम से या खरीदारों के खाते में सीधे डेबिट के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं।
  - इन बॉण्डों के खरीदारों को **केवाईसी आवश्यकताओं का पालन** करना होगा, और लाभार्थी राजनीतिक दल को इस धन की प्राप्ति का खुलासा करना होगा और उसी का हिसाब देना होगा।
  - **बॉण्ड के वैध होने के समय को सीमित करने** से यह सुनिश्चित होता है कि बॉण्ड एक समानांतर मुद्रा नहीं बनते हैं।
- **दाता को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाता है-** चूंकि दाता की पहचान का खुलासा न करना योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- **जालसाज राजनीतिक दलों की संभावना समाप्त** करता है - जिनका गठन केवल कर चोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि इस योजना में राजनीतिक दलों के लिए पात्रता का एक कड़ा प्रावधान है।

निष्कर्ष

चुनावी बॉण्ड योजना सही दिशा में एक प्रक्रिया है, हालांकि, याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए बिंदुओं को संबोधित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे आरंभ करने के पीछे की मंशा पूरी तरह से हासिल की जा सके।

7.3. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया है।

एक साथ चुनाव के बारे में

- इसका अर्थ है कि भारतीय निर्वाचन चक्र को इस तरह से व्यवस्थित करना कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव एक साथ करवाए जा सकें, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता एक ही साथ दोनों के लिए मतदान कर सकें।
- इसे चरण-वार तरीके से आयोजित किया जा सकता है तथा किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा एक ही दिन राज्य विधान सभा और लोक सभा दोनों के लिए मतदान किया जा सकता है।
- **एक साथ चुनाव की व्यवस्था वर्ष 1967 तक जारी रही थी।** लेकिन वर्ष 1968 और वर्ष 1969 में कुछ विधान सभाओं और वर्ष 1970 में लोक सभा के विघटन के बाद, राज्य विधान सभाओं और संसद के एक साथ चुनाव का क्रम टूट गया और दोनों के चुनाव अलग-अलग समय में होने लगे।
- बाद में, **निर्वाचन आयोग** ने वर्ष 1983 में एक साथ चुनाव का सुझाव प्रस्तावित किया था। इसे विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा भी समर्थन प्राप्त हुआ है।

एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क

- **नीतिगत अक्षमता:** बार-बार चुनाव होने के कारण **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct: MCC) को दीर्घावधि तक लागू** करना पड़ता है। इससे नीतिगत अक्षमता को बढ़ावा मिलता है।
- **सुरक्षा बलों की व्यस्तता:** निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती आम बात है और बार-बार चुनाव के कारण सशस्त्र पुलिस बल के एक हिस्से का उपयोग निर्वाचन प्रक्रिया में सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है। यदि ऐसा न हो तो, अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उन्हें तैनात करके उनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
- **सामान्य जनजीवन बाधित होना:** सार्वजनिक जुलूसों, सभाओं, ध्वनि प्रदूषण आदि के कारण।
- **सामाजिक ताने-बाने पर प्रभाव:** बार-बार चुनाव से देश भर में जातिगत, धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे सक्रिय रहते हैं क्योंकि निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान ऐसी घटनाओं का ध्रुवीकरण किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
- **अत्यधिक व्यय:** राजनीतिक दलों, व्यक्तिगत उम्मीदवारों आदि जैसे कई हितधारकों द्वारा अत्यधिक व्यय किया जाता है। चुनाव जीतने के लिए अधिक व्यय (निर्धारित सीमा से अधिक) करने की प्रवृत्ति को देश में भ्रष्टाचार और काले धन के लिए प्रमुख संचालकों में से एक के रूप में दोषी ठहराया जाता है।
- **मतदान (voter turnout) पर प्रभाव:** विधि आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक साथ चुनाव के आयोजन से मतदान में वृद्धि होगी।

VISION IAS

एक साथ चुनाव के विरुद्ध तर्क

- **परिचालन-संबंधी व्यवहार्यता:** जैसे कि पहली बार इस चक्र को कैसे एक साथ पूरा किया जाए, सत्तारुढ़ दल/ गठबंधन द्वारा 5 वर्ष से पूर्व ही बहुमत खो देने की स्थिति में नवीन प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाचन आयोग के लिए इतने व्यापक पैमाने पर चुनाव कराने की व्यवहार्यता आदि।
- **यह संघवाद के विरुद्ध जा सकता है** क्योंकि इससे किसी राज्य में विधान सभा के असमय विघटन की स्थिति में तत्काल चुनाव आयोजित नहीं होंगे तथा उसे अगले चुनाव (एक साथ चुनाव) के साथ समायोजित करने तक स्थगित कर दिया जाएगा। ऐसे में अगले चुनाव (एक साथ चुनाव) तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- **संवैधानिक मुद्दे:** एक साथ चुनाव करवाने के लिए लोक सभा/ राज्य विधान सभाओं के सदन के कार्यकाल में कटौती और विस्तार करना; संविधान के संबंधित प्रावधानों में संशोधन; **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** में संशोधन और इन संवैधानिक/विधिक संशोधनों को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन जैसी अन्य अनिवार्यताओं की आवश्यकता होगी।
- **राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे अलग-अलग होते हैं** तथा एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं के मतदान संबंधी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं और अधिकतर मामलों में वे बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल को वोट दे सकते हैं।
- **जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी:** क्योंकि बार-बार चुनाव होने से राजनेताओं को मतदाताओं के साथ निरंतर संपर्क करना पड़ता है जो राजनेताओं की जनता के प्रति जवाबदेही में वृद्धि करती है।
- समानता लाने, बहुलता को बनाए रखने तथा स्थानीय और क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के बजाय यह **देश का एकरूपीकरण (homogenization) करेगा** क्योंकि एक साथ चुनाव राष्ट्रीय दलों को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष

- वित्तीय निहितार्थों का विश्लेषण करने, MCC के प्रभावों का आकलन करने और विधि आयोग की सिफारिशों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवहार्यता विद्यमान है क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् के पहले दो दशकों के दौरान विद्यमान था।
- हालांकि, एक साथ चुनाव सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। बार-बार चुनाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निम्नलिखित तरीके से दूर किया जा सकता है- MCC के तहत आरोपित प्रतिबंधों की अवधि को कम करना, चुनावी वित्त-पोषण की व्यवस्था में सुधार कर निर्वाचन संबंधी व्यय पर अंकुश लगाना, राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाना आदि।

7.4. वापस बुलाने या प्रत्यावर्तन का अधिकार (Right to Recall)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा विधान सभा ने **हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020** पारित किया। यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल का अधिकार प्रदान करता है।

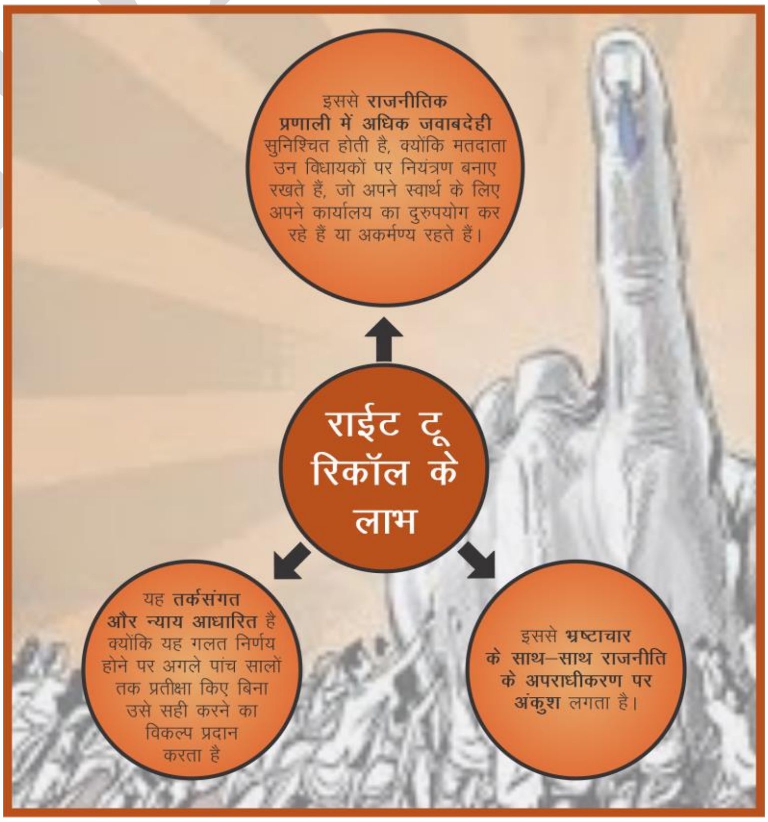

अन्य संबंधित तथ्य

- राइट टू रिकॉल (अर्थात् प्रत्यावर्तन का अधिकार या प्रत्याशी को वापस बुलाने का अधिकार) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत **मतदाता के पास अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने की शक्ति** प्राप्त होती है। यह **प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन** का एक उदाहरण है।
- यह विधेयक **ग्राम सरपंचों, प्रखंड स्तर और जिला स्तर की पंचायतों** के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल की अनुमति देता है, यदि वे अपने जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निष्पादन करने में विफल रहते हैं।
- किसी **वार्ड या ग्राम सभा के 50 प्रतिशत सदस्यों को लिखित** याचिका करनी होगी कि वे राइट टू रिकॉल की कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं।

Mains 365 – राजव्यवस्था और संविधान

- इसके बाद गुप्त मतदान होगा, जिसमें राइट टू रिकॉल के **पक्ष में दो-तिहाई सदस्यों को मतदान करने की आवश्यकता** होगी।

राईट टू रिकॉल की सीमा

- **सरकार को अस्थिर करना:** इससे सरकार में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है क्योंकि जहां भी मतदाताओं में अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि के प्रति असंतोष होगा वहां मतदाता राइट टू रिकॉल का उपयोग करना आरंभ कर देंगे।
- **निर्वाचन प्रक्रिया पर दबाव:** निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल/उम्मीदवारों को अस्वीकृत करने पर पुनः निर्वाचन कराना पड़ता है जो निर्वाचन प्रक्रिया पर अतिरिक्त दबाव डालता है। साथ ही, यह मतदान में गिरावट के रूप में भी परिणत हो सकता है।
- **राजनीतिक उपकरण:** प्रभावशाली विशेष हित समूहों और धन के उपयोग द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है और ईमानदार राजनेता इस शक्ति के शिकार हो सकते हैं।
- **प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता:** यह अनिवार्य रूप से प्रतिनिधियों को कठोर निर्णय लेने की प्रक्रिया से विमुख करेगा और उन्हें लोकलुभावन कार्यों को करने के लिए विवश करेगा।
- **प्रक्रिया की व्यवहार्यता:** किसी प्रतिनिधि के विरुद्ध राइट टू रिकॉल संबंधी प्रक्रिया को आरंभ करने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने हेतु मतदाताओं की एक निश्चित संख्या या प्रतिशत की आवश्यकता होती है। ऐसे में उन हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता का सत्यापन करना, यह सत्यापित करना कि मतदाताओं द्वारा किए गए हस्ताक्षर मुक्त सहमति से किए गए हैं या नहीं आदि का निर्धारण करना एक कठिन कार्य होगा।
- **व्यय में वृद्धि:** उप-चुनाव के आयोजन के लिए वित्तीय संसाधनों, मानव-शक्ति, समय आदि सहित कई संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया पर अतिरिक्त दबाव डालेगा।

आगे की राह

- **राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना:** मुख्य ध्यान विभिन्न माध्यमों से जनता की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने और निर्वाचनों में मतदाताओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने पर होना चाहिए।
- **उचित जांच:** कुछ विशिष्ट आधारों पर उचित न्यायिक जांच करने के बाद ही राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए न कि अनुचित या अस्पष्ट आधार पर।
- **मजबूत निवारक:** राइट टू रिकॉल के तहत वापस बुलाए गए प्रतिनिधि को उप-चुनाव में उम्मीदवारी से वंचित किया जाना चाहिए। अन्यथा रिकॉल की प्रक्रिया में व्यय हुआ सारा धन, मानव संसाधन, समय आदि व्यर्थ चला जाएगा।
- **मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करना:** उल्लेखनीय है कि वर्तमान व्यवस्था में ऐसे कई तंत्र विद्यमान हैं जो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अयोग्य उम्मीदवारों को चुनाव से पूर्व या पश्चात् निरर्ह घोषित करते हैं, जैसे- निरर्हता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और सदस्यों के निष्कासन तथा भ्रष्टाचार की जांच के लिए विद्यमान सतर्कता निकाय आदि।

7.5. निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण से निपटना (Election Commission Tackling Criminalisation of Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, निर्वाचन आयोग ने **संबंधित उम्मीदवारों एवं चुनाव के लिए उन्हें नामित करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक ब्यौरे (criminal antecedents) के प्रकटीकरण** के समय को संशोधित करने का निर्णय किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक उम्मीदवार व राजनीतिक दल को निर्वाचनों से पूर्व एक **राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र और क्षेत्रीय भाषा के दो समाचार-पत्रों में व टेलीविज़न पर अपने आपराधिक ब्यौरे (यदि कोई है तो) को तीन बार सार्वजनिक करना आवश्यक है।**
- **निर्विरोध विजेता उम्मीदवारों (Uncontested winner candidates)** के साथ-साथ उन्हें नामित करने वाले राजनीतिक दल भी, यदि उनका कोई आपराधिक ब्यौरा हो, तो उसे प्रकट करेंगे।
- यह समय-सीमा मतदाताओं को **अधिक सूचित तरीके से उनके विकल्प का प्रयोग करने में सहायता** करेगी।

राजनीति के अपराधीकरण के बारे में

- सच्चाई यह है कि **अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीति में उनकी भागीदारी भी बढ़ती जा रही है।** यहां तक कि वे **संसद एवं राज्य**

VISION IAS

विधान-मंडलों के लिए भी निर्वाचित हो रहे हैं।
- **राजनीति के अपराधीकरण का कारण:** वोट बैंक की राजनीति, भ्रष्टाचार, न्याय से इनकार और कानून का शासन आदि।
- **प्रभाव:** कानून का उल्लंघन करने वालों का कानून निर्माता के रूप में चयन किया जाता है, न्यायिक मशीनरी, दागी लोकतंत्र आदि के प्रति जनता के विश्वास में घटोतरी होना आदि।)
- **लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8** के तहत दोषी राजनेताओं को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि ट्रायल या मुकदमेबाजी में संलग्न व्यक्ति, चाहे आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों, चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है।
- उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों (केंद्र और राज्य चुनाव स्तर पर) के लिए **लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों से सम्बंधित तथा दूसरों पर उनके चयन के कारणों** तथा गैर-आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के चयन के सम्बन्ध में **समग्र सूचनाओं के प्रकाशन को अनिवार्य कर दिया है।**

अपराध से निपटने में निर्वाचन आयोग की सीमाएं

- **वित्तीय सीमाएं:** निर्वाचन आयोग को **अनुपालन की निगरानी करने और उसे सुनिश्चित करने हेतु,** व्यापक मानव संसाधन और सुदृढ़ डिजिटल प्रणाली की आवश्यकता है।
- **दोषसिद्धि से पूर्व उम्मीदवारों को अनर्ह घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है,** भले ही कोई व्यक्ति कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहा हो। **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act: RPA), 1951 की धारा 8**, किसी व्यक्ति द्वारा **किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ही अनर्हता** से संबंधित है।
- **मिथ्या शपथ-पत्र (False affidavits):** चुनाव में मिथ्या शपथ-पत्र के मामले बेहद गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये चुनावों की शुचिता को प्रभावित करते हैं। शिथिल दंड प्रक्रिया इस गतिविधि को रोकने में असमर्थ है। साथ ही, **मिथ्या शपथ-पत्र या जानकारी छुपाने** को **निर्वाचन को चुनौती देने या RPA, 1951 के तहत नामांकन पत्र की अस्वीकृति** के आधार के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है।
- **चुनावी लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग:** यद्यपि इस प्रकार की प्रथाओं को भ्रष्ट प्रथाओं के रूप में माना जाता है, परन्तु उन्हें **केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से ही प्रश्नगत किया** जा सकता है और **चुनाव के दौरान यह निर्वाचन आयोग के समक्ष जांच का विषय नहीं हो सकता** है।

निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय राजनीति के गैर-अपराधीकरण के लिए उठाए गए अन्य कदम
- वर्ष 1997 में, **निर्वाचन आयोग** ने सभी **निर्वाचन अधिकारियों (Returning Officers)** को निर्देश दिया था कि ऐसे उम्मीदवार के **नामांकन पत्र को अस्वीकार** कर दिया जाए, जो **नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन दोषी ठहराया गया हो,** भले ही उसकी सजा निलंबित कर दी गयी हो।
- चुनावों के दौरान **काले धन को जब्त करने** के लिए **उड़न दस्तों (flying squads) की एक प्रणाली** आरंभ की गई है।
- EC द्वारा अधिक **गहन मतदाता जागरूकता अभियान (intense voter awareness campaign)** का संचालन किया गया है।
- वर्तमान में, किसी भी राष्ट्रीय या राज्य विधान सभा चुनावों में भाग लेने के लिए एक उम्मीदवार को, **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (Conduct of Elections Rules, 1961) की आचार संहिता से संलग्न फॉर्म 26 के अनुसार, एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता** होती है। इसमें यदि कोई आपराधिक ब्यौरा हो तो उसके बारे में तथा साथ ही उनकी संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता का विवरण शामिल होता है।
  - निर्वाचन आयोग ने **उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए फॉर्म 26 में संशोधन** किया है। इसमें उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म को भरने और उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया गया है।

आगे की राह
- **RPA, 1951 में प्रस्तावित संशोधन:**
  - **धारा 125(A) के अंतर्गत दोषसिद्धि** को धारा 8(A)(1) के तहत **अनर्ह घोषित किए जाने के आधार** के रूप में शामिल किया जाए।
  - मिथ्या शपथ-पत्र दाखिल करने पर **न्यूनतम दो वर्ष की सजा को धारा 125 (A) के तहत अंतर्विष्ट किया जाए।**

- मिथ्या शपथ-पत्र दाखिल करने को **धारा 123 के तहत एक भ्रष्ट आचरण के अपराध के रूप में समाविष्ट किया जाना चाहिए।**
- मिथ्या सूचनाओं की घटनाओं की त्वरित जांच करने के लिए **विजेताओं के शपथ-पत्रों के सत्यापन हेतु एक स्वतंत्र पद्धति** स्थापित की जानी चाहिए।

- **संबंधित न्यायालयों में मुकदमों का तेजी से निपटान:** जब मामला विधायिका के मौजूदा सदस्य के विरुद्ध हो तो **एक वर्ष में मुकदमे को पूर्ण करने की समय-सीमा** के साथ सुनवाई का संचालन दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाना चाहिए।
- **संज्ञेय अपराध के आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से निषिद्ध किया जाना चाहिए,** उस स्थिति में **जब आरोप सक्षम न्यायालय द्वारा** सिद्ध किए गए हों जिनमें अपराध कम से कम 5 वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय हो।
- उपयुक्त प्राधिकारी को अनुशंसा करने के लिए **निर्वाचन आयोग को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना:**
  - किसी भी मामले को आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी को जांच के लिए प्रेषित करना।
  - किसी भी व्यक्ति को RPA, 1951 के तहत चुनावी अपराध का दोषी होने पर अभियोजित करना।
  - RPA, 1951 के अधीन किसी अपराध या अपराधों की सुनवाई के लिए कोई विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करना।

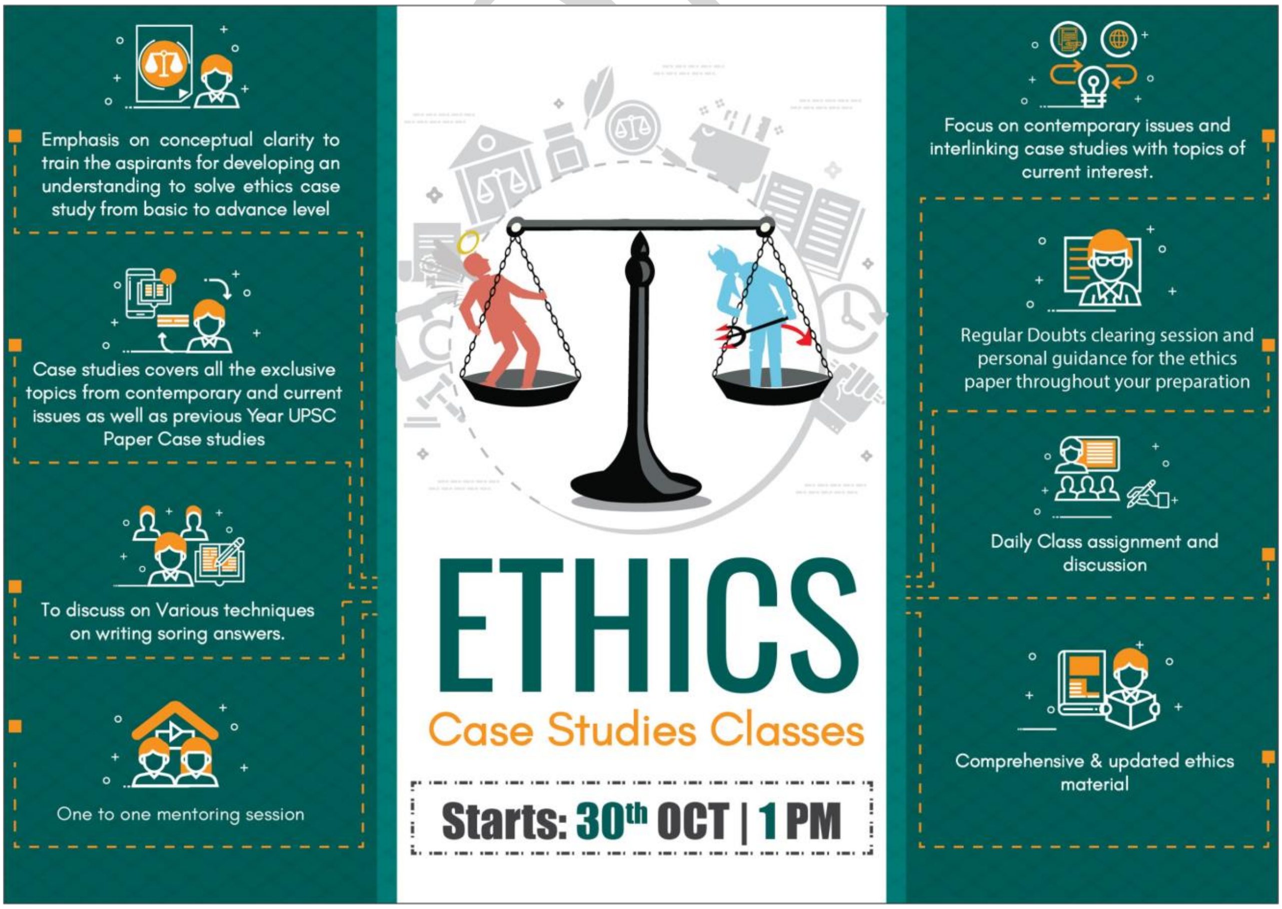

8. गवर्नेंस (Governance)

8.1. ई -गवर्नेंस (E-governance)

8.1.1. डेटा गवर्नेंस (Data Governance)

डेटा गवर्नेंस – एक नज़र में

डेटा गवर्नेंस

- विश्व स्तर पर, **डेटा–संचालित गवर्नेंस** को शासन के लिए एक नए दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। इसमें डेटा का उपयोग **नीतिगत निर्णयों को लागू करने, लक्ष्य निर्धारित करने, प्रदर्शन को मापने और सरकारी पारदर्शिता बढ़ाने** के लिए किया जाता है।

डेटा गवर्नेंस के लिए आवश्यक घटक

- नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके, नए मापन योग्य मापदंडों के लिए **डेटा एकत्र करना।**
- सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा मौजूदा डेटा संग्रह से संबंधित प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करना।
- विभिन्न स्रोतों से डेटा के भंडारण और एकीकरण के लिए वेयरहाउसिंग सुविधाओं का विस्तार करना।
- उद्योग के व्यवसायियों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, आदि के लिए, जहां कहीं भी संभव हो **डेटा उपलब्ध कराना।**
- समस्त नीति निर्माण में डेटा विश्लेषण और इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइज़ेशन को एकीकृत करना।

वर्तमान स्थिति

- सरकारी स्तर पर, **भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारें और महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय** डेटा एकत्र करते हैं।
- सांख्यिकीय सूचना का सामान्य प्रवाह राज्यों से केंद्र तक होता है, सिवाय उन मामलों में जहां संचालन केंद्र प्रायोजित योजनाओं का हिस्सा हैं।
- पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के बीच गैर–संवेदनशील डेटा की पहुंच और आसान साझाकरण को बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में **राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और पहुँच नीति (NDSAP)** को लागू किया गया।

बाधाएं

- **सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा संग्रह पर अत्यधिक निर्भरता है** जो काफी अंतराल पर जारी किए जाते हैं।
- डेटा संग्रह प्रणाली को सक्षम करने में काफी संख्या में हितधारक शामिल हैं।
- वर्तमान में उत्पन्न डेटा की उपयोगिता के साथ समस्या।
- साझा किए गए डेटा को बहु–आयामी अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करने के लिए **अन्य स्रोतों के डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया जा सकता है।**
- वर्तमान में उपलब्ध डेटा स्रोतों के बारे में जागरूकता की कमी।

आगे की राह

- डेटा एकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन।
- वास्तविक समय में डेटा साझाकरण सक्षम करना।
- अधिक बारीक स्तर– गांव/ब्लॉक/जिला पर डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- नागरिक स्तर के डेटा से निपटने के दौरान गोपनीयता के मुद्दे को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।
- निजी तृतीय पक्षों द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए।
- डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार सरकारी सांख्यिकीय संगठनों को नई प्रौद्योगिकियां अपनाने की आवश्यकता है।

8.1.1.1. डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (Data Governance Quality Index: DGQI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) पर सर्वेक्षण रिपोर्ट में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers) को आर्थिक गतिविधियों वाले 16 मंत्रालयों / विभागों के मध्य **दूसरा स्थान** और 65 मंत्रालयों / विभागों के मध्य **तीसरा स्थान** प्राप्त हुआ है।

DGQI के बारे में

- DGQI सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes: CS) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes: CSS) के कार्यान्वयन पर **विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के प्रदर्शन का आकलन करता है।**
- इसे **नीति आयोग** के अंतर्गत **विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय** (Development Monitoring and Evaluation Office: DMEO) द्वारा संचालित किया जाता है।
- DGQI का उद्देश्य **मंत्रालयों/ विभागों में डेटा संबंधी तत्परता के स्तर का** एक मानकीकृत ढांचे पर आकलन करना है, जो उनके मध्य स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे और सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से सीखने की सहयोगात्मक समकक्ष प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्रदान करे।
- **DGQI के छह प्रमुख विषयों (themes) में** डेटा उत्पादन, डेटा की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा एवं मानव संसाधन क्षमता तथा केस स्टडी सम्मिलित हैं।

गवर्नेंस (अभिशासन) में डेटा की क्या भूमिका है?

- **बेहतर निर्णय निर्माण:** तकनीकी विकास में तीव्र वृद्धि ने विभिन्न गतिविधियों द्वारा सृजित होने वाले डेटा की मात्रा में बढ़ोतरी की है। इस कारण, डेटा संबंधी निर्णय निर्माण पर व्यवसाय की निर्भरता में वृद्धि हुई है।
- **राजनीतिक जवाबदेही:** सार्वजनिक सरकारी डेटा (Open government data) राजनीतिक जवाबदेही का निर्माण, आर्थिक मूल्य का सृजन और संघीय पहलों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।
- **नागरिक सशक्तीकरण:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के उपरांत से, देश ने डिजिटल बुनियादी ढांचे और ई-गवर्नेंस नीतियों को नवोन्मेषी रूप देने की पहल में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जिससे नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण हुआ है।
- **सामाजिक लाभ योजनाओं में रिसाव को रोकता है:** रियल टाइम आधारित निगरानी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किसी भी संभावित रिसाव को कम कर सकता है।
- **कुशल प्रशासन:** संसाधित डेटा के साथ नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को सक्रिय रूप से संलग्न करना लक्षित एवं अनुरूप कार्यक्रमों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। इससे कार्यक्रमों की दक्षता में सुधार हो सकता है।
- यह बिना किसी विलंब/अंतराल के अभिशासन में **आवश्यकता आधारित सुधार** को संभव बनाता है।

चुनौतियां

- **डेटा का संग्रह:** डेटा का संग्रह करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि डेटा कई ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से प्राप्त होता है। विद्यमान अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को देखते हुए विभागों के मध्य और मंत्रालयों के बीच डेटा साझा करना एक चुनौती बन गया है।

- **शासन में डेटा के उपयोग हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति:** डेटा द्वारा संचालित नीतियां अधिक वास्तविक होने के साथ-साथ दीर्घकालिक लाभ को लक्षित कर सकती हैं। हालांकि, सरकारें इसके लिए तैयार नहीं भी हो सकती हैं। इसलिए, ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** सरकार द्वारा एकत्रित और संसाधित किए गए डेटा के संदर्भ में गोपनीयता का कोई भी उल्लंघन गंभीर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
- **वित्तीयन और नवाचार:** हालांकि व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच में अधिक वृद्धि हुई है, तथापि डेटा गवर्नेंस पर अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान के लिए लक्षित वित्तपोषण सीमित मात्रा में रहा है। इसके कारण, मौलिक शोध में कमी आई है, जिस पर नीति निर्माता भारत में डेटा गवर्नेंस पर सुदृढ़ नीति निर्णय लेने का प्रयास करते समय निर्भर हो सकते हैं।

आगे की राह

- **ओपन डेटा नीति:** यदि विभिन्न सरकारी संगठन अपने अधिकार में एकत्रित डेटा के अंशों को साझा करते हैं, तो समग्र रूप से निर्णय लिया जा सकता है।
- **क्षमता निर्माण:** तकनीकी कंपनियां और स्टार्ट-अप जो वृहद पैमाने पर जटिल डेटा का प्रबंधन करके डेटा विश्लेषिकी में समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **नवाचारों और अनुसंधान का वित्तपोषण:** अनुसंधान क्षेत्र में उद्योगों के वित्तीय योगदान के लिए एक संरचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही, सरकार को अनुसंधान के वित्तपोषण को प्राथमिक सूची में रखना चाहिए।
- **विधायी सुधार:** विभिन्न संस्थाओं द्वारा एकत्र किए गए डेटा को विभिन्न रूपों में संसाधित और प्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना विकृत, उद्घाटित, अधिगृहीत व चोरी ना की जा सके।
    - प्रस्तावित "**डेटा संरक्षण बिल**" और **क्रिस गोपालकृष्णन समिति** की रिपोर्ट इस दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं।

लोक प्रयोजन डेटा (Public Intent Data)

- हाल ही में, **विश्व बैंक** की **विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report)** में **पब्लिक इंटेंट डेटा (लोक प्रयोजन डेटा) की अवधारणा** को रेखांकित किया गया है।
    - विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2021 में जारी की गई इस रिपोर्ट का शीर्षक **'विश्व विकास रिपोर्ट 2021: बेहतर जीवन के लिए डेटा' (World Development Report 2021: Data for Better lives)** है।
- पब्लिक इंटेंट डेटा सार्वजनिक नीति की अभिकल्पना, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन के विषय में लोगों को सूचित करके या अन्य गतिविधियों के माध्यम से **जन कल्याण के उद्देश्य से एकत्र किया गया डेटा** होता है।
- यह डेटा कई **सरकारी कार्यों के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में कार्य करता है।** यह सेवा वितरण में सुधार करके, दुर्लभ संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारित करके, सरकारों को जवाबदेह बनाकर और जन सामान्य को सशक्त करके **सामाजिक कल्याण में सुधार ला सकता है।**

निष्कर्ष

सही समय पर विश्लेषित गुणवत्तापूर्ण डेटा, कार्यक्रम संबंधी निर्णय लेने, योजनाओं के कुशल वितरण और सक्रिय नीतिगत पुनरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि सरकारों द्वारा बिग डेटा का सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के लिए बड़े पैमाने पर (रक्षोपायों के साथ) उपयोग किया जाता है, तो यह एक व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

8.1.2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 {Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने "सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021" को अधिसूचित किया है।

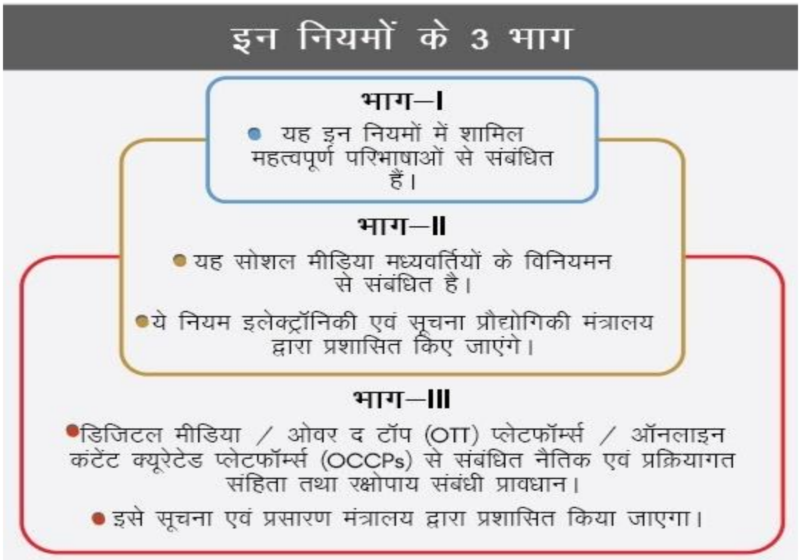

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के बारे में

- केंद्र सरकार ने **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** की **धारा 87(2)** के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन नियमों को तैयार किया है। ज्ञातव्य है कि इन नियमों को पूर्ववर्ती **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश) नियमावली 2011** {IT (Intermediary Guidelines) Rules 2011} के स्थान पर लाया गया है।

पृष्ठभूमि

निम्नलिखित घटनाक्रमों के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 अधिसूचित किए गए हैं:

- दिसंबर 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान आधारित एक रिट याचिका (प्रज्जवला वाद) पर सुनवाई के समय यह निर्दिष्ट किया था कि केंद्र सरकार बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री (चाइल्ड पॉर्नोग्राफी), बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की तस्वीरों, वीडियो आदि को कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स (या वेबसाइट) एवं अन्य एप्लिकेशन्स से हटाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार कर सकती है।
- नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध समाचार और समसामयिकी से जुड़ी सामग्री को **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** के दायरे के अधीन ला दिया।
- फरवरी 2021 में उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया गया, **जिसमें OTT, स्ट्रीमिंग और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रबंधन तथा निगरानी के लिए एक उचित बोर्ड, संस्था अथवा संघ (एसोसिएशन)** गठित करने का निर्देश दिया गया था।

सोशल मीडिया मध्यवर्ती से संबंधित दिशा-निर्देश (Guidelines Related to Social Media Intermediaries)

- **इसमें सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 1.) सोशल मीडिया मध्यवर्ती, और 2.) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती (Significant Social Media Intermediary: SSMI):** यह अंतर नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा छोटे प्लेटफॉर्म्स पर अनुपालन आवश्यकताओं का बोझ डाले बिना नए सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
- **उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिला प्रयोक्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना:** मध्यवर्तियों को ऐसे कंटेंट की शिकायत मिलने के 24 घंटों के भीतर इसे हटाना होगा या उस तक पहुंच निष्क्रिय करनी होगी, जो किसी व्यक्ति के निजी हिस्से या छेड़छाड़ की गई छवियों (morphed images) सहित छद्मरूप को प्रकट करते हों।
- **शिकायत निवारण तंत्र:** शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत को अभिस्वीकार (acknowledge) करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसी शिकायत का निपटान करेगा।
- **मध्यवर्ती इकाइयों द्वारा सम्यक् तत्परता (due diligence) का अनुपालन किया जाएगा:** इन सेफ हार्बर प्रावधानों को **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम** की **धारा 79** के तहत परिभाषित किया गया है। **सेफ हार्बर प्रावधान** सोशल मीडिया मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की गई किसी भी सामग्री के लिए कानूनी अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करके उन्हें सुरक्षित करते हैं।

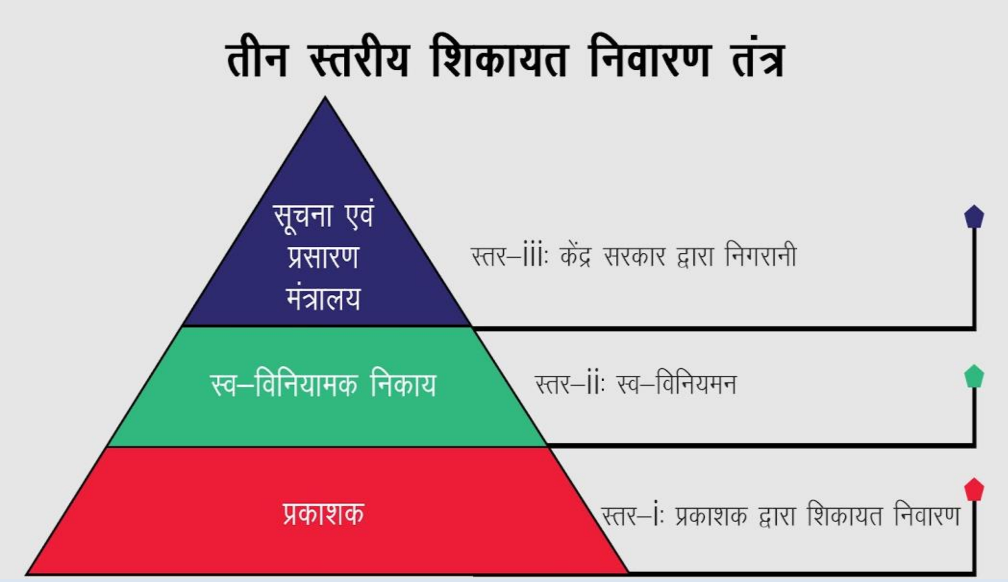

डिजिटल मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स से संबंधित दिशा-निर्देश (Guidelines Related to Digital Media and OTT Platforms)

- **आचार संहिता (Code of Ethics):**
  - **सामग्री का वर्गीकरण:** OTT प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें इन नियमों में ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशक के रूप में उल्लेखित किया गया है, ऑनलाइन प्रसारित होने वाले कंटेंट को उनकी विषय-वस्तु और संदेश, हिंसा, नग्नता, नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन आदि के आधार पर पांच आयु-आधारित श्रेणियों, यथा- **U (यूनिवर्सल), U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+** और **A (वयस्क)** में स्व-वर्गीकृत करेंगे।
  - OTT प्लेटफॉर्म्स को "U/A 13+" या उच्चतर के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए **पैरेंटल लॉक (अभिभावकीय नियंत्रण)** और "A" के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए **विश्वसनीय आयु सत्यापन प्रणाली** को लागू करना अनिवार्य होगा।
  - दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट तक पहुंच में सुधार के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
- **तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र।**
- **आपातकालीन स्थितियों में सूचना को अवरुद्ध करना:** प्राधिकृत अधिकारी, आपातकालीन प्रकृति की स्थिति में, यह जांच करेगा कि अधिनियम की धारा 69A की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आधार के तहत कंटेंट को प्रतिबंधित करना आवश्यक और उचित है या नहीं।

OTT प्लेटफार्मों को विनियमित करने की आवश्यकता

- **OTT उद्योग का त्वरित विकास:** भारत वर्तमान में विश्व का सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाला OTT बाजार है और वर्ष 2024 तक भारत OTT उद्योग में विश्व के छठे सबसे बड़े बाजार के रूप में स्थापित हो जाएगा। यह संभावना व्यक्त की गयी है कि भारतीय OTT बाजार का आकार वित्त वर्ष 2019 के 42.50 बिलियन रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 तक 237.86 बिलियन रुपये हो जाएगा।
- **निगरानी का अभाव:** यद्यपि भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India: PCI) द्वारा प्रिंट मीडिया, समाचार प्रसारक संघ (News Broadcasters Association: NBA) द्वारा टेलीविजन समाचार चैनलों और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification: CBFC) द्वारा फिल्मों की निगरानी की जाती है, तथापि वर्तमान में किसी विधि या स्वायत्त निकाय द्वारा डिजिटल सामग्री या OTT प्लेटफ़ॉर्म को शासित नहीं किया जाता है।
  - इसके अलावा, ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री के विनियमन के लिए कोई विशिष्ट विधि भी उपलब्ध नहीं है।
- **आपत्तिजनक सामग्री के बारे में चिंता:** पर्याप्त विनियमन के बिना, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग संभवतः फेक न्यूज और हेट स्पीच (घृणा का प्रचार करने वाला भाषण) के प्रसार और अश्लील या हिंसक सामग्री को प्रकाशित करने के लिए किया जा सकता है।
- **सामग्री के विनियमन में समानता:** भारत में फिल्म उद्योग ने चिंता व्यक्त की है कि उनके व्यवसाय के लिए CBFC से प्रमाणन की अनिवार्यता पर बल दिया जाता है, जबकि OTT प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल सामग्री बिना किसी फिल्टर या स्क्रीनिंग (जाँच प्रदर्शन) के व्यापक पैमाने पर लोगों के लिए उपलब्ध होती है।
- **जनता से विभिन्न शिकायतों की प्राप्ति:** देश भर की न्यायालयों में कई PIL याचिकाएं दायर की गई हैं जो ऑनलाइन सामग्री से संबंधित चिंता और ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

आगे की राह

- **राज्य द्वारा सेंसरशिप और स्व-विनियमन के मॉडल के मध्य सामंजस्य:** स्व-विनियमन के लिए बहु हितधारक दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। इसके तहत सामग्री रचनाकारों और कलाकारों की रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के साथ-साथ सामग्री का चयन और उपयोग करने में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण भी सम्मिलित होना चाहिए।
- **वैश्विक रेटिंग प्रणाली की स्थापना:** OTT पर स्वदेश में निर्मित सामग्री के लिए सामग्री संबंधी मानक रेटिंग प्रणाली और उसके लिए कोटा निर्धारित किया जा सकता है।
- **शिकायतों के निवारण के लिए स्वतंत्र तंत्र:** संबंधित OCCP (ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स) के द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के संबंध में नागरिकों की शिकायतों के समाधान हेतु एक स्वायत्त संगठन बनाया जा सकता है।

व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करना: सरकार OTT प्लेटफॉर्म्स को अपनी सामग्री के स्व-विनियमन में सहायता पहुँचाने हेतु विद्यमान विधियों में निर्धारित सिद्धांतों को शामिल कर उपयुक्त दिशा-निर्देशों का निर्माण कर सकती है। विद्यमान विधियों में सम्मिलित हैं- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; भारतीय दंड संहिता, 1860; स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 {Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986}; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012; प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (Copyright Act, 1957) आदि।

8.1.3. बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का विनियमन (Regulation of Big Tech Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी-प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा एकाधिकार शक्ति के दुरुपयोग के कारण इन पर संपूर्ण विश्व में कई जाँचें चल रही हैं।

पृष्ठभूमि:

- ज्ञातव्य है कि अनेक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों की शुरुआत **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)** में हुई है और उन्होंने अपनी एक **वैश्विक उपस्थिति** भी दर्ज की है। वे सतत रूप से ऐसे बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने का प्रयास कर रही हैं, जहां वर्तमान में अन्य कंपनियों ने प्रवेश नहीं किया है।
- ऐसे में प्रौद्योगिकी बाजार में अपने प्रभुत्व के कारण, **बड़ी तकनीकी कंपनियां न केवल अर्थव्यवस्था, बल्कि समाज को भी प्रभावित करती हैं।**
- ये कंपनियां हमारे समाज के प्रगति-पथ को आकार दे रही हैं।
- हालांकि, हाल के दिनों में इन **प्रमुख इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स द्वारा घृणा वाक् (हेट-स्पीच) के प्रसार, दुष्प्रचार और षड्यंत्रकारी गतिविधियों के कई प्रमाण** प्राप्त हुए हैं।
- इससे विभिन्न एकाधिकार रोधी (Antitrust) मामले सामने आए हैं और उनके विरुद्ध जांच की जा रही है। ये घटनाक्रम इस उभरती प्रणाली में बड़ी तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनकी भूमिका के निर्धारण और विनियमन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

बड़ी प्रौद्योगिकी अर्थात् बिग टेक कंपनियों द्वारा समाज में निभाई जाने वाली भूमिका:

सकारात्मक भूमिका	नकारात्मक भूमिका
• **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार:** बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां नागरिकों को आपस में जुड़ने, स्वयं को अभिव्यक्त करने, सूचना प्राप्त करने और मनोरंजन का उपभोग करने के लिए शक्तिशाली प्लेटफॉर्म्स प्रदान करती हैं। • **डोरस्टेप (घर तक) सेवाएं:** बिग टेक कंपनियां **वस्तुओं, सेवाओं और मनोरंजन** की एक असाधारण श्रेणी की डोरस्टेप डिलीवरी उपलब्ध करवाती हैं। इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भी आधुनिक जीवन-चर्या को संभव बना दिया था। • **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** बिग टेक कंपनियां प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करती हैं और आवश्यकता के अनुसार नवाचार उपलब्ध कराती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए विविधीकरण और दक्षता संभव हो पाती है, उदाहरणार्थ- वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण।	• **जवाबदेही रहित शक्ति:** उदाहरणार्थ- बिग टेक कंपनियों पर अमेरिका और यूरोप में चुनावों को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। • **प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार:** उदाहरणार्थ- **फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का अधिग्रहण।** • **सार्वजनिक व्यवहार को भड़काना:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे- फेसबुक, ट्विटर को नियंत्रित करने वाली बिग टेक कंपनियों के पास देश अथवा समाज में प्रचलित मुद्दों (narratives) में इच्छानुसार परिवर्तन करने, वैमनस्य फैलाने वाले भाषण (हेट-स्पीच) का प्रचार करने, दुष्प्रचार आदि फैलाने की क्षमता होती है। • **साइबर अपराध:** इंटरनेट और इसका प्रभावी रूप से उपयोग करने वाली बिग टेक कंपनियों के पास संभावित हानिकारक कंटेंट और साइबर अपराध, जैसे- अफवाहें, भड़काऊ एवं उत्तेजक संदेश और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रसारित करने की क्षमता होती है। • **गोपनीयता का उल्लंघन:** डेटा गोपनीयता कानूनों की अनुपस्थिति में, उपयोगकर्ताओं से सार्थक सहमति प्राप्त किए बिना ही उपयोगकर्ताओं

	के व्यक्तिगत डेटा का इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा दोहन किया जाता है।

बिग टेक कंपनियों द्वारा निभाई जाने वाली उपर्युक्त नकारात्मक भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए, इन सभी उभरती हुई बड़ी तकनीकी कंपनियों को विनियमित करने के लिए हमारे वर्तमान विधिक और तकनीकी ढांचे को विकसित करना आवश्यक है।

भारत में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए विनियामकीय तंत्र

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	○ **यह अधिनियम कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को शासित करता है** तथा सभी 'मध्यवर्तियों' को सम्मिलित करता है जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों (रिकॉर्ड) के उपयोग में भूमिका निभाते हैं। ○ "किसी कंप्यूटर संसाधन में सृजित, पारेषित, प्राप्त और भण्डारित किसी भी सूचना के अन्तररोधन, निगरानी या विगूढ़न" पर केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)	○ सहभागिता और प्रवर्तन के माध्यम से अनुकूल प्रतिस्पर्धी संस्कृति का संवर्धन करना और बनाए रखना। ○ यह निर्धारित करता है कि क्या किसी प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग किया है। ○ यह CCI को एक प्रभावी कंपनी को विभाजित करने का अधिकार प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कंपनी अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग न करे जिसका बाद में आह्वान किया जा सकता हो।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)	○ बिज़नस टू कस्टमर (B2C) उद्यमों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मामले की निगरानी करता है।

बिग टेक कंपनियों के विनियमन से संबंधित मुद्दे

- **वैश्विक स्तर पर विनियमन में समन्वय का अभाव:** बिग टेक कंपनियों की भौगोलिक पहुंच अत्यधिक व्यापक है। इसके बावजूद, वैश्विक स्तर पर देशों की विभिन्न प्राथमिकताओं को समायोजित करने, अंतर्देशीय समन्वय का समर्थन करने तथा बिग टेक कंपनियों के संबंध में विनियामकीय विषमता के जोखिम को कम करने के लिए कोई वैश्विक निगरानी और विनियामक ढांचा नहीं है।
- **कर परिहार (Tax avoidance):** करों के भुगतान से बचने के लिए बिग टेक कंपनियां, आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) के नियमों में निहित कमियों और असंतुलन/बेमेल का लाभ उठा रही हैं। हाल ही में, इस मुद्दे से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए न्यूनतम 15% वैश्विक कॉर्पोरेट कर दर के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है।
- **डेटा गोपनीयता कानून की अनुपस्थिति:** बिग टेक फर्मों को व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए भारत में अभी तक कोई व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून नहीं है।
- **डेटा पर संप्रभु नियंत्रण की अनुपस्थिति:** चूंकि बिग टेक कंपनियां बिना किसी बाधा के एक देश से डेटा को दूसरे किसी देश में स्थित अपने सर्वर में भंडारित करती हैं, इसलिए ऐसे डेटा पर नियंत्रण स्थापित करना या किसी प्रकार का दावा करना कठिन हो जाता है।
    - **डेटा स्थानीयकरण (data localization):** यह अनेक देशों द्वारा अपनाई गई एक प्रमुख रणनीति है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस देश में डेटा सृजित हुआ है, उसी देश में डेटा को भंडारित या प्रसंस्कृत किया जाए।
    - उल्लेखनीय है कि, **RBI** ने भी **डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को यह निर्देश जारी किया है** कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से सृजित संपूर्ण डेटा, छह महीने की अवधि के भीतर भारत में ही एक प्रणाली के अंतर्गत संग्रहित किया जाए।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79-II,** वर्तमान में ऑनलाइन मध्यस्थों को उनके प्लेटफ़ॉर्म पर साझा किए गए किसी भी तृतीय-पक्ष के कंटेंट के लिए उत्तरदायित्व से छूट प्रदान करती है।

आगे की राह

- **गतिशील और अनुकूलनीय नियामक ढांचा:** तेजी से विकसित होने वाली प्रौद्योगिकियों में अग्रणी रहने और प्रतिस्पर्धी व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढांचे को एकीकृत, लचीला, गतिशील और सामाजिक परिवर्तन को अपनाने में सक्षम होना चाहिए।

- **डेटा सुरक्षा:** यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डेटा को उचित रूप से स्थानीय स्तर पर भंडारित किया जाए और व्यक्तियों को पूर्ण गोपनीय सुरक्षा प्रदान की जाए।
  - भारत में इन सभी मुद्दों के मूल्यांकन के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति "वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक" (Personal Data Protection Bill) की संवीक्षा कर रही है।
- **कराधान:** मूल रूप से भारत में संचालित होने वाली आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, जैसे- लेन-देन की मात्रा, आय और अन्य उपार्जन के आधार पर उचित रूप से कर आरोपित किया जाना चाहिए।
- **कमियां और अंतराल को समाप्त करना:** बिग टेक कंपनियों के विनियमन को अधिक व्यापक और कुशल बनाने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885; भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और प्रतिस्पर्धा संबंधी विभिन्न अधिनियमों एवं विनियमों में व्याप्त कमियों को दूर करने की आवश्यकता है।
- **साइबर अपराध से निपटने के लिए सहयोग:** प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता कंपनियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य देशों के बीच सहयोग के माध्यम से साइबर अपराध और अन्य ऐसे अपराधों का सामना किया जा सकता है, जो कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके किए जाते हैं।

निष्कर्ष

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र और डिजिटल राष्ट्र के लिए, बिग टेक कंपनियों के नियमन हेतु विनियामक ढांचे में संतुलन स्थापित करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। ऐसा करके ही भारत इस क्षेत्र में एक वास्तविक अभिकर्ता के रूप में उभर सकता है।

8.2. सिटीजन चार्टर (Citizen's Charter)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)** ने **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR)** के सहयोग से एक **आदर्श पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क** जारी किया है।

भारत में पंचायतें **ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के तृतीय स्तर** का निर्माण करती हैं। ये **भारत के संविधान के अनुच्छेद 243G के अंतर्गत** विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, पोषण व पेयजल के क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का **मूल उद्देश्य** सेवाओं के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाना तथा **बिना किसी पूर्वाग्रह के और नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार** करना है।
- पंचायतों द्वारा प्रतिबद्ध मानक **सेवा वितरण की निगरानी और मूल्यांकन** के लिए उपयोगी मानदंड है।
- यह एक ओर **नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति** जागरूक करने में तथा दूसरी ओर **पंचायतों एवं उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रत्यक्षत: जनता के प्रति जवाबदेह** बनाने में सहायता करेगा।
- इसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित **सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs)** के साथ कार्यवाहियों को संरेखित करते हुए **29 क्षेत्रकों में सेवाओं के वितरण** के लिए तैयार किया गया है।

सिटीजन चार्टर या नागरिक चार्टर के बारे में

- इस अवधारणा को **पहली बार वर्ष 1991 में यूनाइटेड किंगडम में व्यक्त और कार्यान्वित** किया गया था।
- **नागरिक चार्टर या सिटीजन चार्टर:** यह एक **दस्तावेज** है, जो नागरिकों के प्रति **संगठनों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले एक व्यवस्थित प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। इन प्रतिबद्धताओं में सेवा से संबंधित मानक, सूचना, पसंद** और परामर्श, गैर-भेदभाव और पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और मुल्यानुरूप सेवाएँ शामिल हैं।
- **सिटीजन चार्टर की मुख्य विशेषताएं:**
  - यह **सेवा प्रदाताओं** द्वारा की गई एक **लिखित व स्वैच्छिक घोषणा** है।
  - यह **विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं** है और इसलिए **गैर-न्यायसंगत** है।
- मूल रूप से, **सिटीजन चार्टर आंदोलन के छह सिद्धांत तैयार किए गए हैं।** (इन्फोग्राफिक देखें)

VISION IAS

- **भारत द्वारा वर्ष 1997 में** नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में **सिटीजन चार्टर को अपनाया गया था।**
- **नागरिक वस्तु और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011 {Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011} (सिटीजन चार्टर)** नागरिकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र निर्मित करने का प्रयास करता है। हालांकि, वर्ष 2014 में लोक सभा के भंग होने के कारण यह व्यपगत हो गया था।
- वर्ष 2006 में, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा सेवोत्तम मॉडल (सेवा वितरण उत्कृष्टता मॉडल) की कल्पना की गई थी।
  - सेवोत्तम **एक मूल्यांकन-सुधार मॉडल** है जिसे **देश में सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार लाने** के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

सिटीजन चार्टर का महत्व:

- यह **सुशासन प्राप्त करने का एक साधन** है। सुशासन में तीन अनिवार्य पहलुओं **पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन की प्रतिक्रियाशीलता** पर बल दिया गया है।
- यह **लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करता है, उनकी शिकायतों का निवारण** करता है और उनके जीवन में सुधार करता है।

- यह **सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ताओं के मध्य विश्वास को सुनिश्चित करता है।** साथ ही, लोक सेवा वितरण के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाता है।

- **सिटीजन चार्टर को लागू करने में चुनौतियां**
- **सिटीजन चार्टर के डिजाइन से संबंधित मुद्दे:** अक्सर, सिटीजन चार्टर एक **जटिल भाषा में प्रकाशित होता है** जो सरलता से समझ में नहीं आता है। इन्हें शायद ही कभी अद्यतित (अपडेट) किया जाता है, अधिकांश मामलों में ये सहभागी तंत्र से रहित होते हैं। कई बार जब सिटीजन चार्टर का प्रारूप तैयार किया जाता है तो अंतिम उपयोगकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों से भी परामर्श नहीं किया जाता है।
- **सिटीजन चार्टर के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दे:**
  - **वितरण के मानक:** वितरण के मापन योग्य मानकों को संभवत: ही कभी परिभाषित किया जाता है। इससे यह आकलन करना कठिन हो जाता है कि सेवा का वांछित स्तर हासिल किया गया है या नहीं।
  - **सभी एजेंसियों के लिए एक समान सिटीजन चार्टर:** सामान्यतः एक मूल संगठन के अंतगर्त शामिल सभी एजेंसियों के लिए एक समान सिटीजन चार्टर को अपनाया जाता है। सिटीजन चार्टर को अभी भी उन सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा नहीं अपनाया गया है, जो स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा करते हैं। साथ ही, सभी एजेंसियों के सिटीजन चार्टर में विविधता का अभाव विद्यमान है।
- **नागरिकों से संबंधित मुद्दे:**
  - **सूचना संबंधी विषमता:** जनसामान्य में चार्टर के संबंध में जागरूकता का अभाव है और विभाग इसका पालन न करने पर दंड देने से कतराते हैं।
- **जवाबदेही में कमी:** अधिकांश संगठनों ने चार्टर के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए कोई रिपोर्टिंग और आवधिक समीक्षा तंत्र विकसित नहीं किया है। यहां तक कि वार्षिक रिपोर्ट में चार्टर के कार्यान्वयन या कार्यान्वयन की योजनाओं की समीक्षा भी शामिल नहीं है।

- **प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी:** विभिन्न मामलों में, संबंधित कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। जबकि किसी भी चार्टर को सफल बनाने हेतु इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के पास उचित प्रशिक्षण होना चाहिए।

आगे की राह

- **सरल भाषा:** सिटीजन चार्टर के निर्माण के समय **स्थानीय भाषा** का प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **मानकों में स्पष्टता और सटीकता:** सिटीजन चार्टर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अस्पष्ट दृष्टिकोण एवं मिशन के वक्तव्यों की पूर्ति हेतु **मानकों और प्रतिबद्धताओं में सटीकता को शामिल करना महत्वपूर्ण है।**
- **सहभागी संरचनाएं: प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली** चार्टर के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करती है तथा इस प्रकार संगठन को **सहभागी, उत्तरदायी व जवाबदेह** बनाती है।
- **सेवोत्तम (सेवा वितरण उत्कृष्टता मॉडल):** यह सार्वजनिक **सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार,** प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र और **सिटीजन चार्टरों के सफल कार्यान्वयन में सहायता कर सकता है।**
- **क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ:** प्रशिक्षकों एवं कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने व चार्टर के प्रभावी कार्यान्वयन और जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।
- नियमों और दिशा-निर्देशों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए **प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं निगमन** व सिटीजन चार्टरों के बारे में जानकारी का **पुनरीक्षण तथा उन्हें अद्यतित** किया जाना चाहिए।

VISION IAS

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission: ARC) की अनुशंसाएं

- **एक ही सिटीजन चार्टर सभी संगठनों के लिए उपयुक्त नहीं है:** सिटीजन चार्टर का निर्माण एक विकेंद्रीकृत गतिविधि होनी चाहिए। इसमें मुख्य कार्यालय केवल व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करने वाला होना चाहिए।
- **व्यापक परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए,** जिसमें नागरिक समाज शामिल हो।
- **दृढ़ प्रतिबद्धताएं निर्धारित की जानी चाहिए: सिटीजन चार्टर सटीक होना चाहिए** और जहां भी संभव हो, मात्रात्मक शर्तों में नागरिकों/उपभोक्ताओं के लिए **सेवा वितरण मानकों की दृढ़ प्रतिबद्धता** होनी चाहिए।
- चार्टर में दी गई प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए **आंतरिक प्रक्रिया और संरचना में सुधार किया जाना चाहिए।**
- चूक के मामले में **निवारण तंत्र** होना चाहिए।
- बाह्य एजेंसी के माध्यम से नागरिक चार्टरों का **आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।**
- **परिणामों के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।**

8.3. सामाजिक जवाबदेही (Social Accountability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राजस्थान में राज्य स्तर पर एक अभियान आरंभ किया गया है। इसमें मांग की गई है कि अगले विधान सभा सत्र में **सामाजिक जवाबदेही कानून** पारित किया जाए।

सामाजिक जवाबदेही क्या है?

- सामाजिक जवाबदेही का आशय सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने से है। इसके लिए देश के नागरिक, अलग-अलग समुदाय, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज संगठन विभिन्न कार्यवाइयों एवं तंत्रों का उपयोग करके सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हैं।
- सेवा प्रदायगी (service delivery) के विभिन्न चरणों में शामिल **सामाजिक जवाबदेही के सामान्य साधन निम्नलिखित हैं:**

साधन	विवरण	जहां प्रचलन में हैं
सहभागी बजट (Participatory budgeting)	यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें नागरिक बजट बनाने, निर्णय लेने और बजट के कार्यान्वयन की निगरानी में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। यह नागरिकों को मुख्य रूप से सरकार के स्थानीय स्तर पर **बजट के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कराने के लिए** एक माध्यम उपलब्ध कराता है।	**गुजरात**
सहभागी नियोजन (Participatory Planning)	यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें **सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थी अपने लिए कार्यक्रम के घटकों की योजना तथा रूपरेखा निर्मित करने में शामिल होते हैं।** इसके चलते स्थानीय समस्याओं और प्राथमिकताओं को निर्धारित कर उनका समाधान किया जाता है।	**केरल**
सरकारी व्यय पर नजर रखना	इसका उद्देश्य नागरिक समूहों को सार्वजनिक वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने हेतु आरंभ से अंत तक सार्वजनिक संसाधनों के प्रवाह की निगरानी करने में शामिल करना है। इसकी सहायता से **बाधाओं, अक्षमताओं या भ्रष्टाचार के बारे में पता लगाया जा सकता है।**	**दिल्ली एवं राजस्थान**
नागरिक रिपोर्ट कार्ड	यह समाज में शामिल सभी के विचारों पर आधारित होता है। इसलिए, इसे **सहभागी सर्वेक्षण** भी कहते हैं। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं को नागरिकों की संतुष्टि के स्तर के बारे में मात्रात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करता है।	**बेंगलुरु और महाराष्ट्र**
समुदाय स्कोर कार्ड	यह **समुदाय आधारित निगरानी का एक साधन है।** इसमें समुदाय के साथ निर्धारित विषय पर ग्रुप डिस्कशन द्वारा प्राप्त किए गए गुणात्मक डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद **सेवाओं,**	**महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश**

	परियोजनाओं और सरकारी प्रदर्शनों का आकलन किया जाता है।	
सामाजिक लेखा-परीक्षा (सोशल ऑडिट)	इसे **सामाजिक लेखांकन** भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सरकारी कार्यक्रम के तहत निर्धारित लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी से सरकारी कार्यक्रम की लेखा-परीक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया के अंत में जन सुनवाइयों का आयोजन किया जाता है। इन जन सुनवाइयों के दौरान जांच के नतीजों पर चर्चा होती है और सेवा प्रदाताओं, अधिकारियों एवं लाभार्थियों के सामने ही विसंगतियों को प्रकट किया जाता है।	
नागरिक चार्टर	यह एक दस्तावेज़ होता है, जो **नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में बताता है, जैसे:** • **सार्वजनिक सेवाओं के उपयोगकर्ता के रूप में सेवाओं से संबंधित उनके अधिकार,** • सेवाओं से संबंधित मानकों जैसे कि समय सीमा और गुणवत्ता, • मानकों का पालन न होने पर उपलब्ध उपाय, तथा • साथ ही, यह सेवा की प्रक्रियाओं, लागतों और शुल्कों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।	**आंध्र प्रदेश व कर्नाटक**

सामाजिक जवाबदेही के प्रयासों के समक्ष विद्यमान चुनौतियां और सुभेद्यताएं

- **सुधार का विरोध:** इसके परिणामस्वरूप निहित स्वार्थ वाले लोग **महत्वपूर्ण जानकारी को छिपा कर अपूर्ण या अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।** उदाहरण के लिए, बजट संबंधी दस्तावेजों के बारे में अधूरी जानकारी देना, जो विभिन्न सामाजिक जवाबदेही पहलों का संचालन करने के लिए आवश्यक होता है।
- **नागरिकों में आत्मसंतोष:** ऐसा तब होता है जब प्रणाली में समुदाय के शक्तिशाली सदस्यों को चुन लिया जाता है या जहां भ्रष्टाचार और अपराध से संपूर्ण समुदाय को लाभ प्राप्त होता है। इसका परिणाम यह होता है कि **नागरिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं बोलते** और सामाजिक जवाबदेही के प्रयासों में **सहयोग करने से इनकार कर देते हैं।**
- **शक्तिशाली निहित स्वार्थ के कारण व्यवधान:** खतरे और दबाव के भय से लोग सामाजिक जवाबदेही की पहलों में सीधे तौर पर हिस्सा लेने और अपनी बात रखने से बचते हैं।
- **प्रभावी शिकायत निपटान व्यवस्था का अभाव:** प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से सामाजिक जवाबदेही के निष्कर्षों पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई सामाजिक जवाबदेही पहल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

मजबूत सामाजिक जवाबदेही कानून के लिए अनिवार्य घटक

सामाजिक जवाबदेही निम्नलिखित दो कारकों के संयुक्त रूप से कार्य करने का परिणाम होती है:

- **संस्थानों की प्रणाली:** यह नागरिक भागीदारी के लिए मंच का निर्माण करती है।
- **सूचित और एकजुट नागरिक:** ये प्रणाली से जवाबदेही से संबद्ध मांग करने के लिए इन मंचों का उपयोग करते हैं। **इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है:**
    - **प्रभावी विकेंद्रीकरण:** सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को "सब्सिडिरिटी या सहायिकता के सिद्धांत" को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। इसके तहत स्थानीय सरकारों अर्थात् पंचायतों और नगरपालिकाओं को कार्यान्वयन के लिए शक्तियां एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।
    - **सूचना और जागरूकता:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 को और मजबूत करके, उपयुक्त और विश्वसनीय सूचना की जानकारी देने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
    - **क्षमता निर्माण और समुदाय को एकजुट करना:** अधिकारियों के साथ-साथ नागरिकों के लिए भी नियमित प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही, योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भागीदारी के लिए लोगों को संगठित

करने हेतु स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और अन्य सामुदायिक समूहों की मदद ली जानी चाहिए।

- **कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में सामाजिक जवाबदेही को अनिवार्य बनाना:** प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन में सामाजिक जवाबदेही (संदर्भ पर निर्भर, सेवा उपलब्ध कराने का चरण आदि) को आवश्यक बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिन योजनाओं का लोगों पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता है, उनके लिए सामाजिक लेखा-परीक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **शिकायतों का समाधान:** इसके तहत प्राप्त शिकायतों का निदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन और विस्तृत आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान उभरती स्थितियों को देखते हुए सामाजिक जवाबदेही पर एक केंद्रीय कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। इससे प्रणाली को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और सक्षम बनाया जा सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार द्वारा आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रम तक समाज के निर्धन, हाशिये पर स्थित और वंचित वर्ग को बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। इससे गरीबी को कम किया जा सकेगा और देश का विकास होगा।

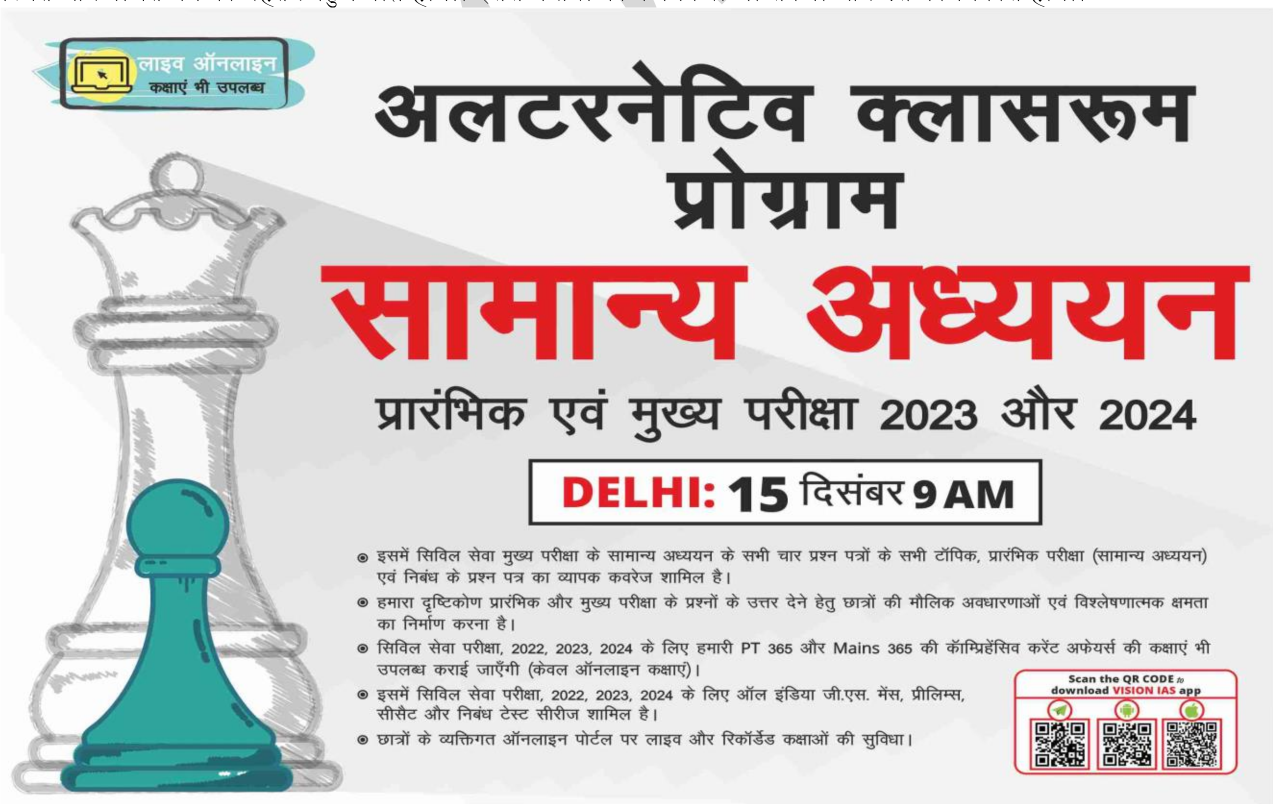

9. स्थानीय शासन (Local Governance)

9.1. शहरी स्थानीय शासन (Urban Local Governance)

अर्बन गवर्नेंस या शहरी अभिशासन – एक नज़र में

अर्बन गवर्नेंस

- अर्बन गवर्नेंस से तात्पर्य है कि कैसे सरकार (स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय) तथा हितधारक शहरी क्षेत्रों की योजना, वित्त एवं प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेते हैं।

अर्बन गवर्नेंस की आवश्यकता

- **शहर** आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार सृजन में वृद्धि करने और सभी स्तरों पर सार्वजनिक वित्त में सुधार करने के केंद्र में होते हैं।
- भारत तेज गति से शहरीकरण कर रहा है और यह अपेक्षा की गयी है कि वर्ष 2050 तक, भारत की लगभग 50% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। इसके लिए स्थायी बुनियादी ढांचे और सेवाओं की उपलब्धता की आवश्यकता होगी।

भारत में अर्बन गवर्नेंस

- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों हेतु 18 कार्यात्मक विषयों वाली बारहवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा है।

भारत में अर्बन गवर्नेंस को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

- शहरों में एक आधुनिक स्थानिक योजना ढांचे, सार्वजनिक उपयोगिता डिजाइन मानकों और शहरों में जमीन के स्वामित्व अधिकारों का अभाव।
- शहरी क्षेत्र में सभी स्तरों पर, विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन क्षमताओं का अभाव।
- विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग आदि जैसे एक से अधिक संस्थान।
- शहर के स्तर पर निर्वाचित अधिकारियों (महापौरों और पार्षदों) तथा शहर/जिला स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक सेवा कैडर के मध्य शक्तियों का वितरण केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की ओर अत्यधिक झुका हुआ है

आरंभ की गई महत्वपूर्ण पहलें

- **अवसंरचना:** सबके लिए आवास, स्मार्ट सिटीज मिशन, **अमृत** – अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन।
- **स्वच्छता:** स्वच्छ भारत मिशन।
- **पर्यटन: हृदय**– राष्ट्रीय विरासत शहर का विकास और संवर्धन योजना।

आगे की राह

- प्रत्येक शहर को अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट इकाई के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों और नागरिक एजेंसियों के वित्त को मजबूत करना चाहिए।
- राज्य सरकारों को शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची की निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- शहरों की स्थानिक योजना के लिए आधुनिक राष्ट्रीय ढांचा होना चाहिए।
- पारदर्शी भूमि बाजार को बढ़ावा देने के लिए भूमि के स्वामित्व अधिकार की गारंटी दी जानी चाहिए।
- नगर निगम की नौकरियों के लिए कौशल विकास और संस्थानों को मजबूत करके क्षमता निर्माण करना चाहिए।
- नागरिक भागीदारी में वृद्धि करना समय की आवश्यकता है।

9.2. शहरी स्थानीय निकायों में सुधार {Urban Local Bodies (ULBs) Reforms}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** ने **नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (Municipal Performance Index: MPI) 2020** की अंतिम रैंकिंग को जारी करने की घोषणा की है।

नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (MPI) के बारे में

- यह मूलभूत सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान से लेकर शहरी नियोजन जैसे अधिक जटिल डोमेन के कार्यों के परिभाषित समूह के आधार पर भारतीय नगरपालिकाओं के प्रदर्शन का आकलन और विश्लेषण करने का एक प्रयास है।
- **इसके अतिरिक्त, नागरिक अपने स्थानीय सरकारी प्रशासन को बेहतर रीति से समझ सकते हैं।** इससे पारदर्शिता का निर्माण होता है और इसके प्रमुख हितधारकों के मध्य विश्वास का सृजन होता है।
- इस सूचकांक में **इंदौर 10 लाख से अधिक जनसंख्या** वाली नगरपालिकाओं में शीर्ष पर है, जबकि **नई दिल्ली 10 लाख से कम लोगों वाले शहरों** में शीर्ष पर है।
- रिपोर्ट में उल्लेखित है कि **अधिक वित्तीय स्वायत्तता वाले शहर सेवा और प्रशासन को प्रदान करने में बेहतर हैं।**
- **सिफारिशें:**
  - नगरपालिकाओं द्वारा वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए, रिपोर्ट में **राजकोषीय विकेंद्रीकरण** को आगे बढ़ाने हेतु संविधान में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है।
  - रिपोर्ट ने **संपूर्ण भारत के लिए मेयर के पांच वर्ष के कार्यकाल** को सृजित करने का भी सुझाव दिया है। साथ ही योजना, विकास, आवास, जल और पर्यावरणीय गतिविधियों की रिपोर्ट राज्य सरकारों के स्थान पर नगरपालिकाओं को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करने की संस्तुति की है।

ULBs में सुधार हेतु उठाए गए प्रमुख कदम

राज्य सरकार के स्तर पर सुधार	• बाजार में भूमि की आपूर्ति (उपलब्धता) बढ़ाने और एक कुशल भूमि बाजार की स्थापना के लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन।
	• अधिक आवासों के निर्माण और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए गृह-स्वामियों और किरायेदारों के अधिकारों और दायित्वों को संतुलित करने हेतु किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार हेतु उपाय किए गए हैं।
	• न्यूनतम बाधाओं के साथ संपत्ति के हस्तांतरण हेतु एक कुशल अचल संपत्ति बाजार स्थापित करने के लिए स्टांप शुल्क का युक्तिकरण किया गया है, ताकि इस बाजार को अधिक उत्पादक बनाया जा सके।
ULBs के स्तर पर सुधार	• पारदर्शी प्रशासन, त्वरित सेवा वितरण, सेवा वितरण लिंक (नेटवर्क) में सामान्य सुधार हेतु ई-अभिशासन।
	• शहरी स्थानीय निकायों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता के लिए आधुनिक लेखांकन प्रणाली के माध्यम से नगर पालिका का लेखांकन।
	• एक सरल, पारदर्शी, गैर-विवेकाधीन और न्यायसंगत संपत्ति कर व्यवस्था स्थापित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ संपत्ति कर अंशशोधन, जो स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है।

- नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (MPI) में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और अपशिष्ट जल, स्वच्छता, डिजिटल शासन भागीदारी, प्रभावशीलता सहित 20 विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

शहरी स्थानीय निकायों में सुधार की आवश्यकता

- **वित्त की कमी: MPI 2020 के अनुसार, 111 शहरों में केवल 20 शहरों में ही राज्य के अनुमोदन के बिना धन उधार लेने और निवेश करने का सामर्थ्य था,** जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों के प्रति एक आघात के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। साथ ही, राज्य और केंद्रीय अनुदानों को छोड़कर, इनमें से **95% शहर अपनी आय एवं उधार मांगों का पांच प्रतिशत से भी कम वित्त के वैकल्पिक स्रोतों से संग्रहित करने में समर्थ हैं।**
- **स्वायत्तता का अभाव:** अधिकतर मामलों में शहरी योजना निर्माण राज्य सरकार के स्तर पर संपन्न होता है और इसमें शहरी स्थानीय निकायों की अत्यल्प भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण उनके कामकाज को बाधित करता है।
- **अनियमित चुनाव:** इससे विकेंद्रीकृत अभिशासन का लक्ष्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है।
- **समन्वय का अभाव और निम्नस्तरीय शासन:** केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के मध्य समन्वय का अभाव शहरी नीतियों के खराब कार्यान्वयन, प्रशासनिक अक्षमता और निम्नस्तरीय शहरी शासन का कारण बनता है।

शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के लिए आगे की राह

- **शासन:** शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में 6 माह से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए वार्डों के परिसीमन की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होनी चाहिए, न कि राज्य सरकारों में।
- **क्षमता निर्माण:** निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं समकक्षों के अनुभव तथा चिंतनशील अधिगम कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
- **वित्त:** नगरपालिका निकायों को, निवेश/ऋण उद्देश्यों के लिए सरकार की गारंटी के बिना उधार प्राप्त करने तथा नगरपालिका बॉण्ड्स को 'प्राथमिकता क्षेत्र' श्रेणी के अंतर्गत निर्दिष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन:** जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक निधि उपलब्ध है, वहां प्रबंधन में निजी क्षेत्र की दक्षता को समाहित किया जा सकता है, उपलब्ध वित्त को बढ़ाया जा सकता है और वित्तीय अंतराल को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही, जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक निधि उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के वित्त का लाभ उठाकर परियोजनाओं को विकसित और कार्यान्वित किया जा सकता है।

9.3. जन योजना अभियान (People's Plan Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **जन योजना अभियान 2021- सबकी योजना सबका विकास** आरंभ किया है। साथ ही, **वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड** का भी शुभारंभ किया गया है।

पीपल्स प्लान कैंपेन या जन योजना अभियान के बारे में

- पीपल्स प्लान कैंपेन वस्तुतः एक अभियान के रूप में **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** तैयार करने हेतु एक प्रभावी रणनीति है।
- इस अभियान के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- बैठकों का आयोजन भौतिक रूप से किया जाएगा और बैठक के दौरान 29 क्षेत्रकों के अग्रिम मोर्चे के कामगार/पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। इसके तहत **समाज के सुभेद्य वर्गों** जैसे कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ महिलाओं आदि की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।
- **पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना के आदर्श दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं।** इन्हें उन सभी राज्यों को प्रेषित कर दिया गया है जहां संविधान का भाग IX लागू है।

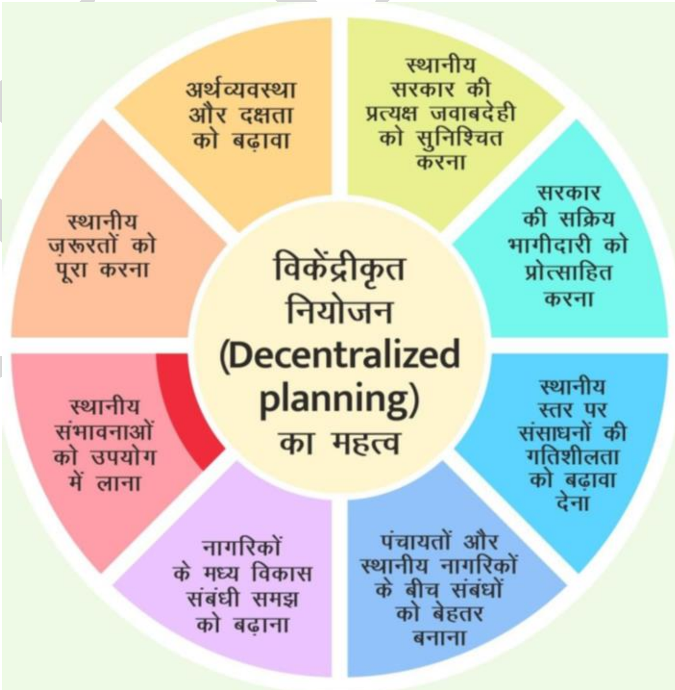

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और इसका महत्व

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 243G** ने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने एवं उसे लागू करने का दायित्व सौंपा है।** ग्राम पंचायत विकास योजना तीन आवश्यक कार्य करती है:
  - यह लोगों को एक **विजन** प्रदान करती है कि लोग अपने गांव को कैसा देखना चाहेंगे;
  - यह उस विजन को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट **लक्ष्य** निर्धारित करती है; तथा
  - उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **कार्य योजना** प्रदान करती है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना को व्यापक और समुदाय (विशेष रूप से ग्राम सभा) को शामिल करने वाली सहभागी प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसे संविधान की **11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से जुड़े** सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजना के साथ तालमेल पर आधारित होना चाहिए।
- पंचायतें, **ग्रामीण भारत का रूपांतरण करने हेतु राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित प्रमुख योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस तथ्य के संबंध में अन्य योजनाओं के साथ तालमेल या अभिसरण व्यापक महत्व रखता है।

9.4. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme: ADP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस और अमेरिका स्थित "सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव" द्वारा संयुक्त रूप से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की एक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

एक नज़र

- **शुभारंभ**: वर्ष 2018
- **उद्देश्य**: मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत भारत की रैंकिंग में सुधार करना, अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना एवं सभी का समावेशी विकास सुनिश्चित करना।

किस प्रकार के विचार से प्रेरित

- **सहयोग एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद** के माध्यम से परिवर्तन लाना।
- **समान क्षेत्रीय विकास** को सक्षम बनाना।
- **सफलता के आर्थिक मापकों से आगे बढ़ना।**

इस कार्यक्रम के मूल सिद्धांत

- **एकीकरण या अभिसरण** (केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का),
- **सहयोग** (केंद्रीय, राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर), और
- **जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा।**

कवरेज

- मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाले समग्र संकेतकों के आधार पर नीति आयोग के द्वारा कुल 117 आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है। ये संकेतक हैं:
  - स्वास्थ्य और पोषण (30%),
  - शिक्षा (30%),
  - कृषि और जल संसाधन (20%),
  - वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास (10%), और
  - बुनियादी ढांचा (10%)।

इस कार्यक्रम की आधारभूत संरचना

- **केंद्रीय स्तर**: नीति आयोग।
- **राज्य स्तर**: राज्य के मुख्य सचिव के अधीन समिति।
- **जिला स्तर**: अपर/संयुक्त सचिव रैंक के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी।

इन जिलों के विकास में आने वाली बाधाएं

- **संस्थागत**: कार्यान्वयन एजेंसियों और योजनाओं की बहुलता के कारण संस्थागत ढांचा खंडित हो गया है।
- **शासन की चुनौतियां**:
  - **शासन की अकुशलता** सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक है।
  - सरकार या जिला प्रशासन की ओर से **कोई जवाबदेही नहीं है।**
- **आवधिक आंकड़ों की अनुपलब्धता** के कारण प्रगति को ट्रैक करना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को कार्यान्वित करना कठिन हो जाता है।
- विकास कार्यक्रमों में **सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक भागीदारी का अभाव।**
- विकासात्मक प्रदर्शन में **सुधार हेतु जिलों में प्रतिस्पर्धा का अभाव।**

आगे की राह

- विकास को जन आंदोलन बनाकर **विकास की एक सकारात्मक भूमिका प्रस्तुत करनी चाहिए।**
- सूचित निर्णय-निर्माण और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए **आंकड़ों का उपयोग करना चाहिए।**
- सरकार के सभी स्तरों पर **पहल को एक साथ लाना चाहिए।**
- केंद्रीय, राज्य और जिला प्रशासन के बीच टीम वर्क सुनिश्चित करने हेतु **संघवाद को बढ़ावा** देना तथा संस्थागत तंत्र स्थापित करना आवश्यक है।
- प्रमाणित तकनीकी क्षमता वाले **विशेषज्ञ संगठनों के साथ भागीदारी की जानी चाहिए।**

अन्य संबंधित तथ्य

इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। इसके अंतर्गत चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड (एक ऑनलाइन डैशबोर्ड) के माध्यम से पांच मुख्य क्षेत्रों (विषयों) में संपादित किए मासिक सुधारों के आधार पर जिलों को रैंक प्रदान की जाती है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **क्षेत्रों के मध्य उच्च असमानताएं विद्यमान हैं:** स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें जिले अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के सर्वाधिक निकट हैं। जबकि कृषि और वित्तीय समावेशन चिंता के मुख्य क्षेत्र हैं, जहां अधिकांश जिलों द्वारा अभी अपने लक्ष्यों का 40%-90% तक पूर्ण करना है।
- **ADP द्वारा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं:** यह मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार जैसे कारकों के चलते देखने को मिला है। गंभीर कुपोषण को कम करने के लिए सभी राज्यों पर (केवल आकांक्षी जिलों के लिए) समग्र आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक अर्थात् 1.43 लाख करोड़ रुपये है।
- **ADP के उद्देश्य SDGs के साथ संरेखित होने आवश्यक हैं:** यह कार्य एक समयबद्ध मूल्यांकन संरचना को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **उभरती हुई सर्वोत्तम प्रथाएं:** विशेष रूप से 'जागरूकता', 'सहयोग' और 'डेटा-आधारित हस्तक्षेप' के क्षेत्र में भागीदारी।

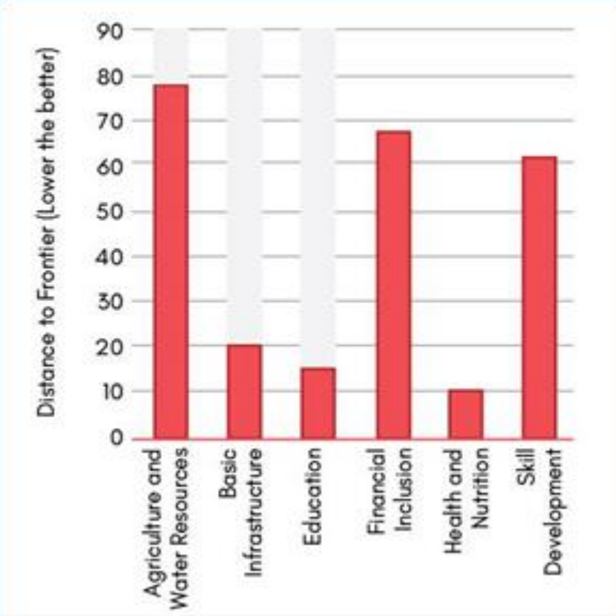

AVERAGE DISTANCE TO FRONTIER ACROSS SECTORS

जिलों में सर्वोत्तम प्रथाएँ

- **स्वास्थ्य और पोषण:**
  - **हाइलाकांदी (असम):** यहां एक नवजात बालिका के माता-पिता को **5 अंकुरित पौधे** (नारियल, लीची, असमी नींबू, अमरूद व आंवला) उपहारस्वरूप प्रदान करने की एक अभिनव प्रथा संचालित की गई है। इस प्रथा का औचित्य यह है कि वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल का उपयोग बच्चे के भरण-पोषण हेतु किया जा सकता है, जिससे प्रतिरक्षा के निर्माण और कुपोषण के निवारण में सहायता प्राप्त होगी।
- **शिक्षा:**
  - **बांका (बिहार) में 'उन्नयन बांका- प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा का पुनर्सृजन कार्यक्रम** आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण परिवेश में सुधार करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है।
- **वित्तीय समावेशन क्षेत्र:**
  - ओडिशा आजीविका मिशन के तहत जिन पंचायतों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं थीं, वहाँ **मिनी बैंक** स्थापित किए गए हैं।
- **कृषि और जल संसाधन:**
  - **कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर)** ने कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए **उच्च घनत्व वाली कृषि** की शुरुआत की है।
- **कौशल विकास:**
  - **गजपति (ओडिशा)** जिले में **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)** के तहत कौशल विकास के लिए लोगों का नामांकन आरंभ किया गया है। प्रयासों के परिणामस्वरूप, 11,600 उम्मीदवारों को संगठित किया गया है और 450 से अधिक को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षित किया गया है।
- **बुनियादी अवसंरचना:**
  - **कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर),** में 176 जल-संचयन पोखरों (water-harvesting tanks) के एक नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है, जिसने जल संरक्षण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में सहायता प्रदान की है।

अध्ययन के आधार पर की गई अनुशंसाएं

- डेटा संग्रह और प्रसार के लिए अधिक वास्तविक समय प्रणाली की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में, सर्वेक्षण संग्रह एवं जिलों के डेटा तक पहुंच के मध्य कुछ माह का अंतर विद्यमान है।
- **नए ज्ञान के आधार पर कार्य योजना को अद्यतित करना:** जिले विभिन्न मापदंडों पर अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन सर्वोत्तम प्रथाओं से अधिगम को संशोधित कर सकते हैं।

- **स्थानीय स्तर पर स्थानीय पदाधिकारियों से सहयोग लिया जाना चाहिए तथा युवा पेशेवरों** को ज़मीनी स्तर के प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए। इससे स्थानीय जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।
- देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में इसकी अनूठी चुनौतियों के कारण विशेष रूप से केंद्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

क्षेत्रों और नागरिकों के मध्य आर्थिक लाभ का असमान वितरण केवल समावेशी विकास एवं सामाजिक प्रगति पर लक्षित व्यापक एजेंडे की आवश्यकता को प्रकट करता है। समावेशी विकास और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में "क्या कार्य करता है" पर ध्यान केंद्रित करके, ADP भारत की भावी आर्थिक एवं सामाजिक विकास रणनीति के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करने की क्षमता से युक्त है।

VISION IAS

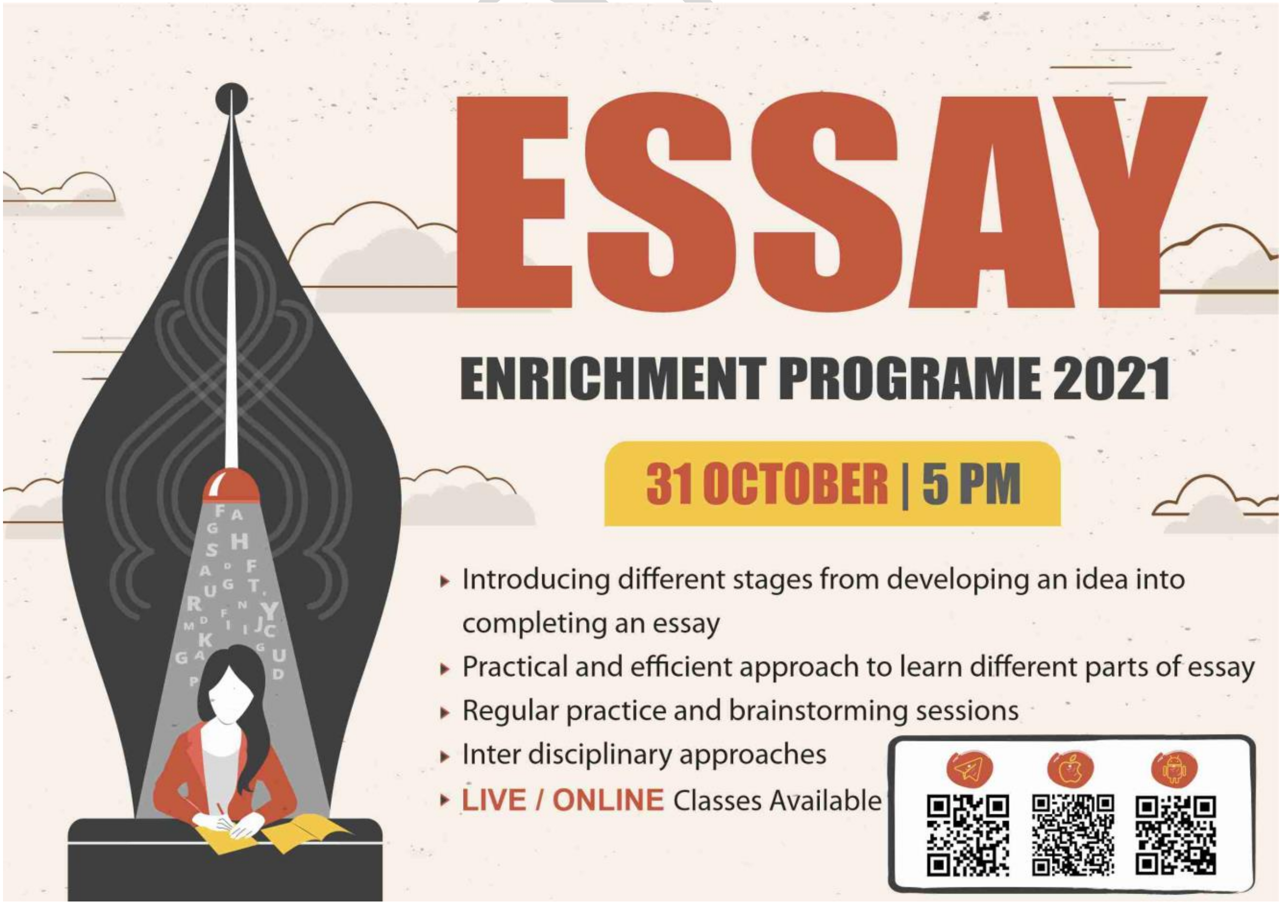

10. पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency and Accountability)

10.1. व्हिसलब्लोइंग (Whistle-Blowing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने सभी कॉर्पोरेट्स को यह सुझाव दिया है कि वे **व्हिसलब्लोइंग (अर्थात् सूचना प्रदायगी या मुख़बिरी) तंत्र** को प्रोत्साहित करें और **सूचना प्रदाता (अर्थात् व्हिसल-ब्लोवर्स) के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों** की व्यवस्था करें।

व्हिसलब्लोइंग के बारे में

- व्हिसलब्लोइंग वस्तुतः सार्वजनिक, निजी या तृतीय-क्षेत्र के संगठनों के भीतर जारी **अनुचित कृत्यों, कदाचार, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि की गतिविधियों के बारे में** किसी प्राधिकरण या अधिकारी या जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक कार्य है। यदि साधारण भाषा में कहें तो इसका अर्थ यह है कि एक सूचना प्रदाता (whistle-blower) गोपनीय या खुले तौर पर सीटी बजाकर (अर्थात् मुख़बिरी कर) उपर्युक्त अनुचित या अनैतिक गतिविधियों को उजागर करता है।
- इस संबंध में व्हिसल-ब्लोअर **एक वर्तमान या पूर्व कर्मचारी, निदेशक, अधिकारी, कंपनी का सचिव, वस्तुओं या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता या स्वयंसेवक** हो सकता है।

व्हिसलब्लोअर्स के संरक्षण की आवश्यकता क्यों?

- **अलग-थलग पड़ने के भय से अनिच्छा:** इसके परिणामस्वरूप व्हिसल-ब्लोवर्स को अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों की ओर से विरक्ति, शत्रुता, अपमान/नाराज़गी तथा उत्पीड़न एवं अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते कर्मचारी अनुचित कार्य के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए हतोत्साहित होते हैं।
- **प्रतिशोध का भय: इसमें प्रतिशोध, विनाश, हत्या और परिवार के सदस्यों के प्रति जोखिम का भय आदि शामिल हैं।** उदाहरण के लिए, व्हिसलब्लोइंग के कारण सत्येंद्र दुबे और ललित मेहता की हत्या कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त इससे सम्बंधित अन्य उदाहरण में सम्मिलित है: एडवर्ड स्नोडेन, एक पूर्व सी.आई.ए. कर्मचारी, जिसके द्वारा गोपनीय सूचना को जनता के समक्ष उजागर किया गया था।

भारत में व्हिसलब्लोइंग की स्थिति तथा व्हिसल-ब्लोवर्स की सुरक्षा के लिए तंत्र

- **सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 (The Whistle Blowers Protection Act, 2011):**
  - यह अधिनियम **किसी भी लोक सेवक द्वारा कृत भ्रष्टाचार, जानबूझकर शक्ति के दुरूपयोग या विवेकाधिकार के दुरूपयोग** को प्रकट करने वाले **व्यक्तियों को उत्पीड़न से सुरक्षा** प्रदान करता है।
  - इसके अतिरिक्त, इसमें **सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोवर) की पहचान को सुरक्षित रखने का प्रावधान** किया गया है।
  - यह अधिनियम एक **व्हिसल ब्लोवर की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है।** इस अधिनियम के अनुसार, सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ कोई अन्य व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन भी व्हिसल ब्लोवर्स हो सकते हैं।
  - **शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 {Official Secrets Act (OSA), 1923}** के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई लोक सेवक या व्यक्ति **सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लोक हित प्रकटन (public interest disclosure) अर्थात् लोक हित में कोई सूचना प्रकट कर सकता है।**

- सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित/प्रभावित कोई व्यक्ति, उक्त आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, **उच्च न्यायालय में अपील** कर सकता है।
- **अपवाद**: यह केंद्र के अधीन कार्यरत सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होता है।

- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम {SEBI PIT (Prohibition of Insider Trading) Regulations}:** यह विनियम इनसाइडर ट्रेडिंग (अंतरंग व्यापार) से संबंधित मामलों के बारे में सूचना या जानकारी प्रकट करने के लिए व्हिसल ब्लोवर्स और अन्य सूचना प्रदाताओं को पुरस्कृत करने का प्रावधान करता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013):** इस अधिनियम ने स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि उनके द्वारा व्हिसल ब्लोवर्स की शिकायतों की जांच के लिए एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाए।

भारत में व्हिसलब्लोइंग तंत्र में विद्यमान कमियां

- **सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 से संबंधित मुद्दे:**
  - **सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम को लागू करने में काफी विलंब** हुआ है। इसके कारण, कुछ व्यक्तियों को **आर.टी.आई. कार्यकर्ता / व्हिसल ब्लोवर्स के रूप में अपनी भूमिका** के लिए उत्पीड़न, हमला या हत्या आदि घटनाओं का सामना करना पड़ा है।
  - **इसमें किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है,** जो शिकायतकर्ता को उत्पीड़ित कर सकते हैं।
  - यह अधिनियम जांच और ट्रायल के दौरान गवाहों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
- **कॉर्पोरेट/निजी व्यक्तियों के लिए कोई समग्र व शक्तिशाली विधान नहीं:** समग्र कानून का अभाव सूचना प्रदाता तंत्र की स्थापना से जुड़ी सभी अस्पष्टताओं को दर्शाती है, जबकि यह कुशल कॉर्पोरेट अभिशासन को प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका है।
- **जांच प्रणाली में विश्वास का अभाव:** वर्तमान विधि के अंतर्गत यह तय कर पाना बहुत कठिन है कि जाँच निष्पक्ष होगी और उसके परिणाम अनुचित नहीं होंगे।
- **संगठनों में कोई प्रभावी कार्यान्वयन नहीं:** विभिन्न कंपनियों में व्हिसलब्लोइंग के बारे में कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए **सूचना प्रदाता नीतिगत दस्तावेज** (Whistleblower Policy document) का उपयोग नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष

सूचना प्रदाताओं को संरक्षण दिए जाने के बावजूद, उनके जीवन के समक्ष सदैव खतरा विद्यमान रहता है। इसलिए, पीड़ित व्हिसल-ब्लोवर्स के लिए विनियमन और क्षतिपूर्ति तथा अन्य उपायों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

10.2. सूचना का अधिकार (Right to Information: RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC) ने अपनी **वार्षिक रिपोर्ट** (वर्ष 2019-20 के लिए) जारी की है। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार के साथ-साथ संघ राज्यक्षेत्रों के **2,000 से अधिक लोक प्राधिकारियों** से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं।

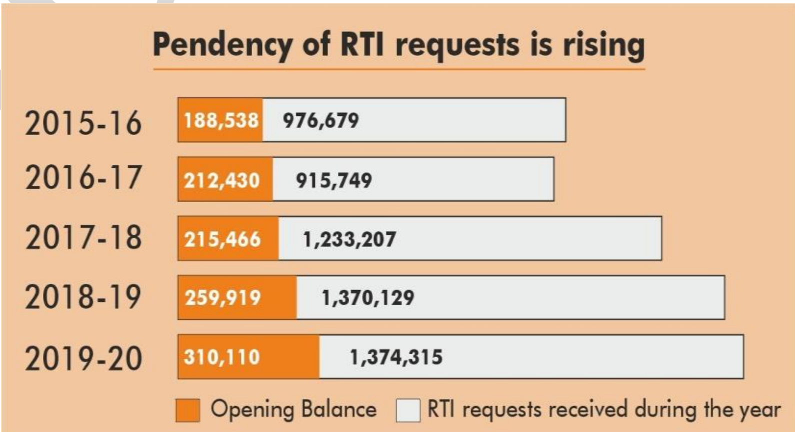

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **अस्वीकृतियों में प्रगतिशील रूप से कमी:** RTI (सूचना का अधिकार) के आवेदनों की अस्वीकृति दर में 4.3% तक की गिरावट आई है (वर्ष 2014-15 में यह 8.4% थी)। यह आयोग की स्थापना के उपरांत से सबसे कम स्वीकृत प्रतिशत है।
- अस्वीकृति के अनुमेय कारणों में, **धारा 8(1)(j)** का सर्वाधिक उपयोग परिलक्षित हुआ है। **धारा 8(1)(j)** में उस स्थिति में **व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराने से इंकार करने की अनुमति दी जाती है,** जब सूचना प्रदान करने से संबंधित व्यक्ति की निजता पर अवांछित आक्रमण होने की संभावना हो।
- **RTI अनुरोध से संबंधित मामलों में होने वाली अत्यधिक देरी।**
- **प्रथम अपील और द्वितीय अपील की संख्या में वृद्धि:** वर्ष 2019-20 में कुल 1,52,354 प्रथम अपीलें दायर की गई थीं। वर्ष 2014-15 में यह संख्या 1,10,095 थी। वर्ष 2019-20 में दर्ज कराई गई द्वितीय अपील / शिकायतों की संख्या 22,243 थी।

- प्रथम अपील सामान्यतया संबंधित प्राधिकारी की ओर से **असंतोषजनक प्रत्युत्तर** प्राप्त होने पर दायर करवाई जाती है।
- सूचना मांगने वाला व्यक्ति उस स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority: FAA) के आदेश के विरुद्ध CIC के पास द्वितीय अपील दायर करवा सकता है, यदि वह FAA के आदेश से संतुष्ट नहीं है या FAA की ओर से निर्दिष्ट समय में कोई आदेश नहीं आता है।

RTI के कार्यान्वयन में बाधाएं

- **जन जागरूकता का कम होना:** PWC (प्राइस वाटरहाउस कूपर्स) के अध्ययन के अनुसार, **केवल 15% प्रतिवादी** RTI अधिनियम को लेकर जागरूक थे और **वंचित वर्गों** जैसे कि महिलाओं, ग्रामीण आबादी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के मध्य जागरूकता स्तर कम था; जबकि-

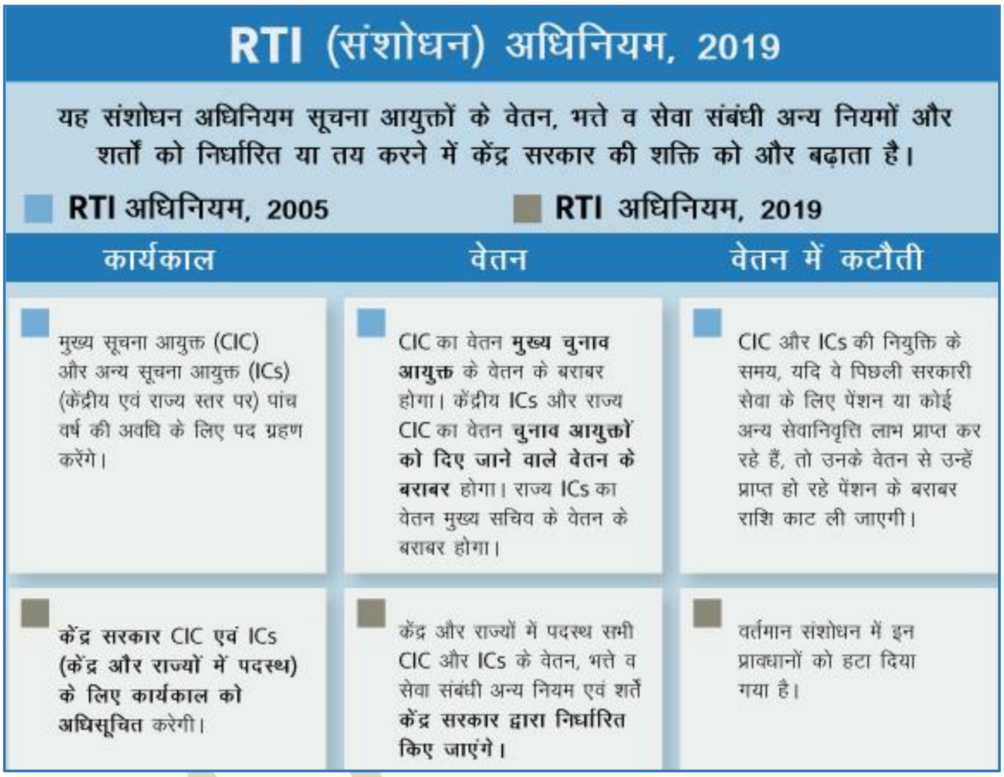

RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019

यह संशोधन अधिनियम सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते व सेवा संबंधी अन्य नियमों और शर्तों को निर्धारित या तय करने में केंद्र सरकार की शक्ति को और बढ़ाता है।

	कार्यकाल	वेतन	वेतन में कटौती
RTI अधिनियम, 2005	मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अन्य सूचना आयुक्त (ICs) (केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर) पांच वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेंगे।	CIC का वेतन **मुख्य चुनाव आयुक्त** के वेतन के बराबर होगा। केंद्रीय ICs और राज्य CIC का वेतन **चुनाव आयुक्तों को दिए जाने वाले वेतन के बराबर** होगा। राज्य ICs का वेतन मुख्य सचिव के वेतन के बराबर होगा।	CIC और ICs की नियुक्ति के समय, यदि वे पिछली सरकारी सेवा के लिए पेंशन या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके वेतन से उन्हें प्राप्त हो रहे पेंशन के बराबर राशि काट ली जाएगी।
RTI अधिनियम, 2019	**केंद्र सरकार CIC एवं ICs (केंद्र और राज्यों में पदस्थ) के लिए कार्यकाल को अधिसूचित** करेगी।	केंद्र और राज्यों में पदस्थ सभी CIC और ICs के वेतन, भत्ते व सेवा संबंधी अन्य नियम एवं शर्तें **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।**	वर्तमान संशोधन में इन प्रावधानों को हटा दिया गया है।

- **आवेदन दर्ज करवाने में सामना की जाने वाली बाधाएं:**
    - सूचना की मांग करने वालों के लिए **उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका** का उपलब्ध नहीं होना।
    - **मानक आवेदन प्रपत्र** का उपलब्ध नहीं होना।
    - लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officers: PIOs) का **मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं होना।**
    - इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के **अपर्याप्त प्रयास करना।**
- **प्रदत्त सूचना की गुणवत्ता का निम्नस्तरीय होना:** अवसंरचना का अभाव होने तथा RTI अधिनियम का पालन करने के लिए अपर्याप्त प्रक्रियाओं के कारण प्रदत्त सूचना या तो अपूर्ण होती है या उसमें पर्याप्त आंकड़ों का अभाव होता है।
- **रिकॉर्ड के निरीक्षण में सामना की जाने वाली बाधाएं:** अधिनियम के अनुसार, किसी सूचना को उसी प्रारूप में उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें उसकी मांग की गई है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। इस प्रावधान से संबंधित जागरूकता के अभाव को अधिकारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण से संबद्ध किया जा सकता है।
- **30 दिनों (जैसा कि अधिनियम में अनिवार्य किया गया है) के भीतर सूचना प्रदान नहीं करना:** वर्तमान में, अधिनियम के इस महत्वपूर्ण प्रावधान के पालन की निगरानी हेतु पर्याप्त उपाय एवं प्रक्रियाएं मौजूद नहीं हैं।
    - सरकारी अधिकारियों को रिकॉर्ड के रखरखाव की अपर्याप्त प्रक्रियाओं के कारण चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति **समर्थकारी अवसंरचना** (कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट, कनेक्टिविटी, फोटोकॉपियर आदि) के अभाव में और कष्टप्रद हो जाती है।
- **अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित PIOs और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA):** RTI अधिनियम के संबंध में प्रमुख निर्णयों को लेकर जागरूकता की कमी के अतिरिक्त इस अधिनियम की गहन समझ का अभाव है।
- RTI की **विकासवादी प्रकृति** के कारण अधिनियम की व्यापक समझ होना अत्यधिक महत्व प्राप्त करता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में निरंतर नवीन आयाम समाविष्ट होते जा रहे हैं।
    - PIOs का प्रशिक्षण चुनौती भरा है। इसका कारण मुख्य रूप से **प्रशिक्षित किए जाने वाले PIOs की बड़ी संख्या, उनका बार-बार स्थानांतरण और प्रशिक्षण संसाधनों की उपलब्धता का अभाव है।**

शासकीय गुप्त बात अधिनियम (Official Secrets Act)

- यह भारत का **जासूसी विरोधी अधिनियम (anti-espionage act)** है। इसे **वर्ष 1923** में औपनिवेशिक काल के दौरान लागू किया गया था जिसका उद्देश्य ऐसे सभी कार्यों पर प्रतिबंध आरोपित करना था जो किसी भी प्रकार से शत्रु राज्यों को सहायता प्रदान करते थे।
- स्वतंत्रता के बाद इस अधिनियम को यथावत जारी रखा गया। **सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों** पर लागू यह अधिनियम जासूसी, राजद्रोह और **राष्ट्र की अखंडता** के समक्ष मौजूद अन्य संभावित खतरों से निपटने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- यह अधिनियम मुख्यतः दो पहलुओं से संबंधित है:
  - **धारा 3-** जासूसी या गुप्तचरी, तथा
  - **धारा 5-** सरकार की अन्य गुप्त सूचनाओं का प्रकटीकरण। गोपनीय सूचना के अंतर्गत कोई भी शासकीय कोड, पासवर्ड, स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज़ या सूचना शामिल हो सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना को संप्रेषित करने वाले और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति दोनों को दंडित किया जा सकता है।
- इसके अलावा, इसमें प्रतिबंधित/निषिद्ध क्षेत्रों में नियोजित सशस्त्र बलों से संबंधित सूचनाओं का प्रकटीकरण इत्यादि को दंडनीय अपराध के रूप में वर्णित किया गया है।
- दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों के द्वारा दंडित किया जा सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के मध्य मुद्दे

- **RTI अधिनियम की धारा 22** शासकीय गुप्त बात अधिनियम (OSA) सहित अन्य कानूनों के प्रावधानों की तुलना में इसके प्रावधानों की सर्वोच्चता का प्रावधान करती है।
  - यह OSA के प्रावधानों के साथ किसी बात के असंगत होने की स्थिति में भी RTI अधिनियम को एक अधिभावी प्रभाव (overriding effect) प्रदान करता है। हालांकि, RTI अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत सरकार सूचना का प्रकटीकरण करने से मना भी कर सकती है। इस प्रकार यदि सरकार प्रभावी ढंग से, OSA की धारा 6 के तहत किसी दस्तावेज़ को "गुप्त बात" के रूप में वर्गीकृत करती है, तो उस दस्तावेज़ को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।
  - इस अधिनियम के सरकारों द्वारा ढाल के रूप में उपयोग किए जाने (सूचनाओं के प्रकटीकरण से इनकार करने और व्हिसलब्लोअर के खिलाफ इसका दुरुपयोग करने) हेतु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।

इन बाधाओं के निराकरण के उपाय:

- **उपयोगकर्ता के लिए सरल आवेदन प्रक्रिया:** समुचित सरकारों और लोक प्राधिकारियों को नागरिकों की **आवश्यकताओं एवं सुविधाओं** को ध्यान में रखते हुए RTI की प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग:** उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे कि बिग डेटा का उपयोग करके रिकॉर्ड को इस प्रकार से **सूचीबद्ध एवं अनुक्रमित किया** जाना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण डेटा एक **केंद्रीकृत प्रणाली** के माध्यम से उपलब्ध हो जाए।
- **अवसंरचना में निवेश:** प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा **'प्रमुख कार्यक्रमों' के 1% वित्त को** पांच वर्षों की अवधि के लिए अवसंरचना से संबंधित आवश्यकताओं के सुधार हेतु आवंटित किया जाना चाहिए।
- **प्रशिक्षण के लिए एक बाह्य एजेंसी की आवश्यकता:** समुचित सरकार और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा **गैर लाभकारी संगठनों** की क्षमता का आधिकारिक/अनाधिकार रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने में उपयोग करना चाहिए।

10.2.1. सूचना आयोगों की समीक्षा (Review of the Information Commissions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice)** ने केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC) और राज्य सूचना आयोगों (State Information Commissions: SICs) के कार्यकरण की समीक्षा करने का निर्णय किया है।

पृष्ठभूमि

- **केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 {Right to Information (RTI) Act, 2005} के तहत गठित वैधानिक निकाय हैं।
  - ये आयोग **RTI अधिनियम के अंतर्गत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण** हैं।

VISION

- इनमें **लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officers: PIOs)** पर अर्थदंड लगाने, उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच प्रारंभ करने आदि जैसी व्यापक शक्तियां निहित हैं। शिकायतों की जांच के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं।

- CIC को **संसद** और SIC को **राज्य विधान-मंडलों** के समक्ष अपनी प्रशासनिक शाखाओं अर्थात् केंद्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय एवं राज्यों में सेवा विभाग के माध्यम से **अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।**
  - हालाँकि, इन वार्षिक रिपोर्टों पर शायद ही कभी संसद या राज्य विधान सभाओं में चर्चा होती है। यह RTI अधिनियम की प्रभावकारिता पर प्रश्न खड़ा करता है।
- **अब पहली बार इस निकाय के कामकाज की प्रत्यक्ष रूप से संसदीय समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी,** ताकि इसके कार्यकरण को प्रभावी बनाया जा सके।

केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों के कामकाज की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है?

भारत में प्रतिवर्ष 40 से 60 लाख RTI आवेदन दायर किए जाते हैं। ऐसे में अंतिम अपीलीय प्राधिकरण होने के नाते केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों का प्रभावी कार्यकरण RTI अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। **निम्नलिखित कारक इनके कार्यकरण की समीक्षा को आवश्यक बनाते हैं:**

- **केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु:** केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों को विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं। उनके पास PIOs को नियुक्त करने और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करने की शक्ति है। अतः देश के लोगों के समक्ष केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनके कामकाज की समीक्षा आवश्यक है।
- **अधिदेश का पूर्णतः निर्वहन सुनिश्चित करना:** वर्ष 2015 से, केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों द्वारा बिना किसी पर्याप्त कारण के **अपीलकर्ता को वापस भेजे जाने वाले मामलों (अपील / शिकायतों) की संख्या में अचानक वृद्धि** हुई है। वर्ष 2019-20 में, निपटाए गए 59% मामलों में PIOs पर अर्थदंड की प्रक्रिया आरंभ होनी चाहिए थी। लेकिन, केवल 2.2% मामलों में ही अर्थदंड आरोपित किया गया था।
- **केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों पर जनता का विश्वास बनाए रखना:** सूचना आयुक्तों (information commissioners) के कार्यकाल, वेतन और भत्ते निर्धारित नहीं किए गए हैं। RTI संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से यह अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। हालांकि, इस संशोधन ने आयोग की स्वायत्तता को समाप्त करने की आशंका उत्पन्न कर दी है। एक तटस्थ संस्था के रूप में संसदीय समिति द्वारा उनके कामकाज की समीक्षा, लोगों की इस आशंका को दूर कर सकती है।
  - इससे पहले, RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उनके लिए **65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति या पांच वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल** का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के तहत उनके वेतन एवं भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त (केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के लिए) और निर्वाचन आयुक्त (केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के लिए) के समान थे।
- **प्रणाली में नियमित पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** अतीत में, इन आयोगों के प्रभावी कामकाज से भ्रष्टाचार के कई मामले (जैसे कि आदर्श सोसायटी घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला आदि) उद्घाटित हुए थे। इस प्रकार, संसदीय संवीक्षा न केवल इस दिशा में निरंतरता सुनिश्चित करेगी, अपितु इस तरह के प्रभावी कामकाज को सुदृढ़ता भी प्रदान कर सकती है।

केंद्रीय/राज्य सूचना सूचना आयोगों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है?

- **नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना:** सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी नहीं है। इसके कारण कई बार न्यायालयों द्वारा इस तरह की नियुक्तियों को निरस्त किया गया है।
  - अतः नियुक्ति प्रक्रिया में **भारत संघ बनाम नमित शर्मा वाद (वर्ष 2013)** में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया गया था कि चयन समिति द्वारा नियुक्ति से संबंधित तथ्यों (जो यह दर्शाए कि अनुशंसित उम्मीदवार सार्वजनिक जीवन, ज्ञान और अनुभव के मामले में प्रतिष्ठित हैं) को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
- **सूचना आयुक्तों की संतुलित संरचना सुनिश्चित करना:** सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंड बहुत व्यापक हैं। 84% मुख्य सूचना आयुक्त और 59% सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, खोज समिति (Search Committee) द्वारा जिन व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया जाता है, उनमें अधिकांश सरकारी नौकरशाह ही सम्मिलित होते हैं। अत: यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन आयोगों में विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जाए।
- **आयुक्तों को उनकी विशेषज्ञता अनुसार मामले आवंटित करना:** वर्ष 2013 में, उच्चतम न्यायालय ने सूचना आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों की निम्न गुणवत्ता का संज्ञान लिया था। साथ ही, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि मुख्य सूचना आयुक्तों को यह

VISION IAS

सुनिश्चित करना होगा कि विधि के जटिल प्रश्नों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल कानूनी विशेषज्ञता प्राप्त आयुक्तों द्वारा ही की जाए।

- **केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों की इष्टतम क्षमता सुनिश्चित करना:** वर्ष 2011 में, केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रति वर्ष प्रति आयुक्त 3,200 मामलों के लिए एक वार्षिक मानदंड निर्धारित किया था। इस मानदंड को देश भर के सभी सूचना आयुक्तों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बजट और कर्मचारी संरचना (कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों) के लिए उचित मानदंडों को विकसित करने की आवश्यकता है। यह न केवल लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए अपितु नए मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- **अपील दाखिल करने की सरल प्रक्रिया:** केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों द्वारा आवेदनों की अस्वीकृति की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को लोगों के अनुकूल (सरल) बनाया जाना चाहिए। RTI नियमों में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि अल्प या प्रक्रियात्मक दोषों के कारण अपील/शिकायतों की वापसी न हो। इन नियमों के माध्यम से केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों पर एक दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि अपील और शिकायतों को उनकी त्रुटियों के कारण वापस करने की बजाय लोगों को अपील एवं शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त हो सकें।

निष्कर्ष

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण सार्वजनिक हित को बनाए रखने के लिए अपने कार्यों का निर्वहन करें, यह आवश्यक है कि केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। संसदीय समिति द्वारा संवीक्षा इस दिशा में एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है।

10.3. सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission: CVC) ने सरकारी संगठनों में प्रापण/खरीद (procurement) गतिविधियों के लिए **"सत्यनिष्ठा संधि"** को अपनाने पर **मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure: SOP)** में संशोधन किया है। साथ ही, एक संगठन में **स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (Integrity External Monitors: IEM)** के अधिकतम कार्यकाल को तीन वर्ष तक सीमित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सत्यनिष्ठा संधि, संगठन के लिए **अनुमोदित स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (IEM) के एक पैनल की परिकल्पना** करती है।
- IEM स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करते हैं कि किस प्रकार और किस हद तक संगठन समझौते के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन कर रहे हैं।

सत्यनिष्ठा संधि

- यह एक **सतर्कता साधन (vigilance tool)** है, जो भावी विक्रेताओं/बोलीदाताओं और क्रेताओं के मध्य एक समझौते की परिकल्पना करती है, जो दोनों पक्षों को अनुबंध के किसी भी पहलू पर किसी भी भ्रष्ट आचरण का व्यवहार न करने के लिए प्रतिबद्ध करती है।
- इसके कार्यान्वयन को स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (IEM) द्वारा आश्वासन प्राप्त होता है, जो **निस्संदेह सत्यनिष्ठा (unimpeachable integrity)** वाले व्यक्ति होते हैं।
- सत्यनिष्ठा संधि सार्वजनिक अनुबंधों में शामिल पक्षकारों और साथ ही साथ IEM के अधिकारों एवं दायित्वों को भी निर्धारित करती है।

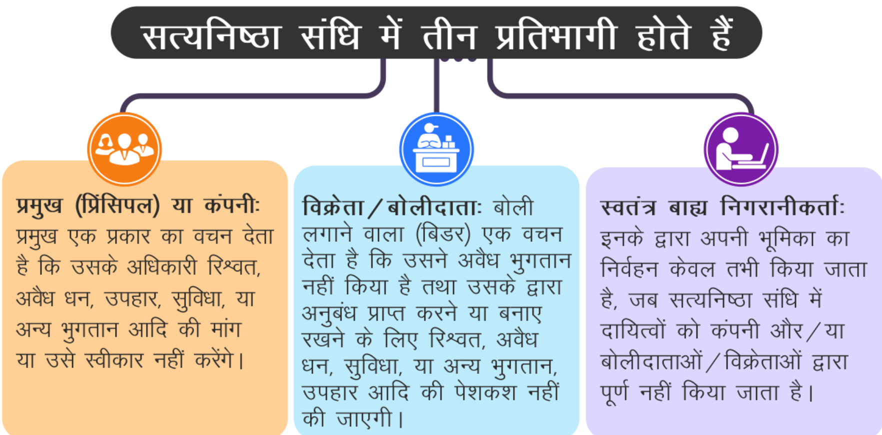

- इस प्रकार, **सत्यनिष्ठा संधि एक कानूनी दस्तावेज और प्रक्रिया दोनों** है। यह कई कानूनी व्यवस्थाओं के अनुकूल भी है।
- सत्यनिष्ठा समझौते को **वर्ष 1990 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित** किया गया था।

सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन में समस्याएं

- **कई बार, दोहराव की स्थिति:** एक पीड़ित पक्ष CVC को शिकायत करता है और साथ ही, मामले को न्यायालय में भी ले जाता है। CVC चाहता है कि IEM मामले की जांच करे और साथ ही, यह भी सुझाव देता है कि निगम का कोई व्यक्ति तकनीकी परीक्षण करे। इस प्रकार, तीन भिन्न-भिन्न मंचों पर एक ही मुद्दे पर बहस की जाती है। इससे बहुत **समय, ऊर्जा और संसाधनों का अपव्यय** होता है।
- **विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सत्यनिष्ठा संधि स्वीकार करवाने में कठिनाई:** विदेशी कंपनियों को सत्यनिष्ठा संधि के बारे में संदेह है और इसके अंगीकरण के बारे में प्रश्न करती हैं। इसलिए, उनके साथ वार्ताओं में समय लगता है।
- **सरकारी कंपनियों के लिए निरूत्साहन:** यह निजी कंपनियों के लिए एक अनुचित लाभ है। सत्यनिष्ठा संधि सरकारी कंपनी को प्रकटीकरण के लिए खुला बनाती है, जबकि निजी कंपनी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होती है।
- **वाणिज्यिक गोपनीयता के संबंध में चिंता:** सार्वजनिक उपक्रमों को यह अनुभव होता है कि बहुत अधिक प्रकटीकरण से वे नीलामी प्रक्रिया में अपनी बढ़त से वंचित हो सकते हैं, जबकि विक्रेताओं का मत है कि सार्वजनिक उपक्रम **सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम** के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाओं को प्रकट नहीं करते हैं।
- IEMs सत्यनिष्ठा संधि के लिए नए हैं तथा उन्हें कार्यों को सर्वोत्तम रीति से आरंभ करने का कोई अनुभव नहीं है।

आगे की राह

- **शिकायत निवारण में दोहराव की रोकथाम:** जब एक पीड़ित पक्ष किसी एक मंच पर निवारण की इच्छा प्रस्तुत करता है, तो अन्य अधिकारियों को उसी मामले में भाग लेने से विरत हो जाना चाहिए।
- **IEM की भूमिका का पुन: निरीक्षण करना:** वर्ष 2007 से सत्यनिष्ठा संधि होने के बावजूद वर्ष 2008 के उपरांत कई घोटाले हुए हैं। इससे IEM की भूमिका की समीक्षा करने और मजबूत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।
  - IEM को शिकायत मिलने तक प्रतीक्षा करने की बजाय एक **अग्र-सक्रिय रणनीति** अपनाने की आवश्यकता है।
  - **IEMs को वाद, परिस्थितियों** आदि के बारे में अपने अनुभवों को परस्पर साझा करना चाहिए।
  - IEMs को **न केवल निविदाओं और बोलियों की निगरानी** करनी चाहिए, **बल्कि कार्यों के निष्पादन की भी निगरानी** करनी चाहिए।
  - नैतिक क्षमता की कमी वाले **IEM के निष्कासन हेतु** एक प्रक्रिया होनी चाहिए।
- **शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा:** CVC में दायर शिकायतों का 3 माह के भीतर समाधान किया जाना चाहिए।
- **सत्यनिष्ठा संधि का सार्वभौमीकरण:** सभी सार्वजनिक और निजी उद्यमों द्वारा सत्यनिष्ठा संधि को अपनाना चाहिए। यह निजी कंपनियों को अनुचित लाभ की जांच करने के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करेगी।

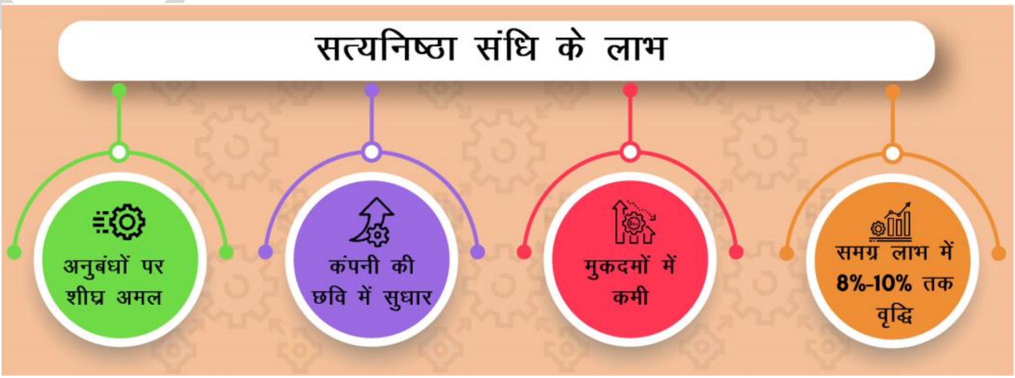

- **नैतिक क्षमता का विकास करना:** लोगों को मूल्यों और नैतिकताओं के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत को विश्व के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक माना जाता है। भारत को वर्ष 2020 के **करप्शन परसेप्शन इंडेक्स** में 180 देशों और क्षेत्रों में 80वां स्थान प्रदान किया गया है। भारत में लगभग प्रत्येक संगठन में संस्थागत रूप से दृष्टिगोचर होने वाले भ्रष्टाचार के कारण लोगों के अधिकारों की हानि न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु एक **परिष्कृत सत्यनिष्ठा संधि महत्वपूर्ण सिद्ध** हो सकती है।

10.4. भारत में टेलीविजन रेटिंग (Television Rating in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting)** ने भारत में **टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा-निर्देशों की समीक्षा** के लिए एक समिति का गठन किया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2014 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में परिचालन हेतु टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार किए थे। वर्ष 2014 के दिशा-निर्देश **ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रिसर्च काउंसिल (BARC)** जैसे **उद्योग नेतृत्वाधीन निकाय** के माध्यम से **टेलीविजन रेटिंग के स्व-विनियमन का प्रावधान** करते हैं।
  - BARC इंडिया ने वर्ष 2015 में अपने परिचालन की शुरुआत की थी और तब से यह व्यावसायिक आधार पर **टेलीविजन रेटिंग सेवाओं को प्रदान करने वाली एकमात्र संस्था** है।\
  - **टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (Television Rating Points: TRP)** की गणना के लिए, BARC द्वारा **"BAR-O-मीटर"** स्थापित किए गए हैं। गणना के लिए, सूची में सम्मिलित 45,000 घरों में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) द्वारा "BAR-O-मीटर" को स्थापित किया गया है।
  - **TRP** वह मानदंड है जो किसी चैनल या कार्यक्रम की लोकप्रियता को इंगित करता है।

भारत में टेलीविजन रेटिंग से संबंधित मुद्दे

- **दर्शकों के आकार की सीमाएँ:** मंचों, क्षेत्रों व ग्रामीण और छोटे शहरों की बहुलता का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व उचित रीति से दर्शकों की संख्या को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- **रेटिंग्स की विश्वसनीयता:** परिवारों के नामों की गोपनीयता और परिवारों के चयन के लिए अपनाई गई विधि में पारदर्शिता का अभाव है।
- **रेटिंग प्रणाली किसी भी वैधता परीक्षण के अधीन नहीं हैं:** रेटिंग्स किसी भी वैधता परीक्षण के अधीन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का कोई स्वतंत्र लेखा परीक्षण नहीं किया जाता है।
- **सूची में शामिल घरों के कारण रेटिंग में हेरफेर:** TRP डेटा में हेरफेर तब किया जाता है, जब **प्रसारकों को BAR-O- मीटर लगे घरों की जानकारी** होती है तथा वे उन्हें उनके चैनल को देखने के लिए रिश्वत देते हैं।
- **अपर्याप्त प्रतियोगिता:** रेटिंग सेवाओं में नगण्य या कोई प्रतिस्पर्धा विद्यमान नहीं है।

आगे की राह

- **डेटा की गुणवत्ता में सुधार:** BARC को भारतीय सांख्यिकी संस्थान या किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के साथ मिलकर अध्ययन करना चाहिए, **ताकि उचित दर्शक आकार का अनुमान लगाया जा सके तथा क्षेत्रीय और विशेष चैनलों सहित दर्शकों का सही प्रतिनिधित्व हो सके।**
- **टेलीविजन रेटिंग का प्रमाणन:** सरकार को इसकी स्वतंत्रता, वैज्ञानिक आधार और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश देने और रेटिंग को प्रमाणित करने के लिए एक निकाय का गठन करना चाहिए।
- **प्रतिदर्श के तौर पर सूचीबद्ध घरों की लेखा परीक्षा:** रेटिंग एजेंसियों के पास **प्रतिदर्श के तौर पर सूचीबद्ध घरों की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए उचित तंत्र होना चाहिए।** इसके अतिरिक्त, यह तंत्र स्वतंत्र लेखा परीक्षण के अधीन होना चाहिए।
- टी.वी. रेटिंग प्रदान करने के लिए पारदर्शिता, तटस्थता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु **टेलीविजन रेटिंग सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।**
- माप उपकरणों में **प्रौद्योगिकी के निरंतर उन्नयन की आवश्यकता होगी।**

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
    - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
    - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

11. सिविल सेवा की भूमिका (Role of Civil Service)

11.1. सिविल सेवाओं में सुधार (Civil Service Reforms)

सिविल सेवा सुधार

वर्तमान स्थितिः द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए हैं:
- परिणाम की अपेक्षा **आंतरिक प्रक्रियाओं से अधिक लगाव।**
- प्रणालीगत कठोरता, अनावश्यक **जटिलताओं और अति-केंद्रीयकरण** से ग्रस्त।
- **पदानुक्रम** पर आधारित संरचनाएं।
- **निर्णय-निर्माण की अति बोझिल प्रणाली** और परिवर्तन का विरोध।
- प्रभावी गवर्नेंस हेतु **शासन प्रधानता की मानसिकता को त्यागने** की आवश्यकता।

भारत में आधुनिक नौकरशाही **ब्रिटिश राज के दौरान** ब्रिटेन के हितों को प्रोत्साहित करने और संरक्षित करने हेतु विकसित हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात् नौकरशाही को **राष्ट्र निर्माण का प्रमुख उत्तरदायित्व** सौंपा गया था।

सिविल सेवा और लोकतंत्र के मध्य संबंधः ये दोनों एक-दूसरे के विरोधाभासी और पूरक हैं।
- प्रभावी लोकतंत्र हेतु प्रभावशाली एवं कुशल नौकरशाही की आवश्यकता है। फिर भी, यह नागरिकों की इच्छाओं और मांगों के प्रति उदासीन हो सकती है।
- हालांकि, इससे लोकतांत्रिक अभिशासन हेतु पूर्वानुमेयता और निष्पक्षता उत्पन्न होती है।

आवश्यक सुधारः द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

- **प्रवेश का चरणः**
  - राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करना चाहिए।
  - अन्य स्नातकों के लिए ब्रिज कोर्स होने चाहिए।
  - राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को आईएएस में शामिल करना चाहिए।
- **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माणः** आरंभिक स्तर पर और समय-समय पर अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
  - लोक सेवकों को उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने तथा प्रतिष्ठित और आधिकारिक पत्रिकाओं के लिए लेखन कार्य हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **मध्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्तिः केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण** की भूमिका।
  - उच्च स्तर पर डोमेन क्षमता, अभिवृत्ति और सामर्थ्य के अनुकूल होने की आवश्यकता है।
- **सरकार से बाहर के संगठनों में प्रतिनियुक्ति।**
- **निष्पादन प्रबंधन प्रणाली** को अधिक सलाहकारी, पारदर्शी और कार्य विशिष्ट होना चाहिए।
- सिविल सेवकों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से **अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना चाहिए।**

अन्य समितियों की सिफारिशें:

- **भर्तीः**
  - **वाई. के. अलघ समितिः** वैकल्पिक विषयों के बजाय सामान्य विषय में परीक्षा।
  - **होता समितिः** अभिवृत्ति एवं नेतृत्व परीक्षण शामिल करना।
- **प्रशिक्षणः** युगांधर समिति, 2003 ने सेवा के 12वें, 20वें और 21वें वर्ष में **तीन मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों** की सिफारिश की थी।
- **क्षमताः**
  - **होता समिति** ने सरकार को अधिक सुलभ, प्रभावी और जवाबदेह बनाते हुए सरकार को रूपांतरित करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया था।
- **जवाबदेहीः** प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने **निष्पादन बजट** का सुझाव दिया था। होता समिति ने **सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता और शासन की आदर्श संहिता की सिफारिश** की थी।
- **प्रदर्शन/निष्पादन मूल्यांकनः** सुरिंदर नाथ समिति ने सिफारिश की थी कि प्रदर्शन/निष्पादन मूल्यांकन का उपयोग मुख्य रूप से एक अधिकारी के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए।

11.1.1. 'मिशन कर्मयोगी' (Mission Karmayogi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "मिशन कर्मयोगी"- राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building: NPCSCB) को स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस कार्यक्रम को **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म (iGOT Karmayogi Platform)** की स्थापना द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित व डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध करवाएगा।
- आईगॉट (iGOT)-कर्मयोगी मंच के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक **उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन ढांचा** भी निर्धारित किया जाएगा, ताकि **मुख्य प्रदर्शन संकेतकों** (Key Performance Indicators) का **डैशबोर्ड अवलोकन** तैयार किया जा सके।

- **संस्थागत संरचना:**
  - **प्रधान मंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद {Prime Minister's Public Human Resources (HR) Council}:** यह परिषद **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता** में सिविल सेवा सुधार और क्षमता निर्माण के कार्य को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी। इसमें कुछ चयनित केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन पेशेवर, विचारक, वैश्विक विचारक और लोक सेवा पदाधिकारी शामिल होंगे।
  - **कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन (क्षमता विकास आयोग):** इस आयोग की निम्नलिखित भूमिका होगी-
    - वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं का अनुमोदन करने में प्रधान मंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद् की सहायता करना तथा हितधारक विभागों के साथ इन योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना।
    - सिविल सेवा क्षमता विकास से संबद्ध सभी **केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यात्मक निरीक्षण** करना।
    - आंतरिक एवं बाह्य संकाय और संसाधन केंद्रों सहित साझा अधिगम (लर्निंग) संसाधनों को सृजित करना।
    - सभी सिविल सेवाओं में करियर के मध्य में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करना।
    - सरकार को मानव संसाधन के प्रबंधन, प्रशिक्षण और क्षमता विकास के क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत उपायों का सुझाव देना।
  - **स्पेशल पर्पज व्हीकल (विशेष प्रयोजन वाहन):** इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए डिजिटल परिसम्पत्ति और **आईगॉट-कर्मयोगी** प्लेटफॉर्म का स्वामित्व धारण एवं संचालन करने के लिए की जाएगी।
  - **कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय यूनिट (Coordination Unit) की भी स्थापना की जाएगी।**

अपेक्षित लाभ

- **कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित होगा:** क्योंकि, विशिष्ट भूमिका-क्षमताओं वाले सिविल सेवकों को कार्य आवंटित किया जाएगा और नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के पास सही कार्य के लिए उचित उम्मीदवार के चयन हेतु तैयार डेटा उपलब्ध होगा।
- **शासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता का समावेश होगा:** यह वास्तविक समय आधारित मूल्यांकन और लक्ष्य संचालित तथा निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से सामान्य जन के लिए "ईज़ ऑफ लिविंग" और सभी के लिए "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" सुनिश्चित करेगा।
- **नागरिक-केन्द्रीयता (Citizen-Centricity) दृष्टिकोण सृजित होगा:** 'ऑन-साइट लर्निंग' द्वारा सरकार और नागरिकों के मध्य अन्तराल को कम किया जा सकता है।

- **भारतीय सिविल सेवकों को भविष्य के लिए तैयार करेगा:** प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा के माध्यम से और संस्थानों में प्रशिक्षण प्राथमिकताओं तथा शिक्षा शास्त्र के मानकीकरण के द्वारा उन्हें और अधिक नवोन्मेषी, पेशेवर, प्रगतिशील व प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाया जाएगा।
- **सहयोगात्मक और साझा पारिस्थितिकी-तंत्र निर्मित होगा:** यह विभाजित कार्य संचालन संस्कृति को समाप्त कर देगा, प्रयासों के दोहराव को कम करेगा तथा एक नई कार्य संस्कृति का समावेश करेगा, जो व्यक्तिगत और साथ ही संस्थागत क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- **सामान्यीकरण और विशेषज्ञता के मध्य का अंतराल समाप्त होगा,** जो सभी स्तरों पर मध्य-स्तरीय प्रशिक्षण के अभाव के कारण मौजूद है।

निष्कर्ष

प्रस्तावित सुधार की केंद्रीकृत संस्थागत संरचना को विभिन्न कार्मिकों और शिक्षार्थियों के संदर्भों तथा आवश्यकताओं की समझ द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और प्रोत्साहन को सफलतापूर्वक संबद्ध करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ विश्वसनीय मूल्यांकन हेतु एक रूपरेखा विकसित की जानी चाहिए। संगठनात्मक संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण को साझा दृष्टि विकास, उद्देश्यपूर्ण कार्य और कर्मचारियों के सशक्तीकरण के साथ पूरक होना चाहिए।

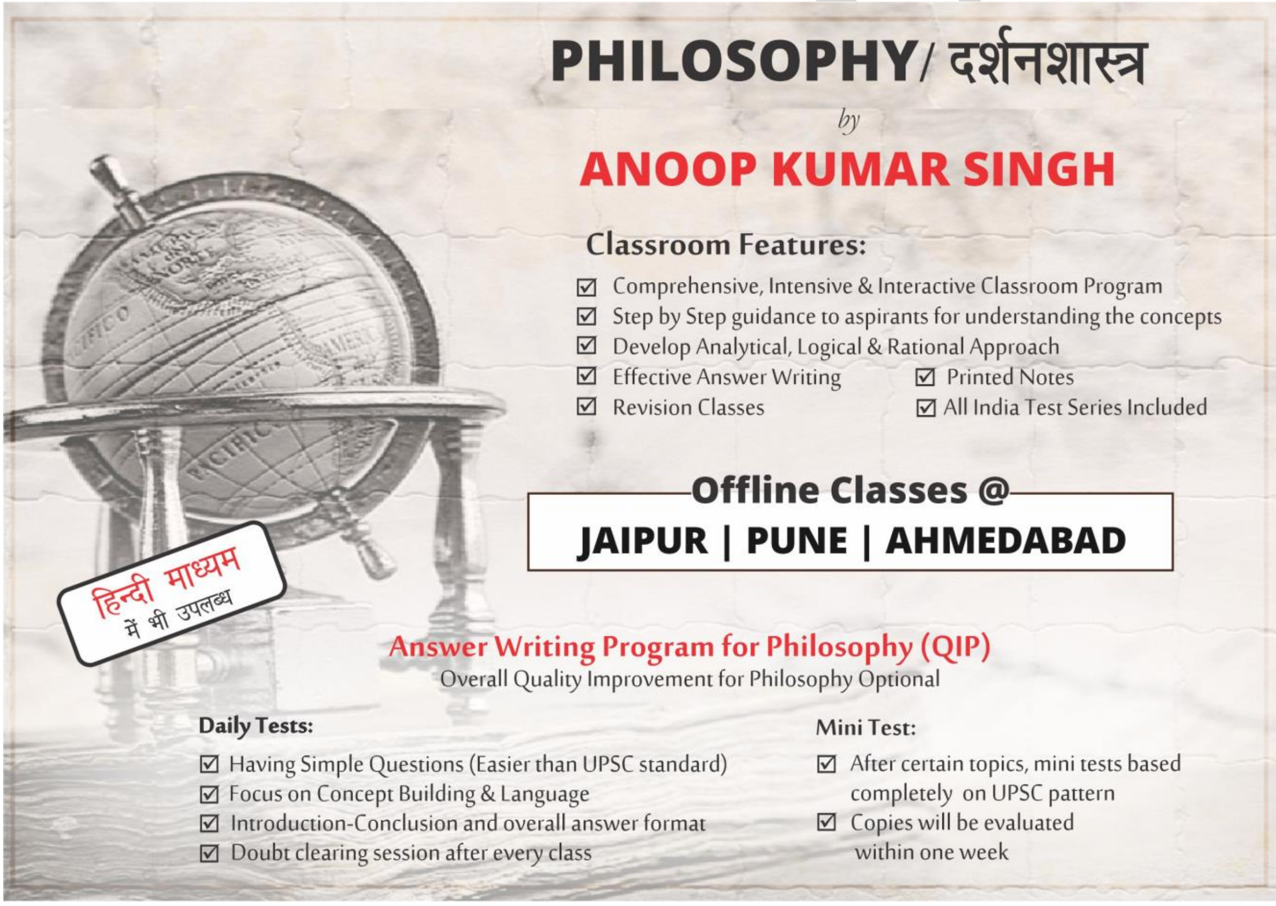

Copyright © by Vision IAS
All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

from various programs of **Vision Ias**

1 AIR

SHUBHAM KUMAR
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

2 AIR

JAGRATI AWASTHI
(ALL INDIA TEST SERIES)

3 AIR

ANKITA JAIN
(ALL INDIA TEST SERIES)

4 AIR

YASH JALUKA
(ABHYAAS TEST SERIES)

5 AIR

MAMTA YADAV
(ALL INDIA TEST SERIES)

6 AIR

MEERA K
(ALL INDIA TEST SERIES)

7 AIR

PRAVEEN KUMAR
(ALL INDIA TEST SERIES , ESSAY TEST , ABHYAAS , PDP)

8 AIR

JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

9 AIR

APALA MISHRA
(ABHYAAS TEST SERIES)

10 AIR

SATYAM GANDHI
(ALL INDIA TEST SERIES, EASSY TEST)

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066
Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR	HYDERABAD	PUNE	AHMEDABAD	LUCKNOW	CHANDIGARH	GUWAHATI
9001949244	9000104133	8007500096	9909447040	8468022022	8468022022	8468022022

/c/VisionIASdelhi   /vision_ias   /visionias_upsc   /VisionIAS_UPSC